(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के अष्टम् सत्र का सोलहवां दिवस [ संख्या 10



बुधवार

दिनांक 21 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन।

**उदयपुर तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्ति**

**1960. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ, हवामहल, जयपुर द्वारा उदयपुर तहसील में स्थित वक्फ सम्पत्ति की सूचना दिनांक 23 सितम्बर, 1965 के राज-पत्र में प्रकाशित हुई है? यदि हां, तो कृपया उस राज-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति में किस किस सम्पत्ति पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है?

(3) किस-किस सम्पत्ति पर कब-कब से किस-किस व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अतिक्रमणकारियों से भूमि-भवन खाली करवाने के विषय में वक्फ बोर्ड द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

(5) क्या बोर्ड द्वारा कुछ सम्पत्ति किराये पर दी हुई है? यदि हां, तो कब-कब से?

**वक्फ मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रार्थना-पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है जिसकी वजह से—

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री यदुनाथ सिंह (नंदवई)** : क्यों, अध्यक्ष महोदय?

**श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)** : तीन साल से इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है....

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, 20-3-84 को एक तारांकित प्रश्न संख्या 190 का उत्तर मेरे पास आ चुका है जो करीब करीब इससे मिलता जुलता है। माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द जी

(सुश्री पुष्पा जैन)

कटारिया ने 8-3-1984 को इसी संबंध में प्रश्न पूछा था। उसका उत्तर भी सदन में आ चुका है। राव कमलेन्द्रसिंह जी इसी मुद्दे को इसी सदन में उठा चुके हैं। इसी मुद्दे पर अन्य कई माननीय सदस्य सवाल पूछ चुके हैं। इन सबके बावजूद....

**श्री अध्यक्ष** : नियमों के अनुसार....

**सुश्री पुष्पा जैन** : इस प्रश्न को स्थगित कराने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप इस पर स्थगन इसलिये मांग रहे हैं क्योंकि आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बचाना चाहते हैं। इस वक्फ की जमीन को मुख्य मंत्री जी की धर्मपत्नी सुशीला माथुर और उनके साले दीनबन्धु वर्मा ने बेच दिया है। और बेचकर इसका पैसा खाया है।

(व्यवधान)

यही कारण है कि आप सदन में इसकी चर्चा से बचना चाहते हैं। वरना कोई कारण नही इसको स्थगित करने का।

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के बारे में जो भी शिकायत हो, मुझे अलग से बतला दें। इसका उत्तर दिलाया जायेगा, निश्चित रूप से दिलाया जायेगा।

**श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : अध्यक्ष महोदय, तीन साल हो गये....

**श्री अध्यक्ष** : सभी प्रश्नों को देख लेंगे....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : तीन साल से बराबर निवेदन कर रहे हैं, 8 बार मैंने इस प्रश्न को उठाया है। हर बार इसका उत्तर साइडट्रैक किया जा रहा है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : शान्त रहें, माननीय सदस्य। मैंने व्यवस्था दे दी है, इसका उत्तर दिलाया जायेगा। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : गलत उत्तर दिया जा रहा है। लोग इस प्रापर्टी को हड़प रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : जो स्थिति मेरे समक्ष है –

**श्री यदुनाथ सिंह** : कारण तो बतायें, मन्त्री महोदय ने कोई कारण नहीं बतायें हैं स्थगित करने के।

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का तीसरा भाग है, किस-किस सम्पत्ति पर कब कब से किस किस व्यक्ति, संस्था अथवा अन्य द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, पूरे उदयपुर का विवरण मांगा है। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर तहसील छोटी सी नहीं है इसलिये दो आदमी वक्फ बोर्ड से भेजे कि एक-एक गांव में पता लगावें। इन्फोरमेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं हुई इसलिये स्थगित करना पड़ रहा है –....

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर....

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं। सदन में यह मामला कितनी ही बार उठाया गया, कलेक्टर को आदेश भी दिये गये, इसकी रिपोर्ट भी आये डेढ़ साल हो गया फिर भी मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि उनके पास कोई इत्तला नहीं आई—....

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज, इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी—....

(व्यवधान)

**सुश्री पुष्पा जैन** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को सरकार के पास गये 16 दिन हो गये। 16 दिन का समय मिल गया, तो मैं समझती हूं कि....—

**श्री कमलेन्द्र सिंह** : तीन साल हो गये....

**श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)** : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं —

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। आपका इससे सम्बन्ध नहीं है।

**श्री नाथू सिंह** : अध्यक्ष महोदय। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसी सत्र में यह प्रश्न आ जायेगा ?

**श्री अध्यक्ष** : जी।

अगला प्रश्न, श्री सुजानसिंह यादव।

**अलवर से नीमराना व बहरोड़ बस सेवा**

197. **श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर से नीमराना व अलवर से बहरोड़ मार्ग पर बस सेवा में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्गों पर बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं ?

**राज्य मंत्री, यातायात (श्री जयकृष्ण शर्मा)** : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नीमराना और बहरोड़ दो बड़े बड़े कस्बे पड़ते हैं जहां पर प्रत्येक विभाग के कार्यालय कार्यरत हैं लेकिन बसों की अव्यवस्था है। पहले प्राइवेट गाड़ियां चलती थीं वह ठीक समय पर पहुंचती थीं और रात को नाइट हाल्ट भी करती थीं लेकिन दुर्भाग्यवश जब से बसों के रूट्स का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से कभी बसें पहुंचती हैं, कभी नहीं पहुंचती हैं। अलवर से नीमराना दो सेवायें चलती थीं, एक 1 बजे दोपहर को और एक साढ़े चार बजे और नाइट हाल्ट वहीं पर करती थीं। अब 7 बजे नीमराना से अलवर को चलती है और 10 बजे अलवर से नीमराना के लिए चलती है। कभी गाड़ियां पहुंचती हैं और कभी नहीं पहुंचती हैं। बैंक कार्यालय हैं, पंचायत समिति का हैड क्वार्टर

(श्री सुजानसिंह यादव)

है, सब तहसील है, हाई स्कूल है, डिस्पेन्सरी है, औषधालय है, अनेक प्रकार के दफ्तर वहां पर कार्यरत हैं, लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यातायात राज्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन गाड़ियों के रात को वहीं पर ठहरने की व्यवस्था कराने की कृपा करें।

दूसरे, बहरोड़ की भी ऐसी हालत है। बहरोड़ एक जिला मुख्यालय है जहां पर सभी तरह के दफ्तर हैं। वहां पर गाड़ियां कभी 4-4 घन्टे से पहुंचती हैं, कभी चलती हैं, कभी नहीं चलती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बसों की व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की व्यवस्था करें।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीमराना का सवाल है वहां पर बसें चलती हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बसें वहां पर नाइट हाल्ट करें। जैसा माननीय सदस्य का कहना है, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जो बसें चलती हैं, वहां पर जाती हैं वे नाइट हाल्ट वहां पर करेंगी। जहां तक बहरोड़ का प्रश्न है, बहरोड़ से बहुत से रूट्स जुड़े हुए हैं-बानसूर से खैरथल है, छोटे छोटे गांव हैं, खैरथल से कोई मन्डावर को जाती हैं सो तीन-तीन चार-चार घन्टे में बहरोड़ में बसें पहुंचती हैं। 28 सर्विसेज चलती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एक जगह जाये तो आप समझ लीजिये सारे दिन में कितनी होगी। परन्तु समय सारणी में तब्दीली चाहते हैं तो उनके अनुसार समय सारणी में दुरुस्ती कर देंगे यातायात की सुविधा की दृष्टि से।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**श्री सुजानसिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, गाड़ी अलवर से 5 बजे लास्ट चलती है। कोर्ट्स का टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद गाड़ी नहीं रहती है। पूर्व में साढ़े 6 बजे चलती थी।

**श्री अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय, ने यह जवाब दे दिया है। आप उनको सुझाव दे दें।

**प्रश्न संख्या 198**

अगला प्रश्न।

श्री भैरूंसिंह गुजर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी।

**मालादेवी गुफा का पर्यटन की दृष्टि से विकास**

199. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) व **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्राम डोबरली में स्थित मालादेवी

(श्री हीरालाल आर्य)

की गुफा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किये जाने हेतु जानकारी की जा रही है ?

(2) यदि हां, तो उक्त स्थान की जानकारी करने हेतु अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार उक्त गुफा के सम्बन्ध में तथ्यात्मक जानकारी के उपरान्त इसका विकास करने के साथ साथ उक्त स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करेगी ?

**राज्य मंत्री, पर्यटन** (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी हां।

(2) विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से गुफा की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किये थे, किन्तु गुफा में 10-22 फीट अन्दर जाने के पश्चात् पत्थर आदि गिरने से गुफा का रास्ता बन्द हो गया है जिससे आगे की जानकारी प्राप्त करना अभी सम्भव नहीं है।

(3) तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध होने के बाद यदि पर्यटन की दृष्टि से योग्य पाया गया तो इसके विकास की कार्यवाही की जा सकेगी।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि दस-बारह फीट जाने के बाद रास्ता बन्द हो जाने के कारण उसके आगे की कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहूंगा, क्या उसके आगे जाना सम्भव नहीं है ? दूसरी बात, उस गुफा की जानकारी जिला अधिकारियों ने कब-कब की ? वास्तविकता यह है कि लोग वहां जाते ही नहीं हैं। स्थानीय लोग वहां जाते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में ऐसे बहुत से स्थल हैं, हजारों की संख्या में हैं, जहां देश और विदेश के पर्यटक आते-जाते हैं उसी दृष्टि से हम कार्यवाही करते हैं। इस सम्बध में जो-जो भी हमने कार्यवाही की है वह हमने बतायी है। 3-12-82 को गृह सचिव को हमने टास्क फ़ोर्स बनाकर उस सुरंग का पता लगाने के लिये लिखा। इसके बाद स्मरण पत्र भी दिया। उसमें जंगली जानवर और सांप वगैरह हैं इस कारण से आगे कोई जा नहीं पाया है। ऐसी स्थिति में पर्यटन विभाग क्या करेगा।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : यह असत्य बात कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप आगे अन्दर गये हैं क्या ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हां गये हैं।

**श्री अध्यक्ष** : कितने फीट तक?

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 14 फीट तक गये हैं।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न, आर्डर प्लीज।

**श्री हीरालाल आर्य** : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर्यटन विभाग के लोगों ने जाकर देखा ही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। श्री सुरजाराम।

(व्यवधान)

**कृषि विभाग (सी. ए. डी.) में कृषि पर्यटक पदों पर पदोन्नतियां**

200. **श्री सुरजाराम टाक (नौखा)** : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर खण्ड में कृषि विभाग (सी. ए. डी.) में कितने कृषि पर्यवेक्षक हैं? कृषि पर्यवेक्षक का सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु कितना प्रतिशत आरक्षण कोटा निश्चित किया हुआ है?

(2) बीकानेर खण्ड में सीधी भर्ती में कितने कितने कृषि पर्यवेक्षकों/सहायक कृषि अधिकारियों को रखा गया? कृपया पिछले पांच सालों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रोस्टर प्रणाली लागू है? यदि हां, तो कब से? क्या रोस्टर प्रणाली के अनुसार कर्मचारी पदोन्नत किये गये? यदि नहीं, तो क्यों? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 1982 से जनवरी, 1984 तक साक्षात्कार द्वारा कृषि सुपरवाइजर के कितने-कितने पदों की भर्ती की गई? कुल कितने-कितने आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त हुए थे एवं कितने नामों का पेनल जिला नियोजन कार्यालय एवं समाज कल्याण कार्यालय द्वारा प्राप्त हुआ? कुल पदों की भर्ती में से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने प्रार्थी थे? कृपया मय विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

**सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चंदन मल बैद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं 16 तारीख को निवेदन कर चुका हूं, इस प्रश्न का अधिकांश भाग कृषि विभाग से सम्बन्धित है इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री महेन्द्रकुमार।

**डूंगरपुर जिले में खनन पट्टों का आबंटन**

201. **श्री महेन्द्र कुमार (सांगरिया)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में आदिवासियों द्वारा विगत दो वर्षों में खान पट्टे हेतु कितने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये तथा उनमें से कितने स्वीकृत हुए? अन्य सामान्य आवेदकों के मुकाबले इन जातियों को आबंटित पट्टों का प्रतिशत क्या रहा? यदि प्रतिशत कम रहा, तो किन कारणों से?

**राज्य मंत्री, खनिज (श्री जयकृष्ण शर्मा)** : डूंगरपुर जिले में आदिवासियों द्वारा वर्ष 1981-82 व 1982-83 में खान पट्टों के

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लिये 308 खान पट्टे स्वीकृत हुए। इस प्रकार स्वीकृत पट्टों का प्रतिशत 82.4 रहा। अन्य समस्त आवेदकों के पक्ष में स्वीकृत पट्टों की संख्या 166 है, जबकि उनके 265 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

इस प्रकार गैर आदिवासियों को आवंटित पट्टों का प्रतिशत लगभग 64 ही रहा है।

**श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा)** : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : अभी मैंने बताया 308 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 254 स्वीकृत किये गये।

**श्री मेघराज तावड़** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डूंगरपुर के अलावा राजस्थान में और जगह, जहां आदिवासी इलाका है, भी आदिवासियों को पट्टे दिये गये हैं ?

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : केवल डूंगरपुर जिले के लिये पूछा गया था जिसका मैंने उत्तर दिया है।

**श्री पूंजीलाल (घाटोल)** : डूंगरपुर जिले की ही बात कहता हूं। वहां पर खेतान नाम के व्यक्ति को पचास पट्टे दिये गये हैं और वह अभी भी कार्यरत है। उनको नहीं निकाला गया। और आदिवासियों को निकाल दिया गया। लोग वहां पर परेशान हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मन्त्री)** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कितने पट्टे दिये गये। यह इसमें बता दिया गया। अब माननीय सदस्य ने यह पूछा कि कितने एरिया में पट्टे दिये गये। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जितने एरिया के लिये पट्टे मांगे गये, जो नियमों में निर्धारित है उसी के अनुसार दिये गये हैं।

दूसरा सवाल यह है कि फोरेस्ट एरिया के अन्दर पट्टे दिये गये और खेतान का नाम लिया गया। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है वैसे रिजर्व फोरेस्ट एरिया में माइनिंग लीज नहीं दे सकते, ऐसा भारत सरकार का आदेश है। यदि राजस्थान सरकार और भारत सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाता है तो पट्टे दिये जा सकते हैं।

**श्री पूंजीलाल** : खेतान को पचास पट्टे दिये गये हैं। वह वहां काम कर रहा है।

**(व्यवधान)**

**श्री अध्यक्ष** : श्री जोशी।

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)** : अध्यक्ष महोदय, यह जो आदिवासियों को पट्टे दिये गये, क्या यह सच है, कई बार ऐसा हुआ है कि उनको कोई जानकारी नहीं है और इसको नोटिफाई करना आवश्यक है ? दूसरी बात, वह लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उस कारण उनको मालूम नहीं हो पाता है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कई मिनरल इस प्रकार के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हैं जिनके लिए नोटिफाई करना पड़ता है और कुछ के लिए नियमों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है। जिस एरिया को ओपन किया जाता है उस एरिया के लिए गजट नोटिफिकेशन होता है और उसी आधार पर उनको दिया जाता है। 308 आदिवासियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों के भी 265 आवेदन पत्र हैं। इसलिए यह संदेह करना सही नहीं है कि आदिवासियों को मालूम नहीं है, यह इससे स्पष्ट हो जाता है। माननीय सदस्यों को यदि कोई शिकायत हो तो मेरी जानकारी में ला सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सी. पी. जोशी** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा है, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि जो पट्टे आदिवासियों को दिये गये, डूंगरपुर के रहने वाले आदिवासियों को ज्ञान ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं रहता है इसलिए सरकार को इसके लिए कोई निश्चित व्यवस्था करनी चाहिये। क्या सरकार इस बारे में कोई नीति बनाने की इरादा रखती है ?

**श्री अध्यक्ष** : इसको रेडियो से प्रसारित करवाना चाहिये।

**श्री सी. पी. जोशी** : रेडियो कहां है उनके पास।

**श्री अध्यक्ष** : रेडियो तो आजकल सभी जगह पर है, भूखे नंगों के पास भी है। सो वह तो कोई बात नहीं है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको देखूंगा कि इसके लिये क्या हो सकता है। यह बात सही है, माननीय सदस्य ने प्रश्न के उत्तर में देखा होगा कि आदिवासी लोगों के पास अन्य लोगों से खनिज पट्टे अधिक हैं, उनका प्रतिशत दूसरे लोगों से अधिक है।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, आदिवासी लोगों को उस एरिया में पट्टा खनन करने के लिये नहीं दिया गया है और खेतान वहां पर खनन कर रहा है। उस क्षेत्र में आदिवासी लोग, जो राजस्थान के हैं, उस एरिया के हैं, को क्यों नहीं दिया जा रहा है। मै यह कहना चाहूंगा मन्त्री महोदय से........

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि खनन का प्रतिशत दूसरे लोगों और आदिवासी लोगों के बीच में क्या है ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**, आर्डर, आर्डर। माननीय मन्त्री जी।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, खेतान जहां पर खनन कर रहा है वहां पर एन. ओ. सी. लिया हुआ होगा। इसमें होता यह है कि हमारे यहां का फारेस्ट डिपार्टमेन्ट इसके लिए केन्द्रीय सरकार को लिखता है कि वहां पर रिजर्व फोरेस्ट उस एरिया में नहीं है और लोगों को पट्टे देने चाहिये। इसमें माइनिंग डिपार्टमेन्ट कहीं पर भी बीच में नहीं आता है। मैं इसके

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लिये माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा, इस सम्बन्ध में निवेदन किया था, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, हमने यह कहा है कि राजस्थान में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर फोरेस्ट डिक्लेयर किया हुआ है पर वहां पर फोरेस्ट ही नहीं हैं। हमने भारत सरकार को लिखा है कि इसको फोरेस्ट एरिया से मुक्त कर दिया जाय क्योंकि वहां पर जो खनिज सम्पदा है उसका खनन नहीं हो पा रहा है। और खनन होना शुरू हो जाये तो राजस्थान सरकार को इससे भविष्य में आय होगी।

**श्री मेघराज तावड़ :** अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि वहां के आदिवासी लोगों को खनन के पट्टे क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आर्डर, आर्डर नैक्स्ट। प्रश्न।

**प्रश्न संख्या 202**

श्री उम्मेदसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री चुन्नीलाल।

**अतिरिक्त मुन्सिफ एवं जूडिशियल मजिस्ट्रेट नम्बर दो न्यायालय का मुख्यालय श्रम भवन में स्थानान्तरण**

**203. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर पर स्थित न्यायालय भवन से करीब डेढ़ किलोमीटर दूरी पर आवासीय कालोनी में न्यायालय अतिरिक्त मुन्सिफ एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट नम्बर दो का न्यायालय चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे फरीकोन मुकदमात को काफी असुविधा हो रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त न्यायालय की सार्वजनिक उपयोगिता अन्य कार्यालय, जो इस समय जिला न्यायालय भवन में चल रहे हैं, से अधिक है ?

(3) क्या उक्त दोनों न्यायालयों को जिला मुख्यालय भवन, जहां अन्य सभी न्यायालय चल रहे हैं, में स्थानान्तरित किये जाने बाबत स्थानीय अभिभाषक संघ ने कब कब राज्य सरकार, जिलाधीश महोदय, विधि मन्त्री महोदय को ज्ञापन दिये ? यदि हां, तो इनका क्या परिणाम रहा ?

(4) क्या राज्य सरकार मुकदमा ए-फरीकेन की समस्या हल करके उक्त न्यायालय को जिला मुख्यालय भवन में प्रतिस्थापित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**विधि मंत्री (श्री अहमद बक्श सिन्धी) :**

(1) जी हां। इससे फरीकेन मुकदमात को कोई असुविधा नहीं हो रही है। क्योंकि जिला मुख्यालय से न्यायालय की दूरी आधा किलोमीटर ही है।

(श्री अहमद बक्श सिन्धी)

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्थानीय अभिभाषक संघ द्वारा दिनांक 29-10-83 व 14-11-83 को जिलाधीश को एवं दिनांक 5-12-83 को मुझको ज्ञापन दिये गये थे। इसके संबंध में जिलाधीश द्वारा सचिव, अभिभाषक संघ को यह सूचित कर दिया गया है कि फिलहाल जिला मुख्यालय पर कोई कमरा रिक्त नहीं है।

(4) जी हां। जिला मुख्यालय के भवन में कमरा रिक्त होने पर।

**श्री चुन्नीलाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोर्ट नम्बर दो पहले कृषि भवन में था? उसके बाद में वहां से हटाने का क्या कारण था? इसके अलावा क्या यह सही है कि कोर्ट नम्बर दो वहां से डेढ़ किलोमीटर दूर होने की वजह से पब्लिक को तकलीफ होती है, कई बार फरीकेन समय पर नहीं पहुंचते हैं? या उनके वकील समय पर नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण लोगों को जेल के शिकंजे में बन्द कर दिया जाता है।

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट नम्बर दो वहां से डेढ़ किलोमीटर दूर नहीं है बल्कि आधा किलोमीटर पर है पर....

(व्यवधान)

आप मेरी सुनिये। हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद मौके पर गया था। सवाईमाधोपुर में अभिभाषक संघ ने मेरे से बातचीत की तो मैंने उसके लिये कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज से बातचीत की। अब यह एग्जामिन करने के लिये आदेश भेज दिये गये हैं। अब इस पर विचार किया और हमने इसके भवन निर्माण के लिये करीब 6361 वर्ग गज जमीन भी आवंटित कर दी है।

**एक माननीय सदस्य** : यह कब करायी?

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अभी 29-12-83 को।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : आपने?

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अभी तक तो मैं ही बोल रहा हूं। वित्तीय स्थिति ठीक हो जाने पर वहां पर इसका निर्माण करा दिया जायेगा?

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : वह कब तक हो जायेगा।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर में जो कोर्ट नम्बर दो है उसके स्थानान्तरित होने के कारण पब्लिक को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि जिन फरीकेन को हाजरी माफी होती है उनकी जगह पर उनके वकील कोर्ट में पेश होते है पर कोर्ट नम्बर दो दूर होने के कारण वकील पहुंच नहीं पाते हैं जिसके कारण कई बार फरीकेन को वारन्ट गिरफ्तारी इश्यू कर

(श्री हरिसिंह)

के गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा यह भी है, अध्यक्ष महोदय, वकील फरीकेन से पैसा एक बार ले लेता है उसके बाद में फरीकेन की तरफ ज्यादा तवज्जोह नहीं देता है। इस कारण उनको परेशानी होती है।

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वकीलों को असुविधा होती है। इसको फरीकेन की असुविधा नहीं कहा जा सकता है।

**श्री हरिसिंह** (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं और विधि मंत्री स्वयं वकील रह चुके हैं, जब एक बार हाजिरी माफी हो जाती है तो फिर वकील ही जाता है और वकील का पहुंचना बहुत जरूरी होता है जैसा कि मैंने कहा, वकील एक बार फीस लेने के बाद फरीकेन की तरफ ज्यादा तवज्जोह नहीं देता है। फिर फरीकेन को ही कठिनाई हो जाती है। इसलिये फरीकेन की परेशानियों को दूर करने के लिये मेरा मन्त्री महोदय से यह यह निवेदन है कि वह उस कोर्ट नम्बर दो को वहां से ट्रान्सफर करने के आदेश जारी करें।

(व्यवधान)

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अध्यक्ष महोदय, पहले मैं इन माननीय सदस्य को जवाब दे दूं फिर आपको जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी अभी अर्ज किया था, वहां पर कोई जगह रिक्त नहीं है इसकी वजह से कोर्ट ट्रान्सफर नहीं हो रहा है। दूसरे जब वकील लोग नहीं पहुंचते हैं जिनकी कि जिम्मेदारी होती है तो वह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। वकील को आधा किलोमीटर पहुंचना चाहिये। और जाकर अपने फरीकेन की पैरवी करनी चाहिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कोर्ट नम्बर दो में पहुंचने में पब्लिक को तकलीफ होती है, यह मानते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश देने में कि उसको वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय, क्या परेशानी है?

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसकी रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी है। जो रिकार्ड रूम है उसको वहां से ट्रान्सफर कर दिया जाय जिस जगह पर अभी कोर्ट नम्बर दो है, तो क्या दिक्कत है, मैंने यह जवाब तलब किया है।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्रीजी खुद वकील रह चुके हैं उन्हें पता है कि वकील कई कोर्ट में समय पर नहीं पहुंचते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि ऐसे वकीलों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है?

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। आर्डर आर्डर।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : अध्यक्ष महोदय, उसको वहां से तत्काल ही शिफ्ट किया जा सकता है।

(व्यवधान)

**श्री अहमद बक्श सिन्धी** : वह तो रिपोर्ट आने पर ही किया जा सकता है।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** : वकीलों को इसके लिये पाबन्द किया जाना चाहिये, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें।

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर आर्डर। अगला प्रश्न।

**राज्य परिवहन निगम की लाभ-हानि की स्थिति**

204. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम में पिछले दो वर्षों से जो लाभ दर्शाया जा रहा है, वह यात्री कर सिस्टम के बदले जाने के कारण है न कि निगम की व्यवस्था में सुधार के कारण ?

(2) 31 जनवरी, 1984 तक निगम की लाभ-हानि की क्या स्थिति रही है ?

**राज्य मंत्री, परिवहन (श्री जयकृष्ण शर्मा)** : (1) जी नहीं। लाभ इस वर्ष अर्थात 1983-84 से ही है।

(2) वर्ष 1983-84 में 31 जनवरी, 1984 तक निगम को 70.99 लाख रु० का लाभ रहा है।

**श्री यदुनाथसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न में स्पष्ट किया था कि रोडवेज निगम में पहले प्रति सवारी के हिसाब से टैक्स लिया जाता था अब उन्होंने प्रति बस के हिसाब से फिक्स कर दिया है। बस छत और नीचे ओवर लोड होती है। आप यह बतायें कि परिवहन निगम ने पिछले वर्ष कितना-कितना टैक्स के रूप में, यात्री कर के रूप में जमा कराया ? उससे पता लग जायेगा, आपको मुनाफा दिख रहा है, वह फ्लक्चुएशन की वजह से दिख रहा है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्पेशल रोड टैक्स और यात्री टैक्स दोनों हैं, इनमें बड़ा अन्तर नहीं हो सकता, जो माननीय सदस्य की जानकारी में है। पिछले साल 67 लाख के करीब का घाटा था। इस बार रोडवेज लाभ की ओर जाना चाहती है। यात्री कर और स्पेशल रोड टैक्स में फायदा जरूर है, किन्तु इतना बड़ा फायदा नहीं है। माननीय सदस्य जानते हैं कि एक करोड़ के करीब हम फायदा करने जा रहे हैं। पिछले साल 69 लाख रुपये का घाटा था और इस बार एक करोड़ 25 लाख का लाभ है। यह दोनों मिलाकर रोडवेज को लाभ हो गया, यह सोचना माननीय सदस्य का निर्मल है। जो एक करोड़ पच्चीस लाख का लाभ अर्नित करने जा रहे हैं उससे ऐसा आभास हो सकता है। किन्तु यात्री कर और रोड टैक्स में ज्यादा अन्तर नहीं है।

**श्री यदुनाथसिंह** : वही तो पूछ रहा हूं।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : दो करोड़ के करीब है।

**श्री यदुनाथसिंह** : तो फिर लाभ की स्थिति में रोडवेज नहीं है। जो टैक्स आप लगाते थे प्रति सवारी, अब लगा रहे हैं प्रति वाहन, उसकी वजह से लाभ दर्शा रहे हैं? आप बतायें, दो करोड़ का फर्क है?

**राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा)**: आठ करोड़ का घाटा है।

**श्री यदुनाथसिंह** : इस साल तो मुनाफा 76 लाख का बताया है।

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : सवा करोड़ का फायदा होगा। 6 करोड़ 69 लाख का पिछले साल घाटा था उस घाटे की पूर्ति की है और यह घाटा 50 लाख के करीब रह गया है। आप | 6 करोड़ 69 लाख रुपये लेना नहीं चाहते। दो साल से कोई किराया नही बढ़ाया है।

**श्री नाथूसिंह** : लाभ किस कारण से हुआ?

**श्री अध्यक्ष** : पूरक प्रश्न आसन के माध्यम से पूछे जायें।

(व्यवधान)

**श्री जयकृष्ण शर्मा** : यह तो व्यवस्था में सुधार है, इसकी वजह से हो रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

**प्रश्न संख्या 205**

श्री सुनील कुमार विश्नोई।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री अमीन खां।

**राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम और राज. राज्य होटल निगम में लाभ-हानि की स्थिति**

206. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड द्वारा चलाई जाने वाली इकाइयों के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में प्रत्येक इकाई में कितना-कितना कार्यकारी (वर्किंग) लाभ/हानि रहा और कुल मिलाकर उपरोक्त दोनों निगमों में क्या स्थिति रही?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निगम के कर्मचारियों को बेरी वेतन आयोग के वेतनमान दिये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को भी बेरी वेतनमान दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक उक्त वेतनमान लागू होंगे?

(3) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड के कर्मचारियों पर उक्त बेरी वेतनमान लागू करने पर कुल कितना वित्तीय भार आयेगा?

**राज्य मंत्री, पर्यटन** (श्री बुलाकी दास कल्ला) : (1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. एवम् राजस्थान राज्य होटल निगम लि. द्वारा संचालित इकाइयों का वर्ष 1982-83 में कार्यकारी (वर्किंग) लाभ-हानि का विवरण परिशिष्ट "अ" एवम् "ब" पर क्रमवार संलग्न है। दोनों ही निगम इस वर्ष कार्यकारी लाभ में रहे।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य होटल निगम के संचालक मण्डल के पास यह मामला विचाराधीन है।

(3) राजस्थान राज्य होटल निगम लि. में बेरी वेतनमान लागू करने पर 28,000/- रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त भार पड़ेगा जो वर्तमान में दी जा रही अन्तरिम राहत के अलावा होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ठ 1 देखें)

**श्री अमीन खां** : अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म कार्पोरेशन आज तक लाभ में नहीं रहा, मंत्री महोदय ने सारे आंकड़े घुमाकर बताये हैं कि होटल निगम लाभ में रहा है। इन्होंने अभी पचास लाख रुपये का लाभ कमाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो निगम इनको लाभ कमा कर देता है उसको तो पैसा नहीं मिलता है और जो एक करोड़ तक का घाटा देता है उसको यह तरक्की और इनाम देते हैं। यह न्याय नहीं है। आपका जो डायरेक्टरों का बोर्ड है उसमें यह दोनों हैं और इनका एम. डी. है, वह भी दोनों का है। उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि जो कमाने वाला है उसको लाभ नहीं देते और जो घाटा देता है उसको आप लाभ देना चाहते हैं, इसका क्या कारण है?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, मैंने परिशिष्ट "अ" और "ब" में दोनों निगमों के लाभ के बारे में बताया है। माननीय सदस्य, राजस्थान होटल निगम के कार्यकारी लाभ को बता रहे हैं, आप इसको नहीं मान रहे हैं। यह सही है कि शुद्ध रूप से हम लाभ और हानि को देखें तो होटल निगम शुद्ध लाभ दे रहा है, जब कि पर्यटन निगम में शुद्ध घाटा है। जहां तक दोनों निगमों की सर्विस कण्डीशन का सवाल है वह अलग-अलग है। राजस्थान होटल निगम के प्रत्येक कर्मचारी को दो हजार के करीब सर्विस ग्रेच्यूटी मिलती है। इस निगम के कर्मचारी बेरी वेतनमानों को लागू करने के मामले को लेकर हाई कोर्ट में गये और हार चुके हैं। संचालक मण्डल के इस निर्णय के बाद यह मामला रखा है, जैसे ही संचालक मण्डल इस बारे में निर्णय देगा हम बता देंगे।

**श्री अध्यक्ष** श्री हरिसिंह।

**श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : आर. टी. डी. सी. में बेरी वेतनमान लागू किया जा रहा है, जब कि होटल निगम में नहीं किया जा रहा। यह क्यों नहीं किया जा रहा है? दूसरा, जो घाटा बताया है, वह आपने शुद्ध लाभ कहा? तीसरा, आपने आर. टी. डी. सी. में बेरी वेतनमान कब से लागू किया?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : राजस्थान पर्यटन निगम के संचालक मण्डल ने अभी इसी सत्र में जो बोर्ड की मीटिंग की थी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उसमें निर्णय लिया था कि उनको वेरी वेतनमान दिया जाये। उनको दिया जा चुका है। राजस्थान में ऐसे कई निगम हैं जैसे लघु उद्योग निगम जिन्होंने इस सिफारिश को नहीं माना। इसी तरह से जैसा मैंने पुर्व में बताया, यह संचालक, मण्डल के पास विचाराधीन है, जैसे ही निर्णय होगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बता देंगे।

**श्री हरिसिंह** : सरकार इस मामले पर निर्देश क्यों नहीं देती कि बेरी वेतनमान लागू किया जाये? आपको डिसीजन लेने में देरी क्यों हो रही है?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : निगम स्वायत्तशासी संस्था है, इस पर निर्णय लेने में वह सक्षम है. इनको और कई सुविधायें जैसे सर्विस ग्रेच्यूटी आदि दी जाती हैं।

**श्री हरिसिंह** : वह तो अलग है। उनके लिये आप बेरी वेतनमान क्यों नहीं लागू करते?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हम अपनी ओर से निर्णय नहीं ले सकते।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष)** : क्या वह सही है, राज्य सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि इस वेतनमान की सिफारिशें इस कार्पोरेशन में लागू की जाये? क्या राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है?

**श्री बुलाकी दास कल्ला** : राज्य सरकार ने संचालक मण्डल को आदेश दिया है कि यह सिफारिश लागू की जांये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है।

**श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़)** : प्रश्न कर्ता का जो अभिप्राय था, इस प्रश्न से वह हल नहीं हो पाया। जो निगम शुद्ध लाभ करके दे उसे तो लाभ मिले नहीं और जो चोर बाजारी करे, डाका डाले उसको लाभ मिल गया। प्रश्नकर्त्ता की यही मंशा थी।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

**श्री हरिसिंह** : सरकार लागू करेगी या नहीं करेगी? आप कर्मचारियों को वेरी का लाभ नहीं देना चाहते हैं तो खडे होकर कहें।

**श्री अध्यक्ष** : अगला प्रश्न। श्री पीरू राम।

**प्रश्न संख्या 207**

श्री पीरूराम।

(अनुपस्थित : कृपाय आगे देखें)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**सब-रजिस्ट्रार, उदयपुर द्वारा कृषि भूमि की रजिस्ट्रीज**

208. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** : (उदयपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सब-रजिस्ट्रार, उदयपुर द्वारा वर्ष 1982 में महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति, उदयपुर के सदस्यों की पानेरियों की मादड़ी में खसरा नं. 309 की 36 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि की अलग-अलग 11 रजिस्ट्रियां की गई ? यदि हां, तो कृपया प्रत्येक रजिस्ट्री की नकल सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सब-रजिस्ट्रार द्वारा अपने अ. शा. पत्र संख्या 148 दिनांक 26-4-82 से इन्सपेक्टर रजिस्ट्रेशन को यह प्रमाणित कर के भेजा गया कि खरीदने एवं बेचने वाले दोनों ही अनुसूचित जनजाति के लोग हैं एवं दोनों ही समिति के सदस्य हैं ? यदि हां, तो प्रमाणित करने का आधार क्या था ?

(3) क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि उक्त भूमि 11 विक्रय नामों से बेची जाने से सरकार को 29870.79 रु. की हानि हुई है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी जांच की जायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि विक्रयनामे में प्रथम क्रेता की जाति लिखी गई है अन्यों की नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि 12000 रु. बीघा से बेची गई जब कि उस स्थान की भूमि का बाजार मूल्य 30 हजार रुपये प्रति बीघा से भी अधिक है ?

(6) क्या इस मामले में की गई अनियमितताओं की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री, राजस्व** (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । जाति प्रमाणित करने का आधार पार्टी द्वारा लेखा पत्रों में जाति का उल्लेख था ।

(3) जी नहीं । जांच का प्रश्न ही नहीं उठता । 11 लेखा पत्रों में से 2 लेखा-पत्रों पर स्टाम्स लगे हुए थे तथा लेखा पत्रों, जिन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं थी, पर कमी स्टाम्प वसूली एवं शास्ती जमा कराने के आदेश जिलाधीश मुद्रांक द्वारा दिनांक 10-7-83 को जारी किये गये हैं । नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

(4) जी हां । लेखा पत्रों के अन्त में सभी सदस्यों को जाति से भील व मीणा होना अंकित किया गया है ।

(5) यह सही है कि भूमि का विक्रय 12,000 रुपया प्रति बीघा से किया गया है । किन्तु यह सही नहीं है कि उस समय वहां की भूमि का बाजार मूल्य 30 हजार रुपया बीघा था ।

(6) इस मामले में कोई अनियमितता हुई या नहीं, इसकी जांच कराई जा रही है ।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के भाग (1) में सबसे पहले प्रत्येक रजिस्ट्री की नकल मांगी है। रजिस्ट्री की नकल मुझे दे दें तो आपने जो बाकी के प्रश्नों के उत्तर हां या ना में दिये हैं वह सारे अपने आप स्पष्ट हो जाते। फिर भी आपने नहीं दी तो ठीक है। मेरे पास जो डाकुमेन्ट्स हैं उनके आधार पर प्रश्न पूछता हूं। क्या खसरा नं. 309 की यू. आई. टी. ने सन् 1958 में 20 बीघा जमीन ले ली थी और जो भी कम्पन्सेशन था वह दे दिया था ?

**राजस्व मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) :** वापस पूछें। क्लियर नहीं है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, खसरा नं. 309 को 1958 में यू. आई. टी ने एक्वायर कर लिया और 20 बीघा जमीन का उन्होंने कम्पन्सेशन भी दे दिया, मुआवजा दे दिया और 1970 में बची हुई 16 बीघा 6 बिस्वा का भी एक्विजीशन नोटिस दे दिया, क्या यह सच है ?

**श्री हीरालाल देवपुरा :** यह प्रश्न पूछा नहीं गया था और यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आप अलग से पूछ लें। मैं जानकारी मंगा कर दे दूंगा।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** मेरे प्रश्न पूछने के पीछे मन्तव्य यही था कि जो जमीन आलरेडी यू. आई. टी. एक्वायर कर चुकी है....

**श्री हीरालाल देवपुरा :** आपका मतलब क्या है यह तो आप ही जानते हैं। मैं कैसे जान सकता हूं।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** एस. डी. ओ. कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिखा है....

**श्री अध्यक्ष :** सभी प्रश्न आप अपने प्रश्न में लिख सकते थे।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** वह खसरा नम्बर 309 में मिले हुए है। एस. डी. ओ. कोर्ट में इसका केस चला है और उसका जजमेन्ट हुआ....

**श्री अध्यक्ष :** तो उस तरीके से आप उसको प्रारूपित कर देते तो ठीक था।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** यह तो उस फैसले से ही मालूम हो जायेगा कि यह जमीन आलरेडी यू. आई. टी. की थी और उस पर कुछ लोगों सोसाइटी बनाकर....

**श्री अध्यक्ष :** इस प्रश्न को इस तरह से प्रारूपित कर सकते थे कि क्या यह जमीन यू. आई. टी. में वेस्ट हो गयी थी ? यही पूछ लेते।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा प्रश्न है। क्या यह सच है कि जो रजिस्ट्री 11 की की गयी हैं उन प्रत्येक रजिस्ट्री में पहले नाम पर तो केवल लेने वाले का नाम और उसकी जाति अंकित है और उसके बाद नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनके आगे शिड्यूल्ड ट्राइब्स अंकित नहीं होते हुए भी, जाति छिपा कर रजिस्ट्री कराई ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह तो प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट बता दिया कि पहले नाम पर तो जाति लिखी है। अंत में पैरा खतम होता है वहां लिखा है हर व्यक्ति भील और मीणा जाति का है।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकर्त्ता। मैं आपको भी अवसर दे दूंगा।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** ; अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि 1982 में जो एस. डी. ओ. ने अपना फैसला दिया उसमें यह अंकित किया :—

"In each sale deed the caste or tribe of the first purchaser has been listed. The other purchaser's caste has just not been mentioned, simply because the other purchasers deed not belong to the scheduled tribes and the sales are clearly void."

**श्री हीरालाल देवपुरा** : अध्यक्ष महोदय, एस. डी. ओ का क्या फैसला हुआ वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप पूछते ऐसा तो मैं देख कर जवाब दे सकता था। आप प्रश्न में पूछ लेते।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : वही खसरा नम्बर है। उसी में एस. डी. ओ. कोर्ट ने इन्जेक्शन जारी किया। दूसरी पार्टी, जिसको यू. आई. टी. आलरेडी दे चुकी थी, कोर्ट के सामने गयी और फैक्ट्स रखे। उसके ऊपर एस. डी. ओ. ने अपना फैसला दिया। उसमें यह निश्चित रूप से अंकित किया है कि इसमें लोगों ने अपनी जाति छिपाई है। क्योंकि शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जाति में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी इसलिये एक नाम तो ट्राइब का लिखा और बाकी सब में में छिपा लिये। न एड्रेस लिखा और न कुछ और लिखा। मैंने स्पष्ट पूछा है, क्या राज्य सरकार को जानकारी है कि उक्त में पहले नाम पर तो जाति लिखी है और नीचे वालों की नहीं ? क्या कारण था कि उसको नहीं लिखा गया ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : मैंने कारण बताया था, अन्तिम पैरा में लिखा है कि यह सब भील और मीणा है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है....

**श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी तो अवसर दें।

**श्री अध्यक्ष** : आपको भी अवसर दे दूंगा। पहले प्रश्नकर्त्ता को अधिकार है। आप धैर्य रखिये।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया कि खसरा नम्बर 309 है, वह अपने आप में मेरे प्रश्न से स्पष्ट है। इसमें जानबूझ कर गलती की गयी जिसके आधार पर एस. डी. ओ. ने निर्णय दिया और उसके साथ की उन्होंने यह स्ट्रिक्चर पास किया है, जिसकी दो लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं :

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

"The concerned Patwari, I.L. R., A.S.O. and the Sub-Registrar should be charge-sheeted under section 16 of C. C. A. Rules and the concerned departments should be moved for their immediate suspension."

इन सब लोगों ने मिलीभगत के कारण से सारे रिकार्ड को तोड़ मरोड़कर रखा : यू. आई. टी. जिसको एक्वायर करके पैसा दे चुकी उस जमीन पर कुछ लोगों ने सोसाईटी बनाकर फिर फ्रेग्मेन्टेशन कराया। उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं......

**श्री अध्यक्ष** : अब तो सरकार ने कानून ही बना दिया ऐसा।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : कानून क्या बना दिया ?

**श्री मेघराज तावड़** : अब मुझे सुन लिया जायं।

**श्री अध्यक्ष** : मैं अवसर दे दूंगा आपको। प्रश्नकर्ता।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आलरेडी यू. आई. टी. में वेस्ट थी, यू. आई. टी. ने प्लाट बना कर बेच दिये। खसरा नम्बर वही 309 है जिसको उन्होंने एक्वायर किया...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मैंने पिछले सैशन में इसी के बारे में पूछा था। आप इसको पढ़ ले। मैंने एक एक पाइन्ट को लेकर पूछा है।

अगर आपको यह लगे कि कोई चीज रहने दी।

(व्यवधान)

इस समिति में जिनके नाम हैं, उन लोगों ने मिल कर....

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : जमीन जिसको यू. आ. टी. मुआवजा दे चुकी है...

**श्री अध्यक्ष** : श्री मेघराज तावड़। कृपया बैठ जायें।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, 1975 में महावीर गृह निर्माण समिति बनी थी जिसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य थे और उसमें एक बाबू था। जिस समय सोसाइटी बनी उस समय श्री ए. के. सक्सेना कलेक्टर थे। उन्होंने महावीर जयन्ती पर लिखित में दिया है, 50 प्लाट्स हैं यह हम आपको यहां देंगे। इसमें ढाई सौ. तीन सौ ट्राइब्स के ही लोग हैं। गवर्नमेन्ट के ऊपर चार्ज लगाना चाहता हूं कि जिस समय जमीन एक्वायर की गयी, आदिवासियों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। बिना मुआवजा दिये जमीन लेकर बेच दी गयी और पी. एण्ड टी. के क्वार्टर्स बना लिये गये। एक्वायर नहीं की गयी उसके बाद जमीन कुछ रही थी जो एक्वायर नहीं की। क्योंकि कानून बना चुके थे इसलिये ट्राइब्स के लोगों ने वह जमीन खरीदी और सोसाइटी बनाकर प्लाट्स काटे। ट्राइब्स के

(श्री मेघराज तावड़)

लोगों के चारों तरफ दूसरी कास्ट के लोग आ गये हैं यह ट्राइब्स और कास्ट्स लोगों की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक स्कूल की जमीन अलाट की गई उसका पैसा नहीं दिया गया। उस जमीन पर किसी ने कन्सट्रक्शन नहीं किया है। इन लोगों ने भड़काया है। यह आदिवासी और हरिजनों की बात करते हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, प्रद्युम्नसिंह जी से यह कहा था, कई मेरे मित्र हैं, हमने भूमि के 56 हजार रुपये जमा करा रखे हैं। वहां मानसिंह मेहता जैसे लोगों ने हमारी खिलाफत की। उनको जमीन से जोई लेना देना नहीं है।...

**श्री अध्यक्ष** : श्री देवेन्द्र कुमार।

**श्री मेघराज तावड़** : अध्यक्ष महोदय, यू. आई. टी. में था। मैंने कहा, मेरा नाम कटवा दो, मैं कम्यूनिस्ट हूं, मुझे प्लाट लेने का अधिकार नहीं है। प्रद्युम्नसिंह जी ने कहा, नहीं, मैं सारा रिकार्ड देखूंगा...

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

**श्री मेघराज तावड़** : मैं सरकार से कहना चाहता हूं....

**श्री अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये। श्री देवेन्द्र कुमार।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, आदिवासियों की जमीन पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, क्या यह सही है ? मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहता हूं, आप उस जमीन को हड़पना चाहते हैं। हमारी सरकार की नीति है उनको दी जाये।...

**श्री अध्यक्ष** : अन्तिम पूरक प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यह जमीन किसको दी जाये, किस को नहीं दी जाये, यह विवाद मेरा नहीं है...

(व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** : इनकी जमीन को हड़प कर रहे हैं...

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री मेघराज तावड़** : यह ट्राइब्स और कास्ट्स की बात कर रहे हैं...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

**श्री मेघराज तावड़** : × × ×

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, यू. आई. टी. ने क्लियर कट 58 में और लोगों को कुछ प्लाट अलाट कर दिये थे...

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें ।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें । माननीय सदस्य, समय न लें ।

(व्यवधान)

कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । माननीय सदस्य ।

अंकित न हो ।

**अनेक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : अव्यवस्था न फैलायें, माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, बैठ जायें । श्री अमर चन्द, कृपया बैठ जायें ।

अंकित न हो ।

**अनेक माननीय सदस्य** : × × ×

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्नकाल समाप्त हुआ । आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

(12.00 मध्याह्न)

माननीय सदस्य, बैठ जायें । आसन पैरों पर है, कृपया बैठ जायें ।

कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । अंकित न हो ।

**श्री बालचन्द आर्यवीर** : × × ×

**श्री हीरालाल आर्य** : × × ×

**श्री मेघराज तावड़** : × × ×

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

**अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर**

**मारवाड़ जंक्शन कस्बे में राशन का वितरण**

178. **श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन कस्बे में राशन प्रणाली द्वारा गेहूं, शक्कर एवं अन्य सामग्री वितरण की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन के नागरिकों के वर्तमान राशन कार्ड्स की अवधि समाप्त हो गई है ? यदि हां, तो नये राशन कार्ड क्यों नहीं बनाये गये एवं अब कब तक वितरित कर दिये जावेंगे ?

---

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

उत्तर

(1) पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन कस्बे हेतु गेहूं, चावल, चीनी, कपड़ा, कैरोसिन इत्यादि का वितरण उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा किया जाता है।

(2) जी हां। नये राशन कार्ड बनाने हेतु अधिसूचना जारी कर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को अधिकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही राशन कार्ड वितरित कर दिये जायेंगे। किन्तु अभी तक पुराने राशन कार्डों पर राशन सामग्री बराबर वितरित की जा रही है।

**छोटी खाटू से गांव बांठड़ी तक विद्युत लाइन**

202. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि यदि छोटी खाटू से गांव बांठड़ी (जिला नागौर) तक विद्युत लाइन बिछने से गांव बिचावा में चल रहे गांवाई कुएं का जैनरेटर व्यय एवं ग्राम बांठड़ी में कार्यरत जैनरेटर का व्यय हट जायेगा तथा बांठड़ी में कार्यरत पैट्रोल पम्प भी विद्युत से जुड़ जायेगा? यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या कदम उठाना चाहती है? कृपया वस्तुस्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम बिचावा (कोड नं. 4/2/55) व ग्राम बांठड़ी (कोड नं. 14, 2/54) पंचायत समिति डीडवाना विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है। इन गांवों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

**गंगानगर जिले में चावल पर लेवी**

205. **श्री सुनील कुमार विश्नोई** (सूरतगढ़) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने गंगानगर जिले में चावल पर कोई लेवी निश्चित की है? यदि हां, तो कितनी तथा यह लेवी किस रूप में ली जावेगी?

(2) क्या सरकार ने बासमती ब्रिड के चावल पर लेवी की छूट दी है? यदि हां, तो जिले में उपरोक्त किस्म के चावल की कितनी पैदावार हुई जिस पर छूट दी गई है?

उत्तर

(1) गंगानगर जिला ही नहीं, राज्य सरकार ने राज्य के समस्त जिलों में चावल मिलों एवं थोक विक्रेताओं पर लेवी लगाई है। राजस्थान चावल प्रोक्योरमेन्ट (लेवी) आदेश, 1983 के क्लाज– 3 एवं क्लाज–4 के अनुसार दिनांक 28–10–83 से चावल मिलों एवं थोक विक्रेता द्वारा चावल पर 50 प्रतिशत लेवी देय है।

(2) जी हां। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 1983–84 में चावल का अनुमानित उत्पादन 0.94 लाख टन हुआ है, जिसमें

(राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति)

वासमती ब्रांड के चावल के उत्पादन का हिसाव उसके द्वारा अलग से नहीं रखा गया है।

### राजस्थान नहर क्षेत्र में वाटर कोर्स

207. श्री पीरूराम (टी. बी.) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में जो वाटर कोर्स (खाले) बनाये गये हैं उनका ओवर ड्यू ब्याज सरकार काश्तकारों को माफ करने का इरादा रखती है ?

(2) इसी क्षेत्र में जो खाले टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कब तक करादी जावेगी और जो खाले अब तक नहीं बनाये गये हैं उनका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

### उत्तर

(1) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) इस क्षेत्र में टूटे खालों में से अधिकांश की मरम्मत पूरी कराई जा चुकी है। कुल 40 खालों में बड़ी मरम्मत का काम होना था तथा 310 खालों में छोटी मोटी मरम्मत का काम होना था जिसमें से क्रमशः 38 तथा 307 खाले मरम्मत किये जा चुके है। एक चक में सेम आ जाने के कारण मरम्मत की आवश्यकता नहीं रही तथा शेष चार खालों की मरम्मत का कार्य किसानों द्वारा खालों के सम्बन्ध में नये विवाद उत्पन्न किये जाने के कारण सम्भव नहीं हो सका है। विवादों का निपटारा होते ही इन चकों में खालों की मरम्मत का कार्य भी शीघ्र पूरा कर दिया जावेगा।

जिन चकों में खालों का निर्माण शेष है उन्हें द्वितीय चरण के खालों के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शेष खाले प्रत्येक चरण के अन्तर्गत पूरा कराया जाना प्रस्तावित है।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### कोटा उपनिवेशन क्षेत्र की कालोनियां

254. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कोटा जिले में उपनिवेशन क्षेत्र में अनेक गांव कोलोनी क्षेत्र में घोषित हैं, जबकि इन गांवों के अनेक भूभागों में सिंचाई नहीं होती है और इस असिंचित भूमि के आवंटियों से भी सरकार सिंचित भूमि के समान ही राशि वसूल करती है ? यदि हां, तो असिंचित भूमि को सिंचित भूमि मानकर राशि वसूल करना कहां तक नियमानुकूल है ?

### उत्तर

जी हां। परन्तु यह सही नहीं है कि असिंचित भूमि की कीमत सिंचित भूमि के समान ही ली जा रही है बल्कि यह कीमत राजस्थान उपनिवेशन, (चम्बल परियोजना में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 के तहत वसूल की जाती हैं। इन नियमों के तहत सिंचित भूमि तथा असिंचित भूमि की दरें अलग-अलग हैं।

**पीपल्दा क्षेत्र के खेतों में ऊसर**

255. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के गनेशगंज व मूंगेना के बीच खेतों में ऊसर होने से किसानों के खेत खराब हो रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर ड्रेन खोदने हेतु वहां के किसान समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देते रहे हैं ?

(3) यदि हां, तो अब तक उक्त स्थान पर ड्रेन नहीं खोदे जाने का क्या कारण है तथा कब तक ड्रेन खोद दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) ड्रेन खोदने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**कोटा स्थित चम्बल की दायीं मुख्य नहर**

256. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

कोटा स्थित चम्बल क्षेत्र की दायीं मुख्य नहर व ड्रेनेज गत 2 वर्षों में कहां से टूटी व कब-कब टूटी ? उसकी मरम्मत पर कब-कब कितना-कितना व्यय हुआ ? विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर प्रस्तुत करें।

**उत्तर**

गत 2 वर्षों में दाईं मुख्य नहर व ड्रेनें नहीं टूटी है।

**राजस्थान मुख्य नहर आर. डी. 1037 पर क्षति**

257. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुख्य नहर माह जनवरी, 1984 में आर. डी. 1037 पर क्षतिग्रस्त हुई ? यदि हां, तो उक्त क्षति कितनी दूरी में और कहां-कहां हुई ?

(2) उक्त क्षति के कारण कितनी अनुमानित हानि हुई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षति घटिया किस्म के माल लगाने के कारण हुई ? यदि हां, तो राज्य सरकार अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) माह जनवरी, 1984 में राजस्थान मुख्य नहर बुर्जि 1037 पर 200 फीट लम्बाई में नहर का दायें पट्टे का कुछ भाग नीचे की ओर फिसल गया है।

(2) इस स्थान पर हुई क्षति का अनुमान लगभग रु. 35,000/– है।

(राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री)

(3) उक्त क्षति के स्थान की अभी मरम्मत नहीं करवाई गई है। विस्तृत जांच अध्ययन केन्द्रीय व जल आयोग मालवीया इंजीनियरिंग कालेज जयपुर व जोधपुर नियरिंग कालेज के सहयोग से कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही कहा जा सकता है कि घटिया किस्म का माल लगा है अथवा नहीं। अध्ययन में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**प्रदेश में बन्द पड़े कारखाने**

258. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस समय कितने कारखाने बन्द हैं और कब-कब से और क्यों? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) इन कारखानों के बन्द होने से कितने मजदूर बेकार हुए हैं?

(3) इन कारखानों में अनुमानतः कितनी पूंजी का विनियोजन हुआ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1983 में राज्य में 14 संस्थान वन्द होने की सूचना विभाग को प्राप्त हुई है। वांछित तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लगभग 1800 श्रमिक इन कारखानों के वन्द होने से प्रभावित हुए हैं।

(3) विभाग इस प्रकार की सूचना नहीं रखता है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

**जैसलमेर जिले की खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण**

259. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जैसलमेर जिले की खनिज सम्पदा का कोई सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो उक्त जिले में कौन-कौन से खनिज पदार्थ कौन-कौन सी जगह कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उपलब्ध खनिजों का खनन कराया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस खनिज पदार्थ का खनन कराया जा रहा है व किस मात्रा में?

(3) क्या उपलब्ध खनिजों का खनन कराया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस खनिज पदार्थ का खनन कराया जा रहा है व किस लात्रा में?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य के खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा जैसलमेर जिले की खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण समय-समय पर किया जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप सानू

(खनिज मंत्री)

व खुइयाला क्षेत्र में केमिकल तथा सीमेन्ट ग्रेड लाइमस्टोन, मांदा, रामगढ़, धूली की डूंगरी आदि स्थानों में फुलर्स अर्थ व बेन्टोनाइट; धरीवी खुर्द व मण्डाई में सिलिसियस अर्थ; मोहनगढ़, फलसूण्ड, नोख बांधा बिप्रासर आदि में जिप्सम व सेलेनाइट; बिरमानिया, खोरा, फतेहगढ़ आदि में राकफास्फेट और लाठी तथा देवगढ़ आदि स्थानों पर सिलिकासैण्ड के भण्डार पाये गये हैं। इन खनिजों के अतिरिक्त जैसलमेर में क्ले, यलो आकर वाल्केनिक ऐश व पीला मार्बल भी उपलब्ध है। लाइम स्टोन के बड़े भण्डारों का सर्वेक्षण चल रहा है व इन भण्डारों की मात्रा अनुमानित की गई है।

(2) उपलब्ध प्रधान खनिजों में से वर्ष 1982 में जिप्सम का उत्पादन 8875 टन, यलोआकर का 2197 टन व डोलोमाइट का 3027 टन हुआ। अप्रधान खनिजों में इसी वर्ष सैण्ड स्टोन, लाइम स्टोन, मार्बल व मैसेनरी स्टोन का उत्पादन क्रमश: 9901 टन, 2586 टन, 7914 टन व 3,10,525 टन हुआ।

(3) जैसलमेर में उपलब्ध खनिजों का खनन अधिकांशत: निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। केमिकल व सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के बड़े भण्डारों के खनन की योजना खनिज विकास निगम बना रहा है।

### उप-तहसील भैंसरोडगढ़ की तहसील में क्रमोन्नति

260. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बेगूं की उप-तहसील भैंसरोडगढ़ की तहसील में क्रमोन्नति हेतु विभिन्न स्तरों पर जल प्रतिनिवेदन प्रस्तुत किये गये हैं और मसला उच्च स्तर पर काफी अरसे से विचाराधीन है?

(2) यदि हां, तो विगत में कुछ नयी तहसीलों की स्थापना के समय इस उप-तहसील को तहसील नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं और कब तक जनहित में क्रमोन्नति कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर गहनता में परीक्षण कर मामला समाप्त कर दिया गया है।

(2) सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत मिले अनुदान के अन्तर्गत 6 तहसीलें स्थापित की गई हैं। कुल जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामों की संख्या, भौगोलिक स्थिति, आवागमन के साधन व जाति-बाहुल्य क्षेत्र आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं के आधार पर राज्य की सबसे बड़ी तहसीलों को विभाजित कर उक्त नई तहसीलें बनाने का निर्णय लिया गया था। स्वीकृत नई तहसीलों के मुकाबले भैंसरोडगढ़ को तहसील का दर्जा देने का औचित्य नहीं बनता।

### कोटा जिले में गरीबों को कृषि भूमि का आवंटन

261. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीरालाल आर्य)

(1) कोटा जिले में वर्ष 1983-84 में कुल कितनी कृषि भूमि गरीबों को आवंटित की गई ? पीपल्दा क्षेत्र के किसानों को कितनी भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन के पटल पर निम्न प्रपत्र में रखने की कृपा करें :–

नाम आवंटी, पिता का नाम, जाति, पता, रकबा, ख.नं. ।

(2) क्या यह शिकायत है कि उक्त अलॉटमेन्ट में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवंटियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है ?

(4) क्या सरकार इस बात की जांच कर सभी आवंटियों को कब्जा दिलायेगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्ष 1983-84 में कुल 7132.08 एकड़ और तहसील पीपल्दा के किसानों को 957 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। तहसील पीपल्दा क्षेत्र में आवंटन की गई भूमि की सूची संलग्न कर दी गई है।

(2) आवंटन में अनियमितताओं के बाबत कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(3) उप निवेशक क्षेत्र में जिन आवंटियों ने 10 प्रतिशत राशि नियमानुसार जमा नहीं कराई है, उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है।

(4) नियमानुसार 10 प्रतिशत राशि जमा होने पर कब्जा दिया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

**शेरपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा में सवाई चक भूमि का आवंटन**

262. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले की ग्राम पंचायत शेरपुर के ग्राम माधोपुरा में खसरा नं. 58 में 57 बीघा सवाई चक्र भूमि का दिनांक 6-12-82 को आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो उसमें उस समय कितने हजार वृक्ष खड़े थे और उनकी क्या कीमत वसूल की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या नियमानुसार जमीन अलॉटमेन्ट करते समय वृक्षों की कीमत वसूल करने के बाद पट्टा दिया जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त जमीन में हजारों बड़े-बड़े हरे वृक्षों की बिना कीमत वसूल किये, पट्टा किस आधार पर दिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, भूमि पर 1457 वृक्ष खड़े थे। आवंटन आदेश स्थगित कर दिये जाने के कारण वृक्षों की कीमत वसूल नहीं की गई है।

(2) आवंटन स्थगित कर दिया गया है। पट्टा जारी नहीं किया गया है।

**बांसवाड़ा जिले की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण**

264. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में चरागाह भूमि पर भूमिहीनों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितनी-कितनी भूमि पर ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् 1971 से पहले जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे थे ऐसे लोगों को जमीन देने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को सरकार नियमित करने की मंशा रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी हां। विवरण संलग्न है।

(2) चराहगाह भूमि पर दिनांक 1-1-72 से पूर्व का अतिक्रमण होने एवं अतिक्रमी का भूमिहीन काश्तकार होने की दशा में नियमन की कार्यवाही नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

**लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के हरिजनों को कृषि भूमि का आवंटन**

265. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम सोंख तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में 1975 व 1976 में हरिजनों को कृषि भूमि अलाट की गई थी ?

(2) यदि हां, तो क्या वे हरिजन काबिज हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी हां, काबिज हैं परन्तु उन्होंने बटाई पर यह भूमि श्री हरिसिंह पुत्र लच्छो जाट को अवश्य दी हुई है।

**प्रदेश के किसानों से सीलिंग के तहत ली गई भूमि**

266. श्री अमीनखां (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान में जिन-जिन किसानों से सीलिंग के तहत भूमि ले ली गई है उसे 30 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से भूमिहीनों में आवंटन कर दिया गया है ?

(2) क्या सीलिंग में ली गई भूमि का मुआवजा देने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां। राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम की धारा 19 में अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा देने का प्रावधान है तथा इनमें भूमि के वर्गीकरण के हिसाब से मुआवजा देय है। इसके अनुसार प्रत्येक अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाता है। किसी भी प्रार्थी के द्वारा मुआवजे का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर यथा शीघ्र अदायगी की जायेगी।

## कुशलगढ़ क्षेत्र की सैकन्डरी, मिडल व, प्राइमरी स्कूलें

267. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)–क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(i) कुशलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कितने सैकण्ड़री व मिड़ल तथा प्राइमरी स्कूल हैं?

(2) क्या उक्त सभी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पूरी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी है कि कुशलगढ़ क्षेत्र की आबादी बिखरी हुई है और उनमें बसे छोटे-छोटे गांव दूर-दूर होने के कारण किसी भी गांव में 300 तक की आबादी नहीं होती? यदि हां, तो क्या सरकार दो तीन गांवों को मिलाकर जहां स्कूल नहीं है वहां स्कूल खोलेगी या 200 तक की आबादी वाले गांवों में भी स्कूल खोलेगी?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्रवार विद्यालयों की सूची तैयार नहीं की जाती है। कुशलगढ़ पंचायत समिति में 2 सैकण्डरी, 27 मिडल तथा 168 प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार द्वारा नये विद्यालय जन संख्या, भवन की व्यवस्था, छात्र संख्या व स्थानीय मांग आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखकर खोले जाते है।

## भीलवाड़ा जिले में खोले गये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय

268. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) भीलवाड़ा जिले में इस वर्ष 1983-84 में किन-किन स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय कहां' कहां किस-किस तिथि को खोलने के आदेश हुये?

(2) उक्त खोले गये विद्यालयों में कितने अध्यापकों की कमी है? यदि नहीं, तो क्यों? कन्या प्राथमिक स्कूल न होते हुये भी कन्या उच्च प्राथमिक के नाम से विद्यालय खोले गये? कृपया नाम व स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1983-84 में जिन-जिन स्थानों पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं उनकी तिथिवार सूची संलग्न है।

(श्री शिक्षा मन्त्री)

(2) उक्त खोले गये विद्यालयों में अध्यापकों की कमी नहीं है। वर्ष 1983-84 में ये प्राथमिक विद्यालय (छात्र) जिन्हें उच्च प्राथमिक (छात्र) में क्रमोन्नत किया गया, के नाम निम्न प्रकार है–

1–मालोला

2–खाजूरी

3– रतनपुरा

4–काटोई

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

**प्रतापगढ़ का उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन**

269. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उप खण्ड प्रतापगढ़ में चलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयो के भवनों की दशा जीर्णावस्था में है और कभी भी दुर्घटना घट सकती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने विद्यालय भवन हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार ने ऐसे विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए वर्ष 1981-82 से 1983–84 तक राशि आवंटित की ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों के लिए व वर्तमान में किन-किन विद्यालयों के ऐसे प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ नगर में चल रहा लुहार गली उच्च प्राथमिक पाठशाला का भवन अपर्याप्त है एवं काफी जीर्ण-शीर्ण है ? यदि नहीं, तो विद्यालय भवन में कुल कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने कमरे हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इस विद्यालय के लिए अन्यत्र भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो वर्ष 1984-85 में भवन मरम्मत के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं, कोई विद्यालय भवन ऐसा नहीं है जिसमें दुर्घटना होने की सम्भावना हो। प्रतापगढ़ उपखण्ड में जिन-जिन विद्यालय भवनों की मरम्मत हेतु राशि आवंटित की गई उसकी सूची संलग्न है।

(2) यह भवन अपर्याप्त है, किन्तु जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है। भवन में 17 कमरे हैं तथा 435 छात्र व 164 छात्राएं पढ़ रही हैं। विद्यालय दो पारियों में चल रहा है।

(2) जी नहीं। भवन मरम्मत हेतु सीमित राशि होती है। राशि उपलब्ध होने पर या जन सहयोग प्राप्त होने पर आवश्यक मरम्मत की जा सकती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)।

**सवाई माधोपुर हायर सैकेण्डरी स्कूल में स्टाफ की कमी**

270. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) ; क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री हंसराज शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि हायर सैकण्डरी स्कूल सवाई माधोपुर में गत वर्षों से स्टाफ की कमी चल रही है ? यदि हां, तो फरवरी, 1984 तक मौजूदा कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? कुल कितने स्टाफ की आवश्यकता है ? कितना स्टाफ कम है ?

(2) क्या यह भी सही है कि छात्र संख्या अधिक होने व भवन एवं अध्यापकों की कमी के कारण स्कूल दो शिफ्टों में चलाया जाता है ? यदि हां, तो किस सब्जेक्ट के कितने अध्यापकों की कमी है तथा उनको कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्र संख्या अधिक होने के कारण प्रत्येक कक्षा के कई सैक्शन चलाये जाते हैं ? यदि हां, तो कुल कितने सैक्शन हैं तथा प्रत्येक में कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि कृषि कक्षा भी चलाई जाती है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने छात्र पढ़ते हैं और उनको पढ़ाने वाले कितने कृषि अध्यापक हैं ?

(5) क्या उक्त विद्यालय में कृषि विषय की शिक्षा देने हेतु लेबोरेटरी में कुछ कमियां हैं ? यदि हां, तो क्या क्या और इन कमियों को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां मानदण्ड के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुर में स्टाफ की कमी चल रही है। फरवरी, 1984 में मानदण्ड के अनुसार स्टाफ की आवश्यकता, कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापकों की कमी की स्थिति निम्न प्रकार थी—

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत पद | कार्यरत अध्यापक | मानदण्ड के अनुसार आवश्यकता | मानदण्ड के अनुसार कमी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्याख्याता | 22 | 22 | 24 | 2 |
| 2. | वरिष्ठ अध्यापक | 22 | 29 | 32 | 3 |
| | | स्कूल बजट से | | | |
| 3. | तृतीय वेतन श्रृंखला | 2 | 2 | 2 | — |

कुल 50 अध्यापकों की आवश्यकता है। इस प्रकार 5 अध्यापकों की कमी है। विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 7 अध्यापकों के पद मूल बजट द्वारा दिए गए हैं।

(श्री शिक्षा मन्त्री)

(2) भवन की कमी के कारण विद्यालय दो पारियों में चलाया जा रहा है। विद्यालय में मानदण्ड के अनुसार 5 अध्यापकों (2 कृषि के तथा 3 अन्य) की कमी हैं। अतिरिक्त पदों के लिये वित्तीय प्रावधानों की उपलब्धि होने पर पूर्ति की जा सकेगी।

(3) जी हां। सैक्शनों की सूची में उन पढ़ने वाले छात्रों की संख्या दर्शाते हुए संलग्न है।

(4) जी हां। कक्षा 11, 10 व 9 में क्रमशः 132, 219 एवं 173 कुल 524 छात्र पढ़ते हैं। उनको पढ़ाने हेतु एक व्याख्याता एवं दो वरिष्ठ अध्यापक हैं।

(5) जी हां। लेबोरेटरी में कमियां निम्न प्रकार हैं-

1. क्रीम सेपरेटर
2. जूस प्रिजरवेटिव बोतल

इन कमियों को वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर पूरा कर दिया जावेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

### पंचायत समिति नागौर में मूण्डवा के आदर्श स्कूल

272. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नागौर की पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में कौन-कौन से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को आदर्श स्कूल घोषित किया गया है?

(2) सरकार द्वारा आदर्श शालाओं में क्या-क्या सहायता सामग्री उपलब्ध कराई गई है?

(3) क्या यह सही है कि आदर्श शालाओं में सरकार की ओर से जो सामग्री दी गई वह अत्यन्त घटिया किस्म की थी और जो पुस्तकें इस योजना के तहत विभाग व पंचायत समितियों द्वारा खरीद कर दी गई वे अनुपयोगी व बेकार थीं?

#### उत्तर

(1) जिला नागौर की पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा में किसी भी स्तर के विद्यालय को आदर्श स्कूल घोषित नहीं किया गया है। वर्ष 1981-82 में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत जिन विद्यालयों का चयन किया गया उनकी सूची संलग्न है।

(2) बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों में फर्नीचर, टाट पट्टी, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी थीं।

(3) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

### प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालय व विद्यालय

272. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

श्री दाऊदयाल जोशी)

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में कितने संस्कृत महा-विद्यालय व विद्यालय कार्यरत हैं और उनमें से कितनों को राज्य सरकार संचालित करती है व कितने निजी हैं ?

(2) सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं में से कितने-कितने को कितनी कितनी प्रतिशत कितनी सहायता अनुदान स्वरूप प्रदान करती है ?

(3) क्या सरकार कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं को अपने अधीन लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में संस्कृत शिक्षा के अधीन 32 संस्कृत महाविद्यालय व 20 संस्कृत विद्यालय है इनमें 140 राजकीय तथा 164 निजी शिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है—

| स्तर | राजकीय | निजी | कुल |
|---|---|---|---|
| महाविद्यालय आचार्य स्तर | 3 | 13 | 16 |
| ,, शास्त्री स्तर | 9 | 7 | 16 |
| विद्यालय उपाध्याय स्तर | 17 | 32 | 49 |
| ,, प्रवेशिका | 27 | 14 | 41 |
| ,, उच्च प्राथमिक | 22 | 67 | 89 |
| ,, प्राथमिक | 61 | 25 | 86 |
| शिक्षा शा. | – | 3 | 3 |
| छात्रावास | – | 3 | 3 |
| | 150 | 164 | 304 |

(2) राज्य सरकार निजी शिक्षण संस्थाओं को निम्न प्रकार से अनुदान प्रदान करती है–

| ( प्र | ति | श | त | ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | योग |
| 14 | 7 | 9 | 1 | 15 | 46 |

कालेज शिक्षा (अनुदान 202·22 लाख रु०)

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा (अनुदान 752–35 लाख)

(श्री शिक्षा मन्त्री)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 153 | 238 | 212 | 461 | 1138 |

**संस्कृत शिक्षा** (अनुदान 42-12 लाख)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 19 | 21 | 9 | 25 | 73 |

(3) जी, हां। संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत निम्न शिक्षण संस्थाओं को राज्य सरकार राज्याधीन करने के मामले पर वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विचार कर रही है—

1. सरस्वती विद्यापीठ, कोटा
2. विजय सागर ब्रह्मचर्य संस्कृत कालेज तलावगांव, जयपुर
3. गोविन्द उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सामोद, जयपुर
4. हनुमत संस्कृत विद्यालय, सारंगपुर, जयपुर
5. पूर्णानन्द संस्कृत विद्यालय, चूरू।

**निदेशक, संस्कृत विभाग द्वारा की गई अनियमितायें**

273. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या संस्कृत निदेशक के द्वारा खरीद-फरोख्त, अनुदान-वितरण, नियुक्तियां, पदोन्नतियां व प्रतिनियुक्तियों में अनियमिततायें करने के मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस निदेशक को कभी कोई आरोप-पत्र दिया है ? यदि हां, तो कब और क्या ? उस पर क्या कार्यवाही की है ? आरोप-पत्र किस नियम के अन्तर्गत था ?

**उत्तर**

(1) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां. खरीद सम्बन्धी अनियमितताओं के लिए दि. 9.3.83 को सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिया गया था। जांच किये जाने पर इन्हें परिनिन्दा का दण्ड दिया गया था।

**उदयपुर की अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थायें**

274. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर जिले में चलने वाली अनुदान प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाओं में इन्हें कितना-कितना प्रतिशत अनुदान किया जाता है और समय-समय पर इनमें कितनी बढ़ोतरी की गई ?

(3) क्या राज्य सरकार भारत के अन्य प्रान्तों की तरह राजस्थान में भी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन पर शत प्रतिशत अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में अंकित है।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

**प्रदेश के अनुसूचित जाति व जनजाति के तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की पदोन्नति**

275. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि 1982 में शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यापकों को कोटे के अनुसार तृतीय श्रृंखला से द्वितीय श्रृंखला में पदोन्नति कर दी गई थी किन्तु बाद में इनको मई, 1982 (सत्रांत) में रिवर्ट कर दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि यह रिवर्शन नियमों के विरुद्ध किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इनकी जनवरी, 1984 में पुनः पदोन्नति कर दी गई है ?

(4) क्या सरकार इनकी वरिष्ठता 1982 से मानने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी कर दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि इनको 1982 में पदोन्नति दी गई थी वह नियमानुसार योग्य अध्यापकों के पांच गुनी करके इनका कोटा पूरा किया गया था ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1982 में शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यापकों की कोटे के अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में तदर्थ रूप से पदोन्नति की गई थी लेकिन जयपुर मण्डल (पुरुष) में कुछ ऐसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यापकों को तदर्थ पदोन्नति दे दी गई थी जिनके नाम निर्धारित पात्रता क्षेत्र में नहीं आते थे अतः उन अध्यापकों की तदर्थ पदोन्नति अवधि में वृद्धि नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

(3) इनमें से कुछ अध्यापकों को, जो नियमानुसार पदोन्नति के पात्र थे, पदोन्नति दे दी गई।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

**जैसलमेर में प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजली घर की योजना**

276. श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में प्राकृतिक गैस पर आधारित बिजलीघर बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

बिजली घर की कितनी मेगावाट क्षमता होगी ?

(2) उक्त योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इस बिजली घर की अधिष्ठापित क्षमता 3 मेगावाट होगी।

(2) इस योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा माह अक्टूबर, 1983 में 394 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। गैस टरबाइन व जेनरेटर के लिये ग्लोबल टेन्डर्स आमन्त्रित किये जा चुके हैं जिन पर निर्णय अप्रेल–मई, 1984 तक लिये जाने की संभावना है। इस परियोजना हेतु वर्ष 1984–84 में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

**पंचायत समिति मूण्डवा (नागौर) के गांवों का विद्युतीकरण**

277. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति नागौर, पंचायत समिति मूण्डवा क्षेत्र के कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) उक्त क्षेत्र के जिन गांवों के विद्युतीकरण की योजना नहीं बनी है उन गांवों की भविष्य में योजना कब तक बनाने का विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नागौर के 30 ग्रामों व पंचायत समिति मुण्डवा के 46 ग्रामों का विद्युतीकरण माह फरवरी, 84 तक किया जा चुका है।

(2) पंचायत समिति मुण्डवा के शेष सभी ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। पंचायत समिति नागौर के 44 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं। शेष गांवों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है।

**प्रदेश के उद्योगों पर बकाया राशि**

278. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं)

**श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिसम्बर, 1983 तक प्रदेश के किन-किन उद्योगों पर 25,000 रुपये से अधिक राशि बकाया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि कितनी-कितनी अवधि से बकाया है ?

(3) उक्त राशि को वसूल करने के लिए राज्य एवं विद्युत् मण्डल ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या उक्त उद्योगों द्वारा राशि जमा नहीं कराने के परिणाम स्वरूप उनका

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

विद्युत कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जायेगी ?

(5) उक्त राशि की वसूली में उदासीनता के कारण किन-किन अधिकारियों को विद्युत मण्डल द्वारा दण्डित किया गया ?

उत्तर

(1) दिसम्बर 1983 तक औद्योगिक उपभोक्ताओं पर मण्डल की कुल राशि लगभग 3832.65 लाख रुपये बकाया है। जिन जिन औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 25000/- रुपये से अधिक की राशि बकाया है उनकी सूची परिशिष्ठ "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह राशि विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं में अलग-अलग अवधि से बकाया है, जो कि अधिकांश मामलों में परिशिष्ठ "अ" में दर्शायी गयी है।

(3) उक्त राशि को वसूल करने के लिये मण्डल के नियमानुसार नोटिस देकर विद्युत सम्बन्धी विच्छेद किया जाता है तथा कुछ उद्योगों के वसूली बाबत न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं किये गये। विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के पश्चात् भी भी वसूली न होने पर मामला जिलाधीश को ई. यू. डी. आर. ए. के तहत वसूली हेतु दिया जाता है।

(4) जी हां, उक्त उद्योगों द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उनका नियमानुसार विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने की कार्यवाही की जाती है जब तक कि कोई अन्य कानूनन बाधा न हो।

(5) यदि किसी अधिकारी की बकाया राशि वसूल करने में उदासीनता का कोई मामला ध्यान में आता है तो विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है किन्तु ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया अतः किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

**पाली जिले के गांवों में बस रूट**

280. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितने गांव बस रूट से जोड़े गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस दौरान कितने और नये रूट स्वीकृत कर प्रारम्भ किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कितनी बसें और चलाई गई एवं किस-किस रूट पर चलाई गई ? सूची सदन की मेज रखें।

(4) अब कौन-कौन से गांव बस रूट से जोड़ने के लिये प्रस्तावित हैं एवं ये कब तक जोड़ दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) 1980 से दिसम्बर, 1983 तक पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी, देसूरी पंचायत समितियों में निम्नांकित गांव बस रूट से जोड़े गये हैं :-

| पंचायत समिति | बस रूट से जोड़े गये गांव का नाम |
|---|---|
| 1. मारवाड़ जंक्शन | कराड़ी, चवाड़िया, राजकीयावास, सवाड़िया |
| 2. रानी | गुड़ा केसरसिंह |
| 3. देसूरी | काणा पीर, खेतलानी, दुवापुरा, घाणेराव, महावीरजी का घेड़ा, खादों का गुड़ा, सुथारों का छोड़ा । |

(2) कोई नहीं ।

(3) इस अवधि में कोई नया परमिट स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(4) निम्नांकित गांवों का बस रूट से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिन्हें यथाशीघ्र नियमानुसार बस रूट से जोड़े जाने की कार्यवाही की जावेगी :—

| पंचायत समिति | |
|---|---|
| 1. मारवाड़ जंक्शन | कराड़ी, ग्रासनी, चौकड़िया |
| 2. रानी | जीवन्दकला, इन्द्रा चारनान |
| 3. देसूरी | बड़ौद, माड़ीगर, केसूली, इन्द्रवाड़ा । |

**केशवराय बस स्टेण्ड से बूंदी बस स्टेण्ड की दूरी**

281. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केशवराय बस स्टेण्ड से बूंदी बस स्टेण्ड कितने किलोमीटर है तथा परिवहन निगम की प्रति किलोमीटर किराये की दर क्या है ?

(2) अक्टूबर, 1983 से 20 फरवरी, 1984 तक केशवराय पाटन से शुगर मिल गेट तथा केशवराय पाटन व शुगर मिल गेट से बूंदी के लिए कितने यात्रियों द्वारा यात्रा की गई तथा इन यात्रियों से निगम को कितनी आय हुई ? कृपया उक्त अवधि की दैनिक आय की तालिका सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) केशवरायपाटन बस स्टेण्ड से बूंदी बस स्टेण्ड 46 कि. मी. दूर है, तथा प्रति

(श्री राज्य मन्त्री यातायात)

कि. मी. किराये की दर साधारण सेवा के लिये 9·97 पैसा प्रति यात्री है।

(2) वांछित तालिका परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

**जयपुर से फागी सी. टी. एस. बस की व्यवस्था**

282. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फागी से जयपुर रोजाना बहुत से व्यक्ति जयपुर आते और जाते हैं ?

(2) क्या सरकार फागी और जयपुर के बीच सी. टी. एस. चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह सेवा कब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जी हां। फागी से जयपुर औसतन् 200 व्यक्ति रोजाना जयपुर आते जाते हैं।

(2) जी नहीं। सी. टी. एस. बसें जयपुर शहर के आसपास के उपनगरीय मार्गों पर चलाई जा रही हैं जो नगर संकुलन सीमा से बाहर स्थित है। फागी नगर संकुलन सीमा से बाहर स्थित है, अतः यहां तक सी. टी. एस. बसें चलाने का औचित्य नहीं है। वर्तमान में इस मार्ग पर जयपुर आगार द्वारा दैनिक 17 सेवाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका औसत यात्री भार 72 प्रतिशत है।

**कुशलगढ़ से दोहद गुजरात नगर बस सेवा**

284. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ से दोहद गुजरात की नगर बस सेवा की बस चलती है ? यदि हां, तो राजस्थान रोडवेज कुशलगढ़-दोहद चलाने में क्या परेशानी है ?

(2) क्या राजस्थान की बस उसी रूट पर सरकार चालू करेगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बांसवाड़ा–कुशलगढ़ रूट से कसारवाणी, हिम्मतगढ़, सानसेरा 25 किलो मीटर पड़ता है और वहां पर आवागमन का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सानसेरा तक बस चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कलीजरा से मध्य प्रदेश मेघनगर तक प्राइवेट बस चलाने की मांग जनता ने व ग्राम पंचायतों ने की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार इस रूट को स्वीकृत

(श्री फतेसिंह)

कर बस का परमिट जारी कर जनत की आवागमन की सुविधा देगी ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ से दोहद गुजरात की नगर बस सेवा का संचालन नहीं है। वर्तमान में राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के बीच सम्पन्न हुये अन्तर्राज्यीय पारस्परिक करार के अन्तर्गत कुशलगढ़ से दोहद मार्ग पर केवल गुजरात परिवहन निगम द्वारा ही बस चलाने का समझौता किया हुआ है। जब तक दोनों राज्यों के बीच पुन: समझौता नहीं हो जाता तब तक इस मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बस का संचालन सम्भव नहीं है।

(2) यह अन्तर्राज्य मार्ग है जिस पर बस चलाना गुजरात–राजस्थान राज्य के बीच पारस्परिक समझौता होने पर निर्भर करता है।

(3) जी हां। इन गांवों को बस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सर्वेक्षण करवाया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी नहीं।

(5) यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिस पर बस सेवा प्रदान किया जाना दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता होने पर निर्भर करता है।

**उच्चैन के मन्दिर की जीर्ण-शीर्ण अवस्था**

285. **श्री रामप्रसाद** (रूपवास) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सत्य है कि तहसील रूपवास कस्बा उच्चैन में एक पुराना मन्दिर जीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। रूपवास तहसील में कस्बा उच्चैन में स्थित मन्दिर श्री कुंज बिहारी जी देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का मन्दिर है। उक्त श्रेणी के मन्दिरों की मरम्मत आदि मन्दिर के बचत फण्ड से की जाती है। मन्दिर की बचत में राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में इसका जीर्णोद्धार अभी किया जाना संभव नहीं है।

**शिवपुरी से कोटा बस यात्रा**

286. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या दिनांक 23–2–84 को आर. आर. जी. 6910 निगम की बस में (शिवपुरी से कोटा) अन्ता तक लगभग 150 यात्रियों ने यात्रा की ?

(2) यह बस कितने यात्रियों की क्षमता वाली है ?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(3) क्या क्षमता से कई गुने यात्रियों की यात्रा कराना कानूनी अपराध नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त दिनांक को इस बस में बारां से लेकर अन्ता तक 136 से 146 के बीच यात्रियों ने यात्रा की थी। शिवपुरी से बारां के बीच उक्त वाहन ओवर लोड नहीं था।

(2) यह बस 57 यात्रियों की क्षमता वाली बस है।

(3) जी हां, क्षमता से अधिक यात्रियों को यात्रा कराना कानूनन अनुमति योग्य नहीं है किन्तु उक्त दिनांक को अप्रत्याशित कारणों से उक्त वाहन में बारां से अधिक यात्री हो गये थे। ऐसा रोजाना नहीं होता है।

**अजमेर फेयर प्राइस दुकानों से उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई**

287. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अजमेर नगर की फेयर प्राइस दुकानों से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में चीनी, साबुन, डालडा, पाम आइल, गेहूं, चावल, सूजी, सर्फ आदि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं नागरिकों को शीघ्र और सुगमता से उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

अजमेर नगर की कुछ उचित मूल्य की दुकानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। दोषियों के विरुद्ध अनियमितता के अनुसार विभागीय केस प्रथम सूचना पंजीबद्ध करने, प्राधिकार पत्र निलम्बन अथवा निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। भविष्य के लिए भी दुकानदारों पर कड़ी निगरानी रखने एवं प्रभावी निरीक्षण के लिए विशेष निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उचित मूल्य की दुकानों से चीनी, गेहूं, चावल, पाम ऑइल, केरोसीन का वितरण कराया जाता है। खुले बाजार में सस्ते मूल्य पर गेहूं उपलब्ध होने के कारण मांग नहीं है जब कि अन्य वस्तुएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराई जा रही हैं। साबुन, डालडा, सूजी, सर्फ इत्यादि वस्तुओं का उचित मूल्य के दुकानदारों के माध्यम से वितरण नहीं किया जाता है किन्तु ये वस्तुएं जिलों में कार्यरत उपभोक्ता भण्डारों में एवं खुले बाजार में प्रचुरता से उपलब्ध होने के कारण जनता को सुगमता से उपलब्ध हैं।

**प्रदेश के पुरातत्व विभाग द्वारा गांवों में खोजबीन**

288. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा): क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री बंशीलाल पटवा)

राज्य के विभिन्न स्थानों पर पुरातत्व विभाग ने सन् 1980 से फरवरी, 1984 तक किन-किन जिलों और गांवों में खोज कार्य किया ?

उत्तर

पुरातत्व विभाग द्वारा वर्ष 1980 तक जिन जिलों और गांवों में पुरातात्विक, उत्खन्न, प्राचीन टीलों, प्राचीन मुद्राओं, स्मारकों (मन्दिर व दरगाह) भित्ति-चित्र, प्रतिमाओं एवं अभिलेखों की खोज की गयी है उनकी सूची "क-' व "ख" संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

**टौंक के मिडवे हेतु अवाप्त भूमि**

289. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

टौंक जिला मुख्यालय पर मिडवे बनाने के लिए कौन सी भूमि आवाप्त की गई एवं इस कार्य पर कितना व्यय होने का अनुमान है ? यह काम कब शुरू किया जा कर कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उत्तर

टौंक में मिडवे निर्माण के लिए महुंगाव के खसरा नं. 271, 272, 280 एवं 281 कुल रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा राज. भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 व उपधारा (1) एवं उक्त अधिनियम की धारा 6 (4) (1) के तहत अधिसूचना जारी की जा चुकी है । मिडवे निर्माण पर प्रथम चरण में लगभग रुपये 3.30 लाख व्यय होने का अनुमान है । जिलाधीश, टौंक से भूमि का कब्जा मिलने पर ही भवन निर्माण की कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

**स्थगित प्रश्न**

(7-3-1984)

**जैसलमेर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में आवंटित भूमि**

44. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैसलमेर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि स्थाई रूप से आवंटित की गई व कितनी भूमि अस्थाई रूप से आवंटित की गई ?

(2) उक्त आवंटित भूमि में से अब तक कितने एकड़ भूमि कहां-कहां सिंचित की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले के राजस्थान नहर क्षेत्र में अभी तक कोई भूमि स्थाई रूप से आवंटित नहीं की गई है । राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टे) शर्तें, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत 37,8 एकड़ भूमि अस्थाई काश्त पर एक वर्ष के लिए आवंटित की गई है

(श्री मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना)

(2) जैसलमेर जिले के क्षेत्र में उक्त भूमि में से चक 2 एस.के.डी. नहर सांकडिया डिस्ट्रीब्यूटरी में 18 बीघा में पानी लगा और फसल रबी सम्वत् 2040 में इसमें से 12 बीघा भूमि में काश्त हुई है।

**अनुपस्थिति अनुमति**

**श्री मानसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा को सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति (19 मार्च, 1984 से 25 मार्च, 1984)**

**श्री अध्यक्ष** : अनुपस्थिति के लिये अनुमति।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री मानसिंह देवड़ा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 19 मार्च, 1984 से 25 मार्च 1984 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।**

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) सर्व श्री त्रिलोक सिंह, यदुनाथ सिंह, मेघराज तावड़, गोपाल पचेरवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस थाने में मोहरपाल नामक युवक के साथ पुलिस द्वारा पिटाई के विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले रामगंज मंडी नगर में व्यापारियों द्वारा मूंगफली व अन्य तेल लाने पर सरकार को होने वाले राजस्व की हानि के विषय में,

(3) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्र में 1983 से चूना कली उत्पादकों पर बिक्री कर लगने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के विषय में,

(4) श्री बंशी लाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा नगर में भूमि रूपान्तरण की फीस लोगों द्वारा जमा करा देने के बाद रूपान्तरण की कार्यवाही न करने के विषय में,

(5) श्री चुन्नी लाल जलिया व श्री हंस राज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत तलावडा एवं पंचायत समिति खण्डार जिला सवाई माधोपुर में ग्राम पंचायत का कार्य दो सरपंचों द्वारा किया जाने के विषय में,

(6) श्री जीत मल जैन व श्री समर्थ लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से 20

(श्री अध्यक्ष)

जनवरी, 1984 को ग्राम बिचगांव, जिला अलवर में पुलिस की लापरवाही होने के कारण एक परिवार के 6 व्यक्तियों की हत्या के विषय में,

(7) श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पोद्दार स्पिनिंग मिल्स, जयपुर द्वारा बिजली की चोरी के आरोप पर काटे गये बिजली के कनेक्शन को दुबारा चोरी से जोड़ देने की घटना के विषय में,

(8) सर्व श्री गुलाबचन्द कटारिया व दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों में पाकिस्तान नागरिकों के प्रवेश के कारण जनसंख्या में वृद्धि होने के विषय में,

(9) श्री कैलास मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 12 मार्च को कुचामन सिटी नागौर में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के इशारे पर श्री कमल किशोर शर्मा की गोली मार कर हत्या कर देने के विषय में,

(10) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका निवाई में 'प्रशासन शहरों की ओर' अभियान के अन्तर्गत भू-आवंटन की कार्यवाही को निदेशक, स्थानीय निकाय के आदेश पर रोक देने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री बाल चन्द आर्यवीर व श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से झालावाड़ जिले के पनवाड़ ग्राम में सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा एक फर्जी ऋण उठाने की घटना के विषय में।

यह एक तुच्छ विषय है।

(2) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में चम्बल, काली सिंध, पार्वती आदि नदियों से कटाव के कारण कन्दराओं से भूमि बरबाद होने के विषय में,

(3) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर के खान मजदूरों को खान के परमिट बन्द कर देने के विषय में।

इस विषय पर कल व्यवस्था हो चुकी है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री देवीसिंह भाटी–राजस्थान नहर की लूणकरनसर लिफ्ट नहर की जामसर वितरिका में गत तीन महीनों से पानी न आने के कारण फसलों की बरबादी।

(2) श्री महावीर प्रसाद जैन–पंचायत समिति टौंक ग्राम पंचायत काबरा ग्राम याकूबगज में काश्तकारों के स्वयं की परचों

(श्री अध्यक्ष)

की भूमि पर अतिक्रमण दर्ज करने के विषय में।

इन दोनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार की ओर से वक्तव्य दिये जायेंगे जिनकी तिथि बाद में तय की जायेगी।

(3) श्री भरोसीलाल–गत 6 मार्च को तहसील हिन्डौन में रोडवेज की हड़ताल। सरकार ने सूचित किया है कि यह हड़ताल आपसी हाथापाई व दुर्व्यवहार की घटना के कारण हुई थी और अब उठा दी गई है।

(4) श्री कैलाश मेघवाल–अजमेर नगर की सिटी बस सेवा द्वारा की जा रही हड़ताल। सरकार ने सूचित किया है कि यातायात पुलिस द्वारा वर्ष 1981 में एक अवैध स्थान पर वाहनों को खड़ा करने से रोका गया था जिस पर न्यायालय का निर्णय हो चुका है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

(5) श्री राम कवार बैरवा–फागी विधान सभा क्षेत्र में 1981 में आई बाढ़ के कारण क्षति। सरकार ने सूचित किया है कि उक्त बाढ़ से प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों को राहत देने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई थी।

(6) श्री महावीर प्रसाद जैन–कालेज आफ नर्सिंग, जयपुर में छात्राओं की भर्ती को यकायक रोक देने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि चयन समिति द्वारा चयनित 30 छात्राओं में से 29 को प्रवेश दे दिया है और विश्वविद्यालय में एनरोलमेंट होने में भी कोई रुकावट नहीं पड़ेगी।

(7) श्री घनश्याम तिवाड़ी–राजस्थान राज्य कर्मचारियों द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा आन्दोलन। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वेतन निर्धारण सम्बन्धी विसंगतियां जो सरकार के ध्यान में लाई गई थीं उनमें से अधिकतर का समाधान कर दिया गया है और वर्तमान में कोई भी मांग ऐसी नहीं है जिसके द्वारा राज्य सरकार से कार्यवाही अपेक्षित हो।

(8) श्री हंसराज शर्मा व कुंजी लाल–सवाई माधोपुर में हवाई अड्डे के लिये अवाप्त की गई जमीन पर काश्तकारों से लगान की वसूली। सरकार ने सूचित किया है कि जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि लगान का इख्राज कर दिया जावे व वसूली न की जावे और मुआवजे के सम्बन्ध में चूंकि यह मामला 28 वर्ष पुराना है अतः जांच के बाद आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(9) श्री भगवान दास शास्त्री–शीशाखान, अजमेर में 24 मकान गिरा देने के विषय में। सरकार ने सूचित किया है कि नगर पालिका, अजमेर द्वारा पहाड़ी ढलान पर नाले के पास किये गये अवैध निर्माण कार्य को पुलिस की मदद से हटाया गया है और जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया वहां कोई आबादी नहीं थी।

(10) श्री हरीश शर्मा–राज्य में पशु चिकित्सालयों व चिकित्सकों की कमी व पशु चिकित्सकों का बेरोजगार होना। सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1984-85 से बीकानेर वेटेनरी कालेज की क्षमता 80 से बढ़ाकर 100 की जा रही है और राज-

(श्री अध्यक्ष)

स्थान लोक सेवा आयोग से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक तदर्थ रूप से नियुक्ति दी जा रही है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(12 मध्याह्न)

जैसा कि सदैव होता रहा है अब जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार कर दिये हैं उनको 2-2 मिनट अपनी बात कहने का अवसर दिया जायेगा।

**स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा**

**श्री त्रिलोक सिंह** (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस जुल्म के खिलाफ मेरा प्रस्ताव था। 10 मार्च को एक हरिजन विद्यार्थी, जो आदिवासी और जनजाति के विद्यार्थियों का लीडर था, को थाने में पिटाई की गई······

**श्री अध्यक्ष** : परसों आपने उस पर कहा था। मैंने निवेदन कर दिया, आज कुछ···

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

**श्री त्रिलोक सिंह**: बड़े अफसोस की बात है कि 10 तारीख को पिटाई होती है···

**श्री अध्यक्ष** : कृपया इस पर चर्चा नहीं उठायें, माननीय सदस्य। इस में ताकीद कर दूंगा, जल्दी जवाब आ जायेगा।

**श्री त्रिलोक सिंह**: सरकार यहीं है, सरकार जिंदा है। इस गूंगी बहरी पुलिस के बारे में जो कुछ भी आता है उसको सरकार दबाना चाहती है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आज ही जवाब दिलाया जाय।

**श्री छीतर लाल आर्य** (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव था, आपकी तरफ से क्या व्यवस्था दी गयी ?

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

**श्री छीतर लाल आर्य** : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था······

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें। यदि आपको कोई कठिनाई है तो जैसा मैंने निवेदन किया है कि मैं ताकीद करके जल्दी जवाब दिलवा दूंगा। इस तरह से व्यवधान न डालें।

श्री भरोसी लाल। हिण्डौन में रोडवेज की हड़ताल के बारे में।

**श्री त्रिलोक सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मेरे प्रस्ताव का जवाब आये।

**श्री अध्यक्ष**: मैंने कल ही निवेदन कर दिया था। उसमें सरकार से जानकारी मंगा रहा हूं, जल्दी मंगायी जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल, सिटी बस सेवा के बारे में।

**श्री कैलाश मेघवाल** : (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो हड़ताल ही समाप्त हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री कैलाश मेघवाल)

यहां के रौब से। इसलिए आपको बधाई हो।

**श्री अध्यक्ष** : धन्यवाद। श्री राम कंवार बैरवा।

श्री महावीर प्रसाद : कालेज ऑफ नर्सिंग।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जाने के बाद एक्शन ले लिया गया है लेकिन इसमें मुझे एक बात कहनी है। फर्स्ट ईयर साइंस बायलोजी जो योग्यता थी, उसको कम करके हायर सैकण्डरी पास विद्यार्थी को लेने का प्रावधान किया गया है। दूसरे आज तक यह नर्सिंग स्टाफ मैरिट के आधार पर लिया जाता रहा है लेकिन पांच पर्सेन्ट मिनिस्टर कोटा बनाकर और……

**श्री अध्यक्ष** : इसको किसी अन्य तरीके से उठायें, माननीय सदस्य। इस अल्प काल के माध्यम से आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आर्डर प्लीज।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : मेरा निवेदन यह है कि नियमों को बलाये ताक रखकर इन्होंने मिनिस्टर कोटा में……

**श्री अध्यक्ष** : इसका उत्तर नहीं आ सकता। गम्भीर मामला है, इसको आगे उठायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी श्री हंसराज शर्मा श्री कुंजीलाल : हवाई अड्डे के बारे में।

श्री भगवान दास शास्त्री।

**श्री हंसराज शर्मा** (सवाईमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जो जवाब दिया है उसमें से सन्तुष्ट नहीं हूं। निवेदन यह है कि जब से जयपुर उद्योग बना है, सारे जयपुर उद्योग की सीमा में जो जमीन ली है वह बड़ेड़ा के काश्तकारों की खातेदारी की जमीन है।

**श्री अध्यक्ष** : अलग प्रश्न।

**श्री हंसराज शर्मा** : नहीं, इसी से सम्बन्धित है। अध्यक्ष महोदय, यह रकबा एक ही है।

**श्री अध्यक्ष** : हवाई अड्डे के बारे में है। उसमें व्यवस्था हो गयी है कि लगान वसूल नहीं किया जायेगा। उसको मुआवजा नहीं मिला है इस सम्बन्ध में चूंकि काफी पुराना मामला है इसलिए सरकार जानकारी ले रही है। यदि उसके बाद भी समस्या रह जाती है तो फिर यह विचार में आ सकती है सदन के समक्ष।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री भगवान दास शास्त्री।

श्री हरीश शर्मा : राज्य में पशु चिकित्सालयों व चिकित्सकों की कमी के बारे में।

**श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर या रेगिस्तानी क्षेत्र में पद खाली हैं। जहां पशुधन ज्यादा है वहां पद खाली हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये, राजस्थान प्रदेश पशुओं की दृष्टि

(श्री हरीश शर्मा)

से पिछड़ता जा रहा है। इस वर्ष भी 50 लड़के डिग्री ले करके निकले हैं। जगह खाली पड़ी हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। आप मुझे एक बात बताइये कि आखिर क्या होगा ? मेरे क्षेत्र कोटा में लोगों का रोजगार पशुओं पर आधारित है किन्तु अस्पताल है तो डाक्टर नहीं है और डाक्टर है तो चिकित्सालय नहीं है। ऐसा क्यों है ? कोटा जिले में ऐसी पांच डिस्पेन्सरीज हैं जहां कोई डाक्टर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि बेरोजगार डाक्टर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे है जिसके कारण पशुओं की हालत खराब हो रही है। आखिर यह असंगति क्यों है ? यह विसंगति क्यों है ? सरकार इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही है ? आखिर कारण क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उन मूक प्राणियों का है जो इस देश के एक-एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पालते हैं और जिनकी हर चीज काम आती है। उनके डाक्टर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। पशु चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, आप बता दीजिए, आपको याद होगा, आपके एरिया में कितने डाक्टर हैं ? वहां पशु चिकित्सालयों में क्या आप डाक्टर लगा सकते हैं ? जब डाक्टर बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्यों नहीं उनको नौकरी दी जा रही है ? सवाल यह है ऐसी परिस्थितियां क्यों है, इसका कारण क्या है ? यह कारण आप मुझे बता दीजिए।

**श्री अध्यक्ष :** सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। प्रतिवेदन। वित्त मन्त्री जी।

**श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल में एक बड़ी योजना थी कन्दरा सुधार की, उसको समाप्त किया जा रहा है। मेरे इलाके की कृषि भूमि···

**श्री अध्यक्ष :** अलग है, माननीय सदस्य। इसमें यदि आपको कोई कठिनाई हो, समस्या हो तो अलग से आप मुझसे मिलें। मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा।

**श्री हीरालाल आर्य :** अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दे दीजिये बोलने का।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, निम्बदा ग्राम में तीन डकैतियां पड़ी है और अब तक उनका .......

**श्री अध्यक्ष :** इसका मैं क्या करूं, तीन डकैतियां पड़ गयीं तो। मेरे पास यही माध्यम है, आप यदि स्थगन प्रस्ताव देते हैं तो सरकार से जानकारी ले लेता हूं। जानकारी समय पर नहीं आती है तो आप कृपया मुझसे मिलने का कष्ट करें। मैं जल्दी मंगवा लूंगा। उसके बाद यदि कुछ औचित्य होगा तो सरकार से वक्तव्य देने की कह दूंगा। इसमें कठिनाई कौन सी है, माननीय सदस्य।

**श्री हीरालाल आर्य :** अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे इलाके की यह है···

**(व्यवधान)**

**श्री अध्यक्ष :** इस तरह समय नहीं लें।

**(व्यवधान)**

वित्त मन्त्री जी।

आर्डर आर्डर। अलग से मिलें।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा एक स्पष्ट कर दूं।

**श्री प्रद्युम्न सिंह :** (राज्य मंत्री वित्त) मैं वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन…

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** मैं निवेदन कर दूं कि मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है, बारियां डूंगर के बारे में मेरा प्रश्न नहीं था।

**श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारना भूल गये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा:** मैं आपको निवेदन कर दूं, मेरा……

**श्री अध्यक्ष :** 15-डूंगर कौन हैं? मेरी बात सुन लीजिए। आपकी समस्या मैं सुने बगैर पहले ही हल निकाल दूंगा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** आप एक मिनट सुन लें।

**श्री अध्यक्ष :** ऐसा है आप कृपया विराज जाइये। आप लिखकर यह दे दीजिए कि कल जिस डूंगर के बारे में कहा था, वह समस्या अलग थी, यह डूंगर अलग था। यह आप लिख कर दे दें। मैं इस पर पुनः विचार कर लूंगा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा :** ठीक है साहब। 15 डूंगर अलग हैं यह।

**श्री देवीसिंह भाटी :** अध्यक्ष महोदय, आप मेरा नाम पुकारना भूल गये शायद। आपने व्यवस्था दे दी कि राज्य सरकार से जानकारी आयी है. राजस्थान में लूणकरणसर लिफ्ट वितरिका के बारे में?

**श्री अध्यक्ष :** काहे के बारे में?

**श्री देवीसिंह भाटी :** राजस्थान नहर लूणकसरणसर वितरिका के बारे में।

**श्री अध्यक्ष :** उसमें आपने सुना नहीं, मैं वक्तव्य दिला रहा था।

**श्री देवीसिंह भाटी :** Thank you.

**श्री अध्यक्ष :** प्रतिवेदन। वित्त मंत्री जी।

## सदन की मेज पर रखे गये पत्र प्रतिवेदन

**श्री प्रद्युम्नसिंह :** अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1982-83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) सदन की मेज पर रखता हूं।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### कृष्णा मिल्स, ब्यावर को अनायास बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति

**श्री अध्यक्ष :** ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने वाले माननीय सदस्यों की संख्या 10 है इसलिए मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का समय दूंगा। उसके पश्चात् मन्त्री जी अपना उत्तर देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री विष्णु बाजारी ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय सीमा जो आपने दी है...

**श्री अध्यक्ष** : ज्यादा समय नहीं दे सकता । अल्पकाल का......

**श्री कैलाश मेघवाल** : 1600 मजदूर प्रभावित हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं तो 3-4 में से 2-3 माननीय सदस्य तैयार हो जाइये । वह बात आप ज्यादा 5-6 मिनट में कह दीजिए । प्रत्येक माननीय सदस्य बोलें 10-10 मिनट तो 100 मिनट का समय हो जायेगा । आपस में तय कर लीजिए, दलों के हिसाब से तय कर लीजिए ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : 4-5 सदस्यों की तरफ से 10-12 मिनट मैं बोल लूंगा । उनकी तरफ से 10-12 मिनट बोल लूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : 6 मिनट का समय मिलेगा ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : नहीं नहीं साहब, 4 मिनट तो आप मुझे ही दे रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री विष्णु प्रकाश बजारी ।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : माननी अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के पिछले सत्र के अन्दर भी विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की कृष्णा मिल लिमिटेड, जिसको कि मालिक ने अवैध रूप से बन्द कर दिया था, के बारे में नियम 121 के अन्तर्गत...

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, हमारे नियम इस सम्बन्ध में काफी कठोर हैं इसलिए पहले अगर आ गया है तो फिर इसको समाप्त समझा जाएगा ।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : पिछले सत्र में था, साहब ।

**श्री अध्यक्ष** : हां, पिछले वाले सत्र में । नियम पढ़ने की कृपा करें ।

**श्री मेघराज सावड़** (गोगुन्दा) : वह अलग ही विषय था ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : अब परिस्थितियां बदल गई हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : लेकिन संक्षेप में ।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : इसके लिए उठाया था । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जो ब्यावर कृष्णा मिल्स लिमिटेड का मिल मालिक है वह अप्रेल-मई, 1983 से लगातार वेतन बहुत देर से मजदूरों को दे रहा था । इसकी सूचना हमने राज्य सरकार को बराबर लिख कर भेजी । 15 अगस्त, 1983 को आजादी का दिन था उस दिन मिल मालिक ने 1600 को बेरोजगार कर दिया । जिस दिन आजादी का दिन होता है, स्वतन्त्रता का दिन होता है, हमारा स्वतन्त्रता दिवस होता है उस दिन इतना बड़ा कुठाराघात मिल मालिक ने इन मजदूरों के साथ किया । हमने बराबर पत्रों के द्वारा हमारे आदरणीय श्री हीरालालजी देवपुरा साहब का, हमारे मुख्य मन्त्री का, अन्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इस विषय

(श्री विष्णु प्रकाश वजारी)

में राज्य सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जिसके कारण आज 1600 मजदूरों के परिवार के आठ हजार लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। एक-एक दाने को आज मोहताज हैं। आज उनकी हालत बहुत ही खराब हो रखी है। इसके लिए उन मजदूरों ने ब्यावर बन्द का आह्वान भी किया। ब्यावर सम्पूर्ण बन्द भी हुआ। इसके बाद विधान सभा के सामने उन्होंने 5 सितम्बर, 1983 को प्रदर्शन भी किया और एक शिष्ट मण्डल हमारे आदरणीय हीरालालजी देवपुरा साहब से मिला। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह मिल ब्यावर के सेठ दामोदरदासजी राठी, जो कि एक वक्त स्वतन्त्रता सेनानी थे, जिन्होंने चन्द्रशेखर आजाद और भगतसिंह जैसे लोगों की मदद की थी, के पोते ने 95 साल तक मजदूरों का खून चुसने के बाद में आज, इस मिल को बन्द कर दिया है जो बहुत ही अवैध है।

इसके साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जून और जुलाई के अन्दर मिल के अन्दर जो तैयार माल था उसको मिल मालिक ने बेच कर 60-70 लाख रुपया खुद अपने पास में रख लिया। उस 60-70 लाख रुपयों में से न तो मजदूरों को तनख्वाह दी, न स्टेट बैंक, जिससे कर्जा ले रखा था, के अन्दर कोई जमा करवाया, न आई. डी. बी. आई. से जो लोन ले रखा था वह जमा करवाया और सारा का सारा साठ सत्तर लाख रुपया उसने अपने काम में ले लिया। उस मिल मालिक ने मजदूरों का दो महीने का वेतन नहीं दिया, उनका 1982 के बोनस का भुगतान उसने नहीं किया। इस प्रकार से उसने मजदूरों के साथ में बहुत ही ज्यादती की है। मैं आपके माध्यम से हमारे आदरणीय श्रम मन्त्री और मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें क्योंकि सौलह सो मजदूर बेकार हो गए हैं। एक तरफ हमारी भारत सकर की नीति है कि जो अभी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जावे। राज्य सरकासर की भी यही नीति है। एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत हल लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरी ओर सौलह सौ मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है हमारे आदरणीय श्रम मन्त्रीजी से क्योंकि सौलह सौ मजदूरों को मिल मालिक ने बेरोजार कर दिया है इसलिये एन. टी. सी. के अन्दर इल मिल को लेने की सिफारिश राज्य सरकार के द्वारा करके जल्दी से जल्दी मिल को चालू किया जावे। ब्यावर में दो मिलें और हैं एन. टी. सी. के अधीन वे दोनों मिलें भी चल रही हैं। यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मेघराज तावड़।

**श्री मेघराज तावड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि गत वर्ष भी जब यह मिल बन्द हो गई थी उस समय मजदूर यहां हड़ताल के लिए आये थे। राज्य सरकार ने बार बार

(श्री मेघराज तावड़)

निवेदन करने पर भी ध्यान नहीं दिया। उस समय उसका जो मैनेजमेंट था वह यह चाहता था कि राज्य सरकार अगर हमको गारण्टी दे देती है तो हम मिल चलाने के लिये तैयार हैं। दूसरा एक प्रस्ताव आया था कि मजदूर अगर अपने बोनस और पी. एफ. का फण्ड दे करके, अगर सोसायटी बना करके चलाना चाहते हों तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह समय भी गुजर गया। राज्य सरकार केवल टालना चाहती है। उस समय मन्त्रीजी माननीय श्री देवपुरा साहब ने यहां वक्तव्य दिया था कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम अण्डरटेकिंग दें। गारण्टी अगर चाहेंगे तो देंगे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब मैनेजमेन्ट यहां पहुंचा तो राज्य सरकार गारण्टी देने को तैयार नहीं थी। अब वह सारी स्थिति, अध्यक्ष महोदय, निकल चुकी है क्योंकि समय काफी हो गया है, पांच सात महीने होने आ गए हैं। मजदूरों का पड़ा हुआ वेतन बकाया है, बोनस बकाया है, सोलह सौ मजदूर बेघरबार हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब एक आदमी नौकरी से बरखास्त हो जाता है या बेघर हो जाता है तो उसके परिवार के पांच सात जितने लोग हैं वे कैसे जिन्दा रहेंगे। आप जानते हैं कि उन सोलह सौ मजदूरों और सोलह सौ मजदूरों के परिवार के जितने भी लोग हैं उनकी क्या गति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका आल्टरनेटि तो केवल यही हो सकता है कि राजस्थान सरकार या तो इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के अन्तर्गत जैसा जयपुर मैटल्स में किया गया है उसी तरह से उसको अपने अण्डर में ले करके अपना मैनेजमेंट बनवा करके मिल को चालू करवावे। क्योंकि वह स्थिति तो निकल गई, आप गारण्टी देने को तैयार नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अगर गारण्टी दी भी गई राजस्थान की सरकार ने, तो वही स्थिति पैदा होगी, मिल मालिक चला नहीं पाएगा। इसका मतलब यही होगा कि फिर घाटे में आकर मिल बन्द हो जाएगी, मेरा यह मानना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक बात और कहना हूं क्योंकि वहां पर एटक मुख्य अधिकृत यूनियन है इसलिए भी राजस्थान की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहूंगा, मन्त्री महोदय आप इस तरह की कोई इण्टक, एटक की बात नहीं करें। मजदूरों का यह मसला है। मजदूर इण्टक को वहां पर थोपना चाहते हैं, इसी तरह से जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल में भी हुआ है। वहां पर भी गारण्टी मांगी गई थी, जब गारण्टी के लिए मालिक तैयार था तो राज्य मन्त्रिमण्डल में वह मसला अटक गया और वित्त विभाग में जाकर मसला अटक गया केवल इसलिये कि माननीय वित्त मन्त्रीजी चाहते थे कि इण्टक का वहां पर बोलबाला हो, इण्टल को थोपना चाहते थे इसलिए गारण्टी नहीं दी गई। तो, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं किया जा सकता। यह सरकार कहती है कि हम तो गारण्टी देने को तैयार हैं। माननीय बजारीजी को एक लैटर लिखा था मिनिस्टर आफ कामर्स एण्ट इन्डस्ट्री इण्डिया ने 29 फरवरी को जिसमें उन्होंने यह कहा था. मैं केवल लाइन का बता रहा हूं--

(श्री मेघराज तावड़)

"The compaay has already sought a gurantee of Rs. 50 lakhs to bankers and financial in stitutions from the State Government. This matter is under consideration of the State Government. You might also like to approach them in this regard."

(म० प० 12.27)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापति महोदय, तो यह राज्य सरकार के अण्डर में पेंडिंग पड़ा हुआ है, विचाराधीन है। सभापति महोदय, सरकार चाहती तो पचास लाख रुपये पर गारण्टी दे देती लेकिन सरकार नहीं चाहती। तो ज्यादा न कह कर इसका आल्टरनेटिव, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं, राज्य सरकार को कहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कहता हूं कि अभी कल जब माननीय केसरीमलजी माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, मैं उद्योग मन्त्री जी से भी मिल कर आया हूं. उनसे बातचीत हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह मजदूरों को धोखे में रखने की बात है, यह विश्वासघात करने की बात है। अगर आपने वास्तव में लैटर लिखा है तो वह लैटर क्या है ? उस लैटर की कापी पढ़ कर सुनाई जावे। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार ने लिखा भी नहीं है और कोशिश भी नहीं की है इस मिल को चलाने की इसलिये, माननीय सभापति महोदय, केवल एक ही आल्टरनेटिव है कि जितनी भी मिलें बन्द पड़ी हैं, जैसे महाराष्ट्र में अभी 13 मिलों को केन्द्रीय सरकार ने अधिग्रहित किया है, उसी तरह या तो केन्द्रीय सरकार इस मिल को अधिग्रहित करे या राज्य सरकार अपनी पहल करके अधिग्रहित करे और केन्द्र से पैसा ले। केवल एक ही आल्टरनेटिव है, सिवाय इस आल्टरनेटिव के राज्य सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने का कोई रास्ता नहीं है। राज्य सरकार इसका अधिग्रहण करे। अपनी अण्डरटेकिंग में ले और राज्य सरकार चलाए। सोलह सौ मजदूर बेकार हो गए हैं, माननीय सभापति महोदय, जब कि एक तरफ तो ब्यावर का इलाका अकालग्रस्त भी रहा है और आज वहां इण्डस्ट्रियल एरिया के होने की वजह से मजदूरों में असंतोष है मजदूरों में और औद्योगिक क्षेत्र में एक वातावरण बना हुआ है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार शीघ्र ही इस पर एक्शन ले और अण्डरटेकिंग में लेने की कार्यवाही करे। इस मिल को शीघ्र से शीघ्र शुरू किया जावे, मजदूरों का बकाया भुगतान बोनस जो भी है और ई. एस. आई. का पैसा जो आज तक जमा नहीं कराया गया है, वह तमाम लेन-देन है उसको निरस्त करके अपने अधिग्रहण में ले करके राज्य सरकार इसको चलाए। मेरा यही निवेदन है।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री मेघराज तावड़** : यही मेरा निवेदन करना है।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त कीजिए। श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल।

**श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि मेरे दल के दूसरे जितने भी सदस्यों के इसमें नाम है, श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह, राम कंवारजी, कोई इस पर अब नहीं बोलेंगे इसलिए मैं थोड़ा माननीय श्रम मन्त्री का ध्यान……

**श्री सभापति** : समय सीमा आपकी 6 मिनट निर्धारित है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : हमारा दे दीजिये। हम नहीं बोलेंगे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि एक मसला विधान सभा में आया, 5 सितम्बर 1983 को कृष्णा मिल के मजदूर इस सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के बाहर दस्तक देकर गये कि हम भूखे हैं, हमको पगार नहीं मिल रही है, हमारी रोजी रोटी का इन्तजाम किया जाय और राजस्थान में मजदूर की भलाई के जो कानून बने हुए हैं उन कानून का पालन किया जाय। सभापति महोदय, उस समय वह प्रतिनिधि मण्डल ब्यावर के माननीय विधायक श्री बजारीजी के नेतृत्व में हमारे श्रम मन्त्रीजी से मिला था। उसको यह आश्वासन दिया गया था कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल निकाला जाएगा। मैं, माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं कि 15 अगस्त के दिन देश में खुशियां मनाई जाती हैं, आजादी का जश्न मनाया जाता है, इस दिन अंग्रेजों की गुलामी से हिन्दुस्तान मुक्त हुआ, था उस अवसर को मानते हैं। उस दिन ब्यावर के यह 1600 मजदूर भुखमरी के अन्धेरे में धकेल दिये गये। उनकी दो महीने की पगार बाकी थी, उनका बोनस 1982 का बाकी था जो उस सेठ ने उनको नहीं चुकाया। सभापति महोदय, आज हालत यह है, करीब 25000 स्पिंडल्स हैं मिल में और वह सब नये हैं, नवीनीकरण के माध्यम से खरीदे हुए हैं 616 लूम्स है। वहां स्पिनिंग भी होता है, वीविंग भी होता है और प्रिंटिंग व डाइंग भी होता है। यह तीन राष्ट्रीय उत्पादन के काम वहां होते हैं। इनको करने वाले वह 1600 मजदूर 15 अगस्त को बेकार हो गये। मैं आपके जरिये माननीय श्रम मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज की जो स्थिति है इस मिल की उसको आप क्या मानते हैं? मैं यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं? जहां मजदूरों की भलाई की बात करती है यह सरकार, और जो कानून बने हुए हैं उनको लागू करने की बात करती है तो आज आप स्पष्ट कीजिए कि राजस्थान में कृष्णा मिल की जो स्थिति है आज, क्या उसको क्लोजर मानते हैं? मैं यह इसलिए पूछना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्लोजर पर राजस्थान सरकार खुद ने अध्यादेश के द्वारा एक प्रतिबन्ध लगाया है, 300 मजदूर और उससे ज्यादा मजदूरों वाला कोई कारखाना राजस्थान की स्वीकृति के बिना बन्द नहीं किया जावेगा। उस अध्यादेश को इसी विधान सभा सत्र में कानून का रूप देने की स्थिति पैदा हुई। यह क्लोजर नहीं तो क्या आप इसको लोक-आउट मानते हैं? माननीय सभापति महोदय, लोक आउट उस समय होता है जब मजदूरों से कोई विवाद हो जाय, मजदूर हड़ताल पर

(श्री कैलाश मेघवाल)

चले जायं और ऐसी स्थिति आ जाय, उस सारे संघर्ष में मिल का मालिक कारखाना नहीं चला सके, उस समय लोक आउट कर सकता है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोक आउट है?

तीसरी स्थिति यह है कि क्या मजदूर हड़ताल पर थे? यह मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है, राजस्थान की सरकार इन 1600 मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नोटिस दिया गया उसके बाद एक समझौता हुआ मिल के मालिक के साथ। सभापति महोदय, 9–9–83 को वहां जिलाधीश बैठे थे, एस. डी. ओ. बैठे थे और सेठ बैठा था। यह समझौता हुआ कि मिल में जो माल पड़ा हुआ है 80–90 लाख का, उस माल को बेच करके मजदूरों की दो महीने की तनख्वाह चुकाई जायेगी। लिखित में समझौता करके सेठ ने दस्तखत किये, उस कलेक्टर ने दस्तखत किये और एस. पी. ने दस्तखत किये। उसके बाद, सभापति महोदय, मना कर दिया सेठ ने। सेठ के वकील ने नोटिस दिया कलेक्टर और एस. डी. ओ. को कि आपने यह जो समझौता कराया है, दबाव में कराया है, मेरा मुवक्किल इसको मानने को बाध्य नहीं है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, श्रम मन्त्रीजी से, अगर एस. डी. ओ. और कलेक्टर ने दबाव से फैसला कराया था तो इस तथ्य की जानकारी आपको करनी चाहिए थी। आपने इस तथ्य की जानकारी नहीं की। लिखित में समझौता हुआ, उसकी पालना नहीं कराई और मजदूरों की पीठ में छुरा भोंक दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप स्पष्ट कीजिये इस पोजीशन को, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि सेठ से लिखित समझौता हुआ था और लिखित समझौता होने के बाद उस समझौते की पालना नहीं हुई और केवल यह कह दिया कि एस. डी. ओ. और कलेक्टर ने दबाव डाल कर यह करवाया है? आप चुप बैठे हैं, माननीय श्रम मन्त्रीजी, यह आपका श्रमिकों के प्रति जो स्नेह है उसको प्रकट करता है।

सभापति महोदय, होना यह चाहिए था, एक जानकारी राजस्थान सरकार को क्या होनी चाहिए थी वह मैं आपको निवेदन करूंगा। हमारे यहां इन सारी मिलों पर तीन तरह के एक्ट लागू हैं। पहला एक्ट है पी. एफ., दूसरा एक्ट है ई. एस. आई. एक्ट और तीसरा एक्ट है पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट। सभापति महोदय, इन तीनों में दो तरह के प्रावधान हैं। अगर प्रोविडेंट फण्ड एक्ट की पालना नहीं हो रही है, अगर ई. एस. आई. एक्ट की पालना नहीं हो रही है और अगर मिनिमम वेजेज एक्ट की पालना नहीं हो रही है तो मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं, सिविल लाइबिलिटीज बनती है, कंपनी और कंपनी मैनेजमेन्ट के खिलाफ, मिल के खिलाफ बनती है। उसमें जो भी फैसला होगा उसके आधार पर कम्पनी की चल और अचल सम्पत्ति नीलाम करवा करके भुगतान कराया जाएगा, उसके आधार पर निपटारा किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, तीनों ही अधिनियमों के तहत क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी, आप तो स्वयं वकील रहे हैं, इंडिविजुअल के खिलाफ

(श्री कैलाश मेघवाल)

होती है, कम्पनी के खिलाफ नहीं होती, मिल के खिलाफ नहीं होती। इन एक्ट्स में प्रावधान है कि अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर को मुलजिम बनाया जा सकता है। इन एक्ट्स का उल्लंघन होता है तो वह मुलजिम बनाया जा सकता है। इन एक्ट्स का उल्लंघन होता है तो जनरल मैनेजर या मैनेजर को मुलजिम बनाया जा सकता है। यह तीनों ही एक्ट्स के प्रावधान साफ लिखे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा श्रम मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले एक साल से इस कारखाने के मालिक ने पी. एफ. एक्ट का उल्लंघन किया है, इस कारखाने के मालिक ने ई. एस. आई. एक्ट का उल्लंघन किया है और इस कारखाने क मालिक ने मिनिमम वेजेज एक्ट का उल्लंघन किया है। आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? क्यों आप इस सेठ को प्रोत्साहन दे रहे हो? क्यों संरक्षण दे रहे हैं और कानून की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं?

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा लिया गया है लेकिन जो प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट है उसके अनुसार जमा नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, ई. एस. आई. का पैसा लिया गया है वह भी जमा नहीं कराया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो स्वयं वकील रहे हैं, माननीय श्रम मन्त्री जी भी वकील रहे हैं, हालांकि बहुत छोटे उप जिलाधीश केन्द्र पर वकील थे फिर भी जानकारी तो होगी ही कि भारतीय दण्ड संहिता में 420 का अपराध बनता है या नहीं।

**श्री भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हो।

(व्यवधान)

**श्री कैलाश मेघवाल** : अजी तिवाड़ी जी, जब आपका मुकदमा आयेगा लोकायुक्त में, तब मालूम पड़ेगा कि मैं कहां का वकील हूं और किस तरह के घोटाले हो रहे हैं इण्डस्ट्रीज में। इसलिए आप चुप रहिए, मेरा ध्यान आपकी तरफ मत खींचिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस तरह से इस सेठ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह प्रोत्साहन ही नहीं दिया जा रहा, मैं और कहना चाहता हूं, मजदूरों के साथ धोखा हुआ। समस्या इस बात की है कि मजदूर बेकार हैं, बेरोजगार हैं लेकिन इस सेठ को कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह सुनिये। इस सेठ पर 8 लाख रुपया आर. एस. ई. बी. का बाकी है, एक पैसे की वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस सेठ पर दूसरे जो मिलों पर कर लगते हैं, माननीय सभापति महोदय, वह भी बाकी हैं उनकी वसूली की कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी गोगुन्दा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के सैक्शन 19 (ए) में शिड्यूल्ड इंडस्ट्री अगर बन्द होती है तो सरकार अपने हाथ में इन्क्वायरी के द्वारा या बिना इन्क्वायरी के मिल चला सकती है। प्रावधान दोनों ही हैं। माननीय सभापति महोदय, तो इन्क्वायरी कीजिए इस

(श्री कैलाश मेघवाल)

एक्ट के तहत या बिना इन्क्वायरी आप उसको चलाए । मैं आपसे पूछना चाहता हूं. माननीय सभापति महोदय, आपने इंडस्ट्रियल डवलपमेण्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत आज तक कार्यवाही क्यों नही की ? क्यों इस कारखाने पर आपकी मेहरबानी है और क्यों इस कारखाने को चलने नहीं दे रहे हैं ? इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, इस तरह की कार्यवाही पूर्व में हो चुकी है, जयपुर उद्योग में हो चुकी है. जयपुर मेटल में हो चुकी है । वह बन्द हो गये, मजदूर सड़कों पर आ गये, मजदूर भूखे मरने लग गये । सरकार ने उन मजदूरों को रोजी-रोटी देने के लिए उन मिलों को अपने हाथ में ले लिया इसी इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन एक्ट की धारा 18–ए के तहत । आज वहां का मजदूर रोटी-रोजी से लगा हुआ है । यह इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन एक्ट में उन्हें जो सुविधायें होती हैं, पुरानी कुछ देनदारियां कम करनी थीं, उनकी किश्तें करनी थीं ताकि मिल चलने की स्थिति में आ जाय, वह एक्ट अभी तक लागू नहीं किया । माननीय सभापति महोदय, रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट को आपने लागू किया । यह क्यों किया ? इसलिये कि यहां पर सेठ था । जैसा हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह 70/80 लाख का माल बेच दिया ? बेचा कब ? जून, जुलाई में, जब दिमाग में बदमाशी चल रही थी । वह 70/80 लाख का माल बेच कर, माननीय सभापति महोदय, उसका क्या किया, कुछ मालूम नहीं । अगर राजस्थान सरकार रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट जल्दी से लागू कर देती तो कुछ रिलीफ उनको मिलती । आज मन्त्री महोदय इसका जवाब देंगे, वह जवाब भ्रामक स्थिति पैदा करने वाला होगा, वह जवाब असत्य होगा । यह मैं कह सकता हूं कि जितने मैंने कारण बताए हैं इस मिल की तरफ कोई देख लेता, इसके जो दूसरे कारण हैं वह तो मैं बाद में बताऊंगा, सभापति महोदय, लेकिन रिलीफ अण्डरटेकिंग एक्ट के प्रावधानों को देरी से लागू करने की वजह से भी सेठ इस कारखाने से अपना सब कुछ ले जा चुका है ।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसका नेशनलाइजेशन क्यों नहीं करते ? मजदूरों के जब प्रतिनिधि मण्डल आते हैं तो कहते हैं. को आपरेटिव के भुलावे में मजदूरों को डाला जा रहा है । एक दूसरा आदमी आता है कहता है, को आपरेटिव सैक्टर में उसको चलाओ । क्या आज तक राजस्थान में एक भी कारखाना को आपरेटिव सैक्टर में चला है ? गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल के वह शेयर गवर्नमेंट के हैं । आपकी दूसरी स्पिनिंग मिल है उनके 95 से 97 पर्सेंट शेयर हैं । कितनी कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशंस बनी, जो चल रही हैं ? माननीय सभापति महोदय, एक कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन नहीं है । जो ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक हैं वह प्रतिनिधि मण्डल के साथ आते हैं, वह आंख नहीं दिखा सकते, उनको अनुशासन में रहना है और मजदूरों को तसल्ली देकर चलना है, अच्छा कोआपरेटिव सैक्टर में चलाएंगे । कोआपरेटिव का नारा आप देते कैसे हैं. कोआपरेटिव का नारा देने का आपको अधिकार क्या है ? मैं कहना चाहता हूं, क्यों नहीं आप इसका नेशनलाइजेशन कर रहे हैं ? नेशनलाजेशन करने की बात इस-

(श्री कैलाश मेघवाल)

लिए कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, इन सब कानूनों में प्रावधान है। आज भी मिल की जो चल-अचल सम्पत्ति है वह करोड़ों में है। आज इस मिल का जयपुर में बंगला है। आज भी इस मिल के कई बंगले हैं। इसकी सारी चल और अचल सम्पत्ति करोड़ों में है। इस करोड़ों की सम्पत्ति को आप इन कानूनों के प्राव-धानों के तहत अपने अधिकार में लेकर, इसको बेच करके मजदूरों का बकाया चुका सकते हैं। लेकिन आप उसमें नहीं जाना चाहते। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप इसका नेशनलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं। पहले एक बात कहते थे कि सिक मिल्स को हम नहीं लेंगे, सिक मिल का नेशनलाइ-जेशन नहीं करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बम्बई की 13 टैक्सटाइल मिलों को आपने अपने हाथ में लेकर नेशनलाइजेशन किया। केन्द्रीय सरकार की फाइनेंशियल असिटेन्स से आज बम्बई की 13 टैक्सटाइल मिलें चल रही हैं। जब उनको आपने हाथ में लिया तो दूसरी मिलों में काम ठीक से चलना शुरू हो गया। मैं उसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आपने शुगर मिलों को हाथ में लिया है। उत्तर प्रदेश में कई सिक शुगर मिल्स थी, माननीय सभापति महोदय, उनका नेशन-लाइजेशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। केन्द्र सरकार ने सहयोग दिया है। इस सहयोग के कारण मिलें आज ठीक ढंग से चल रही हैं और दूसरे कारखानेदार भी चेत गये। और कहना चाहता हूं मैं आपसे, वेस्ट बंगाल में कई मिलों का नेशनलाइजेशन किया गया है। आज सारे देश में सिक मिल हैं। मजदूरों के हित में काम करने के लिए, मजदूरों की कमाई के लिए, मजदूरों को रोटी-रोजी देने के लिए, माननीय सभापति महोदय, उनका नेशनलाइजेशन हो रहा है। मैं मांग करना चाहता हूं, आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस मिल का नेशनलाइजेशन करिये। इस नेशन-लाइजेशन में एक प्रावधान अवश्य डालिये कि इस मिल से सेठ ने जो व्यक्तिगत सम्पत्ति करोड़ों की खड़ी कर ली है वह ले ली जाय। अब उसमें रिश्तेदारी में मत जाइये, मजदूर की हालत पर जाइये। 8 हजार मजदूरों के पिसते हुए, गरीबी में भूखे मरते हुए लोगों की आह पर इस सेठ की चल, अचल सम्पत्ति, जो मिल के आधार पर इसने बनाई है, को हिस्सा बनाइये। जातिवाद के आधार पर भी मत चलिये। वह माहेश्वरी है और दूर की आपकी रिश्ते-दारी भी है। यह सब इसलिए हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं...

**श्री हीरालाल देवपुरा** (श्रम मन्त्री) : सभापति महोदय, इसमें जातिवाद का कोई सवाल नहीं है और न ही मेरी कोई रिश्ते-दारी है। माननीय सदस्य को मालूम नहीं है। जातिवाद का लेबल तो आपके साथ लगा हुआ है। यह मेरे साथ नहीं है। जातिवाद की बात कह कर भ्रम में मत डालिये।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मेरे तो कोई मेघवाल सेठ हैं नहीं। सेठ सब उधर ही बैठते हैं, सेठ चन्दनमल, सेठ प्रद्युम्न सिंह, सेठ

(श्री कैलाश मेघवाल)

माननीय हीरालाल देवपुरा । इधर कोई मेघवाल सेठ आपको कभी नहीं मिलेगा ।

मैं, सभापति महोदय, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि नेशनलाइजेशन एक्ट बनाया जाए और इस बात की जांच की जाए कि इस मिल के सेठ ने अपनी चल-अचल सम्पत्ति कितनी बनाई है । मैनेजिंग डायरेक्टर को तो मालूम है । सेठों के रिश्तेदार होते हैं उनको अनेकानेक तरह लाभ देकर करोड़ों रुपयों का लाभ देकर आज सेठ अलग बैठ गया । फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपका पैसा उलझा हुआ है । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन का पैसा लगा हुआ है । उसकी वसूली का आपने क्या किया है ? मैं पूछना चाहता हूं, स्टेट बैंक आफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है उसकी वसूली के बारे में आप क्या कर रहे हैं ? आप सपोर्ट बैंकों की, नेशनलाइज्ड बैंकों की बड़ी दुहाई देते हैं कि इन बैंकों से गरीबों को ऋण मिल रहा है । आपकी सब रोजगार योजनाओं में 1983–84 में 2121 की उपलब्धि की । मैं, माननीय सभापति महोदय, इसलिए कहना चाहता हूं कि गरीबों को नेशनलाइज्ड बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा है । इस तरह के सेठ करोड़ों रुपया नेशनलाइज्ड बैंकों का लेकर के बैठे हैं । राजस्थान की सरकार उनको संरक्षण और प्रोत्साहन दे रही है और नारे लगाती है कि गरीबों के हित में इन बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है । उसका क्या किया है ? माननीय सभापति महोदय, आपके दिल में थोड़ा भी दर्द गरीबों के लिए है, बीस सूत्री कार्यक्रम तो क्या मोक्ष धारा के रूप में सारे देश के लिए कहें, गरीबों और मजदूरों की भलाई की बात आप करते हैं, उन 1600 मजदूर, जिनके घर में दो दिवाली नहीं मनी हैं, जिनके भूखे-नंगे बाल-बच्चे हैं, के लिए आपके मन में दर्द है तो हमने आपका ध्यान आकर्षित किया है । आपके ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य मर्यादा में बोले, असलियत उनको बहुत मालूम है हमको भी मालूम है, कब कौन-कौन सेठ से मिलता है और सेठ कहां-कहां जाकर के मिलता है । मेरे से बहुत ज्यादा मालूम है । लेकिन उनको एक चकमा हमेशा दिया जाता रहा है । चकमा कहना चाहता हूं, तो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं । राजस्थान के मुख्य मंत्री से वह मिले थे । राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उनको क्या कहा ? यह कहा कि हमने केन्द्रीय सरकार को लिख दिया है कि इस मिल को आप ले लें । बजारी जी अगर बोलना चाहें, अब सदन में बोलेंगे । मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने यह वायदा और आश्वासन उनको दिया या नहीं दिया कि हमने लिख दिया है । गोगुन्दा से आने वाले माननीय विधायक ने एक पत्र अभी आपके सामने पढ़ा । वह पत्र बोलता है कि राजस्थान की सरकार कहती है, ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है । यह सारी बातें क्या इंगित करती है ? माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सदन में कोई मसला उठाते हैं, राजस्थान के मुख्य मन्त्री और श्रम मन्त्री मिलते हैं, उनकी जुबान से बोले हुए शब्द उनकी जुबान से बोला हुआ वाक्य शासन का आदेश माना जाता है । उसकी पालना के लिए नियम बनने चाहिए, आदेश बनने चाहिएं ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

आज एक तरफ ब्यावर से आने वाले माननीय विधायक को कहा जाता है कि केन्द्र सरकार को लिख दिया गया है। राजस्थान के श्रम मन्त्री मजदूरों को आश्वासन देते हैं, दो सितम्बर को। क्या हम और राजस्थान सरकार यहीं हल कर देंगे? आज तक चुप बैठे हैं। इन सब का कारण बताइये। क्या कारण हैं? और इस कारण से विलम्ब हुआ है तो क्यों विलम्ब हुआ है? आरोप तो आप पर पूरे लगेंगे। लेकिन मैंने नोटिस नहीं दिया है, लिखकर ही यह आया था। बाकी मैं, माननीय सभापति महोदय, आरोप लगाना चाहता था। आजकल, माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं के लिए सख्त हैं। कुछ भी बोलें तो आसमान गिर जायेगा इस विधान सभा में। मैं ब्यावर जाना चाहता था, जाने का अवसर नहीं मिला। बाकी मैं आपको सब बताता कि क्या हो रहा है। फिर भी मैंने जो आपके सामने पाइन्ट्स रखे हैं, एक एक का आप जवाब दीजिए। इसीलिए आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आज इस विधान सभा में उत्तर दें, घोषणा करें कि इन 1600 मजदूर और इन पर आश्रित 8 हजार लोगों को किस रोज वापस दो जून रोटी खाने को मिलेगी। जो गरीबी उत्थान कार्यक्रम के शिकार हो रहे हैं उनको किस रोज दो जून रोटी मिलेगी, इस बात का स्पष्ट जवाब दीजिए।

**श्री सभापति** : श्री रामकंवार बैरवा।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

**श्री हीरालाल देवपुरा (श्रम मंत्री)** : सभापति महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने ब्यावर में स्थित कृष्णा मिल, जो गत 15 अगस्त से बन्द है, की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। सभापति महोदय, मुझे स्वयं खेद है कि यह मिल गत 15 अगस्त से बन्द है और अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है। यह सही है कि गत सत्र में भी इस सम्बन्ध में सदन में चर्चा हुई और यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ और एटक के स्थानीय नेता केसरीमल जी के साथ एक डेपुटेशन श्रमिकों का मुझ से मिला था। उस समय चर्चा हुई थी और मैंने उसमें यह कहा था कि इसका शीघ्र ही कोई निर्णय लेकर इस मिल को चालू करने का बात की जायेगी। यदि आवश्यकता हुई तो सरकार इसको अपने द्वारा चलाने का प्रयत्न करेगी। यह सब बातें उस वक्त हुई थीं, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं।

सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में जो को–आपरेटिव की बात का हवाला दिया गया है, जो को–आपरेटिव बेसिस पर मिल को चलाने की बात कही है, अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य जोश में हैं, वे कई बातें ऐसी कह जाते हैं मैं नहीं चाहता, उनको शायद मालूम नहीं, वह जोश में होश भूल जाते हैं......

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लोज । कृपया मन्त्री महोदय को सुनें ।

**श्री कैलाश मेघवाल** : सत्य बड़ा कटु होता है ।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : उनको नहीं मालूम कि को–आपरेटिव का प्रस्ताव किस की ओर से आया था । मैंने मिल को–आपरेटिव के आधार पर चलाने का प्रस्ताव नहीं किया था । यह प्रस्ताव स्वयं श्रमिकों की तरफ से, जो डेपुटेशन के प्रतिनिधि के रूप में आये थे उनकी तरफ से आया था कि यदि राज्य सरकार चाहे तो श्रमिक इस बात को मानने को तैयार हैं कि इस मिल को को–आपरेटिव के आधार पर चलायें और श्रमिक उस को–आपरेटिव मिल में अपने आपको सदस्य बना कर चलायेंगे । ऐसा प्रस्ताव था कि उनका प्रोविडेन्ट फण्ड का रुपया उनकी शेयर केपिटल के रूप में लेकर इस मिल को चालू किया जा सके । इस बात को भी एग्जामिन किया गया । सभापति महोदय, कानून का हवाला बहुत दिया लेकिन मेरे साथी ऊपरी-ऊपरी बातें करके चलते हैं, उन्होंने शायद गहराई में जाकर नहीं देखा है । मजदूरों का प्रोविडेंट फण्ड का पैसा शेयर केपिटल के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता । यह बात इसमें अवैध थी । इसलिए जो प्रस्ताव उनका आया था उसके आधार पर वह मिल कोआपरेटिव आधार पर नहीं चल पायी । उसके पश्चात् बहुत कोशिश की कि मिल चालू हो । यह बात भी सही है कि मिल मालिकों ने राज्य सरकार को लिखा कि उनको अण्डरटेकिंग दी जाय, 50 लाख रुपये की गारंटी दे दी जाय तो वे मिल चलाने की स्थिति में आ सकते हैं। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में बातचीत हुई मिल मालिक के साथ, अन्य जो फाइनेंसर, बैंक्स थे, सबके साथ इन्टर स्तर पर मीटिंग की गई । उसमें इस बात की भी चर्चा की गई, जैसा अभी कहा कि इसकी मशीनरी वगैरह का काफी आधुनिकीकरण किया जा चुका है और 25 हजार स्पिण्डल्स जो हैं वे भी काम करने की स्थिति में हैं, लूम्स भी काम करने की स्थिति में हैं, मतलब कि मिल काम करने की स्थिति में है । कोई ऐसी स्थिति में नहीं आ गई जिसमें उसको यह कह कर चला जाए कि यह मिल कभी प्राफिट में नहीं आएगी । ऐसी स्थिति में, जब सबकी राय बनी, उन्होंने कोई फार्मूला निकालने की कोशिश की । कुछ शर्तें लगाकर इस मिल को चालू किया जा सकें कुछ ऐसी बातचीत उस समय हुई । उसके बाद दुबारा बैठक हुई, उसमें भी बातचीत हुई और इस निर्णय पर पहुंचे कि सरकार की ओर से गारंटी दे दी जाए तो बैंकों की ओर से भी इसमें कुछ और राहत दे दी जाएगी, दूसरे फाइनेंसर भी राहत देंगे और मिल मालिक भी इसके अन्दर कुछ अपना पैसा लगा कर इस मिल को चालू करेंगे । यह प्रोसेस अभी चल रहा है । बैंक गारण्टी, स्टेट की ओर से 50 लाख रुपये की गारंटी देने की जो बात थी वह वित्त विभाग के अन्दर चल रही है । इसके लिए टीसेन्टली उद्योग विभाग की ओर से वित्त विभाग को लिखा गया है फिर से इन्हीं बातों का हवाला देते हुए कि जो मीटिंग हुई है उसमें मिल चलने लायक है और मिल मालिक दूसरे फाइनेंसर, एसेन्सीज, बैंक आदि जो हैं, वह भी इसको चलाने में मदद

62



(श्री हीरालाल देवपुरा)

करने को तैयार हैं। इस मिल पर कड़ा नियंत्रण रख कर सलाहकार समिति अलग से बना कर मिल को चलाया जाना चाहिए। इसी आधार पर इसको 50 लाख रुपये की गारन्टी राज्य सरकार की ओर से दी जानी चाहिए, यह अभी रीसेन्टली फरवरी माह के अन्दर उद्योग विभाग की ओर से वित्त विभाग को ग्रौर लिखा गया है।

जहां तक श्रमिकों का प्रेश्न है, श्रम विभाग में प्रारम्भ से ही इस बात को देखा जाता है, श्रम विभाग का मूल दृष्टिकोण रहता है कि जो श्रमिक उस संस्थान में काम कर रहे हैं वे श्रमिक बेरोजगार न हों, उनको रोजगार मिले। इसी आधार पर श्रम विभाग को प्रयत्न करना था। मिल के लिए जैसा कहा गया कि क्लोजर है, लोक आउट है, क्या है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोक आउट नहीं है, यह एक तरह का क्लोजर है। जिस वक्त मिल मालिकों ने 15 ग्रगस्त को इसे बन्द किया था, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, नियमों में प्रावधान था, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त 25 A यह नियम था, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत कि मिल मालिक सरकार की अनुमति के बिना, कंसल्ट लिये बिना या लिखे बिना मिल क्लोज नहीं कर सकता। उस वक्त वह सैक्शन वोइड करार दिया जा चुका था जिसका उस पर असर नहीं था। 15 अगस्त को जब उन्होंने यह किया तब उन पर पाबन्दी नहीं थी। यही कारण था कि राज्य सरकार उस वक्त उन पर श्रम विभाग की ओर से सख्त एक्शन नहीं ले सकती थी क्योंकि वे कानूनी दृष्टि में अपने आपको सही मानते थे। इस नियम का जब इण्डस्ट्रियलिस्ट, उद्योग संस्थान के मालिक दुरुपयोग करने लगे तो राज्य सरकार आर्डिनेंस के माध्यम से धारा 25 A में अमेंडमेंट लायी और वह अमेण्डमेण्ट इसी सत्र में बिल के रूप में आपके सदन में......

**श्री कैलाश मेघवाल** : सभापति महोदय, मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, क्लोजर का नोटिस तीन महीने का होता है। 13·8·83 को क्लोजर का नोटिस सर्व किया है। मैं इसलिए तारीख पूछना चाहता हूं क्योंकि क्लोजर नहीं हुआ। मैंने कहा, उस रोज से बन्द है। मैंने इसलिए वह तारीख पूछी थी कि क्लोजर का नोटिस तीन महीने का होता है। 14·8·83 को वह नोटिस सर्व हुआ उसके बाद तीन महीने तक वह बन्द नहीं हो सकती। इसलिए पूछा है कि आपका आर्डिनेंस कब आया ?

**श्री सभापति** : मन्त्री जी इसका उत्तर दे देंगे।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आर्डिनेंस की बात मैंने कही है। आप जो नोटिस की बात कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि उन्होंने नोटिस सर्व किया था। मिल 15 अगस्त को, तीन महीने काम करके उस दिन बन्द हुई है। क्लोजर का नोटिस 10·8·83 को दिया गया था जिसकी अवधि 15.10.83 को समाप्त होती है। तीन महीने का नहीं होगा। 15.10.83 को जिस दिन मिल बन्द हुई उस दिन नोटिस की अवधि समाप्त हुई थी। इसलिए

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जो लेकूना आप बता रहे हो, वह लेकूना नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल :** फिर आॅर्डिनेंस का पूछा। आर्डिनेंस कब निकला, यह तारीख रखें।

**श्री हीरालाल देवपुरा :** यह निश्चित बात है कि आर्डिनेंस आया है, सितम्बर में आया है उससे पहले आर्डिनेंस निकालने का कोई सवाल ही नहीं था। अगर उसके पहले निकला होता तो उस आर्डिनेंस को बिल के रूप में लाना पड़ता, यहां पर पेश करना पड़ता और बिल पास करना होता। यह आर्डिनेंस तो सितम्बर के बाद ही निकला है। 15.10.83 के बाद ही निकला है। यह इन आधारों पर निकाला गया, सभापति महोदय, कि जब कुछ संस्थाओं ने, मिल मालिकों ने इसका फायदा उठाने के लिए क्लोजर भरने शुरू किए तो राज्य सरकार ने आर्डिनेंस निकाला, अमेन्डमेन्ट करना पड़ा। उस अमेन्डमेन्ट के बाद ही इस चीज को इस सदन में बिल के रूप में ला रहा हूं। उसके बाद हमने लेबर डिपार्टमेन्ट से बातचीत की कि श्रमिकों पर कोई लाइबिलिटीज नहीं आये। इंडस्ट्रीज विभाग को मूव किया कि इस मिल की आज यह स्थिति है कि इस संस्थान का मालिक इसको चलाने की स्थिति में अपने आपको महसूस नहीं कर रहा तो इसको गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेकर चलाये या और किसी स्कीम के माध्यम से इसको कब्जे में लेकर चलाने की बात की जाय। उसी आधार पर मीटिंग हुई। उसमें इस नतीजे पर पहुंचे कि मिल चलने लायक है इसलिए गारन्टी राज्य सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। इस मीटिंग में बैंक्स और जितने भी फाइनेंसर हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर यह फैसला किया गया है। यह कार्यवाही चल रही है।

सभापति महोदय, जहां तक मजदूरों की तनख्वाह का सवाल है, इसके लिए श्रम विभाग की ओर से प्रयत्न किया गया कि इनको तनख्वाह दे दी जाय। यह समझौते की बात जो मैंने कही थी, इस बात के लिए क्लेक्टर के साथ बैठक हुई। इसमें मिल मालिक भी थे लेकिन वह समझौता उनका खतम हो गया। मजदूरों को भ्रम था और यह बात उनकी सही भी थी कि माल बिक जायेगा तो उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। इसका उनको खतरा था जिसकी वजह से वे माल नहीं निकाल सके, माल नहीं बेच सके। इसके लिए हमने क्लेक्टर से बातचीत की थी। लेकिन जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जैसा हवाला आपने दिया, श्रमिक के बकाया वेतन के लिये वेतन अदायगी नियम, 1936 के अन्तर्गत क्लेम उस समय के आयुक्त को प्रस्तुत किया। जो प्रापर्टी निकलती है उसी आधार पर आदेश दिया और इसका दावा चल रहा है। मैंने निवेदन किया कि राज्य सरकार या श्रम विभाग की कहीं पर भी यह मंशा नहीं है कि यह मिल बन्द हो। यह बात सही है कि इस मिल के बन्द हो जाने से 1600 श्रमिक प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। जितनी चिन्ता आपको है उससे ज्यादा चिंता सरकार को भी है, श्रम विभाग को भी है। इसलिए इस बारे में बराबर कोशिश की जा रही है कि मिल चले। मैं सदन के अन्दर साफ-साफ निवेदन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करना चाहता हूं कि बावजूद इन प्रयासों के, गारंटी देते हुए भी, बैंकों की तरफ से और आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी लेने के आधार पर भी अगर मिल मालिक तैयार नहीं होता है,

(1.00 म.प.)

आज की बातचीत के आधार पर कह सकता हूं कि वह तैयार हो जायेगा। अगर वह फिर भी तैयार नहीं होता है तो सरकार स्वयं चलाये, स्वयं नहीं चलाये तो अपने मैनेजमेंट में लेकर चलाये या या एन.टी.सी. के माध्यम से इस मिल को चलवाये लेकिन मिल निश्चित रूप से चलायी जायेगी। इसमें किसी तरह का सन्देह माननीय सदस्यों के मन में नहीं होना चाहिये। कहीं पर भी राज्य सरकार की ओर से आश्वासन से दूर होने की बात नहीं कही गई। मिल मालिक के बारे में थोड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ, माननीय सदस्य, जिन्हें विश्वास नहीं, मुझे आज से नहीं काफी लम्बे समय से जानते हैं, कैसे कह दिया कि मेरे कोई रिश्तेदार हैं। ब्यावर में, मैं निवेदन करता हूं, मेरी कोई रिश्तेदारी……

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : यह तो इनकी आदत में शामिल है।

**(व्यवधान)**

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आप बैठिये। आप बैठिये। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं।

**श्री कैलाश मेघवाल** : ये मेरे नजदीक के रिश्तेदार हैं। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप न बोलें।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह सही है कि मिल मालिक राठी है। राठी होने के कारण यह नहीं हो गया कि हरेक राठी या हरेक माहेश्वरी कोई मेरा रिश्तेदार हो जायेगा। यह तो आपके सोचने की बात थी और ऐसी बात कहने से पहले गम्भीरता से कोई बात कहते तो ज्यादा ठीक होता। मेरा तो इस मिल मालिक से मिलने का इत्तफाक ही तब हुआ जब यह मिल बन्द हुई और उनको बुलाना पड़ा। कन्सल्टेशन के आधार पर उनको देखने और सुनने का इत्तफाक हुआ। मैं उनको जानता भी नहीं था, न मेरी कोई व्यक्तिगत उनसे किसी तरह की जान-पहचान पहले से थी। तो यह भ्रम और यह कहना और हाउस को इस तरह से गुमराह करना कि मैं माहेश्वरी हूं और मिल मालिक भी माहेश्वरी हैं इसलिये हमारे मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा की बात है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इस स्थिति में कहीं भी वह स्थिति नहीं है। मजदूरों के हितों की तरफ यह सरकार और श्रम विभाग है। जहां तक मेरा पर्सनली सवाल है, मैं पहले मजदूरों के हितों की ओर हूं, मिल मालिकों की तरफ देखने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आज हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं, अगर मिल नहीं चलती है किसी भी स्थिति में, इन बातों के होते हुए भी मिल मालिक चलाने को तैयार नहीं हुए तो राज्य सरकार इस मिल को किसी तरह से अपने मैनेजमेंट में लेकर या एन.टी.सी. के माध्यम से चलाने की बात करेगी।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

माननीय मुख्य मंत्री जी का रेफरेंस दिया गया। इन दिनों में इस मिल के संबंध में मेरी मुख्य मन्त्री से कोई चर्चा नहीं हुई। मैं अपनी बात करूंगा, दूसरों की बात नहीं कह सकता इस सम्बन्ध में। वैसे इन दिनों में मुख्य मन्त्री जी उद्योग विभाग को भी सम्भालते हैं और यह भी सही है कि इन दिनों में जो कुछ भी चर्चा हुई है मिल मालिक के साथ वह उद्योग विभाग के माध्यम से ही हुई है। चाहे चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई तो भी और उद्योग सचिव के साथ मीटिंग हुई तो भी वह उद्योग विभाग के माध्यम से ही हुई है। इसलिए यह पिछली घटना जो कुछ हुई, उन्होंने क्या पत्र लिखा, क्या नहीं लिखा, कैसे लिखा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसलिए इसमें जा नहीं सकता। उन्होंने कुछ कहा भी है तो निश्चित रूप से मजदूरों के हितों की दृष्टि से ही कोई कदम उठाया है, सेठ की मदद करने की दृष्टि से या मिल मालिक को राहत पहुंचाने की दृष्टि से कोई कदम उन्होंने नहीं उठाया। कोई भी कदम उठाया और कोई चिट्ठी लिखी है तो केवल मजदूरों के हित की दृष्टि से ही उन्होंने लिखा है। एन.टी.सी. के अधीन लेने की अगर कोई बात की है तो सही है क्योंकि राज्य सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि वह स्वयं इस मिल को चलाये। इसलिए दूसरा सहारा एन.टी.सी. का ही हो सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने भी यह सोचा है कि एन.टी.सी. के माध्यम से इसको चलाया जाय। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, वाजिब बात है और मैंने भी यही कहा कि एन टी.सी. के अधीन लेकर चलायें।

तो जहां तक मजदूरों का सवाल है, सरकार इस बारे में स्वयं चिंतित है कि उनको जल्दी से जल्दी रोजगार मिले। यह जो कृष्णा मिल है, आज की स्थिति में उसकी जिस तरह की मशीनरी है या दूसरा सामान है उसको देखते हुए वह चलने लायक है। वह मिल सिक यूनिट नहीं है कि जिस को चला करके कभी मुनाफा नहीं होगा, नुकसान में चली जायेगी। ऐसी स्थिति इस मिल की है। इसलिये हम चाहते हैं कि मिल चले और सही ढंग से चले और मजदूरों को वापस रोजगार मिले। जो मजदूरों का बचा हुआ पैसा है वह मजदूर को मिले, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मजदूरों के हित की दृष्टि से सरकार हमेशा चिंतित रहती है और भविष्य में भी रहेगी। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री कैलाश मेघवाल**: माननीय सभापति महोदय, एक दो सवाल मैं इसलिये पूछना चाहता हूं कि मुझे बड़ी गम्भीरता से माननीय श्रम मन्त्री जी ने उपदेश सुना दिया। लेकिन जब मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था तो मैंने 5-6 बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वह फिर करूं कि क्या श्रम विभाग का यह कर्त्तव्य है या नहीं है कि ई.एस.आई. एक्ट की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, वह देखे? उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसकी कार्यवाही कौन करेगा? प्रोविडेण्ट फण्ड एक्ट की पालना हो रही······

**श्री हीरालाल देवपुरा**: पी.एफ.एक्ट और ई.एस.आई. एक्ट का सीधा सम्बन्ध, माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग से नहीं है, गवर्नमेंट आफ इंडिया से है जो कि अपने

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आप, स्वयं इस बात का एक्शन लेती है। वह सक्षम है और एक्शन लेती आयी है।

(व्यवधान)

ई.एस.आई. में डायरेक्टर हैं वह इस पर एक्शन लेते हैं। हमारे सामने तो जब यह बात आती है तो हम भी उनको कह देते हैं कि आप एक्शन लें। इसमें डायरेक्ट श्रम विभाग इन्वाल्व नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत कौन कार्यवाही करता है ? क्या उस मिल के अन्दर प्रोविडेंट फण्ड एक्ट का उल्लंघन हुआ ? मिनिमम वेजेज एक्ट का उल्लंघन हुआ ? जो एजेंसीज थीं क्या आपने उनको लिखा या इनकी पालना कराने की कोई कार्यवाही की ? क्या अभी तक उसकी शिकायतें हुई हैं ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह तो···

**श्री सभापति** : पहले प्रश्न पूरे आ जाने दें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय सभापति महोदय, पिछले साल भर से यह मामला चल रहा है। इसमें 80-90 लाख का माल उस सेठ ने बेच दिया। जो आरोप ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने लगाया है उस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं कि क्या आपने एकाउन्ट् सीज किये और एकाउन्ट सीज करके इसकी जानकारी की कि यह पैसा कहां चला गया ? क्योंकि सरकमान्सेज एविडेंसेज होते हैं। आपने तो मुझे बड़ी गम्भीरता से उपदेश दिया जिसमें आप माहिर हैं। जब हम उधर बैठते थे तो हमको भी मालूम था···

**श्री सभापति** : आप प्रश्न पूछ लें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : लेकिन, सभापति महोदय, आरोप का जवाब नहीं आया है।

**श्री सभापति** : आरोप क्या है ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : मेरा आरोप स्पष्ट था, जो आवश्यक कार्यवाहियां की जानी थीं उनके करने का सबूत आज विधान सभा में देते। मैं फिर कहना चाहता हूं कि क्या इस मिल के एकाउन्ट्स को सीज करके आप तुरन्त इस बात का पता लगायेंगे कि 80-90 लाख रुपया जो पब्लिक फण्ड का पैसा था वह कहां गया, जो सामान इसमें से निकाल कर बेच दिया ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सामान जो बेचा है, यह मिल बन्द होने के बाद सामान बेचने की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री विष्णुप्रकाश बजारी** : जुलाई में बेचा है।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : 15 अगस्त के बाद······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त के बाद समझौता हुआ है।

कलेक्टर के पास स्टे आर्डर 15 अगस्त के बाद में आया है। तो यह कहना कि 15

(श्री हीरालाल देवपुरा)
अगस्त के बाद, में जो माल वहां पड़ा था। उसको निकालने की कोशिश की। मजदूर उस माल को नहीं निकालने देना चाहते थे। मजदूरों को खतरा था कि यह माल भी निकल जायेगा तो हमारा पैसा कहां से आयेगा। इसलिए उन्होंने रोका और वह माल नहीं बेच सके। जब मिल चल रही थी उस वक्त क्या-क्या माल बेचा और क्या नहीं बेचा, इसकी सूचना मेरे को भी नहीं आयी, सदन को भी नहीं आयी। आप खुद को फैक्ट्स मालूम नहीं है। आप समझते हैं कि 80 लाख का माल कलेक्टर के फैसले के बाद बिका। ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

**श्री कैलाश मेघवाल** : सभापति महोदय, इसमें पब्लिक फण्ड इनवाल्व है।

(व्यवधान)

मिल शिफ्ट होने वाली है और ऐसी कार्यवाहियां चल रही हैं।

**श्री सभापति** : आप मन्त्रीजी को सुन लीजिए। इन्हें आप सुन लें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : उनका उत्तर, तथ्यों के आधार पर यह कहना कि बन्द होने के बाद 80 लाख का सामान बेचा है, पर्याप्त नहीं है। कम्पनी मैनुअल के तहत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अनेकानेक तरीकों से मिल के द्वारा दुरुपयोग किये जाने वाल एकाउन्ट्स के बारे में जांच करने का अधिकार है। वह आप नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आप सेठों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप सेठों से मिले हुए हैं।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : आप शांति से कहें। आप जोश क्यों खाते हैं। सभापति महोदय, मैं जो निवेदन कर रहा हूं, सरकार कानून के आधार पर ही तो कदम उठा सकती है, बिना कानून के तो कोई कदम नहीं उठा सकती है। जहां तक दूसरे फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन, जिनका इन्वाल्वमेंट इसमें है, आर.एफ.सी. या पब्लिक सैक्टर या बैंक का पैसा है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे स्वयं अपने आप में सक्षम हैं। बैंक जो रुपया देता है वह स्वयं अपने आप में सक्षम है कि उसको रुपया कैसे लेना है। दूसरों ने जो रुपया दिया है उनको रुपया कैसे लेना है वह अपने आप में सक्षम हैं। न श्रम विभाग के सामने यह सब बातें आयी हैं कि उनका भी कोई पैसा बाकी है इसलिये उसका कुछ करना चाहिए। सवाल तो इस वक्त यह है कि मिल को चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने थे और क्या वह उपाय किये गये। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिल चलाने की स्थिति में है। जो बातचीत हुई है और जिस स्टेज पर बातचीत पहुंची है उससे विश्वास है कि वह मिल जल्दी ही चलेगी। उसके लिये सरकार को जो गारन्टी देनी है वह गारन्टी 50 लाख की दी जायेगी। इसके साथ-साथ बैंकों ने उसके साथ बैठ करके, मिल मालिकों के साथ बैठ कर जो बात की है और अपने ऊपर जो जिम्मेदारी ली है उसको निभाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से मिल चालू होगी। मजदूरों की चिन्ता आपको, हमको, उनको, सबको है। उन मजदूरों को फिर से जल्दी रास्ता मिलेगा कि इसी वक्त में काम पर वापस चलें। उनका रुपया वापस करेंगे।

**श्री कैलाश मेघवाल** : सेठों का मन्त्रि-मंडल है। सेठ प्रद्युम्नसिंह...

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : लेकिन आप तो आने वाले नहीं हैं।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जून-जुलाई के अन्दर जिस समय मिल चालू थी उस समय करीब 70-80 लाख रुपये के करीब कपड़ा और अन्य सामान बेचा गया। वह बेचकर न तो उस पैसे से आर.एफ.सी. को पेमेंट किया न स्टेट बैंक आफ इंडिया को पेमेंट किया...

**श्री सभापति** : श्रम विभाग से जो ताल्लुक हो वह बात पूछिए।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : न आई.डी.बी.आई. को पेमेंट किया। जो 60-70 लाख रुपया अपने काम में उपयोग में ले लिया, इसका मतलब बिलकुल स्पष्ट है कि मिल मालिक की नीयत बिलकुल खराब थी। जब नीयत खराब थी तो उसने 60-70 लाख रुपये अपने काम में ले लिये। राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपये की गारण्टी देने का जो तय किया है तो यह कैसे जान लिया कि सेठ उस रुपये का सदुपयोग करेगा और मिल को चलायेगा? इसलिए मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से कि सेठ को 50 लाख की गारण्टी नहीं दी जाय और इस मिल को एन.टी.सी. के अधीन मैनेजमेंट में लेने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को सिफारिश करे।

**श्री हीरालाल देवपुरा** : यह तो मैं कह ही चुका हूं। यह तो सारी स्थिति मैंने बता ही दी।

**श्री सभापति** : चर्चा समाप्त हुई।

**श्री विष्णु प्रकाश बजारी** : सभापति महोदय, यह मिल मालिक की बात खतम कर दी जाय। करीब 8 महीने तो हो चुके मिल मालिक की बात को इसलिए इस बात को यहीं खतम करके आज ही राजस्थान सरकार भारत सरकार को इस मिल को अधिगृहीत करने हेतु पत्र लिखे।

**श्री सभापति** : यह तो मन्त्री जी कह ही चुके हैं।

**श्री मेघराज तावड़** (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि मिल किन कारणों से बन्द हुई? मजदूरों की हड़ताल नहीं हुई, कोई किसी तरह की बात नहीं हुई, कोई तालाबन्दी नहीं हुई, कोई मजदूरों ने अपनी मांगें नहीं रखीं उसके बाद भी मिल बन्द हो गयी। तो क्या कारण थे कि मिल बन्द हो गई?

दूसरी बात यह है, अध्यक्ष महोदय, जो सामान पहले ले गये, जैसा ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, तो इसका मतलब यह है कि मालिक का कतई इन्ट्रेस्ट नहीं है कि वह मिल को चलाये। वह पैसा खाकर मिल को बन्द करके भाग जाना चाहता है, सरकार के ऊपर थोपना चाहता है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से

(श्री मेघराज तावड़)

आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब आप 50 लाख रुपये की गारण्टी भी देंगे तो भी वह चलाने की स्थिति में नहीं होगा। वह नहीं चलाना चाहता है, उसकी नीयत नहीं है इसलिए सवाल यही है…

**श्री सभापति** : यह बात तो आ चुकी है, माननीय सदस्य।

**श्री मेघराज तावड़** : यहीं घोषणा करें कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।

**श्री यदुनाथ सिंह** (नदवई) : राज्य सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को जो सूचना दी, राज्य सरकार ने तो यह सूचना दी है कि बिजली के कट की वजह से मिल बन्द हुई। राज्य सरकार ने इस मिल के बारे में मिनिस्ट्री आफ कामर्स को कन्सल्ट किया। यहां के लेबर्स ने और लोगों ने चिट्ठी लिखी, रिप्रेजेन्टेटिव्ज ने…

**श्री हीरालाल देवपुरा** : नहीं, सभापति महोदय, ऐसी कोई बात नहीं थी। राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी। मिल बन्द होने का कारण, जिसको राज्य सरकार ने माना नहीं है, सेठ ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होना बताया। इसने अपने आप इस बात को कहा लेकिन हमने उस बात को नहीं माना है। इसी आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं कि जो कुछ भी उसने किया है, वह गलत है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : नम्बर 1126/83 मिनिस्ट्री आफ कामर्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया, नयी दिल्ली। यह चिट्ठी है 29 तारीख की, जो कामर्स मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंहजी ने लिखी है बजारी साहब को और इसमें उन्होंने यह साफ कहा है :

"I have had the matter examined in consultation with the State Government. I am informed that the main problem faced by the Mills company are power cut imposed by the State Government."

अब केन्द्र की मिनिस्ट्री आफ कामर्स यह कह रही है कि राज्य सरकार ने सूचना दी है, in Consultation with the State Government.

**श्री हीरालाल देवपुरा** : इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि राज्य सरकार ने सूचना दी है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : In consultation with the State Govt.

**श्री सभापति** : यह तो उनकी तरफ से लिखा है। राज्य सरकार का लिखा हुआ कहां है कि राज्य सरकार ने यह सूचना दी है?

**श्री यदुनाथ सिंह** : सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब समझिये। जब केन्द्र सरकार के कामर्स मिनिस्टर यह कह रहे हैं कि in consultation with the State Government, इसका क्या मतलब हुआ? किसकी सूचना हुई फिर?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सभापति महोदय, उनके कई सोर्सेज हो सकते हैं। उन्होंने मिल मालिकों के सोर्स से ली होगी, स्टेट गवर्नमेंट से पूछा होगा तो उस सोर्स के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आधार पर उन्होंने यह इन्फार्मेशन गेदर की है। कहीं यह नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ऐसा कह दिया कि ऐसी बात है। मिल मालिक ने कह दिया होगा कि मेरे ऊपर तो सैन्ट पर्सेन्ट कट इम्पोज किया हुआ था इसलिए मैं नुकसान भर रहा हूं। मिल मालिक ने कह दिया हो तो यह उनका सोर्स हो सकता है not that State Govt. has written this.

**श्री यदुनाथ सिंह** : "I have had the matter examined in consultation with the State Government." सीधा है।

यह आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मिनिस्ट्री आफ कामर्स ने आपके विभाग से बात की ?

**श्री हीरालाल देवपुरा** : सभापति महोदय, मिनिस्ट्री आफ कामर्स लेबर डिपार्टमेंट से बात नहीं करती। वह बात करेगी तो उद्योग विभाग से करेगी। उनका सोर्स वहां से है। अब उनके कन्सल्टेशन में डिपार्टमेंट शामिल था, यह तो सारी बातें शामिल नहीं थीं। यह तो कई बातें मिल गयी हैं। उसके अन्दर लेबर डिपार्टमेन्ट का फंक्शन खतम होने के बाद उद्योग विभाग इसके बीच में आता है टेक ओवर करने के पाइन्ट आफ व्यू से कि इस मिल को टेक ओवर करना है, एन.टी.सी. को देना है या क्या करना है। मेरे पास जो इन्फार्मेशन है वह मैंने आपको दे दी।

**श्री सभापति** : विराजें, चर्चा समाप्त हुई। आपका तो इसमें नाम ही नहीं है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : मेरा नाम नहीं है लेकिन सदन का विषय है। मैं नहीं बोल सकती, ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि जिन दिनों मिल बन्द रही उन दिनों के मजदूरों के वेतन कम्पन्सेशन, ग्रेच्युटी और 82 के बोनस का आप क्या करने वाले हैं? उनको कैसे दिलाने वाले हैं? मान्यवर, इसका उत्तर दिला दें।

**श्री सभापति** : इसका उत्तर आ चुका है, माननीय सदस्या। आप विराजें।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : आप सदन में नहीं थीं इसलिए आपको नहीं पता।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मान्यवर, क्या उत्तर आया ? क्या वह दुबारा बताया जा सकता है ?

**श्री सभापति** : अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन। वित्त मन्त्री श्री शर्मा।

(व्यवधान)

सदन का समय बर्बाद नहीं किया जायेगा।

**अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 1983-84) का उपस्थापन**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मन्त्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1983-84 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों को उपस्थपित करता हूं।

**श्री भंवर लाल शर्मा** : पा.न्ट आफ आर्डर।

**श्री सभापति** : पाइन्ट आफ आर्डर। अभी जरा विराज जायें। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

**श्री भंवर लाल शर्मा** : आपने अभी नाम पुकारा है, वित्त मन्त्री श्री शर्मा।

**श्री सभापति** : अनुमति मांगी है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : अनुमति मांगी है। सुनते तो हो नहीं। × ×

**श्री सभापति** : वह तो अनुमति से ही बोलेंगे। बिना अनुमति मैं नहीं बोलने दूंगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : मेरा यह निवेदन है कि अभी तक तो आपने अनुमति नहीं दी। अभी जो आसन की तरफ से नाम सम्बोधित किया गया है, पुकारा गया है...

**श्री सभापति** : अब आप विराजें। आपका पाइन्ट आफ आर्डर है।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, मूक अनुमति दे रहा है आसन अपनी ओर से।

**श्री सभापति** : आपका पाइन्ट आफ आर्डर है।

**श्री भंवर लाल शर्मा** : आप पहले अनुमति देंगे।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : जी नहीं। सभापति महोदय आप से ज्यादा नियमों को जानते हैं।

**श्री सभापति** : पुन: पढ़ दीजिए।

**अतिरेक अनुदान की मांगों (1976-77) के विवरण का उपस्थापन**

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1976-77 के लिए अतिरेक अनुदान की मांगों का विवरण उप स्थापित करता हूं।

ऐसा होता है। तरीका यही है।

**श्री सभापति** : अनुमति दी गयी। दोनों पेश कर दिये ?

**श्री प्रद्युम्न सिंह** : कर दिये, साहब।

**श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)** : एक साथ कैसे कर दिये ?

**श्री सभापति** : विधायी कार्य।

**श्री नाथू सिंह (बांदीकुई)** : सभापति महोदय, 18 तारीख को सीकर में हुए कवि सम्मेलन में मरकरी लाइट की गैस से 400-500 व्यक्तियों की आंखें खराब हुईं, कलेक्टर, सीकर की आंखें भी खराब हुई हैं, हमारे विधायक श्री घनश्याम तिवाड़ी सीकर से हैं उनकी आंखें भी खराब हो गयीं। डेढ़ सौ आदमी सीकर हास्पिटल में हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जा रही है। किन परिस्थितियों में क्या कैसे हुआ, कैसे गैस निकली, इस सम्बन्ध में मैंने नियम 295 में नोटिस दिया है उस पर व्यवस्था दे दें। बिजली का जो डेकोरेशन किया गया उससे ऐसा हुआ। उसकी कोई जांच नहीं की जा

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथू सिंह)

रही है। यह गम्भीर मामला है। इस संबंध में मैंने सदन में जानकारी दी। सरकार यह जानकारी करे कि क्या मामला हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी चपेट में आये हैं। हमारे विधायक···

**श्री सभापति** : आप इस चर्चा को किस प्रकार से उठा रहे हैं ?

**श्री नाथू सिंह** : मैंने 295 में नोटिस दिया है।

**श्री सभापति** : 295 में नोटिस दिया है तो क्या आपको इसको उठाने की अनुमति मिल गयी ?

**श्री नाथू सिंह** : इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

**श्री सभापति** : आप विराजिए। इस पर विचार चल रहा है। मैं इस पर विचार कर लूंगा।

**श्री नाथू सिंह** : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, आधा सा तो कर ही दिया है। फैक्ट्स दिये हैं और जब आप मुझे अनुमति देंगे···

**श्री यदुनाथ सिंह** : आधा तो कर ही दिया है पूरा कर लेने दें अन्यथा फिर दुबारा कहेंगे।

**श्री सभापति** : जो बात कहनी थी वह कह ली।

**श्री नाथू सिंह** : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर बयान दे, जानकारी दे, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कराये और जांच कराये इस मामले की। आप कम से कम सरकार से कहें कि सरकार ऐसा करे। सीकर बिलकुल पास है। अभी सदन चल रहा है और सदन का माननीय सदस्य इसमें आहत हुआ है···

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं लेकिन उसकी बात सरकार नहीं सुन रही है।

**श्री सभापति** : आपने कोई जानकारी देनी चाही, आपने वह जानकारी दे दी। आपका काम समाप्त हुआ। अब आप कृपया विराजिए।

**श्री नाथू सिंह** : नहीं, सभापति महोदय, ऐसा डेकोरेशन हुआ बिजली का····

**श्री सभापति** : बहस अलाउ नहीं करूंगा इस पर। इस प्रकार से सदन में बहस नहीं उठा पायेंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है बहस उठाने का।

**श्री नाथू सिंह** : मैंने नोटिस दिया है।

**श्री सभापति** : कोई नोटिस मेरे पास नहीं आया।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : माननीय सभापति महोदय, यह नोटिस तो आ गया। मेरा एक निवेदन है इसमें।

**श्री सभापति** : नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : देख लेते हैं। इसमें इतना ही निवेदन है कि वाकई यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। इसकी चिन्ता हम लोगों को है। क्या घटना घटी, कम से

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कम इसकी जानकारी सरकार दे दे। इसकी सूचना तो आप प्राप्त करवा दीजिए।

**श्री सभापति** : सरकार इसकी तत्काल सूचना दे दे, यह सम्भव नहीं है, माननीय सदस्य।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : दे सकती है तो दे दे, आप पूछ लें। यदि सम्भव नहीं है तो पता कर लें और पूछने के बाद फर्मा दें। इसमें कौन सी बात है, कौनसी झंझट की बात है। If you are in a Bosition to do it. सरकार ने उत्तर दिया तो एक बात सामने आ जायेगी कि किस तरह से घटना घटी।

**श्री सभापति** : तो सरकार ने आपकी बात सुन ली है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : उत्तर दिलवा दीजिए।

**श्री सभापति** : इस प्रकार उत्तर लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि तत्काल उत्तर आ जाय।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : ठीक है, आज नहीं, 5 दिन बाद दिलवा दीजिए।

**विधायी कार्य**

**विधेयक का पुरःस्थापन**

**राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984**

**श्री सभापति** : श्री बृज सुन्दर शर्मा।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** (राज्य मंत्री, वित्त) : श्रीमन आपकी अनुमति से मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री प्रद्युम्न सिंह** श्रीमन्, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पुरः स्थापित करता हूं।

**आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद**

**श्री सभापति** : श्री अमराराम चौधरी।

**श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो 1984-85 का बजट पेश हुआ है, यदि इसको प्रगतिशील बजट कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

**श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : किसी ने गला पकड़ लिया है क्या आपका ?

**श्री अमराराम चौधरी** : बैठिये। आपने अपनी बात कह दी।

पिछले चार सालों से लगातार अकाल है उसके बावजूद, इतने सीमित साधनों से हमारी आय हुई वह बहुत कम हुई उसके बावजूद, सीमित साधन होते हुए भी जो बजट पेश किया गया है और इस बजट में

(श्री अमराराम चौधरी)

जो प्रावधान किये गये हैं प्रगति के लिए, वह बहुत ही सराहनीय हैं।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, 200 माध्यमिक पाठशालायें खुलेंगी।

इसके अलावा चिकित्सा के बारे में, सड़कों के बारे में, बांधों के बारे में और पुलों के बारे में जो बजट रखा गया है वह आवश्यकता के अनुसार और बहुत ही अच्छा बजट रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले चार सालों में गांवों में जो काम हुए हैं, जो काम राजस्थान की सरकार ने किये हैं, वह बहुत ही संतोषजनक हुए हैं। गांव-गांव में स्कूल बने, गांव-गांव में पंचायत घर बने, गांव-गाव में तालाब खुदे, सड़कें बनीं। गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग थे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने जो मदद की है, मैं कहना चाहता हूं, काफी मदद की है। केन्द्र सरकार द्वारा एन. आर. ई. पी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के जरिये भूमिहीन कृषकों के लिए जो काम चल रहा है वह हमारे यहां बहुत ही सन्तोषजनक चल रहा है।

जहां तक पशु चिकित्सालय का प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश लोगों का जीवन पशुओं पर निर्भर है। मैं सबसे पहले मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को, राजस्थान नहर मन्त्रीजी को और सिंचाई मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने राजस्थान नहर से जोधपुर के लिए पानी लाने का जो प्रस्ताव बजट के अन्दर रखा है वह वाकई बहुत ही सराहनीय है। जब से मैं इस विधान सभा में आया हूं राजस्थान नहर के बारे में जोर देता रहा हूं। क्योंकि पानी की जो किल्लत हमारे पश्चिमी राजस्थान में है वह अन्य जगह शायद ही हो। उस पानी की प्राब्लम पर हमारी सरकार ने साल-दो साल के अन्दर ध्यान दिया, जोधपुर तक गडरा रोड तक राजस्थान नहर लाने का बजट रखा। गडरा रोड तक राजस्थान नहर लाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा। जोधपुर के लिए जो कार्य प्रारम्भ हो रहा है उससे उसके बीच में जो गांव आयेंगे, जहां पीने के लिए पानी नहीं है, उन लोगों को पानी मिलेगा। राजस्थान नहर के जोधपुर में आ जाने से जोधपुर में हमेशा जो पानी की किल्लत रहती है वह दूर हो जायेगी। इसके अलावा हमारे मवेशियों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जायेगा। गडरा रोड तक पानी आ जाने से जहां पर आज डरावना सा जंगल बना हुआ है, कोई आबादी नहीं है वहां पर जहां ज्यादा आबादी बसी हुई है वहां के लोगों को छोटी छोटी योजनाओं के जरिये पानी लाने का अवसर मिलेका।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक भेड़ पालकों, पशु पालकों का सवाल है पश्चिमी राजस्थान में करीब 15 लाख लोग भेड़ पालन पर निर्भर हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं उन भेड़ पालकों के बारे में आपके माध्यम से मन्त्रीजी और सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

**श्री बालचन्द आर्य** (डग) : सरकार तो सो रही है।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री अमराराम चौधरी** : कहां सरकार सो रही है ? सरकार तो रोज जागती है।

2 लाख परिवार के करीब 15 लाख लोग हैं जो भेड़ पालन पर निर्भर हैं। करीब डेढ़ लाख किलो ऊन हमें हमारी भेड़ों से मिलती है। मैं यह चाहूंगा कि राजस्थान में जगह-जगह चरागाह की बहुत कमी हो गयी है। दूसरे जिलों में, जैसलमेर के अलावा, जगह-जगह चरागाह की कमी हो गयी है। थोड़ी बहुत जगह भी जो थी वह वन विभाग ने अपने हाथ में ले ली। वन विभाग का क्षेत्र होने के कारण उन भेड़-पालकों को अपने मवेशी चराने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। आप देखते होंगे, रोड के चारों तरफ कांटेदार तार लगाए हुए हैं। जब बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं तो भेड़ पालक बहुत मुश्किल से अपनी भेड़ को बचाता है। हाल ही में, 4–5 महीने पहले, मेरे क्षेत्र के पास वाले गांव में एक गडरिये की कम से 35 बकरियां एक साथ मर गयीं क्योंकि उनके जाने का कोई रास्ता था नहीं, सड़क के दोनों तरफ तार बंधे हुए हैं। मैं यह चाहूंगा, जब पश्चिमी राजस्थान में इतनी भेड़ हैं और इतने लोग उस पर निर्भर हैं तो उनके लिए जैसलमेर में राजस्थान नहर के पास में ही जमीन का आवंटन किया जाय ताकि वह अपने मवेशियों को, अपनी भेड़ों को वहां चरा सकें। जब भी अकाल पड़ता है, हमारी भेड़ें, हमारी बकरियां और अन्य जितने भी पशु हैं, हम उनको लेकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। जब इतनी दूर ले जाते हैं तो कई-कई भेड़ें तो रास्ते में ही मर जाती हैं। न उनकी चमड़ी हाथ आती है, न गोबर हाथ आता है, न हड्डियां हाथ आती हैं। ऐसी हालत है, बहुत ही गम्भीर हालत है। इसको राजस्थान सरकार ने सोचा, वह बधाई की पात्र है जो राजस्थान नहर को हमारे बाड़मेर, जैसलमेर जिले में ला रही है। विशेष रूप से जो प्रावधान जोधपुर और गडरा रोड तक के लिये इस बजट में रखा है उससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, हमारे पशु-पालकों को अपने घर-बार छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यह चरागाह भी आवश्यक है। भेड़ों के लिये यदि आप अलग से चरागाह रिजर्व नहीं रखेंगे तो फिर वही हालत धीरे-धीरे हो जायेगी जो अन्य जिलों में है। राजमार्ग पर, नेशनल रूट पर, स्टेट हाइवे पर जो भेड़ चरती हैं उन भेड़-पालकों की जान तो हमेशा खतरे में रहती है, बेचारे मवेशियों की जान भी हमेशा खतरे में रहती है। इसलिये मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि शीघ्र ही जैसलमेर के अन्दर भेड़-पालकों के लिये चरागाह का एरिया रिजर्व किया जाय। यदि आप रिजर्व नहीं करेंगे तो भेड़ पालकों को हमेशा की तरह दिक्कत होगी। आज 15 लाख लोग इस धन्धे पर निर्भर हैं। उनका भरण-पोषण इससे हो रहा है।

**श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)** : रिजर्व नहीं करेंगे तो हमारी जान खायेंगे। आपकी भेड़ें तो हमारे यहां आती हैं, हमारे प्राण पीती हैं। हमारे लोगों को गोलियों से उड़ाते हो आप तो।

(व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** : आपकी सुरक्षा

(श्री अमराराम चौधरी)

के लिये कह रहा हूं। आप जैसे निर्दयी लोगों, पशु पालकों के विरोधी लोगों के लिए यह कह रहा हूं, यह मांग कर रहा हूं।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सारा सत्यानाश कर दिया 4 साल में....

(व्यवधान)

**श्री अमराराम चौधरी** : आप पशु-पालकों के विरोधी रहे हो। निर्दयी हो, कोई रहम नहीं है आपके दिल में।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। कृपया बिराजिये।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आपके मुख्य मन्त्रीजी ने आन्दोलन कराया था जनता पार्टी के राज में, इन भेड़ों को उनके एरिया से निकाल कर कोटा जिला में भेज दिया। उसमें 3 आदमियों को गोली से आपके लोगों ने उड़ा दिया।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। व्यवधान न डालें। कृपया बिराजिये।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सारा हमारा सत्यानाश कर दिया।

**श्री सभापति** : आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री अमराराम चौधरी** : सभापति महोदय, जो हमेशा भेड़-पालकों के प्रति निर्दयी रहे हैं उनकी भावना कैसी है आपने देख ली, कितने निर्दयी हैं। हमारी सरकार ने यह स्टैप उठाया है। जैसलमेर के अन्दर गडरा रोड तक राजस्थान नहर आएगी। कोटा राजस्थान का ही अंग है हिन्दुस्तान का एक अंग है। अत्याचार करते रहे हो वह अब नहीं होगा। यह तो भगवान ने मेहरबानी की है, इन्दिरा जी ने मेहरबानी की है, हमारी सरकार ने यह मेहरबानी की है कि राजस्थान नहर हमारे यहां आ रही है जिससे भेड़ पालक फिर आपका मुंह देखने नहीं आयेंगे

(व्यवधान)

**श्री देवेन्द्र सिंह** : आप जैसे लोगों का...

**श्री दाऊदयाल जोशी** : आप यह कह रहे हैं, आप लोग तो भेड़ पालकों को लाठी मार कर भगा देते हो पुलिस के द्वारा...

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

**श्री अमराराम चौधरी** : माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के भेड़ पालकों के लिये बहुत अच्छे-अच्छे कार्यक्रम बनाये गये हैं। खासतौर से पानी के कार्यक्रम, राजस्थान नहर का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और इसके

(श्री अमराराम चौधरी)

लिये राजस्थान सरकार को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कोटा से आने वाले जो माननीय सदस्य हैं उनकी भावना पशुपालकों के विरोध में है, उनकी भगवान रक्षा करे। चाहे वह ऐसी हमेशा रहे, हम तो खुशहाल रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, हमारी शिक्षा मन्त्रीजी महोदया महिला हैं, शिक्षा का बजट बनाने वाली भी महिला हैं और हमारी प्रधान मन्त्री भी महिला हैं। 2–3 सालों से मैं यह अर्ज करता आ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, और आज फिर आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का हमारे यहां पर नहीं है। पिछले साल भी हमारे यहां के जन-प्रतिनिधियों ने यह मांग की थी कि जो हमारी लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिये हायर सैकण्डरी स्कूल की व्यवस्था की जाय। पिछले साल के बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था। इस साल के बजट को भी मैंने देखा, मैंने सोचा था कि इस साल तो अवश्य प्रावधान होगा क्योंकि हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जैतारण और बालोतरा में यह आश्वासन दे दिया था कि आने वाले बजट में लड़कियों का हायर सैकण्डरी स्कूल जरूर खुलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस पचपदरा क्षेत्र में बालोतरा सब डिवीजन है और करीब 40 हजार की वहां की आबादी मौजूदा समय में है लेकिन वहां अभी तक हायर सैकण्डरी स्कूल लड़कियों का नहीं है। बिल्डिंग तैयार है, फर्नीचर सारा तैयार करा दिया गया। पिछले साल आपने आश्वासन दिया था लेकिन इस बजट में व्यवस्था नहीं की है। तो मैं समझता हूं, कम से कम इस क्षेत्र, जहां छात्रायें पढ़ती हैं जिनके लिये 70–80–100 किलोमीटर तक हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है, के लिये बजट में प्रावधान किया जायगा ताकि वहां की छात्रायें हायर सैकण्डरी की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उनके लिये स्कूल खुल सके…

(व्यवधान)

आपके कहने से नहीं होगा, जो कुछ करेगी, सरकार करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र के पुलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। पुलों के लिये जो बजट प्रावधान है उसको मैंने देखा है। यह जो पुल बना रहे हैं, मैं सोचता था कि लूणी नदी पर और सिणधरी के पास पुल का इस साल निर्माण होगा। इस बजट में तो नाम नहीं बताया गया है किन्तु एक जगह सर्वे हो रहा है, यह लिखा है। वह सर्वे शीघ्र होकर पुल का निर्माण होना चाहिये। जब पानी लूणी नदी आता है तो महीना भर आने जाने के लिये रास्ता बन्द हो जाता है। सिवाना तहसील बिलकुल अलग हो जाती है। वहां स्टेट हाइवे है। जो बालोतरा इण्डस्ट्रियल टाउन है उसके पास का एरिया पापुलेटेड है। बालोतरा एक करोड़ की आय सरकार को हर साल देता है। वहां सारा कारोबार महीना भर के लिये ठप्प हो जाता

( श्री अमराराम चौधरी )

है। ऐसी सूरत में यह पुल लूणी नदी पर बालोतरा के समीप शीघ्र बनाना बहुत जरूरी है। यह जो बजट के अन्दर सर्वे का ही लिखा है इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, अधिकारी लोग और हमारे मंत्रीजी "पुल का सर्वे होगा" कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि इसका जल्दी ही निर्माण हो।

सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 25 सौ किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं-यह वाकई में अच्छी बात है। 25 सौ किलोमीटर सड़क यदि आप बनायेंगे तो जो हमारे पंचायत घर हैं, ग्राम पंचायतें हैं उनका सड़कों से सम्पर्क जुड़ जायेगा। लोगों को आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी। कच्ची सड़कें होने की वजह से जहां रोडवेज की बसें नहीं जाती हैं, दूसरी बसें भी नहीं जाती हैं उन इलाकों में पक्की सड़कें बनने से लोगों को बहुत ही लाभ होगा।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त कीजिये।

**श्री अमराराम चौधरी** : माननीय सभापति महोदय, जो प्रगतिशील बजट पेश हुआ है उसके लिये मैं सरकार की बहुत बहुत सराहना करता हूं। विशेष तौर से राजस्थान नहर जिसके बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि राजस्थान नहर आनी चाहिये, यही आशा करता हूं कि जल्दी ही इसका काम पूरा हो जायेगा।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री रामकिशोर मीणा।

**श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : सभापति महोदय, पूरे भाषण को पढ़ने के बाद तथा पिछले बजट भाषणों को देखने के बाद मेरी यही धारणा है कि जो वर्तमान बजट पेश किया गया है वह बजट प्रतिगामी है, इसमें गरीबी के नाम पर धोखा दिया गया है। इस बजट की वजह से क्षेत्रीय असन्तुलन को बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदय, विकास के जो प्रमुख मद हैं, जैसे कृषि है, सिंचाई है, विद्युत है, इन प्रमुख मदों पर हमारे बजट का बहुत कम अंश रखा गया है। कई मदों पर तो गये साल की तुलना में कम बजट अलाट किया गया है जबकि मुद्रा स्फीति की दर तथा मूल्य सूचकांक की दर में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने ही माना है कि बहुत शोचनीय है और चिन्ता का विषय है। सभापति महोदय, विद्युत और सिंचाई किसी भी बजट के प्रमुख अंग होते हैं। इन पर राजस्थान की जनता की जबर्दस्त निगाहें थीं कि नयी सिंचाई परियोजनाओं और नयी विद्युत योजनाओं को शामिल किया जायेगा। लेकिन 117 करोड़ रुपये का विद्युत के लिये प्रावधान किया गया है। मुझे आशंका है, कोटा थर्मल स्टेज सैकण्ड का कार्य, पलाना लिग्नाइट का कार्य और जो अन्य परियोजनायें हमारी हैं, उनका कार्य इस बजट के द्वारा किस प्रकार से और कब तक पूरा किया जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण योजनायें हैं। जितना इस पर अलाटमेन्ट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। सभापति महोदय, क्षेत्रीय असन्तुलन राजनीतिक आधार पर करके राजस्थान के सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं उसके साथ मजाक किया गया है। पूर्वी

( श्री रामकिशोर मीणा )

राजस्थान में पिछले एक साल से कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ जिसके बारे में हम यह कह सकें कि राजस्थान सरकार ने पिछले....

**श्री यदुनाथ सिंह ( नदबई ) :** बीस सालों से ।

**श्री रामकिशोर मीणा :** 81–82 के बाद में जो नयी सरकार बनी है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा ..

**श्री यदुनाथ सिंह :** 51–52 से नहीं हुआ ।

**श्री रामकिशोर मीणा :** तब से ही नहीं हुआ लेकिन वर्तमान में जिस तरह से पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा की जा रही है उससे इस क्षेत्र की जनता, पूर्वी राजस्थान की जनता में बहुत बड़ा असन्तोष है ।

**श्री हरेन्द्र मिर्धा ( मूण्डवा ) :** पूरा सन्तोष है ।

**श्री रामकिशोर मीणा :** आज किसी विभाग को यह पता नहीं है कि हमारा कहां पर अधिकार है, बजट पर हम किस प्रकार से व्यय करते हैं ।

उदयपुर में, सभापति महोदय, नगर विकास न्यास ने दूधतलाई की जमीन पर 15 लाख रुपया खर्च करके सन सैट पाइन्ट बना दिया । 15 लाख खर्च करने के बाद में पता लगा कि यह जमीन उनकी है ही नहीं, यह पी. एच. ई. डी. की है । और पी. एच. ई. डी. इस पर जबरदस्ती कब्जा किये हुए था । उसमें उससे ज्यादा जानकारी करने के बाद पता लगा कि यह जो जमीन है यह तो फोरेस्ट की है और उस पर जबरदस्ती दखलन्दाजी करके बोर्ड लगा रखा था । तो हमारा जो बजट का पैसा है उसके ऊपर हमारे वित्त विभाग की जिस तरह से निगरानी होनी चाहिये वह नहीं हो पा रही है ।

सभापति महोदय, निम्न वर्ग और समाज के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का इस बजट में बहुत बखान किया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य पांच लाख परिवारों को लाभान्वित करने का था लेकिन अब जो बजट पेश किया गया है उसमें सरकार ने माना है कि 3 लाख 95 हजार परिवारों को लाभान्वित करने की संभावना है । यह तो केवल संभावना है, सभापति महोदय, संभावना के बाद यदि पूरा का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता है तो भी हमारा यह छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एक लाख और पांच हजार का शेष रह जाता है । यह योजना हमने किस आधार पर बनायी ? लक्ष्य से ज्यादा हमारी प्राप्ति होनी चाहियें थी । केन्द्रीय सरकार से भी बार-बार जो केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत समाज कल्याण विभाग को पैसा मिलता है उसके बारे में हमेशा यह शिकायत रही है कि राज्य सरकार उसको यूटिलाइज नहीं करती, समय पर योजनायें नहीं भेजती और वह हमारा पैसा लैप्स होता जा रहा है । दूसरी तरफ जो पैसा है उसका किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, सभापति महोदय, उसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा । समाज कल्याण विभाग में

( श्री रामकिशोर मीणा )

पिछले दिनों आदिवासियों के नाम पर 53 होस्टल सुपरिन्टेन्डेन्ट की भर्ती की गई। यह सारे के सारे ट्राइबल एरिया में हैं। सभापति महोदय, आपको और सदन को ताज्जुब होगा, यह प्रावधान था कि ट्राइबल एरिया सब प्लान जो है उसमें उस क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए उनमें से भर्ती की जायगी। लेकिन 51 व्यक्तियों को, इस योजना के बाहर के व्यक्तियों को यह रोजगार दिया गया। 25 जनवरी वहां पर कलेक्टर ने इण्टरव्यू लेने के लिये तारीख तय की थी। यहां से सोशल वेलफेयर के डाइरेक्टर ने टेलीफोन पर कलेक्टर को हुक्म दिया कि वे इण्टरव्यू आप नहीं लेंगे, 27, 28 जनवरी को मैं लूंगा। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, उसमें एक भी व्यक्ति उस आदिवासी इलाके का नहीं लिया गया। दो आदमी लिये गये नाम के लिये, एक माननीय कमला जी भील के कहने पर और एक गोविन्द आमलियाजी के कहने पर। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मेरे को जानकारी मिली है, जो 51 व्यक्ति लिये हैं, कलेक्टर खुद ने एक डी. ओ. लेटर लिखा है कि यह एक मजाक किया गया है आदिवासियों के नाम पर। यहां पर एक भी होस्टल चालू नहीं है, जितने भी अपाइन्टमेन्ट किये गये हैं वह सबके सब वहां पर जोइन नहीं करके अपने ट्रान्सफर केन्सिल कराने में समय लगा रहे हैं। वहां पर किसी व्यक्ति ने जोइन नहीं किया है। सारे के सारे मन्त्रियों के चक्कर लगा रहे हैं, जयपुर में चक्कर लगा रहे हैं। वहां पर होस्टल आज खाली हैं।

इसी तरह से 53 होस्टल में 53 चिप्रोन को लेना था। सभापति महोदय, 5 में से निर्धारित सीमा के हिसाब से शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग लेने थे। लेकिन आप देखिये, किस प्रकार से धांधलेबाजी करके लिया गया है। 45 व्यक्ति शिडयूल्ड कास्ट्स के लिये, चार शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिये हैं और चार जनरल कास्ट्स के लिये हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के ज्यादा लिये हैं इसमें हमको कोई एतराज नहीं लेकिन, सभापति महोदय, उसमें भी यह हुआ है कि चपरासी की पोस्ट के लिये भी वहां पर आदिवासियों का कोई व्यक्ति नहीं मिला उनको, सारे के सारे गंगानगर जिले के लिये हैं और उनमें से वहां पर कोई जाना न हीं चाहता है, वहां पर कोई जोइन नहीं कर रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : सवाई माधोपुर से भी लिये हैं।

**श्री रामकिशोर मीणा** : सवाईमाधोपुर से भी लिये हैं लेकिन आदिवासी इलाके से लेने चाहिये थे। योजना उनके लिये बनाई गई है। नियम यह है, सभापति महोदय, कि एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के मार्फत लिये जायं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज के नाम से उनको सीधा ही ले लिया गया।

इसी तरह की धांधली सेना में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की भर्ती में होती है। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, कुछ अन्य दीगर जातियों के व्यक्ति और दीगर जातियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड

( श्री रामकिशोर मीणा )

ट्राइब्स का बना करके सेना तक में भर्ती करा देते हैं। जब इसका पता लगता है तो उनको तो सर्विस से निकाला ही जाता है लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ, जिनके विरुद्ध थानों में मुकदमे 420 के दर्ज हैं, राजनीति की वजह से आज तक कार्यवाही नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, महुआ के अन्दर उपप्रधान द्वारा शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रमाण पत्र दिये गये और उसके आधार पर उनको नौकरी दी गई। कलेक्टर ने इसकी इन्क्वायरी की और गलत पाया। झूठे प्रमाण पत्र के आधार पर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिये था, सभापति महोदय, वह नहीं चलाया गया।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने पिछले बजट सत्र में फसलों की बीमा योजना के लिये एक लाख रुपयों का प्रावधान किया था। सभापति महोदय, मुझे यह देख करके ताज्जुब हुआ, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं से गरीब जनता को राहत देने की योजना नहीं बनायी जाती है, इस बजट को हम प्रगतिशील कैसे कहें, जो एक लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया था गत वर्ष, इस साल बिलकुल रखा ही नहीं। फसल बीमा योजना का एक तरह से ढिंढोरा पीटा गया है कि हम लोग कर रहे हैं। इस बजट भाषण में फसल बीमा के नाम से कोई योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत यह राशि आवंटित की गयी है।

सभापति महोदय, उद्योगों के लिये तो इस बजट में एक नये पैसे के बारे में नहीं कहा गया है। उद्योग राजस्थान में लगाने के लिये हमारे मुख्य मन्त्रीजी विदेशों तक में जाते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** बिजली नहीं है।

**श्री रामकिशोर मीणा :** बिजली नहीं है। जितना भी यहां संसाधन जुटाये जाने चाहिये राजस्थान सरकार को, उनको नहीं जुटा करके हैरेसमेन्ट किया जाता है।

सभापति महोदय, यह किस तरह से हैरसमेन्ट किया जा रहा है उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां पर रीको के माध्यम से उद्योग लगाने के लिए प्रार्थना पत्र मांगे गये थे जिनमें यह था कि किस तरह से हमारे यहां उद्योग लगाये जायेंगे और राज्य सरकार के द्वारा उद्योग धन्धा लगाने वालों के लिए क्या क्या सुविधायें जुटायी जायेंगी। इस तरह की एक पुस्तिका दस रुपये में मिलती है। बाड़मेर में यही पुस्तक सौ सौ रुपये में बेची गई और फर्जी नामों से इन्द्राज करके बेची गई। ताज्जुब की बात तो यह है, गरीब आदमियों को लोन किस तरह से देंगे, इण्डस्ट्री किस तरह से कायम करेंगे यह तो एक सोचने की बात है। सभापति महोदय, विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं वृद्धि चन्दजी जैन, जो वर्तमान एम. पी. हैं, उनके सुपुत्र को भी दस रोज तक वहां पर वह पुस्तक खरीदने के लिये चक्कर लगाने पड़े और आखिर मजबूर होकर उनको भी रिश्वत देनी पड़ी तब जाकर वह एक पुस्तक मिली। तो, सभापति महोदय, उद्योग विभाग किस तरह से विदेशियों को यहां संरक्षण देगा। यहां के जो प्रमुख व्यक्ति

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं उनको ही आप इस तरह की सुविधायें नहीं जुटा पा रहे हैं और आप एक गरीब आदमी और विदेशियों से सहयोग मांग रहे हैं। वह किस तरह से हमारे उद्योगों को पनपा पायेंगे।

सभापति महोदय, एक तरफ जहां इस तरह की धांधली है वहां दूसरी तरफ मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग में किस तरह की धांधली चल रही है। दौसा में एक स्टील फैक्टरी है, सभापति महोदय, उसका रजिस्ट्रेशन 18-8-72 को हुआ लघु उद्योग इकाई के रूप में। वह फैक्टरी निर्माण के समय में उनको सामान दिया गया कि आप फैक्टरी निर्माण के लिये इतना इतना सामान ले जायेंगे। सभापति महोदय, उन्होंने उसको बाजार में ब्लैक में बेच दिया। ब्लैक करने के बाद में उस इण्डस्ट्री को डी-रजिस्टर कर दिया गया और उसके विरुद्ध थाना दौसा में रिपोर्ट दर्ज की गई। सभापति महोदय, किस तरह प्रभावशाली व्यक्ति इस डिपार्टमेंट का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुबारा इस फैक्टरी को रजिस्टर कराने के लिए 3.2 मैट्रिक टन स्टील वापस जमा कराने के लिए जो इस फैक्टरी के मालिक थे उन्होंने वायदा किया। इस फैक्टरी को रजिस्टर किया गया लेकिन वह स्टील उन्होंने आज तक जमा नहीं कराया। दौसा के अन्दर, सभापति महोदय, वह फैक्टरी सन् 79 से बन्द है। सन् 81 से एक फैक्टरी अनुसूचित जाति के खटीक वर्ग के एक व्यक्ति, जो बहुत ही गरीब हैं, ने कमल मैटल इण्डस्ट्री के नाम से झोटवाड़ा के इण्डस्ट्रियल एरिया में कायम कर रखी है। सभापति महोदय, सरोज खेमका, जो सत्ता पार्टी अध्यक्ष हैं, ने उस खटीक जाति के व्यक्ति की उस फैक्टरी पर नाजायज कब्जा किया। आपको ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, उस फैक्टरी को आज भी दौसा के नाम से कोटा आवंटित होता रहा है और वह कोटा जयपुर के अन्दर यूटिलाइज करना बताया जा रहा है जब कि यह जरूरी है कि इसके बारे में श्रम विभाग को सूचना दी जाय और इण्डस्ट्रीज विभाग से परमिशन ली जाय कि यहां पर उद्योग स्थापित करके यह करना चाहते हैं। यह किस तरह से गरीब व्यक्तियों को फायदा पहुंचायेंगे ? एस. सी., एस टी. के व्यक्तियों के नाम पर जो पहाड़िया शासन ने एक गरीब व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने के लिए मंजूरी दी थी, सहूलियतें दी थीं उनको सारी सहूलितों को वह हड़प कर गए और उस फैक्टरी पर कब्जा कर रखा है। सभापति महोदय, आज भी जो यह स्टील का कोटा है दौसा के नाम से जाता है और फैक्टरी में काम कहीं नहीं होता। सीधा का सीधा वह स्टील कलकत्ता और बम्बई मे जाकर ब्लैक में बिकता है। कोई भी कार्यवाही उनके खिलाफ में नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, मैंने श्रम विभाग से इसके बारे में एक प्रश्न पूछा था कि क्या दौसा में जो फैक्टरी है वह चालू है। तो, सभापति महोदय, उसका जवाब मुझे यह दिया गया कि वहां कारखाना बन्द है। यह सूचना देना संभव नहीं है कि विगत वर्षों में इस कारखाने में कितने श्रमिक कार्यरत थे। सभापति महोदय, इस पर मैंने पूछा, क्या

(श्री रामकिशोर मीणा)

इसकी कभी जांच की गई ? वहां आपके कोइ इन्सपेक्टर्स वगैरह गए ? तो उन्होंने कहा कि कारखाने के मालिकों से इस कारखाने को बन्द करने की कोई औपचारिक सूचना हमको प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 25-2-80, 7-10-80, 23-12-81 और 5-1-83 को वहां पर निरीक्षण करने गये तब यह कारखाना बन्द पाया गया। कारखाने के मालिकों द्वारा यह जानकारी दी गयी कि यह कारखाना फरवरी, सन् 80 में बन्द कर देना पड़ा।

सभापति महोदय, एक तरफ तो यह सूचना दे रहे हैं कि यह बन्द कर दिया और दूसरी ओर कारखाना चालू है और उसकी मार्फत स्टील अथोरिटी से बड़े बड़े कोटे मिल रहे हैं। उसके अगेन्स्ट बार बार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा सरकार को प्रतिवेदित किया गया। सरकार ने उसकी जांच कराई लेकिन राजनैतिक आधार पर उसको दबा दिया गया। सैक्रेटेरिएट लेवल पर उसकी जांच हो रही है। आज एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की फैक्टरी पर यहां के बड़े प्रतिष्ठित कहे जाने वाले व्यक्ति, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ने कब्जा कर रखा है।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आरोप बिना नोटिस के नहीं लगायें।

**श्री रामकिशोर मीणा** : आरोप व्यक्तिगत नहीं हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : मैंने आपका ध्यान इस पर आकर्षित किया है।

**श्री रामकिशोर मीणा** : सभापति महोदय, उस स्टील फैक्टरी की तरफ 6 हजार रुपया बिजली का बकाया है। सभापति महोदय, यदि कोई काश्तकार पचास रुपये भी 6 माह तक जमा नहीं करा पाता है तो उसका बिजली का कनेक्शन तुरन्त काट दिया जाता है लेकिन फैक्टरी की तरफ 6 हजार रुपये बकाया हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, एक एफ. आई. आर. उस फैक्टरी के अगेन्स्ट सन् 79 में रजिस्टर की गई थी। आज 6 साल हो जाने के बाद भी यहां पर यह कहा गया कि अनुसंधान जारी है। तो यह अनुसंधान कितने वर्षों तक जारी रहेगा ? इसका अभी तक इस डिपार्टमेन्ट को कोई पता नहीं है।

सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा जनता शासन के दौरान यह तय किया गया था कि तीन हैक्टेयर असिंचित भूमि का लगान माफ किया जायगा। वह लगान माफ कर दिया गया। लेकिन, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, पता नहीं क्या, महुआ में अलग से राज है, महुआ के तहसीलदार तीन हैक्टेयर से कम असिंचित जो जमीन है उनके किसानों से वसूली मांगते हैं। उनसे यह लगान वसूल किया जा रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यह लगान लिया गया है उसको तुरन्त वापस किया जाय और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, मैं इस बजट भाषण का स्वागत करता लेकिन राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो सरकार के विकेन्द्री-

( श्री रामकिशोर मीणा )

करण और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही थी उस सम्बन्ध में इस बजट भाषण में उल्लेख नहीं है। पहाड़ियाजी के मन्त्रि-मण्डल ने एक सदस्यीय लालवानी कमेटी का गठन किया था जिलों के पुनर्गठन के बारे में। पिछली सरकार के द्वारा यह गठन किया गया था लेकिन....

**श्री यदुनाथ सिंह** : सभापति महोदय, वह मन्त्रीजी यहीं मीटिंग ले रहे हैं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर।

**श्री रामकिशोर मीणा** : सभापति महोदय, जो एक सदस्यीय समिति गठित की गयी उसकी रिपोर्ट....

(व्यवधान)

**श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद)** सभापति महोदय, आपकी मार्फत कहना चाहूंगा, यह मीटिंग का स्थान नहीं है। यहां बैठकर तो विकास की बातें की जाती हैं।

**एक माननीय सदस्य** : विकास की बातें आप नोट करो, नहीं तो जवाब क्या दोगे ?

**श्री सभापति** : आर्डर। यह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते हैं।

**श्री दिनेश डांगी** : उनके भाषण को आप ध्यान से सुनें।

(व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा** : सभापति महोदय, जो एक सदस्यीय समिति गठित की गयी थी उसने करीब दो साल पहले अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक जिलों का पुनर्गठन नहीं किया गया है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कलेक्टर और एस. पी. से बात करना जन प्रतिनिधियों के भी बस के बाहर हो गया है। वहां की कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से भी बार-बार आवाज उठायी गई है कि जल्दी से जल्दी जिलों का पुनर्गठन किया जाय। सभापति महोदय, मैं इस बजट भाषण का स्वागत करता यदि इसमें बारां, दौसा, हनुमानगढ़ तथा प्रतापगढ़ जिले के गठन के बारे में बात की होती।

**श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)** : यह प्रतापगढ़ कहां से आया ? ब्यावर था।

(व्यवधान)

**श्री रामकिशोर मीणा** : जो एक सदस्याय समिति गठित की गयी थी उसमें पुनर्गठन के बारे म कहा था कि संभावनायें हैं। यह तो हमारी मांग थी कि इतने हजार पर आप जिला घोषित करें। यह हमारी मांग है।

सभापति महोदय, हरेक विभाग में किस तरह से कार्य होगा ? यहां पर मितव्ययिता के नाम से अधीनस्थ कर्मचारियों के पद साल भर से, दो-दो साल से 500-700 की संख्या में रिक्त हैं। दूसरी ओर जहां पर कर्मचारियों को लाभ देना चाहिए था, रोजगार देना चाहिए था वहां पर मितव्ययिता के नाम पर रोक लगाई हुई है और जो उच्च स्तरीय पद हैं आई. ए. एस कैडर

( श्री रामकिशोर मीणा )

के, सुपर टाइम स्केल के उनको बढ़ा करके एक तरह से अमितव्ययिता का परिचय दे रहे हैं। उस खर्चे को कम किया जाना चाहिए।

एक तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम का इस बजट में बहुत बखान किया गया है। भूमिहीनों को भूमि देने की बात कही गई है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को भूमि....

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त कीजिए, दो मिनट में।

**श्री यदुनाथ सिंह** : वैसे भी बोलना बेकार है। दो माननीय सदस्य बोल चुके हैं, एक भी शब्द कलम से किसी भी मंत्री ने कागज पर नहीं उतारा है।

**श्री सभापति** : मंत्रीजी लिख रहे हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत प्रखर है।

**श्री रामकिशोर मीणा** : यह किस तरह के व्यक्तियों को लोन देना चाहते हैं, सभापति महोदय, इसका मैं एक उदाहरण बताऊंगा। बस्सी तहसील के निवासी जगदीश पुत्र रामसहाय, कौम ब्राह्मण की आय 1300 रुपये सालाना बताई गई है। ग्राम पंचायत मूंदड़ा है। उसको लोन स्वीकृत कर दिया गया है। इसी तरह से 35 अन्य व्यक्ति हैं जिनके पास पहले से ही ट्रैक्टर हैं, जो बहुत अच्छी जमीन वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोन स्वीकृत किया गया है जो कि इस सभा के माननीय सदस्य हैं और अपनी सालाना आय बताते हैं 1300 रुपये। इस तरह के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, स्वरोजगार योजना चालू की गई है। बहुत अच्छी योजना है यदि गरीबों को इससे लाभ मिले। सभापति महोदय, कोटा के बैंक अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें बैंक के अधिकारियों ने कहा कि जिन व्यक्तियों को पच्चीस हजार रुपये लोन देने का तय किया गया है उनमें से 80 प्रतिशत व्यक्ति साधन सम्पन्न हैं, उनको लोन की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने झूठे प्रमाण–पत्र दिये हैं और उनके आधार पर हम उनको लोन नहीं दे सकते। इसी तरह से आज के अखबारों में भी दिया हुआ है कि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत 1200 व्यक्तियों को फर्जी प्रमाण-पत्र दिये हैं। जो साधन सम्पन्न हैं उन्होंने न तो कोई एड्रेस दिये हैं और जितने भी लोन विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं उनके पते गलत हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो प्राइवेट या सरकारी दफ्तरों में नौकर हैं और जिन्होंने फर्जी नामों से अपना नाम रजिस्टर्ड कराकर लोन स्वीकृत कराये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की इस तरह से दुर्गति हो रही है। पाली जिले में इस बारे में एक मीटिंग हुई थी उसमें पाली जिले का एक भी विधायक शामिल नहीं हुआ। यह किस तरह के विधायक हैं जो....

**श्री दिनेश डांगी** : यह कौन-सी तारीख की बात है?

**श्री रामकिशोर मीणा** : फरवरी माह की।

**श्री दिनेश डांगी** : फरवरी माह। तारीख बताओ, करेक्ट। वैसे ही बता रहे

( श्री दिनेश डांगी )

हो, विधायक नहीं थे। प्रधान कितने आये, मालूम है ?

**श्री रामकिशोर मीणा** : अभी हुई है पाली जिले में, यह आपकी सरकार को पता होगा किस तारीख को हुई है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : 26 फरवरी, 1984।

**श्री रामकिशोर मीणा** : 26 फरवरी को। यह पाली-मारवाड़ के अखबारों में छपी है। उसमें एक भी M. L. A. नहीं गया। वहां डिप्टी डायरेक्टर ने स्वरोजगार योजना के तहत लोन ग्रामीण दस्तकारों को भी दिये हैं। एक कुम्हार को मिट्टी खरीदने के लिए एक हजार रुपये दिये गये। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि राजस्थान में कहीं भी मिट्टी खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता हो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाता है लेकिन जमीन खरीदने के लिए एक हजार रुपये उसको स्वीकृत किये गये हैं। इस तरह से फर्जीवाड़ा करके धांधली हो रही है। सभापति महोदय, जहाजपुर पंचायत समिति में स्वरोजगार योजना के तहत जितने भी लखपति घराने के व्यक्ति थे उनको रोजगार देने की सूची में शामिल किया गया है। उनकी छानबीन की गई तो पाया गया....

**श्री रतनलाल ताम्बी ( जहाजपुर )** : एक भी लखपति का सबूत दे दें, जिसका चयन किया गया है। मैं चेलेंज के साथ कह रहा हूं।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आपस में बहस नहीं करें।

**श्री रामकिशोर मीणा** : जो ट्राइबल योजना चलायी गयी है वह जो अर्द्ध शिक्षित हैं और दस्तकार हैं उनको रोजगार देने की योजना है। इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन जहाजपुर में जो स्टाफ लगा हुआ है, अधिकांशतः 45 साल वाले व्यक्तियों को राजनीतिक आधार पर काम दिया गया है। वहां ऐसे शिक्षकों को रखा गया है जिनको प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। जिले में प्रशिक्षण केन्द्र में सिलाई की मशीनें हैं लेकिन वहां पर सीखने वालों को कपड़ा सीना तो दूर की बात है, सिलाई की मशीन चलाना तक नहीं आता।

**श्री रामसिंह विश्नोई** : माननीय सदस्य, ऐसा अगर हो गया तो क्या हो गया।

**श्री रामकिशोर मीणा** : इसी तरह से आज राजस्थान में चिकित्सा विभाग को....

**श्री सभापति** : समाप्त कीजिए।

**श्री रामकिशोर मीणा** : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

गत कुछ दिनों से लगातार अखबारों में आ रहा है कि फाइनेंसिंग कम्पनियां, चिट फण्ड कम्पनियां यहां पर रजिस्टर्ड की जाती हैं। बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार या अन्य जो इसके तहत आना चाहते हैं वह

( श्री रामकिशोर मीणा )

रोजगार पाने के लिए पांच हजार रुपयों का वाण्ड भरते हैं, 5000 रुपया जमा कराते हैं। इस तरह की कई कम्पनियां पिछले दो–तीन माह से बाजार से गायब हो गयी हैं। इस तरह से लोगों का करोड़ों रुपया हड़प करके यह कम्पनियां चली गयीं। लेकिन उनके खिलाफ न तो कोई केस रजिस्टर हुआ और शिक्षित बेरोजगारों को धोखे में रखकर इस तरह की कम्पनियों को रजिस्टर्ड किया गया है न ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। गंगानगर में, चूरू में ऐसी कम्पनियां करोड़ों रुपया लेकर चली गयीं। इस तरह के समाचार आये दिन अखबारों में आते रहते हैं लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

चिकित्सा विभाग के लिये 12.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां स्टाफ नहीं हैं। आज गांव में दुर्दशा यह है कि अस्सी प्रतिशत केन्द्र तो बन्द हैं और इस तरह के जो उप केन्द्र चालू हैं वहां दवायें नहीं हैं। इस तरह की थोथी घोषणायें करके कच्ची बस्तियों और गरीब इलाकों की जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसको बन्द किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि जहां पर भी हमारे कोई भी चिकित्सालय हैं उनको सुचारु रूप से चलायें। सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले डेढ़ साल में करीब 1500 लोग चिकित्सा के अभाव में बेमौत मारे गये। इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। अकेले भरतपुर और पूर्वी राजस्थान में 900 लोग मारे गये। यदि डाक्टरों की समय पर व्यवस्था होती, दवाइयां समय पर पहुंच जातीं तो जो लोग बेमौत मारे गये हैं उनको बचाया जा सकता था। वर्तमान में छिपारा गांव में एक विचित्र बीमारी चल रही है। उसके लिए उपाय किया जाना चाहिए था वह भी नहीं किया गया है।

इसी तरह से हैण्ड पम्प के बारे में नयी घोषणा की गई है कि जहां 500 की आबादी है वहां पर हैण्ड पम्प लगायेंगे। फरवरी में एक अभियान चलाया गया था उसके तहत मेरी सिकराय तहसील में अस्सी प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पाये गये हैं। यदि हैंड पम्पों को इस तरह से आप चलाते हैं, उनकी पूरी व्यवस्था नहीं है। तो खराब होने के बाद उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? पंचायतों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया है। इसके लिए उनको समय पर पैसे नहीं दिये जाते हैं। अभी तक अधर में है कि पंचायत इसकी मरम्मत का काम करेगी या विभाग इसको सुधारने का काम करेगा। कोई व्यवस्था नहीं है।

सभापति महोदय, एजूकेशन के बारे में भी इसमें कहा गया है कि हम स्कूल खोलेंगे, कालेज खोलेंगे। जहां तक स्कूलों का संबंध है, स्कूल आपने खोले हैं दिसम्बर और जनवरी में जाकर। आखिर वह कब तो चालू होंगे और कब परीक्षायें होंगी ? जो सत्र हमारा जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए था और जो स्कूल मई, जून, जुलाई और अगस्त तक खुल जाने चाहिये थे उनको आप खोल रहे हैं दिसम्बर और जनवरी में।

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं।

**श्री रामकिशोर मीणा** : गये साल जितने प्राइमरी स्कूल खोले गये, सभापति महोदय, इस साल दिसम्बर में उनका कार्य चालू किया है। जहां पर स्कूल हैं वहां पर अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों के अभाव में स्कूल बन्द हैं। इस तरह से वहां अध्यापकों को नहीं लगाते तो स्कूल खोलने का हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री रामकिशोर मीणा** : इस तरह से, सभापति महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट राजस्थान का विकास नहीं कर पायेगा। यह बहुत ही प्रतिगामी बजट है और हमारी विकास की जो गति है उसको भी यह अवरुद्ध करेगा। थोथी वाहवाही इस बजट के द्वारा लूटी गयी है और गरीबों के नाम पर खुला मजाक किया गया है। गरीबों को लाभ नहीं देकर बड़े बड़े आदमियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को इससे लाभ दिया जायेगा।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री सी. पी. जोशी।

**श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दो दिन से बजट पर बहस सुन रहा हूं। मेरे विरोधी पक्ष के जितने माननीय सदस्य हैं उन्होंने कहा कि यह बजट प्रतिगामी है, दिशाहीन है, चुनावी बजट है। कुल मिला कर उनके भाषण का जो सार था वह मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी जिला स्तर पर जिला अभाव अभियोग समिति की मीटिंग हो रही हो और उसमें अभाव अभियोग का वर्णन कर रहे हों।

श्रीमन्, यह जो बजट है, बजट किसी भी स्टेट के सोशल चेन्ज, सामाजिक परिवर्तन का एक द्योतक है। आंकड़ों के डेफिसिट, घटने-बढ़ने या रेवेन्यू बढ़ने-घटने का कोई दर्पण नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम आने वाले इस वर्ष में राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन में कितना कुछ कर पाते हैं, इसका एक मापदण्ड इस बजट के आधार पर होता है। इस बजट को यदि हम आधार मानें तो, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे विरोधी पक्ष में बैठने वाले व्यक्ति स्वयं इस बात को जानते हैं कि इस बजट में 300 करोड़ रुपये का एलोकेशन हमने बीस सूत्री कार्यक्रम पर किया है। बीस सूत्री कार्यक्रम को हमने आधार माना है। हमारी पार्टी और पार्टी की नेता ने सामाजिक परिवर्तन के लिए, गांवों में रहने वाली गरीब जनता की माली हालत सुधारने के लिए, सामाजिक और आर्थिक परिवतन करने के लिए जिस कार्यक्रम को आधार माना है वह बीस सूत्री कार्यक्रम है। इस बीस सूत्री कार्यक्रम पर इस वर्ष 300 करोड़ रुपये का अलाटमेन्ट किया है। वह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी अपने मेनीफेस्टो के आधार पर, अपनी रीति नीति के आधार पर राजस्थान में एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव करना चाहती है। इसलिए विरोधी पक्ष के जितने सदस्य बोले उनको यह लगा कि यह प्रतिगामी बजट है, दिशाहीन बजट है और चुनावी बजट है।

( श्री सी. पी. जोशी )

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जिस पार्टी का राजनैतिक धरातल खिसकता हो उसको यह बात लगनी भी चाहिए। हमें यह कहते हुए गर्व है कि यह बजट चुनावी बजट है और जिस बात के हमने सन् 1980 में लोगों से वायदे किये उन कार्यक्रमों को पूरा करते हुए आने वाले चुनावों में हम जनता से किये हुए वायदों को पूरा करके अपना जनमत लेने के लिए जनता के बीच में जाना चाहते हैं। अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए हमने बीस सूत्री कार्यक्रम को आधार बना कर इस बजट में एलोकेशन किया है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिस तरह की स्टेट की स्थिति थी, जो परिस्थितियां थीं चाहे आठवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत नहीं कर पाये या पिछले तीन चार सालों से राजस्थान में जो अकाल है और जिस तरह के हमारे कान्सट्रेन्ट्स हैं उन कान्सट्रेन्ट्स के आधार पर जो राजस्थान सरकार ने बजट रखा है वह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। इस स्वागत करने के साथ साथ मेरी अपनी मान्यता यह है कि इस बजट में जिन कान्सट्रेन्ट्स के आधार पर हम काम कर रहे हैं उन कान्सट्रेन्ट्स को यदि हम समझें तो निश्चित तौर पर सदन में बैठने वाले व्यक्तियों को यह मांग करनी पड़ेगी कि भारत सरकार राजस्थान को गाडगिल फार्मूले के आधार पर जो एलोकेशन आफ फण्ड्स कर रही है वह कैटर नहीं कर पाते हैं राजस्थान की नीड्स को। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बजट की समीक्षा हम इन कान्सट्रेन्ट्स के आधार पर तो करें ही, पर जो पिछले तीन चार साल से हमारे यहां अकाल की स्थिति है, उसके आधार पर इस बजट की विवेचना की जा सकती है।

माननीय सदस्य इस आय-व्ययक के आंकड़े, इस बजट के भाषण का रेफरेन्स देकर अपनी बात कह चुके हैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर ज्यादा आकर्षित नहीं करना चाहूंगा और इस लीक से हटकर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। वह बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मोटे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर इस सदन में बैठने वाले और कम से कम मेरी उम्र के लोगों को सोचना पड़ेगा। तीस पैंतीस साल के बाद हम राजस्थान में छठी पंच-वर्षीय योजना पूरी करने जा रहे हैं। इसको पूरा करने के बाद इस राजस्थान के समूचे विकास की जो प्रक्रिया हमने अपनाई है उस समूचे विकास की प्रक्रिया के सन्तुलन की दृष्टि से हम देखें और इस आधार को यदि हम देखें तो जितना विकास जिस गति से होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। उसके कान्सट्रेन्ट्स क्या क्या हैं ?

माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, आजादी के बाद जब से यह बजट विधान सभाओं में रखने प्रारम्भ हुए हैं हमने लगभग 2170.22 करोड़ रुपया इरिगेशन और पावर पर खर्च किया है। मान्यवर, इस बजट को जब मैंने कहा कि अपनी छठी पंचवर्षीय योजना पूरी होने का आधार मानें तो हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। 2170 करोड़ रुपये

(श्री सी० पी० जोशी)

लगभग हमने इरिगेशन और पावर पर खर्च किये। उनका जितना रिटर्न हमें मिलना चाहिए उतना रिटर्न यदि हमें नहीं मिल पाता है तो निश्चित तौर पर जितनी हमारी सोशल लाइबिलिटीज हैं, जितने कमिटमेन्ट हैं पार्टी के राजस्थान का समुचित विकास करने के, वह पूरे नहीं हो पाते हैं। इस दृष्टि से हम देखें तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय में राजस्थान के मंत्रियों ने और राजस्थान सरकार ने यह कोशिश की है कि राजस्थान के अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको टेप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगायें। उस दृष्टि से हमने राजस्थान केनाल को पूरा करने का प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि लगभग 500 करोड़ रुपये राजस्थान केनाल पर खर्च किये हैं। उस केनाल से जो पंजाब और हरियाणा से पानी का अपना भाग था उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए हमने 600 करोड़ रुपये खर्च किये। यह तो निश्चित तौर पर एक ठीक कदम है। हमें एक बात और सोचनी पड़ेगी कि राजस्थान जैसी स्टेट, सारे हिन्दुस्तान का 10.43 प्रतिशत एरिया है जिसका और हिन्दुस्तान की जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत राजस्थान में है, ऐसी बड़ी ज्योग्राफिकल स्टेट में यदि हम 600 करोड़ रुपये इस राजस्थान केनाल के ऊपर खर्च नहीं करते तो हो सकता था कि पंजाब और हरियाणा का पानी जो हम लेना चाहते थे वह नहीं ले पाते। इस 600 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद हम देखते हैं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा अर्थात् सम्पूर्ण राजस्थान की जनता का टैक्स का पैसा हमने इस राजस्थान केनाल को डवलप करने के लिए पूरा कर दिया। सभापति महोदय, हमें एक बात सोचनी पड़ेगी कि क्या राजस्थान स्टेट इस स्थिति में थी कि छठी पंचवर्षीय योजना तक रिसोर्सेज को टेप करने के लिए, एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए, सामान्य जनता की माली हालत सुधारने के लिए जितना पैसा खर्च करना था वह नहीं कर पायी? इस दृष्टि से हमें देखना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन की जो लेटेस्ट रिकमन्डेशन्स हैं उनको यदि हम आधार मानें तो प्लानिंग कमीशन ने यह कहा है कि हर स्टेट को इस तरह का इनवेस्टमेन्ट करना चाहिए कि उसका रिटर्न उसको मिल जाये। इस आधार पर देखें तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने बताना चाहता हूं। हमने छठी पंचवर्षीय योजना में कुल 1061 करोड़ रुपया राजस्थान में सिंचाई और विद्युत के लिए खर्च किया है। मैं जहां तक इसको केलकुलेट कर पाया हूं जो नान-टैक्स रेवेन्यू है उसके आधार पर 57 करोड़ रुपया तो हमें इरिगेशन और मल्टीपरपज रिवर प्रोजेक्टस हैं उनसे रिटर्न मिल रहा है नान-टैक्स रेवेन्यू का और 15 करोड़ रुपया माइनर इरिगेशन से मिल रहा है। अब, सभापति महोदय, आप स्वयं बतायें, राजस्थान में 2170 करोड़ रुपया हमने इरिगेशन और पावर के लिए खर्च कर दिया और राजस्थान को उसका रिटर्न मिल रहा है इतना कम, यानि 56 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो जो इतना इनवेस्टमेन्ट राजस्थान का करने जा रहे हैं उसका रिटर्न हमको क्या मिलेगा? इतनी बड़ी पूंजी एक प्रोजेक्ट के लिए खर्च कर दी उसके

(श्री सी० पी० जोशी)

बनिस्बत राजस्थान के छोटे और मीडियम प्रोजेक्टस हैं उनको यदि हम पूरा करते तो, सभापति महोदय, उससे किसानों की माली हालत में सुधार के लिए ज्यादा पैसा खर्च होता । इसलिए मैं निश्चित तौर पर चाहूंगा, आज छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने जा रही है । उसके बाद की 7वीं पंचवर्षीय योजना जो राजस्थान सरकार की बननी चाहिए वह इस प्रकार की बने क्योंकि यह बजट आने वाले वर्षों में एक इन्फास्ट्रक्चर डवलप करता है कि हम आने वाले वर्षों में राजस्थान का विकास किस तरह से करना चाहते हैं । इस दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है कि हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि हम अपनी स्टेट के सारे एक्सचेकर को स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं केवल उनका इन्फास्ट्रक्चर डवलप करने के लिए ही खर्च कर दें या राजस्थान के अन्य भू-भागों के अन्दर रहने वाले लोगों की माली हालत सुधारने के लिए खर्च करें । उस दृष्टि से हम देखें तो इस बजट में हमको एक रेडिकल चेन्ज करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, इसी दृष्टि से एक और निवेदन करना है और निवेदन इसलिये करना है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के शासनकाल में राजस्थान की आर्थिक स्थिति किस तरह सुदृढ़ करना चाहते थे, लीज का बजट बनाकर उन्होंने भी इस राजस्थान के आर्थिक परिवर्तन करने की कोशिश की थी । लेकिन इस पार्टी में बैठने वाले मेरे साथी हैं उनको यह सोचने की आवश्यकता है कि राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट पर अपनी स्टेट का सारा पैसा खर्च कर देंगे तो जो सोशल कमिटमेंन्ट हैं उनको हम कैसे पूरा कर पायेंगे । जब मैं यह बात कहता हूं, मान्यवर, तो एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस राजस्थान के बजट को और बढ़ाया जा सकता था । बढ़ाने के लिये जब कहता हूं, सभापति महोदय, तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं । यह जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, हिन्दुस्तान की 16.8 प्रतिशत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है और उसका सिक्स्थ प्लान का आउट ले 5,850 करोड़ रुपये का है । महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान की 9·16 प्रतिशत जनसंख्या रहती है और वहां का प्लान आऊट ले 6,177 करोड़ रुपये का है । पूरे हिन्दुतान की सबसे पहली स्टेट यह है । तीसरी स्टेट बिहार में 10·20 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दुस्तान की रहती है । उसका प्लान आउट ले 3,225 करोड़ रुपये का है, इसके विपरीत मध्य प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 7.62 प्रतिशत है, प्लान आउन्ट ले 3,800 करोड़ रुपये का है । राजस्थान में 5 प्रतिशत जनसंख्या है और उसका प्लान आउट ले है 2025 करोड़ रुपये का । गुजरात जैसी स्टेट की जनसंख्या हिन्दुस्तान की जनसंख्या का केवल 4.97 प्रतिशत है उसके बजट का प्लान आउट ले है 3680 करोड़ रुपये और पंजाब जैसी स्टेट जिसकी जनसंख्या हिन्दुस्तान की जनसंख्या का केवल 2·34 प्रतिशत है उसका प्लान आउट ले 1275 करोड़ रुपये है ।

मान्यवर, यह 6 स्टेट की फिगर इस लिये दीं कि यदि हम जनसंख्या को आधार मानें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है,

(श्री सी. पी. जोशी)

लेकिन उसका बजट हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा बजट नहीं है। सबसे बड़ा प्लान आउट-ले महाराष्ट्र का है। मान्यवर, इसी तरह से मध्य प्रदेश का एरिया है, उसके एरिया को आधार मानकर राजस्थान से कम्पेयर करें तो मध्य प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है, का प्लान आउट ले 3800 करोड़ का है उसके मुकाबले राजस्थान का प्लान आउट ले केवल 2025 करोड़ है। इसी दृष्टि से हम देखेंगे, गुजरात जैसी स्टेट की जनसंख्या 4.97 प्रतिशत है उसका प्लान आउट ले 3680 करोड़ रुपये है। इस तरह से अलग-अलग स्टेट की फिगर देने के बाद, माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, हमको गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के अन्दर सिक्स्थ प्लान का आउट ले इतना ज्यादा क्यों है, गुजरात के प्लान का आउट ले इतना ज्यादा क्यों है और राजस्थान के प्लान का आउट ले इतना ज्यादा क्यों नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आज मोटे तौर पर हम कह सकते हैं इसके पीछे जो कारण है, मैं समझता हूं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्लान जब भारत का बना, राजस्थान जैसी स्टेट को गाडगिल फार्मूले, जिसमें इनकम का आधार है, के आधार पर मिला, उस समय इस बात की आवश्यकता थी पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्लान के अन्दर यदि हम ओवर ड्राफ्ट ज्यादा कर लेते, यह हमारा कमिटमेंट हो जाता तो छठे प्लान में जाकर हमारा पैसा बहुत ज्यादा हो जाता। जब पूरे हिन्दुस्तान की अलग अलग स्टेट्स अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिये ओवर ड्राफ्ट लेकर अपनी स्टेट का डवलपमेंट कर रही थीं तब राजस्थान ने यह काम नहीं किया और जब हिन्दुस्तान की सरकार ने ओवर ड्राफ्ट बैन कर दिया तब जाकर हमने ओवर ड्राफ्ट के आधार पर राजस्थान के विकास की प्रक्रिया बनाई। यहां हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। मान्यवर, इस बात को समझना पड़ेगा कि आज भारत सरकार नहीं चाहती कि किसी स्टेट का ओवर ड्राफ्ट बढ़े। लेकिन उन्होंने एक लाइन दी, एक डिमार्केशन दिया है। यदि आप उसको नहीं पकड़ेंगे तो आने वाले वर्षों में राजस्थान का प्लान नहीं बढ़ा पायेंगे। उसके लिये यह आवश्यक है कि जो प्लानिंग कमीशन की डायरेक्शन्स हैं, जो हम भी चाहते हैं कि जितना हम इन्वेस्ट करें उसका रिटर्न हमको मिलना चाहिये।

मान्यवर, महाराष्ट्र में एक पुल बना हुआ है जो बाम्बे और पूना को मिलाता है। उस पुल पर से गुजरने वाली हर गाड़ी पर इस बात का टैक्स लगता है कि उसका 50 किलोमीटर डिस्टेन्स कम हो गया। उन्होंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना पैसा उन्होंने वापस इकट्ठा कर लिया। इस दृष्टि को आधार बनायें यदि राजस्थान के अन्दर विकास करना है तो, हमको भी यह सोचना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना हमको रिटर्न मिले। इसलिये मैं कहता हूं, सभापति महोदय, इस राजस्थान की जनता पर इस तरह से टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल यह जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हमको रिटर्न लेने की आव-

(श्री सी. पी. जोशी)

श्यकता है। उस समय के वित्त मन्त्री जी, चन्दनमलजी बेद को धन्यवाद दूंगा, उस समय बजट का विधान सभा में बैठने वाले वाले करीब 130 सदस्यों ने विरोध किया था। मैं आज कहना चाहता हूं इस बात के लिये, सभापति महोदय, यदि राजस्थान के प्लान का आउट ले बढ़ाना है तो इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान केनाल का पानी जिस आदमी के खेत में जा रहा है उससे टैक्स लेना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उस इलाके के रहने वाले जो लोग कुओं से पानी पिलायें उसको तो पैसा देना पड़े और गंगानगर के लोग खेतों में पानी देते हैं, 600 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है उससे पानी पिलाने के बाद भी राजस्थान सरकार को पानी का एवजाना नहीं दें। यह राजस्थान सरकार के लिये डवलपमेंट करने के लिये ठीक स्थिति नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं इसको आधार बनाकर सोचना पड़ेगा तब जाकर सेवन्थ प्लान के अन्दर राजस्थान के प्लान का आउट ले बढ़ा पायेंगे।

यह विरोधी दल के सदस्य बैठे हुए हैं, कहते हैं, यह बजट प्रगति का द्योतक नहीं है। मान्यवर, कहने से प्रगति का द्योतक नहीं होता है हमको यह बताना पड़ेगा किस तरह से हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, उसकी कल्पना हमारे मन में क्या हैं। इसलिये मैंने कहा, आधार हो सकता है इस बात का कि जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका टोटल रिटर्न राजस्थान सरकार को मिले। उस पैसे से हम राजस्थान का विकास कर पायेंगे अन्यथा, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रोसीडिंग्स इस बात की गवाह रहेंगी कि जिस तरह से हम पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं उससे राजस्थान में आर्टिक्लेशन हो जायेगा। इस इलाके में प्रोस्पैरिटी बढ़ जायेगी और दूसरे इलाके में प्रोस्पैरिटी नहीं बढ़ेगी आने वाले वक्त में सोशल टेन्शन की स्थिति पैदा हो जायेगी। इस दृष्टि को आधार मानकर हमको सोचना पड़ेगा यदि हम राजस्थान का विकास करना चाहते हैं तो, अन्यथा स्टेट के एक वर्ग में आर्टिक्लेशन हो जायेगा, जो इस बात को जानता है कि सरकार की निहित पूंजी का लाभ किस तरह से लिया जाये, जो इस बात को जानता है कि पालिटिकल पावर किस तरह से कैपचर की जाये वह वर्ग तो आनन्द करता रहे और राजस्थान की दो तिहाई जनता पीने के पानी के लिये, सड़कों के लिये, बिजली के लिये तरसती रहे, इसको आधार मानेंगे तो राजस्थान का समुचित विकास नहीं होगा। सदन में बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों और खास तौर से राजस्थान के मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जोश खरोश से उन्होंने फायनेंशियल डिसिप्लीन का डिसीजन लेकर छठी पंचवर्षीय योजना का आधार लिया है इसको टेक आफ करने की आवश्यकता है। इसलिये आवश्यकता है कि सेवन्थ प्लान के अन्दर इसको आधार बनायें कि जिस पैसे को हम इन्वेस्ट करें उसका हमको रिटर्न मिले।

मान्यवर, जब मैं यह बात कहता हूं तो दूसरी बात नान टैक्स रेवेन्यू की कहना चाहता हूं जो हमारे प्लान को बढ़ाने में

(श्री सी. पी. जोशी)

सहायता कर सकती है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, माननीय सभापति महोदय, आगूचा के अन्दर हमने पोटेन्शियल एस्टीमेट किया। उसका पोटेन्शियल एस्टीमेट 5 हजार करोड़ रुपया है। मुझे कहते हुए दुख है, उस समय के मन्त्री कोई भी हों, उसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा पाये। भारत सरकार को एक साल की लीज पर हम देते हैं। यदि आगूचा में पोटेन्शियल एस्टीमेट के आधार पर हम भारत सरकार से कहते तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिस पूंजी को हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं....

**श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): मैं नाथद्वारा से आने वाले विधायक से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार ने इसी आधार पर इनको इक्विटी शेयर में रखने के लिये लीज नहीं दी थी। यह लीज कांग्रेस सरकार ने दी है। आप अपनी सरकार से कहिये यह बात।

**श्री सी० पी० जोशी** : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य अपनी इस बात को कहने के लिये बहुत उत्सुक हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, ढाई साल के जनता पार्टी के शासनकाल में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके बताया होता तो हमें निश्चित तौर पर खुशी होती। उस समय इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं करा सके जिसमें राजस्थान के माइन्स सैक्रेटरी का हाथ था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मुख्य मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, उस समय के माइन्स सैक्रेटरी के कारण वह काम नहीं हो पाया इसलिए मुझे वह बात कहने के लिए बाध्य नहीं करें। मैं तो केवल कहना चाहता हूं बाकी वह काम उस समय हो सकता था। आवश्यकता इस बात की है....

**श्री कैलाश मेघवाल** : हिन्दुस्तान जिंक लि० को आगूचा की लीज कब दी गई, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपकी जानकारी में हो तो बता दें क्या वह जनता सरकार ने दी।

**श्री सी० पी० जोशी** : माननीय सभापति महोदय, न तो मैं उस समय माइन्स मन्त्री था और न अब माइन्स मन्त्री हूं। उस समय के खान मन्त्री इस बात का जवाब देंगे, मेरे पास सरकारी रिकार्ड नहीं है। लेकिन मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं विनम्रता से, यह एक ऐसा नान टैक्स रेवेन्यू है, माननीय सभापति महोदय, जिसमें राजस्थान की जनता पर टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हम आगूचा के पोटेन्शियल एस्टीमेट्स के आधार पर उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराते तो सातवी पंचवर्षीय योजना का राजस्थान का जो आकार है वह 20-25 करोड़ रुपये से बढ़कर कहीं ज्यादा होता, लेकिन हमने वह अपारचुनिटी भी खो दी इसलिये, माननीय सभापति महोदय, हम दुबारा इस बात को कम से कम ध्यान में रखें कि राजस्थान के अन्दर निकलने वाले हर मिनरल की भारत सरकार को लीज देने की आवश्यकता नहीं है, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराने की आवश्यकता है।

(श्री सी. पी. जोशी)

यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, गुजरात जैसी स्टेट, जिसकी जनसंख्या का मैंने आपको उदाहरण दिया, का जो बजट बढ़ा है उसका यही सबसे बड़ा सोर्स है कि भारत सरकार के इक्विटी शेयर कन्वर्ट किये हैं। सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार उसमें पूंजी विनियोजित करती है। उसके एम्पलायमेंट और कन्ट्रोल में भी राजस्थान का शेयर होता है। लेकिन दुर्भाग्य और सौभाग्य से 30–35 साल में हमने इस अपारचुनिटी को खोया है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आवश्यकता इस बात की है, जिस ढंग से फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन को एडाप्ट किया है उससे आगे बढ़कर राजस्थान को टेक आफ से आगे लेना चाहते हैं तो भविष्य में इस तरह की स्थिति पैदा न हो। इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराकर, सातवीं योजना में इसको आधार बनाकर ज्यादा पैसा बढ़ा सकें तो, मैं समझता हूं, यह अच्छी स्थिति हो सकेगी। मान्यवर, ये दो बड़े सोर्स मैंने बताये।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हमारी नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाई जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, आप भरतपुर से आते हैं। माननीय दाऊदयालजी कोटा से आने वाले सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सदस्य मन्दिरों के बारे में बड़े धार्मिक हैं, उनकी धर्म के प्रति बड़ी रुचि है। सभापति महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न मेरी ऐसी कोई मंशा है कि हम इसमें राजनीति करें। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज नाथद्वारा को या कोटा को ले लें, राजस्थान के हर बड़े शहर में, सिटी में देवस्थान की करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है, जमीन है। वह किसी को एक रुपये में, किसी को दो रुपये में, किसी को पांच रुपये में टिनेन्सी पर दे रखी है। आज आवश्यकता इस बात की है, राजस्थान सरकार इस बात का निर्णय ले कि जिन्होंने देवस्थान से टिनेन्सी राइट ले रखे हैं, उनके राइट को खतम कर दें और बाजार की कीमत पर उस सम्पत्ति को बेच दें, चाहे उसमें मकान हो या दुकान हो। मैं समझता हूं कि राजस्थान में 30-35 करोड़ रुपया केवल देवस्थान की जमीन का निर्णय करके हम बढ़ा सकेंगे। मैं समझता हूं, इस प्रकार अपनी नान टैक्स रेवेन्यू राजस्थान बढ़ा सकता है। दुर्भाग्य से आज सारी पूंजी पर कुछ चन्द लोगों ने कब्जा कर रखा है इसलिये आवश्यकता है रेडिकल चेन्ज करने की। हम देवस्थान को सोर्स बनायें नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का।

माननीय सभापति महोदय, मुझे एक निवेदन और करना है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : मान्यवर, मेरा एक निवेदन है, नाथद्वारा के ठाकुरजी के जेवरातों को सरकार बेच दे और बेचकर सरकार कोटा चलाये यही कहना चाहते हो ना....

(व्यवधान)

**श्री सी० पी० जोशी** : मैं दाऊदयालजी से कहना चाहता हूं....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : ठाकुर जी के जेवरात जो व्यर्थ पड़े हुए हैं उनको बाजार में बेच दिया जाये और आपके बात समझ में आ रही है तो स्पष्ट क्यों नहीं कहना चाहते हो कि जो पैसा आवे उससे सरकार अपना खर्चा चलाये। यानी सरकार का इतना दिवालियापन हो गया है कि वह ठाकुरजी को भी बेच दे। यही मतलब है ना ?

(व्यवधान)

**श्री सी० पी० जोशी** : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अपनी असलियत का नमूना बता दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि मन्दिर की पूंजी बताई जावे। लेकिन देवस्थान के नाम पर....

(व्यवधान)

जो जमीन-जायदाद के आधार पर मैंने कहा है, दाऊदयालजी को शायद यह आश्चर्य होगा....

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : किसी व्यक्ति ××× ने दी है क्या वह जायदाद। मेरे पास जायदाद थी और मैंने भेंट कर दी, कर दी। ठाकुरजी को दे दी, दे दी....

(व्यवधान)

**श्री सी० पी० जोशी** : देवस्थान की जमीन आपकी प्रापर्टी नहीं है। राजस्थान सरकार को विकास करना है तो वह उस पूंजी का विनियोजन कर सकती है।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हमारे ढाई साल में काम हुआ है। इस कांग्रेस के 35 साल के राज में कोटा की पुलिया सात साल से अधर में लटकी हुई है। अब ××× पास रहा भी क्या है।

(व्यवधान)

क्या विकास हो रहा है ? ××× पास विकास के लिये क्या बचा है ? ठाकुर जी को बेचकर और खा जावो....

(व्यवधान)

**श्री दिनेश डांगी** : जो करोड़ों की जमीन दबा कर बैठे हैं, यही कह रहे हैं....

**श्री दाऊदयाल जोशी** : श्रीमान् जी....

(व्यवधान)

कोटा के मठाधीशों के टेम्पल में हरिजनों को हमने प्रवेश दिया है।

(व्यवधान)

क्या आप आज यहां स्पष्ट घोषणा करेंगे कि फलां तारीख को हरिजनों का जुलूस लेकर नाथद्वारा भगवान के दर्शन कराने जायेंगे ? ऐसी कोई घोषणा कर रहे हैं क्या ? हमने की है। सभापति महोदय, ये ऐसी घोषणा कर सकते हैं ? हरिजनों की आपने हत्या कर दी। मठाधीशों के

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री दाऊदयाल जोशी

मन्दिर में हमने प्रवेश कराया है। अगर आप में हिम्मत है तो घोषणा करें और तारीख बतायें। घोषणा करें ...

(व्यवधान)

आप तो × × × हो।

**श्री सी० पी० जोशी :** आप बी० जे० पी० का प्रस्ताव पास करके बात करना....

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मैं पहला व्यक्ति हूं....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** आपस में बहस नहीं होगी।

(व्यवधान)

कृपया बिराज जायें। प्लीज, बैठ जायं।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी :** मंत्री महोदय, आपने किया क्या × × × और अब कहते हो....

(व्यवधान)

राज में जब आप नहीं आये थे तो आप सींकिया पहलवान थे और अब × × × आंखें....

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज, आर्डर....

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** × × ×

**श्री सभापति :** आर्डर प्लीज।

श्री सी० पी० जोशी।

**श्री सी० पी० जोशी :** माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि बी. जे. पी. के माननीय सदस्य जो अपने आपको धर्म के ठेकेदार कहते हैं, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

कोई खड़ा होकर बोले कि ईमानदार हूं। कोई खड़ा होकर बोले....

**श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :** सभापति महोदय, एक आध ठेके भी इन्होंने दिये हैं क्या ?

**श्री सी० पी० जोशी :** सभापति महोदय, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय दाऊदयालजी यदि किसी को पुली करके यह समझते हों कि अपनी बात रख दें तो दिमाग से, निकाल दें। जिनकी आर्थिक, सामाजिक फिलासफी नहीं होती है वे केवल हो–हल्ला करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं बी. जे. पी. प्रस्ताव पास करके नाथद्वारा में आ जाय....

---

× × × शब्द, अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

**श्री बाऊदयाल जोशी :** यह तो आपकी ड्यूटी है, आप करें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** बीच में व्यवधान न डालें। कृपया व्यवधान न डालें। कृपया शांति बनाये रखें।

**श्री सी० पी० जोशी :** ढाई साल के जनता पार्टी के शासन में प्रवेश करा देते। आपकी पार्टी का शासन था आपने क्या किया ?

**श्री बाऊदयाल जोशी :** आप तो साढ़े तैंतीस साल रहे हो, हम तो ढाई साल ही रहे हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) :** हम तो अभी और रहेंगे, आप दुख मत पाओ।

**श्री यदुनाथ सिंह :** सभापति महोदय, दो जोशियों की लड़ाई में सदन का सारा समय जा रहा है।

**श्री सी० पी० जोशी :** सम्प्रदाय के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो इस बारे में अपने को ठेकेदार मानते हैं तो जिस समय उनका शासन था यह काम करते।

सभापति महोदय, मैं न तो किसी सम्प्रदाय का आदमी हूं और न मैं किसी सम्प्रदाय को ही मानता हूं और न ही मैं किसी धार्मिक आस्था के बारे में कहता हूं, लेकिन देवस्थान की करोड़ों रुपयों की प्रापर्टी को किसी ने एक रुपया, किसी ने दो रुपया और किसी न पांच रुपये में कब्जे में कर रखी है। सभापति महोदय, एक तो राजस्थान में इस तरह से नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं जिसमें देवस्थान का बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है।

तीसरा सोर्स, सभापति महोदय, हो सकता है म्यूनिसिपैलिटी बड़े शहरों में रेजीडेन्शियल प्लाट्स के नाम पर जो जमीन लेते हैं यदि वे उसे कामर्शियल प्लाट में कन्वर्ट कराते हैं तो उसके बदले के नियम म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में, दुर्भाग्य से और सौभाग्य से इतनी तादाद में कामर्शियल प्लाट्स में कन्वर्ट किये जा रहे हैं लेकिन पैसा भी वसूल नहीं कर रहे हैं। यह नियम है, कोई आदमी रेजीडेन्शियल प्लाट को कामर्शियल में कन्वर्ट करेगा तो इतनी पैनल्टी होगी। उससे हम बहुत ज्यादा पैसे वसूल कर सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस में भी श्री श्रीरामजी को शायद तकलीफ हो सकती है, वे बी. जे. पी. के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन, मान्यवर, बी. जे. पी. में बेनिफिट उठाने वाले वे लोग हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते हैं। मैं कहता हूं पालिटिकल इस तरह का जो मिसयूज कर रहे हैं उनसे पैसा वसूल करके राजस्थान में नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ायें इस संबंध में मेरा एक निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से जो नाजायज कब्जा हो रहा है जमीन के ऊपर, उस जमीन के नाजायज

(श्री सी. पी. जोशी)

कब्जे को हम हर साल अलाटमेंट के आधार पर नेगलेक्ट करते जा रहे हैं तो यह आवश्यक नहीं है। सभापति महोदय, जमीन पर नाजायज कब्जा इलाके का सबसे प्रभावशाली आदमी कर रहा है इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जिस आदमी ने कब्जा कर रखा है उसके विरुद्ध रिपोर्ट की जाय। आवश्यकता इस बात की है कि उस पर पैनल्टी इम्पोज करके उसे हम जमीन के खाते में कर दें। इससे वह सब आदमी केस से बच जायेंगे और राजस्थान के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। यह सब जानकर अफसोस होता है। हमको गम्भीरता से इस बात को सोचना है कि क्या हम राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से का इन्वेस्टमेंट इस आधार पर कर दें कि कुछ भी उससे नहीं मिले और राजस्थान के अन्दर जो सोशल सर्विसज के कमिटमेंट हैं इसे पूरा नहीं कर पायें। तो मैं समझता हूं कि एक कमिटमेंट पैदा हो जायगा। इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया है कि जिन परिस्थितियों में यह जो बजट रखा गया है उसकी प्रशंसा मैं करता हूं। लेकिन इन तीनों आधार को मैं समझा नहीं। बजट जो रखा गया हैं इसमें 25% राजस्थान कैनाल के लिये रखा गया है। इस तरह से नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें तब तो राजस्थान का समुचित विकास कर पायेंगे अन्यथा समुचित बिकास नहीं कर पायेंगे। माननीय सभापति महोदय, यह राजनीतिक दृष्टि से भी आवश्यक है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं मैं देखता हूं, 30-35 साल में हिन्दुस्तान की राजनीति में एक वर्ग पैदा हुआ है जिसके नेता चरणसिंहजी हैं उस वर्ग के नेता जब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे तब, माननीय सभापति महोदय, 700 करोड़ रुपये की सबिसडी दी। यह वह वर्ग है जिसने आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम का लाभ उठा कर एक राजनैतिक हैसियत बनायी इस बात की कि गांव में प्रधान वह बनेगा, एम. एल. ए. वह बनेगा, मिनिस्टर वह बनेगा और प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा। एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी हिन्दुस्तान में कि अगर हम ध्यान नहीं रखें तो राजस्थान में भी यही स्थिति पैदा होने वाली है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले हमें इन सब बातों का ध्यान रख कर राजस्थान का विकास करना होगा नहीं तो राजस्थान में आने वाले वर्षों में भी इस तरह के लोग हो जायेंगे और राजनैतिक दृष्टि से जो—

**श्री यदुनाथ सिंह**: यानि खेती पर सब्सिडी बन्द कर दी जाय। जितना हिन्दुस्तान में पूरी खेती के लिये लोन एडवान्स दिया जाता है उससे ज्यादा उद्योगपतियों को सब्सिडी दी जाती है। 5 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष सब्सिडी दी जाती है उद्योगपति को। इस बजट से 4 हजार करोड़ रुपये देश में हिन्दुस्तान के किसानों को लोन दिया जाता है, उससे आपको दर्द हो रहा है। जो उद्योगपतियों को, सेठों को सब्सिडी दी जा रही है वह इससे दुगुनी, तिगुनी सब्सिडी है केवल, लोन नहीं है, उसका दर्द नहीं आपको। आपने एक मजाक बना दिया है।

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय सभापति महोदय, किसान तीन तरह के हैं, स्माल फार्मर, मार्जिनल फार्मर ग्रौर बिग फार्मर....

**श्री यदुनाथ सिंह :** बिग फार्मर कहाँ हैं ? ग्रगर है तब तो कांग्रेसी सरकार की नीति फेल हो गयी। यह कहिये कि कांग्रेस सरकार की नीति फेल हो गयी। ग्राप जो जमीन....

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय सभापति महोदय, जिस बात की मुझे चिन्ता हो रही थी वह ग्रब हो गई। इस राजस्थान के ग्रन्दर स्माल फार्मर, मार्जिनल फार्मर के ग्रादमियों के प्रतिनिधि, जो विधायक हैं, बैठे हैं। राजस्थान में लैंड होल्डिंग है इसको यदि हम ग्राधार मानें तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं इस बात को कि राजस्थान का....

**श्री त्रिलोक सिंह** (फतेहपुर) : किसानों पर....

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय सभापति महोदय, कार्ल मार्क्स का विचार राजस्थान में लागू नहीं होता है। वह डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में भी नहीं लागू होता है। राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी बनती है तो यह बात कहते हैं, नया है। राजस्थान के ग्रन्दर एक कम्युनिस्ट पार्टी की....

(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रपनी बात ग्रांकड़ों के ग्राधार पर कहना चाहता हूं। ग्रब हमारे त्रिलोकसिंह कामरेड इसको कार्ल मार्क्स थ्योरी सिद्ध करना चाहते हैं, उनको खुद सोचना चाहिये इस बात को कि लैंड होल्डिंग कितनी है, बड़े किसान कितने हैं, स्माल फार्मर कितने हैं, मार्जिनल फार्मर कितने हैं। इसके ग्राधार मानेंगे तो राजस्थान में ज्यादातर ग्रादमी कुलक वर्ग के नहीं हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुलक वर्ग के प्रतिनिधि विधान सभा में बैठे हुए हैं। यह बात एक हकीकत है इसलिये उनको....

**श्री त्रिलोक सिंह :** मैं इस बात का चैलेंज करता हूं....

**श्री सी. पी. जोशी :** माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा था, हमारे राजस्थान की प्रगति के लिये ग्रावश्यकता इस बात की है कि हम ग्रपनी, हमारी जो नान टैक्स रेवेन्यू है उसको बढ़ायें। उसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि नान टैक्स रेवेन्यू का एक सोर्स हो सकता है माइनिंग। माइन की लीज सैंक्शन करें उस लीज के जो नियम हैं उसके ग्राधार पर। राजस्थान में 40-50 ग्रादमियों ने ग्रपने भाई भतीजे के नाम से 5 से 25 किलोमीटर जमीन का ग्रलाटमेंट करा कर डम्प कर रखी है। ऐसे ग्रादमी राजस्थान के रेवेन्यू को रोक रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें ग्रावश्यकता इस बात की है कि....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि

(श्री सी. पी. जोशी)

नान टैक्स रेवेन्यू का रिसोर्स माइनिंग भी हो सकता है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त नहीं करना चाहता, यह मेरा ही कर्तव्य नहीं है बल्कि राजस्थान विधान सभा में बैठने वाले दूसरे माननीय सदस्यों का भी कर्तव्य है कि हम राजस्थान में किस तरह का विकास आने वाले वक्त में करना चाहते हैं उसको पूरी गम्भीरता से सोचें। टैक्स लगायें तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ, लोकदल को तकलीफ, टैक्स नहीं लगायें तो कहें राजस्थान का विकास नहीं हो रहा है। टैक्स कैसे बढ़ायें, जब ये सत्ता में थे तो इनके दिमाग में प्लानिंग नहीं था। कुल मिला कर हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान के विकास में हम भागीदार बनना चाहते हैं। इसलिये मैंने, सभापति महोदय, निवेदन किया कि इस आधार पर हम राजस्थान के विकास के लिये सातवें प्लान में अपना प्लान बना सकते हैं तो महाराष्ट्र के मुकाबले में, पंजाब के मुकाबले में आगे बढ़ सकते हैं।

इस संबंध में मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, सभापति महोदय, उसकी बात मैं आपसे न कहूं तो उस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है, जिस सरस्वती नदी का पानी गुजरात के अन्दर जा रहा है उस पानी को टेप करने की योजना स्वर्गीय मोहनलालजी ने रखी थी, देवास योजना बन जाय, उस देवास योजना से सरस्वती नदी का पानी जो गुजरात में जा रहा है उस पानी को टेप करके उदयपुर में जल समस्या का निराकरण कर पायेंगे और इंडस्ट्रियल डवलपमेंट का एक वातावरण क्रियेट कर पायेंगे। इस योजना का काम जनता पार्टी के शासन में भी आगे नहीं बढ़ पाया और आज भी आगे नहीं बढ़ पाया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा और अपेक्षा करूंगा कि देवास योजना को कम्पलीट किया जायेगा अन्यथा उदयपुर में जो औद्योगिक वातावरण बना है और जो हमने उन्नति की है वह उन्नति जारी नहीं रख पायेंगे। उदयपुर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या आने वाली है। वहां वह समस्या और जटिल हो जायगी। सरस्वती नदी का पानी जो गुजरात में जा रहा है उसको अभी हम टेप नहीं करेंगे तो आने वाले समय में गुजरात उस पानी का उपयोग करेगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इसको पूरा कर लें। इस छठी पंचवर्षीय योजना में हम टोकन ग्रांट रखें लेकिन इस देवास योजना का काम निश्चित रूप से प्रारंभ किया जाना चाहिये।

जिस विधान सभा क्षेत्र से, माननीय सभापति महोदय, मैं आता हूं उस विधान सभा क्षेत्र में एक चीकरवास जगह है। उस चीकरवास से पानी जा सकता है जे. के. फैक्ट्री में। जे. के. फैक्ट्री 45 करोड़ रुपये की रेवेन्यू राजस्थान सरकार को देने की स्थिति में है लेकिन दो करोड़ का वह बांध नहीं बन पा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में आये थे उस समय मैंने इनसे निवेदन किया था और आज भी पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री सी. पी. जोशी)

उस चीकरवास योजना में 400 एम. सी. एफटी. पानी रिजर्व रहेगा। जे. के. फैक्ट्री के पानी की नीड को भी वह पूरा करेगी और उस क्षेत्र के किसानों की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। 6 करोड़ की योजना है। उसकी क्रियान्विति भी छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हो तब तो जाकर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पानी की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। इस दृष्टि से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 400 एम. सी. एफटी. का बांध बनाकर उस पानी को डाइर्ट किया है राजस्थान में। यह योजना है भीलवाड़ा तक। हमें इस बात की तकलीफ नहीं कि पानी नाथद्वारा से निकल कर बीजापुर तक जाता है या कहीं और जाता है लेकिन 10 हजार एकड़ में से केवल 1000 एकड़ में मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों को पानी मिलता है बाकी किसानों को पानी नहीं मिलता है। इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं श्री परसराम मदेरणाजी को लेकर वहां पर गया। वहां पर मैंने उनको बताया कि नागौर विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र में एक डेम बना हुआ है उसकी 10 एम. सी. एफटी. की क्षमता है। अतः इसके ऊपर एक डेम बना दिया जाय तो उसके पानी से हम बगड़ा,

( समय–समाप्ति–सूचक घंटी )

डेम को पूरा कर सकते हैं और नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र की करीब 2000 एकड़ जमीन को पानी दे सकते हैं। इस दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी सिचाई सुविधाओं की आवश्यकता है, चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बगड़ा योजना हो चाहे चीकरवास की योजना हो, चाहे मांडल की योजना हो, चाहे देवास की योजना हो, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपील करूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में चाहे टोकन ग्राण्ट दें ताकि सर्वे का आधार बनाया जा सके और सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जा सके, इस सम्बन्ध में निर्णय अवश्य करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं। राजस्थान के रोडवेज मिनिस्टर ने एस. आर. डी. टैक्स लगाया बसों पर। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना कि एस. आर. डी. टैक्स लगाना चाहिये, लेकिन प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज को समझने की आवश्यकता है। आज जो बस तहसील हैड क्वार्टर को टच करती है उस गांव से, यदि हम मानें कि जहां से पचास सवारियों की बस स्टार्ट होती वहीं से उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है और उसका सिक्स्टी पर्सेंट हम टैक्स लेंगे तो, माननीय सभापति महोदय, उस बस के मोटर मालिक के साथ अन्याय होगा। क्योंकि जहां से बस स्टार्ट होती है वहां पर 15 सवारी बैठती हैं, बीस सवारी बैठती हैं और तहसील हैड क्वार्टर के एक दो गांवों के पहले बस की कैपेसिटी पूरी होती है। लेकिन हमने नियम इस तरह का बना दिया कि जहां से बस प्रारम्भ होगी उस बस की कैपेसिटी का सिक्स्टी पर्सेंट हम टैक्स, एस. आर. डी. टैक्स वसूल कर लेंगे। इससे उदयपुर जिले के अन्दर मैंने देखा है कि गांवों के अन्दर स्थिति बड़ी खराब हो गई है। मोटर मालिक चलाना नहीं चाहता, टैक्स से बचना चाहता है। इस कारण

(श्री सी. पी. जोशी)

गांव के गांव इस बस की सुविधा से वंचित हो जायेंगे। इसलिये मेरा इसमें एक सुझाव है, माननीय सभापति महोदय, एस. आर. डी. टैक्स लागू किया जावे उसमें मुझको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन पहाड़ी इलाकों के अन्दर बस की जो कैपेसिटी है उसको फिक्स कर दें कि हम केवल चालीस सीट की गाड़ी को ही अप्रूव करेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे मोटर मोटर मालिक को भी फायदा मिल जायेगा और गांव वालों को भी इसका फायदा मिल जायेगा अन्यथा इस 50 और 55 की गाड़ी से उसकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। उदयपुर जिले में इससे आने जाने की बिल्कुल अव्यवस्था हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी और राजस्थान रोडवेज मिनिस्टर इस बात को सोचें गम्भीरता से कि उदयपुर जैसे पहाड़ी इलाके के अन्दर यदि हमने 55 सीटर गाड़ियों का एस. आर. डी. कम नहीं किया तो सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिलेगा, बसें बन्द हो जायेंगी और लोगों को बड़ी असुविधा हो जायेगी। इस सम्बन्ध में मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यदि हम रोडवेज की व्यवस्था नहीं कर सकते तो, माननीय सभापति महोदय, हम निर्णय कर लें कि हम डिविजन हैडक्वार्टर से स्टेट हैडक्वार्टर तक या हम डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से डिविजन हैडक्वाटर तक रोडवेज की व्यवस्था करेंगे, हम तहसील हैड क्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर तक प्राइवेट बसों को चलाने देंगे तब तो मैं समझता हूं कि रोडवेज की व्यवस्था भी ठीक चलेगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दो करोड़ रुपये और तीन करोड़ रुपये किसी पर टैक्स इम्पोज कर के हम राजस्थान में पलने वाले 25–30 हजार परिवारों को खतम करना चाहें तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम नान-टैक्स रेवेन्यू में इसका प्रोविजन रख लें अन्यथा लोग इस पर निर्भर हैं, उसके खलासी, मोटर मालिक उनकी फैमिली के मैम्बर के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा। इसलिए एस. आर. डी. टैक्स तो लगे इसमें मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रेक्टिकल प्राब्लम है उस प्रेक्टिकल प्राब्लम को देखते हुए इसकी कैपेसिटी कम करने का आधार बनाया जावे अन्यथा हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी भयंकर समस्या आने वाली है।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरी पार्टी के अन्य सदस्य भी बोलेंगे, मैं एक ही बात कह कर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। हमें गम्भीरता से इस बात को सोचना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन का जो डायरेक्टिव है उसको अभी भी हमने नहीं समझा। जितना हम इन्वेस्टमेंट करें उसका रिटर्न नहीं निकले तो यह बजट बनाने की प्रक्रिया, बजट रखने की प्रक्रिया है, इससे राजस्थान का जो डवलपमेंट करना चाहते हैं, समुचित विकास करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। इससे सोशल टेंशन डवलप हो जायेगा। राजस्थान की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए हमारी जो जियाग्राफी है, लम्बा चौड़ा हमारा इलाका है, पापूलेशन जो हमारा आधार है उसके लिए हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम भारत सरकार से गाडगिल फार्मूले को बदलवावें। जो हमारी जियोग्राफिकल कन्डीशन्स हैं, डिस्टेंसेज हैं, उसको आधार

(श्री सी. पी. जोशी)

मानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा लें। प्लानिंग कमीशन के डायरेक्टिव के आधार पर मैं पुनः कहना चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल से पानी लेने वाले काश्तकारों पर टैक्स लगाया जावे और उस पैसे को डाइवर्ट किया जावे हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के गरीब इलाकों को सुधारने के लिए।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, ट्राइवल एरिया डवलपमेंट के लिये हमने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इस 55 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से प्लान का जो एलोकेशन है उससे, माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम कोई एक नयी क्लास पैदा करना चाहते हैं। जिस आदिवासी का एप्टीट्यूड बिजनेस का नहीं है उसको लैम्प और पैक्स के आधार पर हम सीमेंट, शक्कर और यह सब चीजें देना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप जाकर जांच करलें, उदयपुर डिविजन के 90 पर्सेंट आदिवासियों के मकान कच्चे हैं। फिर उनके नाम की सीमेंट कहां जाती है? उदयपुर डिविजन के आदिवासी अपने खेत में फर्टिलाइजर उपयोग में नहीं लाते हैं। उनके नाम से सब्सिडी से फर्टिलाइजर गुजरात के अन्दर ब्लैक होकर जाता है। माननीय सभापति महोदय, वह शक्कर उपयोग में नहीं लेता हैं, वह गुड़ उपयोग में लेता है, लेकिन उसके नाम से निकलने वाली शक्कर कहां जाती है। इस लैम्प और पैक्स के नाम पर, इसके आधार पर उदयपुर डिविजन में एक नयी क्लास डवलप हो गयी है। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के नाम से सारे आदिवासियों के आर्थिक विकास की जो स्थिति है वह नहीं बन पा रही है। माननीय सभापति महोदय, इस ट्राइवल एरिया डवलपमेंट के विकास से उनकी संस्कृति को यदि हमने नष्ट कर दिया, उनकी संस्कृति को यदि हमने आधार नहीं माना और केवल इकानामिक एक्टीविटी को आधार माना तो, माननीय सभापति महोदय, यह जनजाति का जो क्षेत्र है उसमें इतनी विसंगतियां और सामाजिक बुराइयां घुस जायेंगी कि हम विकास की जगह उनका विनाश कर देंगे। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि उनकी संस्कृति को आधार मान कर..उनकी संस्कृति के आधार के साथ साथ आदिवासियों के निर्भर रहने का तरीका है, जंगल है, माइनिंग है उसको आधार मान कर अगर हम कुछ काम करें तब तो यह जनजाति विकास का सही लाभ आदिवासियों को मिल जायेगा अन्यथा ट्राइवल एरिया डवलपमेंट का जो पैसा है उसको सारा वेस्ट करके हम एक नयी क्लास डवलप कर लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र और गोगुन्दा से लगने वाले विधान सभा क्षेत्र हैं, उनके जो ट्राइबल हैं, उनके पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़ाई लड़ी। कानून में आज इस तरह का प्रावधान है कि रेवेन्यू विलेजेज में सिक्स्टी पर्सेंट की पापूलेशन नहीं है, उनको ट्राइवल एरिया डवलपमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार से निवेदन करके नियमों में परिवर्तन करवायें जिससे माडा और टाडा का लाभ कम से

(श्री सी. पी. जोशी)

कम गोगुन्दा और नाथद्वारा में रहने वाले आदिवासी को मिले। वरना वहां का गरीब तो इससे वंचित है और आज सवाई माधोपुर के लोग-बाग इस ट्राइबल एरिया की माडा योजना का फायदा उठा रहे हैं। इससे मेरा निवेदन है कि जो लाभ उठाना चाहते हैं उनके साथ अन्याय हो जायेगा।

मैं चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर हम जिस सामाजिक क्रान्ति की आशा कर रहे हैं उस सामाजिक क्रान्ति का कदम आगे बढ़ाने के लिए नान-टैक्स रेवन्यू बढ़ाने का हम आधार मानेंगे तो मै समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हम राजस्थान में जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जिस आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन में विश्वास रखते हैं वह हो पायेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

**श्री कैलाश मेघवाल :** मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि कुल आपके उधर ज्यादा हैं या हमारे इधर ? आपकी तो सब पर नजर है।

**श्री सी. पी. जोशी :** मैंने आइडेंफाई नहीं किया है। आइडेंटी फाई करने का काम आपको सौंपता हूं

**श्री सभापति :** श्री हाजी च.व खां।

(अनुपस्थित)

**श्री बन्शीलाल पटवा।**

(व्यवधान)

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** कुलक कौन हैं यह तो सब जानते हैं।

**एक माननीय सदस्य :** आप रामा सेट्टी हो जब जानते हैं। यह आपके बस की बात नहीं है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** मामला सही है, आप वहीं तक रहो।

**श्री कैलास मेघवाल :** ऐसा है कि सी. पी. जोशी तो पढ़ा लिखा आदमी आप में फंस गया है। पढ़ाइ लिखाई की बातें आपकी समझ में आयेंगी नहीं। अपना तो X X X ही काम आयेगा।

(व्यवधान)

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** उधर गये ही क्यों छोड़ करके। हमारी पार्टी के यहां तो नो वैकेंसी का बोर्ड था आपके लिए।

**श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :** तो मैं बैठ जाऊं, आप बोल रहे हो तो ?

**श्री सभापति :** श्री बंशीलाल पटवा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** मैं आपको पूछ कर नहीं बोल रहा हूं।

---

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

**श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : मुझे तो पूछ कर नहीं बोल रहे हैं लेकिन आप सभापतिजी को तो पूछ कर बोलते ।

माननीय सभापति महोदय, बजट भाषण पर माननीय सदस्यों ने अलग अलग अपने विचार रखे । 175 करोड़ का घाटा बजट में दर्शाया गया । आंकड़ों के जंजाल में जाने की बजाय मैं तो इतना ही कहूंगा कि यह जो कुछ बजट पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है यह जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है । इससे विकास की गति रुकेगी, यथास्थिति बनी रहेगी और जो लोगों की आकांक्षायें जिस ढंग की हैं उसके अनुरूप यह बजट बिल्कुल नहीं होकर एक प्रकार से प्रतिगामी है । बजट में कहा जा सकता है कि टैक्स नहीं लगाये गये और हम विकास करेंगे । घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया । यदि कोई विचार करे गम्भीरता से, घाटे की दुकान पर यदि हम कोईसौदा बेचना चाहें और मुनाफे की बात ही नहीं करें और घाटे में हम चलते रहें तो हम विकास नहीं कर पायेंगे । जिस ढंग से इस बजट को प्रस्तुत करते समय विकास की बातें कही गयीं, कुछ उपलब्धियों की बातें कही गयीं, लेकिन राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है और दूसरी स्टेट्स का यदि हम जायजा लें तो शायद दूसरी स्टेट्स से हम कई मायनों में पीछे हैं । आज हम दूसरी स्टेट्स के अनुसार किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इसका इस बजट में गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है ।

आज हम सिंचाई की योजनाओं को ले लें, प्रोजेक्ट्स को ले लें, सिंचाई के बारे में कहा जाता है कि हम सिंचाई के अंक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिंचाई के अंक बढ़ाने के बाद मैं आपको अर्ज करूं कोई भी योजना हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी एनीकट हो, वह परिस्थितियों पर निर्भर है। कोई भी प्रोजेक्ट गांव के हित के लिए किसानों के हित के लिये बनाये जाते हैं लेकिन आज इस मामले में न कोई तकनीकी दृष्टि से ध्यान रखा गया कि कहां कौन सा प्रोजेक्ट, टैंक, एनीकट बनाना चाहिए । मैं आपको अर्ज करूं, राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर कई इस तरह के हमने एनीकट और प्रोजेक्ट बना डाले जिनके परिणाम और रिजल्ट जो अनुकूल निकलने चाहिये वह नहीं निकल पाये । यदि आप चाहें तो मैं उदाहरण भी दे सकता हूं । मेरे क्षेत्र में संभलपुर है जहां पर एक एनीकट बनाया गया । वहां पर एनीकट पर लाखों रुपया खर्च किया गया लेकिन उससे एक इंच धरती की सिंचाई नहीं होती है । तो मेरा इस बारे में निवेदन है कि कोई भी टैंक बनायें, एनीकट बनायें यथार्थता के आधार पर, धरती पर खड़े रह रहकर, गांवों का अधिक से अधिक विकास हो, गांवों के किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, सिंचित क्षेत्र बढ़े, योजना बढ़े इस दृष्टि से एनीकट बनाने चाहिये । जैसा मैं आपको बताऊं, मेरे क्षेत्र में होशियाड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी राइट और लेफ्ट कैनाल है. लैफ्ट कैनाल से सिंचाई बिल्कुल नहीं होती है. अगर होती है तो 5-50 बीघा में होती है । उसको हम और विकसित कर सकते हैं, उसकी बेसवीयर हम दूसरी तरफ दे सकते हैं, दूसरी तरफ नहर को ले जा सकते हैं और सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं । लेकिन इस तरह यथार्थता के आधार पर कोई योजना नहीं बनाई जाती, राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर बनायी जाती है । मैं संभलपुरा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था

(श्री बंशीलाल पटवा)

उस संभलपुरा का एनीकट न बना कर अगर पड़ोस के टैंक को ठीक किया जाता और फीडर बना दी जाती तो पांच सौ बीघा में और सिंचाई बढ़ जाती ।

इसी तरह से आपका न्याखेड़ी प्रोजेक्ट को मेरे क्षेत्र में ले लीजिये । वहां एक छोटा सा तालाब था उसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट का रूप दे दिया । कान्याखेड़ी के पड़ोस में जो गांव है उसके किसानों को उससे पानी बराबर नहीं मिलता है, बहुत सीमित मात्रा में थोड़े से लोगों को पानी मिलता है और बाकी दूर के इलाकों में पानी जाता है । सिंचाई की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए उस पर जितनी लागत लगाई और जो अपेक्षाएं थीं उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं निकला । इसलिये मेरा निवेदन है कि सिंचाई के मामले में कुछ व्यवस्थाएं निश्चित होनी चाहिये । हम विकास की और प्रोजेक्ट की बातें करते हैं; सिंचाई के लिये हमने फण्ड भी रखा कि सान्टों के लिये फन्ड भी रखा है लेकिन सवाल इस बात का है कि आज हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों बरता जाता है । आज डिस्क्रिमिनेशन इतना बरता जाता है कि जितने भी इसके मामले आते हैं, मद में पैसा रखते हैं वह पैसा कहां जायेगा ? एक क्षेत्र में जाकर लग जायेगा । माण्डलगढ़ क्षेत्र में जाओ, वहां सड़कें ज्यादा मिलेंगी, सिंचाई के प्रोजेक्ट ज्यादा मिलेंगे, विद्युतीकरण के मामले ज्यादा मिलेंगे । वहां विद्युतीकरण ज्यादा होगा और दूसरे क्षेत्रों में कम विकास मिलेगा, कम बिजली की लाइनें खिंची हुई मिलेंगी । प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, सड़कें नहीं मिलेंगी । स्थिति यह है कि यहां पर बिना सैंक्शन के काम हो जाता है और विरोध पक्ष के साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है लेकिन विकास की बातें हम करते हैं । ऐसी दयनीय स्थिति है । मेरे क्षेत्र में आइये जो प्रोजेक्ट है उसकी राइट और लैफ्ट कैनाल में से लैफ्ट कैनाल का जितना मिसयूज किया जाता है, आज आपको बताऊं....

(व्यवधान)

**श्री छोगाराम बकोलिया** : डिस्क्रिमिनेशन कहां है ? सीकर का सेंटपर्सेंट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका । इसी प्रकार सिरोही का 95 प्र.श. इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है । डिस्क्रिमिनेशन कहां है ? इसी तरह से, आप कह रहे हैं, माण्डलगढ़ का हो चुका है ।

**श्री बंशीलाल पटवा** : जहां डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वहां की बात कर रहा हूं मैं । आप बताइये, मेरे क्षेत्र में कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ? बताइये, आपको नालेज हो तो ।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सीकर जिला आपका है ही नहीं ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)** : हमारे साथ क्या बात करेंगे, इनको पूछिये रामपाल जी उपाध्याय को । आप अपनी पार्टी को ही नहीं रख पा रहे हैं, हमारे साथ क्या करेंगे....

(व्यवधान)

108



**श्री सभापति** : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

**श्री बंशीलाल पटवा** : सुनना सीखो। जो हम बात कह रहे हैं तो लाजिकली बात कह रहे हैं। यदि कहीं यथार्थता नहीं है तो हमको कहिये, हम सुधार लेंगे, आपकी तरह रिजिड नहीं हैं। कोई बात कह रहे हैं तो सुनने की आदत नहीं है और डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। डेमोक्रेसी का विकास करेंगे ?

**श्री छोगाराम बकोलिया** : आपने ही ठेका नहीं ले रखा है डेमोक्रेसी का।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : कृपया आसन को संबोधित करें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : × × × तो हमने ही ले रखा है आपने नहीं ले रखा है। आप लोगों की × × × तो हमारा ही है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : पहले कांग्रेस की सरकार ने 1456 मेगावाट बिजली का उत्पादन छोड़ा, जब वापस हमारी सरकार आई तब हमको 1056 मेगावाट का उत्पादन मिला और आज करीब 1700 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। आपने केवल कनेक्शन ही दिये, जनरेशन एक मेगावाट का किया नहीं।

**श्री रघुवीरसिंह कौशल** : कोटा थर्मल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, श्रीमान् मंत्री महोदय, बताइये। आपके जमाने में आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया ? थर्मल प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ ? माही प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ ?

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : हमने कोटा में शुरू किया। इसी साल पलाना में 5 करोड़ की लागत से 120 मेगावाट के संयंत्र शुरू करने की योजना है, अनूपगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट, जैसलमेर में गैस पर आधारित संयंत्र....

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : खाली घोषणा करने से कुछ होता नहीं।

**श्री सभापति** : बीच में व्यवधान न डालिये। आर्डर प्लीज। श्री बंशीलालजी।

**श्री बंशीलाल पटवा** : मान्यवर सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था, विद्युतीकरण हुआ उस बात से हमको एतराज नहीं लेकिन यथार्थता की नीति का पालन करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरता जा सकता। 2·3 पर्सेंट का फर्क हो सकता है, कहीं आवश्यकता हो तो पहले काम शुरू किया जा सकता है लेकिन बिना स्वीकृति के काम करवाये जाते हैं। तो यह थोथा बजट है, बोगस बजट है। कई इस तरह के काम हुए हैं भीलवाड़ा जिले में गांवों में, जैसे बोगस मस्टररोल भरे गये। इस तरह की स्थिति वहां पर है। माण्डलगढ़ के लिये आपको बताऊं

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री बंशीलाल पटवा)

महोदय कह रहे हैं, राजस्थान के अलग-अलग प्रांतों के जो ट्रैक्टर्स हैं, जो भीलवाड़ा जिले के ट्रैक्टर हैं, कुछ व्यक्तियों के नाम से ढाई लाख का फर्जी पेमेंट उठा लिया गया है, माण्डलगढ़ में।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री बंशीलाल पटवा** : यदि आप चाहें तो मैं आपको—

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : मंत्रीजी की बात सुनने दीजिये।

**श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : मंत्री जी बोलिये, क्या कहना चाहते हैं।

**श्री रघुवीर सिंह कौशल** : सुनने के लिये धैर्य जरूरी है।

**श्री सभापति** : वह कुछ नहीं कह रहे। कहना चाहेंगे तो कह देंगे।

**श्री बंशीलाल पटवा** : माननीय सभापति महोदय, मैं आपको वाउचर नम्बर बताऊं, इस तरह से किया गया है। मैं आपको बताऊं, आर.एस.पी., आर.एस.एल., आर.आर.क्यू., यह आर.आर.क्यू. जोधपुर का ट्रैक्टर है। काम चला नहीं। डीजल कितना खर्च हुआ, कितनी गिट्टी डाली पता नहीं। आपको बताऊं इस तरह से अलग-अलग वाउचर नम्बर हैं और अलग-अलग का ढाई लाख का पेमेन्ट है। श्री सी. एल. वर्मा के नाम—

**श्री देवेन्द्र सिंह** : आप इस तरह की बात कर रहे हो....

**श्री बंशीलाल पटवा** : श्री सी. एल. वर्मा ए.ईएन. हैं उसके नाम से चैक बना है। किसी पार्टी को पेमेन्ट नहीं किया गया। श्री सी. एल. वर्मा, जो ए.ई.एन. लगा हुआ था माण्डलगढ़ क्षेत्र में, उसके नाम चैक उठाया। यदि सरकार ईमानदार है, सिंचाई विभाग ईमानदार है तो इन ठेकेदारों को पेमेन्ट क्यों नहीं किया गया। यह मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं, वाउचर नम्बर, चैक नम्बर और ट्रैक्टर नम्बर मेरे पास है। अब बजट पर हम विचार करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, सिंचाई की कोई भी योजना बनाई जाये, हमारा राजस्थान प्रदेश किसानों का प्रदेश है और किसानों के हित के बारे में ज्यादा सोचा जाना चाहिये। किसानों को बिजली कितनी मुहैया करा सकते हैं इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, किसान के लिए सिंचाइ के साधन कितने जुटा सकते है इसके बारे में सोचा जाना चाहिये। मैं आपको एक बात बताऊं, मन्त्री महोदय बोल रहे थे, मंगरोल मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का गांव है वहां पर 20 गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। कुओं पर मोटर लगी हुई है। गुवारड़ी बांध से, गुवारड़ी प्रोजेक्ट से पानी मिल जाता है किसानों को, कान्याखेड़ी प्रोजेक्ट से पानी मिल जाता है, मेजा प्रोजेक्ट से पानी मिल जाता है, छोटे बड़े तालाबों से पानी मिल जाता है

(श्री बंशीलाल पटवा)

फिर भी वहां बांध इसलिये बनाना चाहते है ताकि इनका क्षेत्र माण्डलगढ़ हरा-भरा हो।

(व्यवधान)

मैं आपको बताऊं, मन्त्री महोदय, दयनीय स्थिति यह है कि मन्त्रीजी मंगरोल में तो कहते हैं प्रोजेक्ट नहीं बनेगा और 20 मील आगे जाते हैं तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट बनेगा।

(व्यवधान)

फिर आपको मालूम पड़ेगा कि लोग मेरे साथ हैं या आपके साथ है। मैं एक निवेदन आपसे यह कर रहा था कि इस प्रोजेक्ट का पहले सर्वे हो चुका है और सर्वे होने के बाद प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। आज इसका सर्वे फिर से क्यों कराया जा रहा है ? मैं आपको बताऊं कि जहां पानी की आवश्यकता है, किसानों को सिंचाई के लिये पानी चाहिये, बिजली जहां चाहिये, और कोई साधन चाहिये, वहां के लिये योजना बनायी जाती। उस क्षेत्र के आदमी कह रहे हैं हमको पानी नहीं चाहिये लेकिन जबरदस्ती प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं....

**श्री देवेन्द्र सिंह :** थोड़ा बहुत तो सच बोलो। बोले ही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो सच बोलो।

**एक माननीय सदस्य :** सच बोलने का ठेका नहीं ले रखा, मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

**श्री बंशीलाल पटवा :** हमको कोई एतराज नहीं है। हम विरोध पक्ष में हैं और आप सरकारी बेन्चेज पर हैं। कोई भी योजना बनावें, सरकार अपनी नीतियां लागू करे लेकिन उन नीतियों में यदि कहीं कोई दोष लगेगा, कोई मान लो अवगुण लगेगा तो हम निश्चित रूप से प्रकट करेंगे। मेरा इस बारे में यह निवेदन है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं बरता जाना चाहिये। परिस्थितियों के अनुसार जनहित की दृष्टि से योजनाएं बननी चाहिये, प्रोजेक्ट बनने चाहिये, यह मैंने अर्ज किया है।

सड़कों की दृष्टि से आप देख लीजिये ? अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। मैं आपको अर्ज करूं, सड़कों की दृष्टि से भी छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सभी माननीय सदस्यों को बुलाया गया, आप अपनी सड़कों के लिये प्राथमिकता बता दीजिये। हमने वह सारा देखा। उनमें मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिमिनेशन बरता गया, मेरे क्षेत्र में केवल चार सड़क ली गयीं, किसी जगह कम ली गयीं और किसी जगह ज्यादा ली गयीं लेकिन माननीय मन्त्री महोदय के क्षेत्र में और माण्डलगढ़ क्षेत्र में ज्यादा सड़कें ली गयीं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है ? आज जो पैसा लगेगा माण्डलगढ़ क्षेत्र में या या दूसरी जगह, मैं आपको बताऊं, मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि सच तो बोलो, मैं, मन्त्री महोदय, आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में लोढ़ा बड़ावा से बनेड़ा तक माइनर रोड बनायी जा रही है वह

(श्री बंशीलाल पटवा)

किस स्वीकृति के तहत बनायी जा रही है ? किस स्वीकृति के तहत बनायी जा रही है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : कोई माइनर रोड बनेड़ा की नहीं बनायी जा रही है।

श्री बंशीलाल पटवा : नहीं बनायी जा रही है तो जांच करवा लीजिये। विधायकों की कमेटी विठवा दीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : जांच क्या करें ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया यह कोई प्रश्नोत्तर काल नहीं है। आप आसन को सम्बोधित करते हुए अपनी बात कहिये।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं आपको अर्ज करूं माण्डलगढ़ क्षेत्र —

(व्यवधान)

ये मुझे टोक रहे हैं—

श्री देवेन्द्र सिंह : इन्होंने कहा कि जवाब दीजिये इसलिये जवाब दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : दिल पर पत्थर बांध लो। काले कारनामे सुनने पड़ेंगे। आपको तो सुनना ही पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, यह कांच के महल में बैठ कर दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। भूल गये ये उन बातों को हमने जो स्कूल खोले थे वह इन्होंने 1970 से किस कारण से बन्द किये। आज ये इतना तो मानें कि हमने इनकी चार सड़कें मंजूर कीं —

(व्यवधान)

वह स्कूल किस पार्टी ने बन्द कर दिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो आपके भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री खेतसिंहजी से पूछो जिन्होंने सदन में कहा है कि जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा स्कूल मेरे क्षेत्र में खुले हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, यह कोई डिबेट का तरीका है। एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बीच बीच में मन्त्री महोदय खड़े होकर अपनी-अपनी बातें सुनाते जा रहे हैं इससे सदन का समय बरबाद हो रहा है। मेरा एक निवेदन है कि पहले माननीय सदस्य अपनी बात कह दें उसके बाद आपको जो स्पष्टीकरण देना है वह दे दें। बीच बीच में कभी श्रीरामजी खड़े हो जाते हैं, कभी मन्त्रीजी खड़े हो जाते हैं, यह डिबेट का कौनसा तरीका है, सभापति महोदय ?

(व्यवधान)

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : जब जवाब देंगे तब चले जाओगे, वाक आउट कर जाओगे।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : यह पशु-पालन का मामला नहीं है, जब पशुपालन का मामला आये तब, मन्त्री महोदय, आप जवाब दीजिये।

**श्री सभापति** : आपका पाइन्ट हमने सुन लिया। कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य, श्री बंशीलाल पटवा बोलें। कृपया कोई इन्ट्रप्ट न करें दोनों तरफ से।

**श्री बंशीलाल पटवा** : माननीय सभापति महोदय, सिचाई का मैंने जिक्र किया।

इसी तरह से सड़कों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जहां सड़कों की आवश्यकता है, हमने पिछले फेमिन में जितनी सड़कें बनायीं उनमें से कौनसी सड़क कहां से लिंक करती है, कौनसी उपयोगी है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मान लो, यदि उनका अर्थ वर्क हो चुका है तो सोलिंग लगा कर उनको ठीक करना चाहिये। यदि इसको हम भेदभाव की नीति और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे तो मैं सोचता हूं कि जो पैसा लगा है वह व्यर्थ जायेगा। पैसा व्यर्थ नहीं जाये और उसका सही उपयोग हो जाये, इस दृष्टि से इन सड़कों का उपयोग होना चाहिये लेकिन वहां डिस्क्रिमिनेशन बरता जाता है। इस दृष्टि से मैं केवल इतना ही कहूंगा, यदि हम विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मांगें तय करना चाहते हैं तो केवल बजट में लिख दें इस से हम विकास की गति को आगे बढ़ायेंगे, विकासशील बजट है इसके कहने से भी विकास नहीं होगा, यह इसके एक्जीक्यूशन पर निर्भर है। एक गंदे पात्र में सब्जी डालेंगे तो गंदी बनेगी और अच्छे पात्र में सब्जी डालेंगे तो अच्छी बनेगी। तो इस दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि हम यथार्थता के आधार पर जहां आवश्यकता हो वहां काम करावें।

इसके अतिरिक्त मैं आपको शिक्षा की दृष्टि से अर्ज करना चाहता हूं। शिक्षा के मामले में कहा जाता है कि हमने स्कूल खोले, इस बजट में 3000 स्कूल खोलने का प्रावधान है। जहां स्टूडेन्टस का लोड है वहां पर स्कूल खुलना चाहिये। प्राइमरी स्कूल्स हमें ज्यादा खोलने चाहिये। आज आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाइये वहां टाट पट्टी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, भवन नहीं है। वही विद्यार्थी प्राइमरी एजूकेशन लेकर कालेज में जायेगा, वह नींव का पत्थर है, यदि हम प्राइमरी स्कूल को ठीक नहीं करेंगे, स्कूल जहां खोलना है वहां हम आवश्यकतानुसार नहीं खोलेंगे, राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर खोलेंगे तो मैं सोचता हूं कि इसका रिजल्ट ठीक नहीं आयेगा। आज भीलवाड़ा नगर में, मैं आपको बताऊं, राजेन्द्र मार्ग पर सैकण्डरी स्कूल है। वहां स्टूडेन्ट्स का लोड ज्यादा है। प्रतापनगर में केवल एक हायर सैकण्डरी स्कूल है। वहां से बच्चे नहीं आ सकते हैं। वहाँ से भीलवाड़ा आते हैं। दूसरे गांवों के बच्चे आते हैं। वहाँ लोड ज्यादा है। इसको हायर सैकण्डरी

(श्री बंशीलाल पटवा)

किया जाना चाहिये था लेकिन नहीं किया गया जबकि एक-एक कान्स्टीट्यूएंसी में दो तीन हायर सैकण्डरी स्कूल खोले गये। मैं आपको बताऊं, दयनीय स्थिति है, पिछली बार जहां स्कूल खुले हुए थे वहां स्कूल खोलने के आदेश निकाले गये। यह दयनीय स्थिति है। इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में एक गांव है, जहां पर प्राथमिक स्कूल ब्वायज का है लेकिन उसको कन्या मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया गया। यह स्थिति है। हम कुछ नहीं देखते। मैं आपको यह और बताऊं मेरे जिले में तो यह होता ही है लेकिन मुर्दों को भी पदोन्नति दी जाती है, जो मर गये हैं उनको पदोन्नति दी गयी। मेरा यह निवेदन है कि इस सरकार की पकड़ ठीक नहीं है। सरकारी मशीनरी यही काम करेगी, आकाश से नहीं टपकेगी। एजूकेशन सेन्टर की यह हालत है। दूसरी स्थिति मैं आपको और बताऊं, जो स्कूल खोले गये हैं उनमें अध्यापक नहीं हैं। पहले भी अध्यापक नहीं थे। कालेज और स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। 3 हजार स्कूल और खुल जायेंगे, तीन हजार अध्यापकों की भर्ती की जायेगी फिर भी मास्टरों की कमी रहेगी। इसलिये कोई भी हम योजना बनावें यथार्थता के आधार पर बनावें, थोड़ी ऐसी व्यवस्था करें कि स्कूल खोलने की घोषणा की जाये उसके साथ-साथ हम मास्टर भी दे सकें, टाट पट्टी भी दे सकें, बच्चे भी स्कूल में पढ़ने आ सकें ऐसे स्थान पर स्कूल खोलें। इस तरह की व्यवस्था की जाय।

इसके साथ साथ मैं जलदाय विभाग के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्प का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हैण्ड पम्प नहीं लगे हों, पाइप लाइन नहीं लगी हो, पाइप लाइन स्कीम लागू नहीं की गई हो, लेकिन जलदाय की स्कीम में सुधार की स्कीम क्यों नहीं लागू करते। हम पैसा लगायेंगे तो उससे ज्यादा हमको पैसा प्राप्त होगा। आज अनुसूचित जाति के लोगों की बात करते हैं लेकिन जहां पर खटीक जाति के मोहल्ले हैं, 500 परिवार रहते हैं वहां पर आज पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं पहुंची है। भीलवाड़ा जिले की जो जलदाय स्कीम है, उसका आज हम किसी जगह एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो भीलवाड़ा में जितने उपनगर हैं उनको ठीक प्रकार से पानी क्यों नहीं मिलता। आज पाइप लाइन डाल सकते हैं, पाइप लाइन बदल सकते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता है। हम विकास करना चाहते हैं तो जिस जरिये से रेवेन्यू प्राप्त होती है उस जरिये को, उस स्कीम को ज्यादा कारगर ढंग से लागू करें। इस तरह की व्यवस्था की जाये जिससे रेवेन्यू प्राप्त हो सके। भीलवाड़ा जिले में एक हरनी गांव है, दूसरे उप नगर हैं वहां पर पाइप लाइन बिछाकर सुधार की स्कीम लागू करनी चाहिए, एक्सटेंशन करना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं शीघ्र समाप्त कर रहा हूं।

इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, हैण्ड पम्प तो हमने लगा दिये हैं, आज हैण्ड पम्पों के बारे में सभी ने जिक्र किया है, पिछले सेशन में भी सवाल आया था कि

(श्री बंशीलाल पटवा)

हमने पंचायतों को फण्ड दे दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया ? आपने जो नीति तय की थी पंचायतों को फण्ड देने की उसके बाद वह योजना कारगर ढंग से लागू क्यों नहीं हो सकी। आज भी आधे से अधिक गांवों में हैण्ड पम्प बन्द हैं। हम पेय जल देने की बात करते हैं लेकिन जिन गांवों में हैण्डपम्प फिजीबल नहीं हैं, नान-फिजीबल हैं, जहां हैण्ड पम्प सक्सेस नहीं हुआ वहां पर क्यों नहीं दूसरी स्कीम लागू करते ? बोरिंग नहीं कर सकते, हैण्ड पम्प नहीं लगा सकते तो वहां पर कुएं खुदवायें, और कोई दूसरी स्कीम लागू करें जिससे जनता को पानी मिल सकें। मैं आपको बताऊं, कान्दा एक गांव है जहां पर 500 घर रंगरों के हैं वहां आज तक एक भी हैण्डपम्प कारगर साबित नहीं हुआ और न ही दूसरी स्कीम लागू की जा रही है। इसी तरह के राजस्थान में बहुत से गांव हैं जहां पर इस तरह की योजना बनाकर पेयजल दे सकते हैं लेकिन यह केवल हैन्ड पम्प लगाने का ढिंढोरा पीटते हैं। हैण्डपम्प चालू हैं या नहीं हैं इसका तो विचार कर लीजिये। अगर पंचायत उनको ठीक नहीं करा सकती तो यह काम जलदाय विभाग को दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ चिकित्सा के बारे में कहना चाहूंगा कि आज चिकित्सा की स्थिति बहुत दयनीय है। जहां आवश्यकता है वहां हम डिस्पेन्सरी खोलते नहीं हैं, चिकित्सा केन्द्र नहीं खोलते जहां खोले जाने चाहिए। इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन और है कि अस्पतालों के सुधार के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। यदि कोई डाक्टर मेरा या मंत्रीजी का इलाज कर दे, दवा दे दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह डाक्टर ठीक है। आज 2-3 प्रतिशत डाक्टर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 95 प्रतिशत डाक्टर ऐसे बैठे हैं जो जेब काटने पर उतारु रहते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि कोई मुर्दा है तो वे डाक्टर उस मुर्दे का कफन भी उतार लेते हैं, इस तरह की स्थिति है। आप एस.एम.एस. में चले जायें, किसी जिला केन्द्र पर चले जायें, भीलवाड़ा में एक लाख का हास्पिटल खोल दिया, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आज वहां पर ऐसे डाक्टर बैठे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, एक दिन लिख दिया कि विकलांग नहीं है और 10 दिन बाद लिख दिया कि विकलांग है। ऐसे डाक्टर बैठे हुए हैं, जिनको सरकार की ओर से तरक्की दी जा रही है। यदि कोई चाहे तो मैं दोनों सर्टिफिकेट सदन की टेबल पर प्रस्तुत कर सकता हूं। इस तरह की स्थिति से हमको बचना चाहिए। कोई भी सरकार सच्चाई और यथार्थ के आधार पर नहीं चल सकती तो वह विकास भी नहीं कर सकती, उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं हो सकते।

बजट के बारे में हमने कहा कि यह प्रतिगामी है, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम केवल आलोचना में विश्वास रखते हैं। हम आपसे यह भी अर्ज करना चाहते हैं कि आप यदि राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, जोशीजी ने आगूचा प्रोजेक्ट की बात कही कि यदि आगूचा प्रोजेक्ट

(श्री बंशीलाल पटवा)

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को नहीं देते और राजस्थान सरकार अपने बलबूते पर कोई न कोई व्यवस्था करके कोआपरेटिव बेसिस पर इसको चलाती तो राजस्थान के 10 बजट तैयार हो सकते थे। वहां इस तरह की मिनरल हैं, इस तरह की धातु हैं जिनका दोहन करके राजस्थान को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज भी हमारे राजस्थान में खनिज पदार्थ बहुत हैं जिनकी खोजबीन पुख्ता तरीके से की जानी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए उनको आज राजस्थान में प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, जिन लोगों ने खोजबीन की उनका कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। खनिज पदार्थ के बारे में मेरा निवेदन है कि हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की कई बातें कही। लेकिन भीलवाड़ा नगर में, मैं आपको बताऊं, मशीनें महंगी खरीदी जाती हैं। यदि डायरेक्ट कम्पनी से सम्पर्क करके खरीदते तो 600 रुपयों के बजाय 400 रुपयों में मिल जाती। इस तरह से करप्शन के अड्डे बनते जा रहे हैं। डी. आर.डी. वगैरह जो हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। आज बैंकों से अनुसूचित जाति के लोगों को लोन नहीं मिलता। जो पहले पहुंच जाते हैं उन पर विचार नहीं होता और जो बाद में जाते हैं, पैसा देते हैं, घूस देते हैं उनको पैसा मिल जाता है। बैंकों के बारे में बताऊं, यह बिल्कुल निकम्मा साबित हो चुके हैं। जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वे आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं क्योंकि इनमें जनता के कोई प्रतिनिधि नहीं हैं, सरकार चेयरमैन बना देती है और वे लोग अपनी मनमानी करते हैं। किसी ने 2-3 हजार रुपया दे दिया तो उसको 25,000/- का लोन मिल जायेगा। तीन हजार रुपया अनुसूचित जाति वाला लेगा अगर वह 50-500 रुपये दे देगा तो उसको 2,500/- रुपया मिल जायेगा। जिन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए उनको बिल्कुल मिला नहीं है और जो चालाक, होशियार, तेज आदमी हैं उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति की है।

आज इस बजट के संबंध में भी मेरा निवेदन है कि हम आमदनी के जरिये बढ़ायें, आमदनी के जरिये बढ़ाने में लीकेज बन्द करें, लीकेज पर अंकुश लगायें, जो वसूलियां हैं उनको पूरी करें। इसके साथ साथ जिस ढंग से हम और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वह करना चाहिए। जैसे सीमेंट के कारखाने की बात है, उस समय आप मुख्य मंत्री नहीं थे जब मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना था, उन्होंने सीमेन्ट के कारखानों के बारे में जोर देकर कहा था। आज मुख्य मंत्रीजी जिस तरह बच्चों को गोलियां बांटते हैं उसी तरह प्लान्ट बांटते फिरते हैं कि यह कारखाना है, वह कारखाना है। माण्डलगढ़ क्षेत्र में एक भी सीमेन्ट का कारखाना नहीं लगा है, आज दिन तक नहीं लगा, सारी बातें भ्रमित करने के लिए कही गयीं। मैं आपको बताऊं, राजस्थान में सीमेन्ट के पत्थर इतने हैं, लाइम स्टोन इतने हैं, यदि हम सीमेन्ट के कारखानों का जाल बिछायें तो मैं सोचता हूं राजस्थान को हम आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन कथनी और करनी में बहुत अन्तर होता है। मुख्य मंत्री ने पिछले समय बातें कही थी जब मुख्य मंत्री नहीं थे, आज उन बातों को दोहराना चाहता हूं, उनको स्मरण कराना चाहता हूं। मैं

(श्री बंशीलाल पटवा)

आज सोचता हूं, मुख्य मंत्री चाहे कैसा भी बजट पेश करें उससे राजस्थान के विकास को गति नहीं मिल सकती है। यदि यथार्थता के आधार पर हमने आमदनी बढ़ायी आमदनी बढ़ाने का जरिया ढूंढा तो निश्चित रूप से राजस्थान आगे बढ़ सकता है, दूसरे स्टेट्स से आगे बढ़ सकता है अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा।

यह बजट प्रतिगामी है, मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

**श्री सभापति**: श्री छोगालाल कंवरिया।

**श्री छोगालाल कंवरिया** (दूदू): माननीय सभापति महोदय, जो 1984-85 का माननीय वित्त मंत्रीजी ने 15 मार्च को बजट रखा, उसके समर्थन में मैं आपकी आज्ञा से कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट 1984-85 का राजस्थान की मौजूदा परिस्थितियों में रखा है, मैं समझता हूं, वह बहुत ही अच्छा बजट है। मैं उनको इस संबंध में बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट रखा है और किसी प्रकार का कोई टैक्स राजस्थान की जनता पर नहीं लगाया। यह बजट चतुर्मुखी बजट है इसमें सभी प्रकार के विकास की सम्भावना है। यह बजट विकासोन्मुखी है और राजस्थान की जनता की गरीबी को दूर करने वाला है, सामाजिक सेवाओं के लिये है और सामाजिक न्याय दिलाने वाला है और राजस्थान का उत्पादन इससे बढ़ेगा। इस प्रकार राजस्थान का बजट चतुर्मुखी है और इसमें सब प्रकार की उन्नति की संभावना है।

माननीय सभापति महोदय, जो बजट रखा गया है वह कुल 430.38 करोड़ का है। इसमें सिंचाई एवं विद्युत के लिये 205 80 करोड़ है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिये 99.22 करोड़ है, कृषि एवं पशुपालन के लिये, सेवाओं के लिये 77.13 करोड़ है और परिवहन एवं संचार के लिये 20.65 करोड़ का प्रावधान है, उद्योग एवं खनिज के लिये 18.75 करोड़ का है। सहकारिता के लिये 6 करोड़ का है और अन्य जो विविध योजनायें हैं उनके लिये 2.55 करोड़ का प्रावधान है। इस प्रकार से जो हमारा बजट है इस वर्ष का, वह 430.38 करोड़ का है।

इसके अलावा हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम के लिये पिछले वर्ष जो हमारा बजट 271 करोड़ का था, इस वर्ष उसको बढ़ाकर 300 करोड़ कर दिया गया है। मैं इससे पहले कि बजट के जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट करूं, जो हमारी उपलब्धियां पिछले वर्ष में हुई हैं उनके बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। कृषि उत्पादन इस वर्ष 99.46 लाख टन का होने वाला है। इसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है वह इसमें दर्शायी गयी है। हमारा औद्योगिक विकास हुआ है उसमें भी हमने प्रगति की है। बिजली की हमारी जो सहूलियत है वह पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष बढ़ी है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान में भी काफी प्रगति हुई है।

(श्री छोगालाल कंवरिया)

अब मैं इस बजट के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में जो कुछ कमियां हैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं सिंचाई के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सिंचाई के लिये 99 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है लेकिन इसमें अधिकतर वृहत् सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और मल्टी परपज योजनाओं के लिये अधिक का प्रावधान है, लघु सिंचाई के लिये केवल 6.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मैं इसके संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ध्यान लघु सिंचाई योजनाओं की तरफ बहुत ही कम गया है। मैं अपने क्षेत्र दूदू की बात कहना चाहता हूं। अभी पिछले महीने अपने क्षेत्र में घूमा हूं, उस वक्त बहुत सी बातें मेरे ध्यान में लायी गयीं। मेरे ही क्षेत्र में लगभग 30 छोटे-छोटे ऐसे तालाब हैं जिन पर अगर थोड़ा सा रुपया लाख, दो लाख या तीन लाख लग जाये तो लघु सिंचाई योजना की दृष्टि से बहुत कारगर हो सकते हैं। बहुत से ऐसे तालाब हैं जो फेमिन के वक्त के बने हैं, अगर उनके ऊपर खर्चा कर दिया जाय तो बहुत कुछ सिंचाई का फायदा मिल सकता है। अभी तो हम बड़ी बड़ी योजनाओं की तरफ ज्यादा लगे हुए हैं, वे भी होनी चाहिए, मैं यह नहीं कहता कि हमारी बड़ी योजना सफल न हों।

राजस्थान कैनाल में बहुत कुछ सफलता हमें मिली है। राजस्थान कैनाल के मन्त्री श्री चन्दनमलजी वैद इस ओर भागीरथी प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जिस द्रुत गति के साथ राजस्थान कैनाल का कार्य हो रहा है वह वाकई बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा हमारा जो माही का प्रोजेक्ट है वह भी हमने पूर्ण कर लिया है। हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, वे तो पूरे होने ही चाहिये लेकिन मेरा जोर इस ओर है कि जो लघु सिंचाई योजनाएं है, छोटे-छोटे तालाब जिनसे 50 एकड़ से 1000 एकड़ तक की सिंचाई हो सकती है, उनके लिये पैसे का एलोकेशन ज्यादा करना चाहिए, हमको इससे ज्यादा सफलता मिलेगी। बहुत से ऐसे तालाब हैं जिनके लिये अगर दो लाख का प्रावधान कर दिया जाय तो उनसे एक-एक हजार बीघा की सिंचाई हो सकती है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। दूदू क्षेत्र में माडर्नाइजेशन अर्थात आधुनिकीकरण के लिये 2 बड़े बांध लिये हैं, कालासागर बांध और छापरवाड़ा बांध। इनका पिछले दो तीन वर्ष से कार्य चल रहा है लेकिन बड़ी धीमी गति से कार्य हो रहा है। यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? इस वर्ष भी इनके आधुनिकीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए ताकि दोनों बांधों से सिंचाई की क्षमता बढ़ जाय और लोगों को उसका फायदा हो। इसके अलावा जो बहुत से ऐसे तालाब हैं विशेषकर, एक योजना मेरे क्षेत्र में बिचून की है, यह एक ऐसा स्थान है जहां पहाड़ों से पानी बहकर फ्लड लाकर कालासागर बांध की बड़ी नहर को हमेशा, हर साल नुकसान पहुंचाता है और हर साल सिंचाई विभाग का लगभग दो लाख रुपया उस नहर में डी-सिल्टिंग

(श्री छोगालाल कंवरिया)

के लिये यानी जो रेत भर जाती है उसको उसको निकालने में, नहर टूट जाती है उसको ठीक कराने में लगता है। मैं समझता हूं, पिछले 10 सालों में लगभग 15-20 लाख रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया होगा। उस क्षेत्र के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग है। पिछले 10 सालों से वह यह कहते आ रहे हैं कि इस पानी को कहीं न कहीं रोका जाना चाहिए और इसका उपयोग किया जाना चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी जब हमारे क्षेत्र में जून सन् 82 में गये थे उस वक्त बिचून में उन्होंने घोषणा की थी कि इसके लिये जरूर कोई न कोई प्रोजेक्ट बनाया जायेगा। इसके बाद मैंने माननीय सिंचाई मन्त्रीजी से भी निवेदन किया। उन्होंने सर्वे के लिये पार्टी अवश्य भेजी लेकिन अभी तक भी वह योजना बना कर क्रियान्वित नहीं हुई है। मैं इसके सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्रीजी से पुरजोर निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिचून के प्रोजेक्ट, जो इस प्रकार का प्रोजेक्ट है जो हर साल सरकार के दो लाख के नुकसान को रोकेगा और सिंचाई की क्षमता भी बढ़ायेगा, नहर को टूटने से रोकेगा, को पूरा किया जाये।

लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में मेरा इस प्रकार का विचार है कि इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाय। 2 लाख से ऊपर की योजना हैं उनको सिंचाई विभाग ले और दो लाख से कम की है वह पंचायत समिति के मार्फत पूरी करायी जा सकती हैं।

दूसरा मेरा निवेदन सड़कों के सम्बन्ध में है। अकाल राहत कार्य में पिछले कई वर्षों में कई सड़कें बनी हैं लेकिन वह आज तक अधूरी हैं। उनमें से कई तो इतनी महत्वपूर्ण सड़कें हैं जिनको जोड़ने से एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर के बहुत नजदीक हो जाता है। मेरे क्षेत्र में सावड़दा से नरेना होती मरवा रूपनगढ़ नागौर को लिंक करने वाली सड़क अधूरी पड़ी हुई है, इस सड़क को पूरा कर दिया जाये तो नागौर, जयपुर से 350 किलोमीटर नजदीक हो जायेगा। इसी प्रकार से और छोटी मोटी बहुत सी सड़कें जो पंचायत हैडक्वार्टर को जोड़ती हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कि बजट भाषण में घोषणा की गयी है, एक हजार की आबादी वाले गांवों को 1971 की गणना के हिसाब से सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। आवागमन के साधन भी गांवों में होना आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में 16 सड़कें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, कई सड़कों पर मैटीरियल पड़ा हुआ है। बहुत वर्षों तक मैटीरियल पड़े रहने के कारण मैटीरियल भी लोग उठा कर ले जाते हैं। पी. डब्ल्यू. डी इन योजनाओं को अभी तक नहीं ले पायी है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह सड़कों की तरफ ध्यान देकर जो भी अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा करवायें। एक सड़क दातरी लदेरा साली तक की घोषणा माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी की थी, उसका कार्य अकाल राहत में चालू किया था लेकिन अब वह बंद है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इसके लिये जून सन् 82 में घोषणा की थी जनता के सामने। एक सड़क नागौर

(श्री छोगालाल कवरिया)

को जोड़ती है और नजदीक पड़ती है वह है, सावड़ा से नरेना, मरवा रूपनगढ़। यह नागौर जिले को जोड़ती है। तो इस प्रकार मेरे क्षेत्र में लगभग 16 सड़कें ऐसी हैं जो अधूरी हैं और कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर मैटीरियल पड़ा हुआ है। वह मैटीरियल जो है ज्यों ज्यों काम निकलते जाते हैं कम होता जाता है तो यह तो तो सड़कों की बाबत है।

अब मैं शिक्षा के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। हर साल स्कूल खोले जाते हैं। दो वर्ष पूर्व हायर सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान किया गया था उस वक्त तो शहरों में हायर सैकडरी स्कूल खोल दिये गये थे लेकिन साथ ही यह भी निर्णय था कि जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर हैं या तहसील हैडक्वार्टर हैं वहां पर भी हायर सैकण्डरी स्कूल दिये जाने चाहिये। मेरे क्षेत्र में दो स्थान ऐसे हैं जो काफी बड़े कस्बे हैं। मोजमाबा तहसील हैडक्वार्टर है, 10-12 हजार की आबादी का कस्बा है और उसके आसपास मिडिल स्कूल भी बहुत हैं। इसी प्रकार जो दूदू है वह भी ऐसा कस्बा है, दिन-प्रतिदिन प्रगति करता जा रहा है। वहां भी हायर सैकण्डरी स्कूल का होना आवश्यक है। उनके लिए बजट में इस साल हायर सैकण्डरी स्कूल का कोई प्रावाधान नहीं किया गया है इसलिये वित्त मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाये, कम से कम तहसील हैडक्वार्टर और पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर तो हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जाना चाहिये। बाकी प्राइमरी स्कूल सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल का जो प्रावाधान किया गया है वह बजट के अनुसार ठीक है। साथ-साथ यह भी निवेदन है कि जो स्कूल खोले गये हैं उनमें अध्यापकों की आज भारी कमी महसूस हो रही है। जैसा आपने बजट में यह घोषणा की है, करीब 3000 अध्यापक भर्ती किये जायेंगे। लेकिन यह उस कमी को पूरा नहीं कर सकेगा। तो मेरा यह निवेदन है कि अध्यापकों की भर्ती जो है

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

3000 से बढ़ाकर लगभग 6000 की की जाय ताकि मौजूदा कमी जो है, वह दूर हो सके।

इसके अलावा जलप्रदाय योजनाओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जलप्रदाय योजना के सम्बन्ध में काफी संतुष्टि है, लगभग 80 गांव मेरे क्षेत्र के जो समस्या ग्रस्त थे वह लिये गये हैं। हैंडपम्प भी कई जगह लगे हैं। लेकिन जैसा नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था और जैसा उनके मुताबिक प्रावधान भी कर दिया गया है, कई रेवेन्यू विलेजेज के अलावा जो ढाणियां और बजरे हैं उनमें हैंड पम्प इस वजह से नहीं लगे कि वह रेवेन्यू विलेज की तारीफ में नहीं आते। इस साल बजट में प्रावधान कर दिया गया है तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वह बजरे और ढाणियां भी जलप्रदाय योजना से लाभान्वित हो जायेंगी।

इसके अलावा मैं समाज कल्याण मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण की योजनाओं का फायदा दूदू क्षेत्र

(श्री छोगालाल कंवरिया)

में कुछ भी नहीं हुआ। न तो वहाँ कोई छात्रावास खुला, न आँगनवाड़ी खुली। तो मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम ऐसा क्षेत्र जो रिजर्व क्षेत्र है, जहाँ शिड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी ज्यादा है उस की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और एक आंगनवाड़ी और एक छात्रावास उस क्षेत्र में भी अवश्य खुलना चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : व्यवधान न डालें। कृपया व्यवधान नहीं डालें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

**श्री छोगालाल कंवरिया** : चिकित्सा और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि—

**श्री सभापति** : कृपया जल्दी समाप्त करें।

**श्री छोगालाल कंवरिया** : माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने दूदू में 20 बैडेड हास्पिटल की घोषणा तो करदी है, उम्मीद है कि इस पर जल्दी ही कार्यवाही होगी। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां डिस्पेंसरी खुलनी चाहिये, एडपोस्ट की व्यवस्था होनी चाहिये। एडपोस्ट से उन्नत डिस्पेंसरी खुलनी चाहिये, सब्सिडियरी हैल्थ सेन्टर खुलना चाहिये और मदर एण्ड चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर भी खुलना चाहिये। ये मुख्य मुद्दे हैं।

इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बिजली का है। मेरे क्षेत्र में 212 गांव हैं। अब 212 गांव में से तीन वर्ष पूर्व लगभग 66 गांवों को बिजली दी जा चुकी थी। पिछले तीन वर्षों में केवल 7 गांवों का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ है। इस धीमी गति से इस क्षेत्र में गांवों में बिजली पहुंच रही है। तो मैं माननीय विद्युत मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गांव में विद्युतीकरण क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा किया जाय। मेरे क्षेत्र में 27 गांव सर्वे किये हुए हैं और अप्रव हैं लेकिन सिर्फ 7 गांवों में बिजली पहुंची है, 20 गांव अब भी बचे हुए है जहां बिजली पहुंचनी चाहिये। इस प्रकार ये मुख्य मुद्दे हैं। बजट में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है,

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह उचित ही है।

उद्योग के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये हमने हाथकरघा बोर्ड और उसका, जो है, निगम कायम किया है। इसके अलावा राजस्थान के अन्दर चर्म उद्योग की भी जबरदस्त संभावना है। राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है यहां पशुधन बहुत ज्यादा है इसलिये राजस्थान सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि किस प्रकार चर्म उद्योग की यहां बहुत ज्यादा संभावना है। हमने टोंक में एक टैनरी खोली है लेकिन उसका उपयोग केवल वहां जो माल तैयार होता है उसे विदेशों में भेजने के लिये किया जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि उसी

(श्री छोगालाल कंवरिया)

स्थान पर एक चर्म उद्योग ट्रेनिंग सेन्टर खोला जाना चाहिये। चमड़े से बहुत सी चीजें बनती हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं और आज कल तो उसके कपड़े भी बनते हैं कोट वगैरह और भी कई प्रकार की चीजें बनती हैं, जूतियां हैं, शूज हैं, चप्पले हैं। तो इस प्रकार का एक ट्रेनिंग सेन्टर कम से कम टोंक में या जयपुर में, जहां भी उपयुक्त समझा जाय, कायम किया जाना चाहिये क्योंकि राजस्थान में इस उद्योग की काफी संभावना है। मेरा यह भी सुझाव है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

सहकारिता के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता में हमने काफी उन्नति की है लेकिन सहकारिता के जो ऋण इस वक्त वसूल किये जा रहे हैं रबी की फसल होने तक उनकी वसूली स्थगित की जानी चाहिये ताकि किसान सही ढंग से उस फसल को देख सकें और उनके ऊपर किसी प्रकार की ज्यादती नहीं हो। तो इस प्रकार जो ये विभिन्न योजनायें हैं उनकी क्रियान्विति हो रही है।

जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही अच्छा बजट है। इससे राजस्थान की सर्वांगीण उन्नति होगी, गरीबी का उन्मूलन होगा, राजस्थान का विकास होगा तथा समग्र उन्नति होगी। इन शब्दों के साथ....

(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** बाहर ये कह रहे थे कि इससे निकम्मा बजट कोई दूसरा नहीं हो सकता।

**श्री छोगालाल कंवरिया :** मैं इस बजट की सराहना करते हुए इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। यही बात कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

**श्री सभापति :** श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया** (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय....

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : ओम देव शांति: से शुरू करो आप।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया :** ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय।

**श्रीमति उजला अरोड़ा :** अष्टो मां सद्गमय।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया :** माननीय सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि राजस्थान राज्य के मुख्य मन्त्री एक समाजवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं....

(व्यवधान)

**श्री बृज सुन्दर शर्मा,** वित्त मन्त्री ने 15 तारीख को वर्ष 1984-85 का

( श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया )

अनुमानित आय–व्ययक पत्रक जो प्रस्तुत किया है उसमें विगत वर्ष की उपलब्धियों का एवं चालू वर्ष की योजनाओं का विस्तार से दिग्दर्शन कराया है। भारतीय संविधान में विचारों की, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के सन्दर्भ में माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये हैं, मैं, जो गत वर्ष की उपलब्धियों हैं उनकी तो प्रशंसा करता हूँ क्योंकि कई ऐसी अभूतपूर्व उपलब्धियां इस राजस्थान में हुई हैं जिनकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही हैं। उसमें एक है–राजस्थान नहर की। राजस्थान नहर का कार्य ऐसे कर्मठशील, आत्म-विश्वासी व्यक्ति के हाथों में है जिसने समयबद्ध कार्य करने की मन में ठान रखी है। अभी राजस्थान नहर से गन्धेली–साहवा योजना द्वारा चूरू जिले को जो पेयजल उपलब्ध कराया गया है उससे 353 गांवों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी, इसके लिए निश्चित रूप से राजस्थान नहर मंत्री, श्री चन्दनमलजी बैद को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू जिले का भू–भाग रेगिस्तानी है और सिंचाई की दृष्टि से नगण्य है, हम चाहते हैं कि चूरू जिले के लोग 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रथम बिन्दू पर अपना योगदान दें। इसके लिए यह जरूरी है कि चूरू जिले को सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई जायं।

मैं आयुर्वेद मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गत वर्ष 200 औषधालय खोलकर भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है और आगामी वर्ष 84–85 में भी इस बजट में 200 औषधालय और खोलने का प्रावधान किया है।

शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर 1983–84 के अन्दर प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हुई। इस वर्ष भी एक हजार प्राथमिक विद्यालय और 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्री, माननीया कमलाजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जन-भावना का आदर करते हुए यथोचित व्यवस्था के प्रतिपादन में अपनी योग्यता जाहिर की है। शिक्षा के क्षेत्र में 99 प्रतिशत कार्य संतोषजनक हैं, सिर्फ एक प्रतिशत कार्य शेष है जो राज्य सरकार को बहुत जल्दी और तन्मयता से करना चाहिए, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है।

प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह उल्लेख था कि योजनाबद्ध तरीके से चिकित्सा व्यवस्था को लागू किया जाय। माननीय वित्त मंत्रीजी के आय-व्ययक में भी इसका उल्लेख है लेकिन मैं राजस्थान के बाद अपने क्षेत्र के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उल्लेख है और माननीय वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण में जो उल्लेख है, जहां नये चिकित्सा केन्द्र और डिस्पेन्सरीज खोलने का जिक्र है उसके विपरीत मेरे क्षेत्र में दाऊसर ग्राम में जो उप-स्वास्थ्य केन्द्र था उसको बंद कर दिया गया। उल्लेख तो नये खोलने का है लेकिन उसको बंद कर दिया गया। यहीं तक संतोष नहीं हुआ, जिला कमेटियों के अन्दर कुछ केन्द्र

( श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया )

खोले जाने निश्चित किये गये थे उसमें भी यहां जयपुर आने के बाद न जाने कौन परिवर्तन करता है, किसके आदेश से करता है, वहां समानता के आधार पर हर तहसील के अन्दर एक उप चिकित्सा केन्द्र खोलने की सिफारिश की गयी थी लेकिन जयपुर पहुंचते ही मेरे क्षेत्र के रतनादेसर गांव को एकदम कट कर दिया गया। यहीं तक संतोष नहीं हुआ, उसके आगे जो रतनगढ़ के अन्दर जिले का मुख्य चिकित्सालय है उसमें लगभग एक साल से लेडी डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है, नाम है उसका महिला चिकित्सालय लेकिन उसमें जो लेडी डक्टर थी उसको किन्हीं कारणों से रतनगढ़ से हटाकर दूसरी जगह, बीकानेर भेज दिया। यह सरकार के अधिकार की बात है लेकिन उसकी जगह दूसरा व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। वहां उसके अभाव में स्थिति यह है, जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, दोनों इस बात के लिए चिंतित हैं कि इस कार्यक्रम को सघन रूप में चलाया जाय लेकिन इनके जो कैम्प लगाये जाते हैं वहां डाक्टर्स की टोलियां नहीं पहुंचती हैं। यह काम कैसे सुधरे जब इस ढंग से सरकार की अयोग्यता इस विभाग में है। इस विभाग के माननीय मंत्रीजी को मैं नेक सलाह देना चाहूंगा कि किसी जगह आप स्वास्थ्य केन्द्र खोलें या न खोलें यह आपकी मर्जी पर है, हम भीख नहीं मांगेंगे लेकिन इस अन्याय का हम जरूर विरोध करेंगे, जो चिकित्सालय 10 वर्षों से चालू थे उनको बंद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अन्याय करना पाप है लेकिन अन्याय को सहना उससे भी ज्यादा पाप है, इसलिए मैं इस सदन के अन्दर यह कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग का जो यह कार्य है, डिक्टेटरशिप की श्रेणी में आता है जबकि हमारे देश में पूर्ण रूप से लोकतंत्रीय पद्धति पर आधारित शासन चल रहा है।

सड़कों के बारे में मैं कुछ भी निवेदन नहीं करूंगा। सड़कों के बारे में इसलिए निवेदन नहीं करूंगा कि जब जब बजट अधिवेशन, सत्र प्रारम्भ होता है तब पी. डब्ल्यू डी. के मिनिस्टर कुछ दिन पहले हमको कमरे में बुलाकर कहते हैं कि आप कहां-कहां सड़कें बनाना चाहते हैं वह लिस्ट दे दीजिए।

( 4.00 म० प० )

लगातार 4 वर्ष से हम सड़कों की लिस्ट दे रहे हैं, उन लिस्टों का क्या होता है, कहां पर कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जहां भी कर रहे हैं वहां अच्छा है क्योंकि सम्पूर्ण राजस्थान हमारा है लेकिन सभी लोगों के मन में चिन्ता है, जैसा कि मैंने सब के विचार सुने, सब यही कह रहे हैं तो यह जो करोड़ों रुपये का बजट हम पास करते हैं आखिर उसका क्या अता-पता है यह भी हमको देखना पड़ेगा।

**श्री हीरालाल आर्य ( पीपल्दा ) :** जेब में।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया :** मुझे मालूम नहीं आपकी कितनी सड़कें बनी हैं। मेरे यहां तो नहीं बनी। इसलिये यह जो असमानता है, मेरा मतलब किसी चीज के

( श्री हीरालाल आर्य )

बनने या बिगड़ने से नहीं है, मेरा मतलब यह है कि जनतन्त्रीय प्रणाली में यह जो असमानता और पक्षपात पूर्ण रवैया है इससे जनता में रोष पैदा होता है, विश्वास हिलता है और जो आस्था है वह डगमगाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आयुर्वेद मंत्रीजी ने 200 केन्द्र खोलने थे, 200 खोल दिये किसी को क्या आपत्ति है। कमलाजी, जो शिक्षा मंत्री हैं, ने जितने मिडिल स्कूल खोलने थे वह खोल दिये इसमें किसी को क्या शिकायत हो सकती है। हम कब कहते हैं कि भई, हमको पांच दो और दूसरे को 3 दो। नहीं, लेकिन जो हमारे हक का है वह हमको नहीं मिले, यह मेरी वेदना है।

सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ आबादी ऐसी है जो रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं है। रेवेन्यू रिकार्ड में नहीं होने की वजह से वहां के लोग बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाली समस्त सुविधाओं से वंचित रहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी आबादी का सर्वेक्षण कराया जाय और उस आबादी को रेवेन्यू रिकार्ड में अंकित किया जाय ताकि वह बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाली समस्त सुविधाओं का उपभोग और उपयोग कर सकें।

सभापति महोदय, विद्युत् विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको हम अकर्मण्य विभाग कह सकते हैं।

(व्यवधान)

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि उसको हम करोड़ों रुपये....

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

**श्री भंवरलाल शर्मा** : सभापति महोदय, इनको बोलने दीजिये।

**श्री सभापति** : आप प्रारंभ कीजिये। बोलिये आप बोलिये। जल्दी समाप्त कर दीजिए।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया** : मेरा तो खतम हो गया

**श्री सभापति** : श्री चाव खां।

**श्री भंवरलाल शर्मा ( हवामहल )** : पंडितजी, यह घन्टी तो सरकार के लिये बजी है। आप तो बोलो।

**श्री चाव खां ( कामां )** : सभापति महोदय, 15 तारीख को इस सदन के अन्दर बजट पेश किया गया है और इस पर माननीय सदस्यों ने पूरे विस्तार के साथ जो बातें कही हैं....

**श्री शिवराम शर्मा ( बनीपार्क )** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे। इनका भाषण पूरा नहीं हुआ है, इनको बोलने दिया जाय।

**श्री सभापति** : आपका भाषण पूरा नहीं हुआ है तो पूरा कर लीजिये, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री शिवराम शर्मा** : उनका भाषण पूरा नहीं हुआ। अपने क्षेत्र की बात कह रहे थे वह उनके मन में रह गई।

**श्री सभापति** : आपका भाषण अगर अधूरा रह गया है तो पूरा कर लीजिये।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया:** सभापति महोदय, मेरा भाषण तो कभी पूर्ण होगा ही नहीं। मैं अनुशासन में रहना चाहता हूं, जितना समय आपने मुझे अलाट किया वह यदि पूरा हो गया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है दूसरे अवसर पर बोल लूंगा।

(व्यवधान)

**श्री शिवराम शर्मा** : आपका समय है।

**श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया** : आप लोग बोलो।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : आप तो शिव-चरणजी के खिलाफ हैं इसलिये बोलने के लिये कह रहे हैं।

**श्री सभापति** : श्री चाव खां।

**श्री चाव खां ( कामां )** : सभापति महोदय, पिछले साल जो वर्षा हुई उससे हमारे इलाके के अन्दर तबाही हुई है। उससे, सभापति महोदय, आप स्वयं बखूबी जानकार हैं, वर्षा से सारी फसलों की तबाही हुई। वहां जो मुआवजा मिलना चाहिये था फसल गलने का, उसके विपरीत किसानों पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाये जा रहे हैं, यह बड़े खेद की बात है। सभापति महोदय, रबी की फसल पर लोग आस लगाये बैठे हुये थे उसको सर्दी ने बरबाद कर दिया लेकिन सरकार पर जूं तक नहीं रेंगी और सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार करती चली जा रही है। जो पिछले 20-30 साल के कर्जे थे उनकी वसूली के लिये किसानों को मुर्गा बनाया जा रहा है। इस तरह के जुल्म अंग्रेजों के जमाने में और राजाओं के जमाने में भी नहीं किये जाते थे वह इस सरकार में हो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है।

अब बिजली के बारे में आ जाता हूं। आज मुझे यहां आये हुए करीब 4 साल होने को आये। मैं अपने बिजली मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गांव में बिजली हो तो बता दें। बिजली देने का कोई काम नहीं हुआ, किसी गांव को बिजली नहीं दी।

अभी उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे सड़कों के बारे में, वह बिलकुल सही है। इतनी दरख्वास्तें दीं, लिस्ट बना बना कर प्रार्थना करते रहे लेकिन आज तक एक किलो मीटर सड़क अपने क्षेत्र में तो बनी नहीं। मैं तो समझता था कि हम विपक्ष के हैं, हो सकता है कि हमको सड़क नहीं दी जाती हो, कांग्रेस के सदस्यों को दी जा रही हो लेकिन आज मुझे यह भी यकीन हो गया कि सड़क किसी को नहीं मिल रही है। किसी को नहीं मिलती है यह नजरिया सामने आ रहा है। करोड़ों रुपये का बजट जो हम पास करते हैं हर साल, यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह पैसा जाता कहां है, किस जगह खर्च हो रहा है। सरकार को चाहिये कि वह पैसा गांवों पर और कस्बों पर खर्च हो।

अभी चुनाव की चर्चा हो रही थी हम यह चाहते हैं कि चुनाव मई में नहीं हों, कल हों तो आपको पता चल जाय, सरकार को पता चल जाय कि उधर बैठने वाले इधर आयें और इधर बैठने वाले उधर

(श्री चाव खाँ)

जायं। आप इस तरह के काम कर रहे हैं जिनसे जनता में असंतोष है, यह हम जानते हैं। गांवों में जाते तो पता चलता है। वह दिन दूर नहीं, वह भी आपके सामने आयेगा। यह दुकान लगाये हुये बैठे हैं....

(व्यवधान)

चिल्लाते क्यों हो, तुमको शर्म आनी चाहिये। अब चिल्लाते क्यों हो। यह वही सरकार है जिसको आपने चुन कर भेजा है....

(4 10 म० प०)

( श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन )

यह खुद बनने वाले हैं कुछ बनाने वाले नहीं हैं। आपने इनको बनाकर भेजा है इसलिए आपको इसका मजा चखना पड़ेगा। मुझे तो मजा जब आये जब जुल्म और ज्यादा हों।

पानी का मसला है, पानी की बात है सरकार का पैसा अरबों रुपया खर्च हुआ। हैण्ड पम्पों के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य मंत्रीजी पर, मुझे याद है, हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये थे। मन्त्री महोदय कह रहे थे, यह बात समझ में नहीं आती कि 75 फीसदी नल खराब हैं। मैं दावे के साथ आज भी कह रहा हूं 90 फीसदी खराब हैं, पानी नहीं मिल रहा है। खारे पानी में भी लगा दिये, दूसरी जगह लगा दिये लेकिन पानी उपलब्ध नहीं है, यह मेरा दावा है।

माननीय सभापति महोदय, वसूली के बारे में कहना चाहता हूं कि वसूली होनी चाहिये। वसूली नहीं होगी तो सरकार चलेगी कैसे यह हम भी जानते हैं। लेकिन सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस आदमी को कर्ज दिया, बीस साल तक क्यों खामोश रहे ? आज फसलें तबाह हो गई, रबी की, खरीफ की दोनों फसलें तबाह होने के बाद इस समय लोगों को परेशान किया जा रहा है वसूली के लिये। समय आने पर वसूली करो। बगैर समय आये वसूली हो रही है। सरकार का यह जो काम है अपने को पसन्द नहीं है।

यह जो बजट है और राज्यपाल महोदय ने 5 तारीख को जो अभिभाषण दिया उसके अन्दर कहा गया है कि आयुर्वेदिक की तरक्की होनी चाहिये। इससे मुझे कोई नाराजगी नहीं लेकिन सरकार से मैं पूछना चाहूंगा, ये जो यूनानी दवाखाने हैं उनके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं किया ? उनको चलाना नहीं चाहते हैं। बार बार हम कहते हैं या तो इनको समाप्त किया जाय या इनको चलाने के लिये इसका डायरेक्टोरेट वगैरह अलग से स्थापित किया जाय। 50-60 दवाखाने हैं उनमें से आधे खाली हैं। हकीम नहीं भेजे जा रहे हैं। हकीम मौजूद हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं दी जाती। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन लोगों को पैसा नहीं दिया जाता। उन लोगों को परेशान किया जाता है। बार-बार यहा पर वह लड़के अनशन पर बैठते हैं, इम्तिहान के लिए कहते हैं। उनके इम्तिहान भी समय

(श्री रामनारायण चौधरी)

पर नहीं कराये जाते। उनके साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है। मन्त्री महोदय से कहूंगा कि उनके इम्तिहान समय पर हों। जिस तरीके से दूसरे हकीमों को तरजीह दी जाती है उसी तरीके से उन लोगों को तरजीह दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय, हमारा इलाका मेवाती इलाका है। उसके अन्दर गरीब लोग ज्यादा रहते हैं। पहाड़ी के अन्दर एक डिस्पेन्सरी है। वहां पर कुछ लोगों ने कुछ चन्दा उगा करके एक जच्चा घर बनाना चाहा लेकिन वह इसको पूरा नहीं करा सके इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि सरकार उस जच्चाखाने के लिए कुछ पैसा अलाट करके उसको बनादे। औरतें बेचारी जब जच्चा घर तक पहुंचती हैं, जब 22 किलोमीटर दूर जच्ची पहुंचती हैं, इस प्रकार जब ले जाते हैं तो कई मौतें ऐसे ही हा जाती हैं, औरतें रास्ते में हो जान दे देती हैं। इसलिए पहाड़ी के अन्दर जच्चा घर होना जरूरी है।

बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो यह बजट है मैंने देखा है, इसके अन्दर कोई कर नहीं लगाया गया, नुकसान जरूर दिखाया गया है लेकिन मेरे यह बात समझ में नहीं आती कि जब कर नहीं लगाया तो पैसा खर्च कहां से करेंगे, पैसा कहां से आयेगा, इसलिए यह जनता को महज धोखा है। जब चाहे इस बजट को बैठ करके बढ़ा-घटा सकेंगे। यह चुनाव के लिए धोखा है इसलिए मैं इससे मकसूस नहीं हूं। किसानों के विरोध में यह बजट पेश हुआ है।

श्री सभापति : माननीय श्री मोहनलाल मोदी

**श्री मोहनलाल मोदी** (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने राजस्थान प्रदेश का 1984–85 का जो बजट पेश किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। अकाल की स्थिति राजस्थान में भयकर रहती है, बाढ़ की स्थिति रहती है, इन सारी स्थितियों के बावजूद जो बजट पेश किया गया है उसके लिए वित्त मन्त्री को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

राजस्थान में पेयजल की समस्या है, सिचाई की समस्या और विद्युत की समस्या है। इन पर इस बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सिचाई और विद्युत के लिये बजट की कुल राशि का 47·93 प्रतिशत, कृषि के लिये 17·44 प्रतिशत और सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के लिये 22·99 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान नहर का आपके सामने जिक्र किया। राजस्थान नहर इस राजस्थान को एक ऐसी देन है जिससे जो रेगिस्तानी इलाका है उस सारे का विकास होगा। उस राजस्थान नहर के लिये नहर मन्त्री श्री चन्दनमल बैद ने जो प्रयत्न किया है और जिस गति से वह काम

(श्री मोहनलाल मोदी)

कर रहे हैं उसके लिये वह धयन्यवाद के पात्र हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्य आज आलोचना करते हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि उनके समय में 35 करोड़ रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया था वह खर्च क्यों नहीं कर पाये ? आज वह इस तरह की बात करते हैं। उनके पास राजस्थान के विकास का काम नहीं है, उनके पास यह काम है भले ही राजस्थान को नुकसान हो पर किसी तरह से हम कामयाब हों, हमारी पार्टी कामयाब हो। इस तरह का काम करना चाहते हैं विधान सभा के अन्दर फलाना यह खा गया, फलाना यह खा गया, हरेक आदमी के प्रति इस तरह से बात करना चाहते हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये हिन्दुस्तान का सारा सोना खा गये। कहां चला गया सोना सारे हिन्दुस्तान का ? उस सोने के बारे में क्या कहते हैं।·राजस्थान में जिस वक्त इनको सरकार सौंपी थी उस वक्त करोड़ों रुपयों का अनाज इनको सम्भलाया गया था आखिर उस सारे अनाज का इन्होने क्या किया ? सारा अनाज खा गये। उस सारे अनाज को बरबाद कर दिया। कोई एक भी काम नजर नहीं आता। अगर कोई काम नजर आता तो जनता के सामने जाने पर जनता इनको क्यों धिक्कारती। अगर इन्होंने काम किया तो वह यह किया कि इनको जो अनाज दिया था इन्होंने वह अनाज बांटा और सारे अनाज को हज़म कर गये। सभापति महोदय, इसलिये इनको जनता ने ठुकरा दिया। ठुकराने की बात और बताऊं, अभी मण्डावा के चुनाव में विरोधी दल के गठबन्धन ने क्या किया ? इनके दिमाग में एक बात थी कि शहर में हमारा अस्तित्व है। यह बी.जे. पी. के दिमाग में था और लोक दल के दिमाग यह था कि बाहर के देहातों में हमारा प्रभाव है, हम दोनों मिलकर यहा शासन में आ जायेगे। मण्डावा के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि आपके इस गठबन्धन का कोई प्रभाव नहीं है। जहां 1700 वोटों से पहले हारे थे वहां 2700 वोटों से हारने का मतलब है 4500 का डिफरेन्स वहां की जनता ने दिया। और किस वक्त दिया ? जब हिन्दुस्तान के सारे नेता आ गये। आप अन्दाज लगाइये, हिन्दुस्तान के सारे नेता आ गये, आप बता दीजिये, आपका कोई नेता बाकी रहा हो। अटल बिहारीजी वाजपेयी से लेकर के चौधरी चरणसिहजी और फर्नान्डिस यानि हिन्दुस्तान के जितने बड़े नेता हैं वे सारे वहां आ गये इसके बावजूद जो दुर्दशा वहां पर हुई है वह देखने लायक है। अब बजट ऐसा पेश कर दिया वित्त मन्त्रीजी ने, एक रुपया टैक्स नहीं लगाया।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : मोदी जी की दुर्दशा पर दया आती है। इन्होंने दल भी बदला फिर भी मन्त्री नहीं बने।

**श्री मोहनलाल मोदी** : दया तो आपको सब पर आती है और दया तो आपको अपने आप पर भी उस वक्त आयी थी जब जनता पार्टी शासन आया उसके बाद में आपको जनता ने धिक्कार दिया। उसके बाद में भी अभी जब मण्डावा के उप चुनाव हुए तो वहां की जनता ने कांग्रेस का समर्थन किया। मैं तो, सभापति महोदय, मण्डावा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं उन्होंने ऐसा

(श्री मोहनलाल मोदी)

काम किया । सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था ...

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** आप बिलकुल निष्पक्ष हो कर कहें ।

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी :** मैं तो बिलकुल ही निष्पक्ष होकर कर रहा हूं । पक्ष की बात तो अभी आगे कहूंगा ।

सभापति महोदय, कोटपूतली में जो गोली काण्ड हुआ उसके सम्बन्ध में अभी कुछ दिन पहले विधान सभा में विपक्ष के सदस्यों ने काफी उधम मचाया था और शोर मचाया था । मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, 25–1–80 को जब नीमकाथाना में गोली काण्ड हुआ था तब विरोध पक्ष के नेता मुख्य मन्त्री थे तो क्या उन्होंने उस गोलीकाण्ड के लिये जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई थी ? कोटपूतली में गोली काण्ड हुआ उसके लिये मुख्य मन्त्रीजी ने जुडिशियल इन्क्वयारी बैठा दी फिर भी यह इस तरह की बात करते हैं । आखिर यह चाहते क्या हैं ? सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कोटपूतली के अन्दर जो गोलीकाण्ड हुआ है उसके पीछे सारा का सारा बी. जे. पी. के लोगों का हाथ है । इन्होंने वहां पर गरीब बच्चों को उकसा कर सारी की सारी कार्यवाही की । आज हाउस में बैठ कर यह इस तरह की बातें करते हैं । सभापति महोदय, हम लोग तो चूंकि शान्ति प्रिय लोग हैं इसलिए ज्यादा बोलते नहीं हैं पर यह लोग पांच-पांच चार चार एक साथ इकट्ठे होकर बोलते हैं और हाउस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं । अभी, सभापति महोदय जब नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो इन्होंने बीच बीच में टीका टिप्पणी की और डिस्टर्ब किया । जब अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि आप इनको डिस्टर्ब नहीं करें तो मैं यह कह रहा था कि अरे भाई जरा जाकर आइने में अपनी शक्ल तो देखो, × × × इसके बाद में आकर बात करिये ।

तो सभापति महोदय, मैं आगे चल कर यह बताना चाह रहा था कि विद्युत के मामले में हमारे राजस्थान में कितनी प्रगति हुई । जब जनता सरकार का शासन आया था उससे पहले कांग्रेस सरकार के शासन में 1200 मेगावाट बिजली हमारे यहां पर उत्पादित होती थी । इनके ढाई साल के शासन काल में इन्होंने एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ाया था । जब से हमारा कांग्रेस राज आया, हमने पिछले तीन सालों में 600 मेगावाट बिजली का ज्यादा उत्पादन किया है । हमने आकर साधन बनाया है । आखिर आप क्या चाहते हैं ? आप देखिये कि राजस्थान में उन्नति हुई है, आप एक तरफ तो किसान की बात करते हैं, एक तरफ आप हरिजनों की बात करते हैं, सभापति महोदय, विरोध में बैठने वालों में कोई भी किसान नहीं है, हां, लोकदल के कुछ माननीय सदस्य हैं, जो कि

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री मोहनलाल मोदी)

बड़े किसान हैं। आज यहां पर हरिजन की बात करते हैं। मुझे पता नहीं लगता है कि यह किसानों और हरिजनों की बात कैसे करते हैं, कैसे इनके मुंह से यह बातें निकलती हैं ? आप सारे के सारे लोग किसान विरोधी और हरिजनों के विरोधी हैं। आप इनके पक्ष की बात कैसे करते हैं। तो, सभापति महोदय, मैं बिजली के बारे में बता रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि की है और उसमें वृद्धि का प्रयत्न आज भी कर रही है। बिजली के मामले में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल किसान को बिजली अच्छी मिली है और अधिक मिली हैं। इस वर्ष 6 घण्टे दिन में बिजली मिली है और रात में भी तीन घण्टे बिजली अगर कोई अपने यहां पर लेना चाहे तो दी गयी है। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं बिजली के मामले में हमारे यहां ठीक काम हुआ। यह बात ठीक है कि जब इतना बड़ा काम होता है तो थोड़ी कमियां रह सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं पर राजस्थान के बजट को देखते हुए इतनी मात्रा में बिजली देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खेती के मामले में और दूसरे मामलों में हमारे यहां बिजली जो दी जाती है, मैं ऐसा मान कर चलता हू कि यह अपने आप में एक बहुत ही प्रगतिशील बात है।

जो बजट बनाया गया है यह एक प्रगतिशील बजट बनाया गया है। अगर हजारों का या लाखों का टैक्स बजट में लगाते तो आप कहते कि भाई टैक्स लगाया है और नहीं लगाया तो कह दिया कि कोई टैक्स नहीं लगाया। अरे भाई, कहीं तो टिको आप, कहीं तो आपको टिकना पड़ेगा। इतना विकास राजस्थान में पिछले तीन साल में हुआ है, इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है। आप देखिये कि कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में बिजली के उत्पादन के लिये और भी कई योजनाएं चल रही हैं, आज राजस्थान में 1200 मेगा-वाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वहां 120 पर मेगावाट की क्षमता का प्लान्ट और लगाया जा रहा है। इसी तरह मांगरोल में, सूरतगढ़ में, जैसलमेर में और माउन्ट आबू में बिजली उत्पादन की कई छोटी-छोटी योजनायें चल रही हैं। आज राजस्थान में किसानों को बिजली मिल रही है और किसानों को बहुत सी सुविधायें दी जा रही हैं।

सभापति महोदय, आज जो हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को और गांवों की जनता को थी वह थी पीने के पानी की समस्या, उसके लिये हमारे बजट म किस तरह मे प्रावधान किया गया है। हमारे बजट में पूरी तरह से इसके लिये प्रावधान किया गया। हमारी सरकार इस बारे में पूर्णतया सचेत भी है। राजस्थान नहर से पानी लाने की योजना शुरू हुई उसके द्वारा बहुत ही तेज गति से पानी गांवों में पहुंचाया जा रहा है। आज, सभापति महोदय, राजस्थान के 353 गांवों में मीठा पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। वह काफी दूरी से उपलब्ध कराया जा रहा है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस बात की तकलीफ होती है, आखिर, यह क्यों हो रहा है। जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी को किसी माननीय सदस्य ने

( श्री मोहनलाल मोदी)

भागीरथ कह दिया तो इनको दुख हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं अरे भाई, उनको भागीरथ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वह भी तो गंगा ही लाया था। इन्होंने भी राजस्थान नहर को बहुत दूर से लाकर राजस्थान के 353 गांवों को मीठा पीने का पानी उपलब्ध कराया। वहां पर घर बैठे लोगों को पीने का पानी मिला जहां पानी नहीं था या था तो खारा पानी था, तो इससे ज्यादा कौन भागीरथ हो सकता है।

**श्री सभापति** : वह भी बहुत दूर से हिमालय से।

**श्री मोहनलाल मोदी** : कहां से कितनी दूर से पानी उपलब्ध कराया।

(व्यवधान)

**श्री महाराम चौधरी** : वह भी तारानगर तक ही आया।

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : तो मैं यह कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह क्या उन्नति राजस्थान की नहीं हुई ? इससे ज्यादा उन्नति क्या हो सकती है ? क्या यह प्रगति नहीं है कि राजस्थान के 353 गांवों को पीने का मीठा पानी राजस्थान नहर से लाकर दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई सही बात है तो वह सुननी चाहिये।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : उसका भी पैसा देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

उसका बिल नहीं लोगे क्या।

**श्री मोहनलाल मोदी** : बिल तो पानी का लेंगे ही जो पीने वाला होगा वह देगा ही लेकिन उसको तकलीफ नहीं होगी उस पानी का बिल देने में, यह बात निश्चित है। पर यह आपकी थोथी बातों से राजस्थान की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। आप की तरह झूठे वायदे नहीं करते हैं। आप देखिये, राजस्थान में जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत काम हुए, उनके बारे में आपके राजा-महाराजाओं के जमाने में कभी सोचा ही नहीं होगा। एक गरीब आदमी को एक पैसा भी उधार नहीं देते थे उस गरीब को घर घर आकर ऋण देकर जाते हैं। उससे वह अपना जीवन यापन करते हैं। अगर किसी को भैंस की जरूरत है उनको भैंस दिलायी गयी ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। पर यह सब चीजें देख कर आपको तकलीफ होती है। माननीय सदस्य, जो विपक्ष में बैठते हैं, देखते हैं कि यह क्या हो रहा है, राजस्थान में यह सब विकास के काम क्यों होते हैं। आज आप गांवों में जाकर देखें, सभापति महोदय, मैं गांवों में अभी जन-सम्पर्क के लिये गया था और अक्सर गांवों में जाता रहता हूं, मैंने वहां जाकर देखा कि गांवों की जनता में उत्साह था, उनकी कांग्रेस शासन में आस्था है, वह लोग आज महसूस करते हैं कि आज जो सरकार

( श्री मोहनलाल मोदी )

है वह हमारी सरकार है और घर घर जाकर जिसको भैंस चाहिये उसको भैंस दिलाती है, जिसको बकरी चाहिये उसको बकरी दिलाती है, जिसको ऊंट गाड़ा चाहिये उसको ऊंट गाड़ा दिलाती है और जिसको भेड़ चाहिये तो उसको भेड़ दिलवाने की कार्यवाही करती है और अगर किसी के मकान पर छप्पर नहीं है तो उसको छप्पर के लिये ऋण दिया जाता है। तो सभापति महोदय....

**श्री हीरालाल आर्य** : यह सभी फर्जी आंकड़े हैं।

(व्यवधान)

**श्री मोहनलाल मोदी** : यह आंकड़े फर्जी नहीं हैं, सभी सही हैं। आप मेरे साथ चल कर देखिये। आप मेरे सीकर जिले में चल कर देखें। आपको कोई भी फर्जी नहीं मिलेगा। यह क्या बात हुई, कोई अच्छा काम करता है तो आपको मानना चाहिये। कोई अच्छी बात कभी तो माननी चाहिये।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें। बोलने दीजिये।

**श्री मोहनलाल मोदी** : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह लोग ही गांवों में जाकर गड़बड़िया फैलाते हैं। हो सकता है यह कोई अपने इलाके में गड़बड़ियां करते हों। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीकर जिले में कोई फर्जी नहीं है। वहां पर जिसको अगर भैंस चाहिये थी तो उसको भैंस दिलायी, अगर किसी को बकरी चाहिये थी तो उसको बकरी दिलायी गई, अगर किसी को ऊंट गाड़ा चाहिये था तो वह दिलाया गया। यह सारा का सारा लोगों को जीवन यापन के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराया गया। इस कारण आज लोगों में आस्था कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ी है। आज वह महसूस करते हैं कि हमारी काया-पलट हो जायेगी। गरीब को मदद मिलेगी और काम करने वाले को काम मिलेगा। इसके आगे और भी कई बातें हैं जो, सभापति महोदय, मैं आगे चल कर बताऊंगा। झूठी घोषणायें तो, सभापति महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय जब मुख्य मन्त्री थे तब इन्होंने की थीं, हम राजस्थान में सैल्स टैक्स हटा देंगे। इन्होंने, सभापति महोदय, राजस्थान में सैल्स टैक्स हटाने के बजाय एक प्रतिशत आर्डिनेन्स के जरिये बढ़ा दिया जब कि विधान सभा में सैल्स टैक्स बढ़ाने की बात होनी चाहिये थी पर इन्होंने आर्डिनेन्स लाकर बढ़ाया, यह बड़े शर्म की बात है। टैक्स जो बढ़ाया जाता है वह विधान सभा में बिल लाकर बढ़ाया जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी, × × × यहां यह भ्रष्टाचार की बात करते थे कि मैं मिटा दूंगा। इन्होंने बिल्कुल सही नहीं कहा। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, यह कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ाने की जिम्मेदारी तो इन लोगों पर है। कांग्रेस के प्रशासन में जिन भ्रष्ट और अकर्मण्य लोगों को कम्पलसरी रिटायर कर दिया था उन सारे लोगों को इन्होंने आते ही बहाल कर दिया। अब

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

( श्री मोहनलाल मोदी )

वह लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इनाम देंगे? × × × विपक्ष के नेता महोदय जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने माणक चौक चौपड़ पर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को इस तरह से निकाल दूंगा। यह निकला है भ्रष्टाचार। जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन सबको बहाल करके इस सरकार में ले लिया। जितना भी रुपया उनके पीरियड का था वह सब दिया। इस तरह की स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं....

**एक माननीय सदस्य** : बड़ा दुःख है तो निकाल दो।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज। आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री मोहनलाल मोदी** : आप तो बोलते ही रहोगे।

मैं, सभापति महोदय, पेयजल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के चौबीस हजार समस्याग्रस्त गांवों में से हमने अठारह हजार गांवों में पीने के पानी के साधन उपलब्ध करवाये। आज यह हैण्ड पम्प की बात करते हैं। सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 90 प्रतिशत हैण्ड पम्प काम कर रहे हैं। आज आप देखना चाहें, आप खेतड़ी जाते हैं, पिलानी जाते हैं, मेरे यहां सिरोही गांव पड़ता है वहीं सड़क के किनारे पम्प लगा है आप उसको देखें। वहां 24 घण्टे पानी आता है। आपका दिमाग बदल रहा है, आपकी मंशा बदल रही है।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)** : वह सिर्फ वहीं चल रहा होगा।

**श्री भंवरलाल शर्मा ( सरदारशहर )** : यह बार–बार व्यवधान क्यों डाल रहे है।

**श्री सभापति** : बोलिये-बोलिये, आप।

**श्री मोहनलाल मोदी** : जो सरकार काम करती है उसको आप सुनना नहीं चाहते।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने 6 महीने पहले सारे हैण्ड पम्प ठीक करवाये और पिछले दिनों भी हैण्ड पम्प ठीक करने के लिए टोलियां भेजीं उन्होंने उन सबको चैक करके ठीक किया है। अब इतने बड़े काम में हो सकता है कुछ बन्द हों, लेकिन इस काम की सराहना तो करनी चाहिए। आखिर, लोगों के घरों के सामने इनसे सुविधा हो गयी है।

(व्यवधान)

सराहना तो आप कर ही नहीं सकते। यह तो आपके उसमें है ही नहीं। आपके चश्मा ही ऐसा लगा हुआ है कि आपको अच्छा काम भी गलत दिखाई देगा।

**श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)** : अन्त्योदय में बकरी की कीमत आदमी के बराबर थी।

**श्री सूर्यकुमार जैन** : × × ×

**श्री मोहनलाल मोदी** : हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था कि हम 300 की

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

( श्री मोहनलाल मोदी )

जनसंख्या पर प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और यह करके भी दिखाया। जिस किसी गांव की 300 की आबादी थी वहां पर प्राइमरी स्कूल खोला गया। एक हजार स्कूल खोलने की घोषणा करके मैं समझता हूं, 1300-1400 प्राइमरी स्कूल खोले गये। आखिर यह काम नहीं है क्या? अगले साल फिर एक हजार प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। मेरे क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूं, दो किलोमीटर से ज्यादा किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। अब यह स्थिती आ रही है, एक हजार स्कूल और खुलेंगे तो एक किलोमीटर की ही डिस्टेन्स रह जायेगी। हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ कि जहां चार चार किलोमीटर तक जाना पड़ता हो। मैं शिक्षा के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं, 212 हायर सैकण्ड्री स्कूल खोल दिये। 1984–85 में 200 हायर सैकण्डरी स्कूल और खोल रहे हैं।

चिकित्सा को ले लीजिए। 200 औषधालय पिछले साल खोले और 200 अब खोल रहे हैं। यह काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आपकी तरह विधान सभा में बकवास तो नहीं कर रहे हैं। काम करके बता रहे हैं आपको। मेरे क्षेत्र में आप देखिये, गांवों में जाइये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जीताला में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें औषधालय खोला है जहां 5–6–8 किलोमीटर तक कोई साधन नहीं था। वहां के लोग मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस सरकार लोगों के लिए कुछ कर रही है। शिक्षा के मामले में प्राइमरी स्कूल खोले, सारी सुविधायें दीं। डिस्पेंसरीज़ के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। पिछले वर्ष पांच सौ उपकेन्द्र खोले गये थे, इस वर्ष भी 500 उपकेन्द्र खोले जायेंगे। आखिर यह सब काम उन्नति के हैं। आप समझते हो कि आपके गांव में अगर उप-केन्द्र खोला जायेगा तो आपकी जुबान बन्द हो जायगी, गाली नहीं दे सकोगे कि यहां कोई साधन नहीं है। यह स्थिति जरूर है, इससे आपको जरूर तकलीफ होनी चाहिए। विरोधी दल के माननीय सदस्यों को तकलीफ होगी ही क्योंकि जहां विकास होगा वहां इनके विनाश का काम होगा यह निश्चित बात है।

सड़कों के बारे में लीजिये, 2500 किलोमीटर सड़क बनाने का निश्चय किया है। इतने बड़े और इतने पिछड़े हुए राजस्थान प्रदेश में यदि आप चाहें कि यहां पर एक दिन में सारी सुविधायें हासिल हो जायं तो यह नहीं हो सकता है। जो मास्टर प्लान बनाया गया है पूरे राजस्थान का जिलेवार जो मास्टर प्लान बनाया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। इस प्रकार की प्लानिंग पहले से होती तो आज हमें बहुत कुछ लाभ मिल गया होता और जो सड़क बनने की योजना है वह सड़कें बन जातीं। इस मास्टर प्लान के जरिये सड़कें बनेंगी। मैं समझता हूं, हमारी जो घोषणा है कि एक हजार की आबादी वाले गांव हम सड़कों से जोड़ेंगे, उसकी हम निश्चित रूप से क्रियान्विति कर पायेंगे।

(व्यवधान)

मुझे पूरा भरोसा है, मेरे यहां पर काम में कोई दिक्कत नहीं है। 14 करोड़ नहीं है, यह आपकी समझ का फेर है। यह

(श्री मोहनलाल मोदी)

कृषि उपज मण्डियों से और दूसरे मदों से पैसा आयेगा। यह सारा प्लान ही ऐसा बनाया गया है आप इसको समझने की कोशिश करें।

**श्री बुलाकीदास कल्ला** : यह इनकी समझ के परे है।

**श्री मोहनलाल मोदी** : मैं जनता पार्टी के शासन की उपलब्धि बता रहा हूं। मेरे यहां पर एक हजार परिवारों को हाथकरघे दिये गये यह कह कर कि गरीबों को फायदा होगा। वह हाथकरघे 1200 रुपये में 600 रुपयों की सब्सिडी देकर उनको दिये गये। उसकी सप्लाई का ठेका अपने किसी आदमी को दे दिया। उसने उसमें 1200 रुपये की जगह 200 रुपये का सामान भी नहीं डाला। आज उन गरीब लोगों की स्थिति यह है एक दिन भी उनके घर में हाथ करघा नहीं चला। 1200 रुपये की बैंक की डिग्री हो रही है और उनके मकान, जायदाद कुर्क हो रहे हैं। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, जनता सरकार ने यह जो तोहफा उनको दिया है आप कोई योजना बना कर उनके कर्ज को माफ करिए। जिस हालत में वह हाथकरघे हैं उनको आप उठा लें या कुछ और करें। एक हजार परिवारों को जब हम एक तरफ आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगा यह बहुत अहम् मामला है इसलिये उन परिवारों को कर्ज से मुक्त करिये। जनता पार्टी के लोग गांव में जायें तो सही, इनके भूतपूर्व उद्योग मन्त्रीजी की उस क्षेत्र ने जमानत जब्त करा दी थी। जमानत जब्त की है उनकी। मैंने यह बात पहले भी एक दफा कही थी कि वह नीम का थाना से वार्ड मैम्बर का चुनाव भी नहीं जीत सकते। अगर उधर के लोग उनको वार्ड का चुनाव अभी जीता दें तो मैं आपकी शागिर्दी करूंगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहूं, काम करना कुछ और होता है और बात कहना कुछ और होता है। पहले हवा चली थी जिससे आप लोग आ गये। आप लोग उस क्षेत्र के नजदीक भी नहीं जा सकते। इधर बैठना तो बड़ी बात है, आपको नजदीक ही नहीं फटकने देंगे। यहां की जनता सब समझ गयी है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : यह बोल रहे हैं, स्वयं तो इन्दिरा गांधी का विरोध करते हैं।

**श्री महाराम चौधरी** : सामन्तवाद और पूंजीवाद है इनका।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज।

**श्री मोहनलाल मोदी** : आप तो बैठे ही सामन्तवाद की गोद में हैं। आप तो कहने के हकदार ही नहीं हैं। आपकी विचार-धारा क्या है, आप बैठे कहां हैं, मालूम नहीं। आप तो सामन्तवाद की गोद में बैठे हैं। यह आपकी जगह नहीं है। बात यही है, सभापति महोदय, कि यह कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। प्रेक्टिकल देख लीजिए, जिस वक्त विरोध पक्ष जायेगा यह भी साथ चलें जायेंगे। बात करते हैं, सामन्तवाद की।

**श्री नाथू सिंह** : यह चुनाव के समय कुछ बोल देते हैं और अब कुछ बोलने लग गये।

(व्यवधान)

**श्री यदुनाथ सिंह** : जो आदमी स्वयं विरोध पक्ष से जीत कर आया हो उसको ऐसा बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है।

**श्री सभापति** : आर्डर प्लीज, आप अपना भाषण जारी रखिये। बोलने दीजिए।

**श्री नाथूसिंह** : × × ×

**श्री मोहनलाल मोदी** : माननीय सदस्य श्री नाथूसिंह जी, अगर सही बात पूछो तो आप पार्लियामेन्ट के चुनाव के लिए उम्मीदवार थे। कोटपूतली का सारा बखेड़ा पार्लियामेंट के चुनाव की वजह से कराया गया ताकि किसी तरह से कामयाब हो जायं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। वहां की जनता समझ गई है कि किस कारण से क्या हुआ है।

**श्री नाथूसिंह** : सभापति महोदय, इनके × × × वहां दौसा में। चुनाव लड़ कर तो देखिये) इनके अध्यक्ष की हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की, यह तो क्या लड़ेंगे।

**श्री मोहनलाल मोदी** : यह अपनी अपनी इच्छा की बात है कोई चुनाव लड़ना चाहे या नहीं लड़ना चाहे, यह तो किसी की व्यक्तिगत बात है।

**श्री नाथूसिंह** : आप मेरे विरोध में दौसा में खड़े हो जायें।

**श्री मोहनलाल मोदी** : अब कौन होगा, क्या होगा यह समय बतायेगा लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कह दूं कि आप नीम का थाना में आइये आपका स्वागत है और नीम का थाना से आपकी जमानत जब्त करा कर के नहीं भेजूं तो मेरा नाम आप बदल देना।।

**श्री नाथूसिंह** : ऐसा है, आपकी जमानत जब्त हो जायेगी मैं वहां आऊंगा तो।

**श्री मोहनलाल मोदी** : वह तो कोई बात नहीं है। आप तो पधारिये, तशरीफ लाइये। आप ही नहीं बल्कि मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि जो आपके दल के बड़े से बड़े नेता हैं वह नीम का थाना में आ जायें × × × तो कह देना।

**श्री दिनेश डांगी** : अभी नाथूसिंहजी कंवारे हैं। इनको क्या पता है आपके कोई जाये ही नहीं। रास्ता जानते हो क्या ? वह बहुत पारंगत हैं।

**एक माननीय सदस्य** : चुनाव होगा तो पता पड़ जायेगा। अभी कह लेने दो। पसीना आयेगा तब पता लगेगा।

**एक माननीय सदस्य** : तब पता चलेगा यह हमारे साथ रहेंगे या आपके साथ रहेंगे। यह तो इधर आने वाले हैं।

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, विषय पर आइये।

**श्री मोहनलाल मोदी** : सभापति महो-

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मोहनलाल मोदी)

दय, यह माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनकी स्थिति मैं आपको बताता हूं, यहां उनके नेता महोदय बैठे रहते हैं और वह पीछे से यों करते हैं। तो, इनकी तो यही स्थिति है कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं और बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। ऐसी इनकी स्थिति है और यह दूसरों के लिए बातें करते हैं।

**श्री हीरालाल आर्य :** हम आपकी तरह × × × नहीं हैं। आप तो × × ×

**श्री मोहनलाल मोदी :** आप तो × × × नहीं हो, आप तो खुले हुए मजदूर हो। उसके लिए मैं कोई बात नहीं कहता।

(व्यवधान)

**श्री नाथूसिंह :** अगली बार कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ?

**श्री मोहनलाल मोदी :** यह तो आपको समय बता देगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि हम राजस्थान नहर पर बहुत द्रुत गति से काम कर रहे हैं। मैं उसी तरह का एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूं, जिस तरह हम वहां राजस्थान नहर ले जाकर उस इलाके का भला करना चाह रहे हैं उसी तरीके से पहाड़ी इलाकों के अन्दर आप छोटे-छोटे एनीकट्स और छोटे-छोटे बांध बना करके पानी को रोकें तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। कुओं में पानी न होने से आज के दिन पहाड़ी इलाकों के अन्दर पीने के पानी की समस्या भी आती है। यह एनीकट्स बनाने से और बांध बनाने से सिंचाई के भी साधन उपलब्ध होंगे और वहां पर उनको पेयजल की भी सुविधा होगी। सिंचाई के लिये जो कुएं हैं उनमें भी पानी बढ़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसका भी एक प्लानिंग किया जाये और उस प्लानिंग के आधार पर इस काम को भी हमारे मुख्य कामों में लिया जाये। इससे निश्चित रूप से हमारे किसानों और दूसरे गरीब मजदूरों को लाभ मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, टैक्स हमने नहीं लगाया इससे भी विरोधी दल के माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं कि हम गांवों में जाकर इस बजट के लिए क्या कह सकेंगे। कहीं किसी चीज की कमी नहीं रखी। चिकित्सा के लिए कमी नहीं रखी, शिक्षा के लिए कमी नहीं रखी, पेयजल की समस्या, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, के लिये गांवों में हैंड पम्प दे दिये लेकिन छोटी-छोटी ढाणी और छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनके अन्दर हैंड पम्प रह गये क्योंकि आपने एक गांव में व्यवस्था कर दी उससे आपके रिकार्ड में पानी के लिए तो आपने कह दिया कि व्यवस्था हो गयी, जो ढाणियां हैं हैं और जो छोटे-छोटे पाकेट्स हैं उनके लिए जो हमने निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि बहुत स्वागत योग्य है और इससे गरीब लोगों को और जो दूसरे लोग हैं उनको लाभ मिलेगा।

---

× × × अभिव्यक्ति/शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री मोहनलाल मोदी)

मैं इन्हीं सारी बातों के साथ फिर बजट का स्वागत करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट इस राजस्थान की तरक्की के लिए दिया है।

धन्यवाद।

**श्री सभापति** : श्री तेजपाल यादव।

**श्री तेजपाल यादव** (चौमूं) : माननीय सभापति जी, 15 मार्च को वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं।

तीन दिन से बजट पर बहस चल रही है और विरोधी दल के माननीय नेता इस बजट को प्रतिगामी, यथास्थिति का बजट कह करके इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सन 1952 से, आप चाहे उनकी कारगुजारी देख लीजिए, सदा से ही समाजवादी बजट, समाजवादी नीति, गरीबों के उत्थान और किसानों के उत्थान की योजनाओं और विकास की योजनाओं का विरोध किया है। इसका इतिहास साक्षी है।

यह जो बजट पेश किया है वह इतना सुन्दर बजट है कि इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता। उनको मालूम है कि गत तीन वर्षों से भयंकर अकाल और अकाल के कारण से सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ा। ऐसी स्थिति में इस तरह के बजट, जिसमें सामाजिक सेवा भी है, उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है, बिजली पर भी ध्यान दिया गया है, सड़कों पर भी ध्यान दिया गया है, शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है, से ज्यादा अच्छा बजट और क्या हो सकता है। इनके सामने और कुछ नहीं है। बस विरोध करो। इनका सदा यह रवैया रहा है कि विरोध के लिए विरोध करना और लोगों को गुमराह करना। गुमराह करके प्रतिक्रियावादी शक्तियों को आगे बढ़ाओ, झगड़ा कराओ, अफवाह फैलाओ, झूठ बोलो, यह इनकी आदत में शुमार हो गया है।

विरोधी दल के माननीय नेता राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे और उन्होंने लम्बी-चौड़ी डींगे हांकी। जब उनकी पोल खुलने लगी जवाब के समय, तो वह यहां से छोड़ कर भाग गये। बिजली की बात करते हैं कि बिजली नहीं है। आपको क्या अधिकार है? आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है बिजली की बात करने का। आपने तो हमारे से 1026 मेगावट बिजली संभाली थी और उतनी की उतनी ही छोड़ कर चले गए। आपने अणु बिजली को गड़बड़ कर दिया उसमें पता नहीं क्या बिन्दू छोड़ गये कि वह अणु बिजली घर बन्द हो रहा है। तो आप बिल्कुल किसान विरोधी बात कहते हैं। पहली बात, किसान यहां अपनी मांगें लेकर आये और आपने उनकी मांगें सुनना तो दूर रहा उनके ऊपर डंडे और घोड़े चलाये। आप करते हैं। आप हरिजनों की बात करते हैं...

**श्री यदुनाथ सिंह** : आपने तो किसानों को गोलियों से भून दिया।

**श्री तेजपाल यादव** : आपकी तो मति भ्रष्ट हो चुकी है। × × ×

चरणसिंहजी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा खून ही नहीं मिल सकता। पर आपने फिर भी हाथ मिला लिए। अब पता नहीं कहां जाओगे। तो, आपका तो बेमेल जोड़ा है। गत दो तीन सालों में जो स्थिति आपने बिजली की बिगाड़ी, यह इस बात का सबूत है कि आपने किसानों से दुश्मनी निकालने का काम किया। बिजली के इतने कनेक्शन दिये और बिजली पर एक पैसा आपने खर्च नहीं किया। बिजली का जनरेशन आपने बढ़ाया नहीं और कनेक्शन देते गये। आप देख रहे थे कि हम तो जा रहे हैं जैसे गांव में कहते हैं "पूत का पग पालना में दीख जावे हैं" अपन तो जाने वाले हैं इसलिये स्थिति खराब कर जाओ ताकि जो आने वाली सरकार है, जो सदा से आ रही है, जो सेवा कर रही है वह जायेगी, वही पार्टी आयेगी उसके सामने समस्या खड़ी हो जाय। आपने यह समस्या खड़ी कर दी। जगह जगह आपने आन्दोलन चलाये सारे झगड़े किये। लेकिन इस साल मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय मुख्य मन्त्रीजी को, ऊर्जा मन्त्रीजी को और बिजली बोर्ड के चेयरमैन को कि उन्होंने बिजली का कहीं से भी एडजस्टमेन्ट किया, जनरेशन बढ़ाया। इसका सबूत है कि आपने आन्दोलन किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आन्दोलन किया तो किराये के आदमी शहर से लेकर आये किसानों के आन्दोलन के नाम से। हमने कहा कि किसान कहां हैं यहीं से पकड़ कर लाये हो लोगों को। लोकदल का आन्दोलन फेल हुआ। बिजली के लिए जितने भी आपके आन्दोलन हुए वह फेल हुए।

जहां तक शिक्षा की बात है, आपने स्कूल खोले जनता पार्टी के टाइम में हमारे खोले हुए स्कूल आपने बन्द किये उनमें रद्दोबदल किया। हमने सब जगह स्कूल खोले हैं। दोसा का सबूत ले लीजिए। रिकार्ड देख लीजिए। हम 1980 में भी हारे और अभी बाई इलेक्शन में भी हारे लेकिन कितने स्कूल आपके यहां खोले हैं? हायर सैकण्डरी स्कूल कितने खोले हैं, मिडिल स्कूल कितने खोले हैं, आप देख लीजिए। पटवाजी अभी कह रहे थे कि राजनैतिक दृष्टि से भेदभाव बरता जा रहा है। भेदभाव तो आप बरतते थे क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कहते हैं।

दूसरी बात, आदिवासियों और हरिजनों के साथ में आपका जो व्यवहार रहा, जैसा मोदीजी ने फरमाया, उनका आपने शोषण किया। आपने हरिजनों के लिये कोई योजना नहीं बनाई। आर. एस. एस. और गुरुजी के लिये जो योजना बनाई थी उसका पैसा उनकी जेब में चला गया। इस बात का सबूत यह है कि हमारे जो आदिवासी एम. एल. ए. हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथी और आप किस तरह से लड़ रहे थे। कटारियाजी वगैरह आदिवासी की जमीन हड़प रहे थे, जिनका कब्जा था उनको बेदखल करना चाहते थे और आदिवासी सारे के सारे संघर्ष कर रहे थे। यह भी उस समय आपके

---

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री तेजपाल यादव)

साथ जा रहे थे कि मैं और मेरा दल बहिष्कार करता है। लेकिन आज आपने देखा आप किस तरह लड़ रहे थे। आप अपना मुंह आइने में देखिये। आप कहते हैं, यह बजट प्रतिगामी है, राजस्थान को पीछे ले जाने वाला है। यह तो आपको पीछे ले जायेगा। आप धीरे-धीरे मुखौटा बदल कर दूसरे नाम से आयेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नाम से, लोकदल के नाम से आपके वोट नहीं मिलने वाला है। आप कोई दूसरा नाटक कर लीजिए जैसा कोटपूतली का नाटक रचा वैसे दूसरा नाटक रच लीजिये। सभपति महोदय……

**एक माननीय सदस्य** : आप चौमूं का ध्यान रखना।

**श्री तेजपाल यादव** : पक्का ध्यान है। आप आ जाना, भैरोंसिहजी को ले आना। मेरा भी चैलेन्ज है, भैरोंसिहजी को खड़ा कर देना चौमूं से। चैलेंज है।

**श्री यदुनाथ सिह** : इनको अन्तिम बार बोलने दीजिये। आगे आने वाले नहीं हैं।

**श्री तेजपाल यादव** : 1984–85 के बजट में कृषि उत्पादन के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार किसानों को इनपुट्स डीकम्पोनेंट और तरह-तरह की सुविधायें दे रही हैं उससे उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेंगे।

जहां तक विद्युत उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुस्तैदी से गत वर्षों में बिजली जनरेशन का काम किया है, किसानों को बिजली सही टाइम पर दी और किसानों को कोई तकलीफ नहीं दी। हर किसान यह कहता है और लोकदल के साथी भी यह मानते होंगे कि और मामलों में कुछ भी हो मगर बिजली के मामले में इस वक्त आराम रहा। महारामजी भी स्वीकार करेंगे ईमानदारी से, मेरा निवेदन करना है।

**श्री महाराम चौधरी** : बड़ा आराम रहा, किसी के करेन्ट नहीं आया।

**श्री तेजपाल यादव** : बिजली के लिये बजट प्रावधान जो 117 करोड़ रुपये का रखा गया है, मेरा सुझाव है कि इसको और भी बढ़ाया जाना चाहिये। बिजली के बिना किसी भी देश के, किसी भी स्टेट के आवागमन के साधनों का, पानी के साधनों का विकास नहीं हो सकता। प्रशासनिक खर्चों में अगर कटौती कर सकते हैं तो करनी चाहिए और वह कटौती करके बिजली के उत्पादन की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है, सिंचाई के मामले में भी काफी बजट रखा गया है। इसके साथ मेरा यह कहना है, राजस्थान कैनाल के बारे में जैसा आदरणीय चौधरी साहब ने धन्यवाद प्रस्ताव के समय बताया, विपक्षी दल ने उनका मखौल उड़ाया था और जब तथ्यात्मक बात आयी तो वे सारे भाग कर चले गये, वास्तव में 20 लाख वर्ष में जहां पानी की बूंद नहीं देख सकते थे वहां पानी पहुंचाया है। तो वे भागीरथ नहीं तो और क्या हैं। कैनाल को आपने ढाई साल में ढाई फीट नहीं बढ़ाया। फर्जी ठेके दे करके अपने भाइयों को चटा गये। सिर्फ मिट्टी काटो लाईनिंग तो हो नहीं

(श्री तेजपाल यादव)

सकती कोयला खराब है, इस बहाने इस सारी मिट्टी में हेरा-फेरी की। जैसा काम के बदले अनाज योजना में आपने किया वैसा ही राजस्थान कैनाल में आपने किया।

**श्री खेतसिंह राठौड़** (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय एक घन्टा और बढ़ा दिया जाये।

**श्री यदुनाथ सिंह** : क्यों ?

**श्री खेतसिंह राठौड़** : एक घन्टा इसलिये कि कई माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं। माननीय सदस्यों की इच्छा है।

**श्री भंवरलाल शर्मा** : दुलारामजी के यहां प्रोगाम है।

**श्री महाराम चौधरी** : कल और है, इसलिये आज नहीं।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : तो इनके भाषण तक बढ़ा दिया जाये।

**श्री तेजपाल यादव** : माननीय सभापति जी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नहर मन्त्री माननीय बैदजी को, जिन्होंने इतनी तेज गति से राजस्थान कैनाल को जैसलमेर में पहुंचाया। उन्होंने राजस्थान में ही नहीं, दुनिया में भागीरथ के रूप में नाम कमाया। इनको दुःख इस बात का है, राजस्थान कैनाल वहां तक न जाती तो इनके पास कुछ न कुछ विरोध करने के लिये रहता। लेकिन अब पानी आ जाता है नहर तोड़ कर या कोई छोटी-मोटी खामी रह जाती है उसी के नाम से यह इस तरह का वातावरण बना कर राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सभापति जी, इस तरह से गुमराह करने से जनता समझ गई है कि इन्होंने कितनी बार मुखौटा बदला है, जनता को कितनी बार गुमराह करने की कोशिश की है। राजस्थान की जनता इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाली है। राजस्थान कैनाल राजस्थान की जनता के लिये, राजस्थान प्रदेश के लिये वरदान है। इसके लिये जिस ढंग से कार्यवाही हो रही है, कार्य चल रहा है उस गति से चलना चाहिये। इनके जो नारे हैं, कभी एम. पी., कभी राजस्थान कैनाल, इनका हमको मुकाबला करना है। जहां तक छोटी सिंचाई की बात है, जयपुर जिले में केवल कुओं से सिंचाई होती है। वर्षा का पानी नहीं रुकने से, कटाव होने से पानी का स्तर धीरे-धीरे नीचे गिरता जा रहा है। आपके माध्यम से मेरा सुझाव है माननीय मन्त्री जी को कि जयपुर जिले में छोटे-छोटे एनीकट, बांध बनायें ताकि यहां पानी का स्तर ऊंचा हो सके और कुओं में पानी आ सके और हमारी फसलें बच सकें। शिक्षा के मामले में इस वर्ष बहुत अच्छा प्रावधान रखा गया है। 1977 से लेकर 1980 तक इन्होंने स्कूल तो खोल दिये लेकिन स्कूलों के अगेंस्ट एक भी मास्टर का बजट नहीं दिया। बिना मास्टर के इन्होंने स्कूल खोल दिये। हमारी सरकार अतिरिक्त अध्यापकों का बजट लगातार दे रही है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस साल के बजट में जो स्कूल

142



(श्री तेजपाल यादव)

खोले जायेंगे उसके आलवा 3000 अध्यापकों के पदों के लिये बजट में प्रावधान रखा गया है।

**श्री यदुनाथ सिंह** : 17000 खाली हैं।

**श्री तेजपाल यादव** : धीरे-धीरे उनको कम कर रहे हैं। हम पूरा कर रहे हैं। आपके साथी हैं उन्होंने कभी किया ही नहीं। स्कूलों का बजट ही नहीं दिया।

इस प्रकार से हर क्षेत्र में, कृषि में, शिक्षा में, विद्युत में, सामाजिक सेवाओं में इस तरह के प्रावधान किये हैं 200 आयुर्वेदिक औषधालय, डिस्पेन्सरीज, सैटेलाइट अस्पताल, इस तरह की बातें जो बजट में रखी हैं वह जनता के लिये बहुत ही फायदेमन्द हैं। बड़ा सुन्दर बजट इस स्थिति में पेश किया गया है।

दूसरा, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के बारे में यह कहते हैं कि तुम्हारे एक सूत्र है। हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम जनता के लिये बहुत फायदेमन्द है। गरीबों के विकास के लिये, किसानों के विकास के लिये, शहरों के विकास के लिये, वन विकास के लिये, जितनी भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिये 20 सूत्री आर्थिक प्रोग्राम है। यह आपके लिये जरूर तलवार है। आपका तो पता साफ हो जायेगा। आप यहां जितने भी हैं उससे आधे भी नहीं रहोगे।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : सभापति महोदय को सम्बोधन करके बात करें। यह आप आप किस को कह रहे हैं ?

**श्री तेजपाल यादव** : बीस सूत्री कार्यक्रम जैसे-जैसे सफल होगा वैसे-वैसे आपका पत्ता साफ होता जायेगा।

मैं इसके साथ ही बिजली के मामले में और सुझाव देना चाहूंगा। जयपुर जिले में काफी नये कुएं बन चुके हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि आर. ई. सी. की स्कीम मंजूर करवा कर जयपुर जिले में बिजली दी जानी चाहिये। जहां तक कृषि की बात है मैं एक बात कहना चाहूंगा, सारा देश कृषि पर आधारित है, औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक विकास भी कृषि पर आधारित है, कृषि के विकास लिये काफी पैसा खर्च कर रहे है लेकिन दूसरी तरफ कृषि के इनपुट्स पर कर लगते हैं जो हमारी भावना है उसके अनुरूप प्लानिंग नहीं है। मेरा सुझाव है खाद पर जो चुंगी कर है, बिक्री कर है और एग्रीकल्चर के जितने उपकरण हैं उन पर जो बिक्री कर है उसमें छूट का प्रावधान और भी होता तो राजस्थान के गरीब किसान आपका स्वागत करते, और भी ज्यादा खुश होते इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर, वित्त मन्त्रीजी, आप पुनर्विचार करें और यह जो कर हैं उनको कम करने या हटाने की घोषणा इसी बजट सत्र के दौरान करें।

दूसरा, सभापति महोदय, जो भी वनों के विकास के काम हैं और वनों के मामले हैं, वनों से बरसात का सन्तुलन ठीक रहता है और प्राकृतिक सम्पदा बढ़ती है इसलिये वनों पर

(श्री तेजपाल यादव)

ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि सीकर और झुंझुनू जिले हैं उनमें जो रेत के टीले हैं उनमें वनों का प्रभाव हो सके। इसलिये, सभापति महोदय, प्लान्टेशन का प्रावधान रखना चाहिये।

वित्त मन्त्रीजी ने अच्छा बजट पेश किया है, इससे अच्छा बजट और हो ही नहीं सकता है इसलिये मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति :** सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5-00 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 22 मार्च, 1984 के म. पू. 11-00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

## परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

| इकाई का नाम | | सकल लाभ-हानि |
|---|---|---|
| 1. गणगौर, जयपुर | | 6,20,618.60 |
| 2. तीज, जयपुर | | 4,36,537.60 |
| 3. स्वागतम, जयपुर | | 69,636.08 |
| 4. यूथ होस्टल, जयपुर | (—) | 6,613.04 |
| 5. दुर्ग, नाहरगढ़, जयपुर | (—) | 46,809.62 |
| 6. यूथ होस्टल माउन्ट आबू (नक्की लेक कैफे सहित) | (—) | 6,912.37 |
| 7. शिखर, माउन्ट आबू | | 3,27,738.54 |
| 8. घूमर, जोधपुर | | 57,198.77 |
| 9. मूमल, जैसलमेर | | 2,93,452.75 |
| 10. टाईगर डेन, सरिस्का | | 54,980.60 |
| 11. लेक पैलेस, सिलीसेट | (—) | 66,417.11 |
| 12. मिडवे महुआ | (—) | 33,524.59 |
| 13. मिडवे, बहरोड़ | | 1,87,735.93 |
| 14. सरस, भरतपुर | (—) | 49,753.55 |
| 15. चम्बल, कोटा | | 6,612.17 |
| 16. झील, रामगढ़ | (—) | 2,14,111.64 |
| 17. सरोवर, पुष्कर | | 19,066 44 |
| 18. खादिम, अजमेर | | 4,02,292.96 |

| इकाई का नाम | | सकल लाभ-हानि |
|---|---|---|
| 19. पन्ना, चित्तौड़गढ़ (जनता आवास गृह सहित) | | 67,482.91 |
| 20. गोकुल, नाथद्वारा | | 40,107.31 |
| 21. चेतक रेस्ट हाउस, हल्दी घाटी | (—) | 11,250.54 |
| 22. टी. बी. जयसमन्द | (—) | 69,804.70 |
| 23. कजरी, उदयपुर | | 3,75,649.56 |
| 24. गवरी, रिषभदेव | | 13,464.12 |
| 25. शिल्पी, रनकपुर | | 39,788.42 |
| 26. मिडवे, रतनपुर | | 7,034.21 |
| 27. मिडवे, बर | (—) | 75,710.97 |
| 28. ढोलामारू, बीकानेर | | 21,942.81 |
| 29. झूमर बावड़ी केस्टल, सवाईमाधोपुर | (—) | 33,059.87 |
| 30. पैलेस-आन-व्हील्स | | 1,97,367.18 |
| | योग | 26,18,126.79 |

**परिशिष्ट 'ब'**

**राजस्थान राज्य होटल निगम लि० द्वारा संचालित इकाइयों में वर्ष 1982–83 में सकल लाभ–हानि**

| इकाई | | सकल लाभ/हानि वर्ष 1982–83 |
|---|---|---|
| होटल खासा कोठी, जयपुर | (+) | 1,24,852.59 |
| होटल, आनन्द भवन, उदयपुर | (+) | 3,59,309.51 |

| इकाई | | सकल लाभ/हानि वर्ष 1982–83 |
|---|---|---|
| मदिरा दुकान नं. एक, आबू पर्वत | (+) | 1,54,855.11 |
| मदिरा दुकान नं. दो, आबू पर्वत | (+) | 2,67,864.75 |
| योग | (+) | 9,06,881.96 |
| घटाइये— | | |
| निगम के मुख्य कार्यालय का व्यय | (–) | 1,81,671.55 |
| कुल कार्यकारी लाभ | (+) | 7,25,210.41 |

## परिशिष्ट 2

### समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

**रतनगढ़ क्षेत्र के गांवों को बिजली**

209. **श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में विद्युत विभाग ने रतनगढ़ के किन-किन गांवों को बिजली दी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखे ।

(2) वर्ष 1984-85 में रतनगढ़ क्षेत्र के लिए क्या कोई योजना स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने गांवों को बिजली दी जायेगी ?

(3) क्या गोरीसर गांव की विद्युत लाइन हेतु भेजे गये तारों के बंडलों की चोरी हो गई ? यदि हां, तो क्या पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या बछरारा गांव को विद्युत पम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मार्च, 1983 में जलदाय विभाग ने धनराशि जमा कराई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(5) क्या उक्त गांव को बिजली दे दी गई ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

**उत्तर**

(1) वर्ष 1982-83 में तथा 1983-84 में विद्युत मण्डल द्वारा रतनगढ़ क्षेत्र में क्रमशः 5 व 3 गांवों को विद्युतीकृत किया गया जिनकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) वर्ष 1984-85 के लिये रतनगढ़ क्षेत्र की योजना स्वीकृति हेतु आर. ई. सी. को भेजी गई है । चालू वर्ष 1983-84 में इस क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं था ।

(3) जी हां । चोरी की रिपोर्ट संबंधित थाने में कर दी गई थी ।

(4) जी हां । जलदाय विभाग द्वारा 1,99,501/–रुपये की राशि जमा कराई गई थी ।

(5) उक्त गांव के जलदाय विभाग के कुओं को दिनांक 13-1-84 को विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है ।

(ऊर्जा मन्त्री)

सूची

पं. सं. रतनगढ़ में वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में विद्युतीकृत किये गये गांवों की सूची

**वर्ष 1982-83**

(1) पावूसर
(2) दाउसर
(3) बडंवा
(4) भावन दसेर
(5) बीना दसेर

**वर्ष 1983-84**

(1) गोरीसर
(2) भड़पालसर लाडखानीया
(3) हेंमूसर

**चौकीदार श्री देवीसिंह को कारावास**

210. श्री मेघराज तावड़ (गोन्दागु) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोई भी राज्य कर्मचारी आकस्मिक कार्य के लिए आकस्मिक अवकाश लेने का अधिकारी है ? यदि हां, तो क्या शाहपुरा (भीलवाड़ा) के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चौकीदार श्री देवीसिंह को छुट्टी देने के बजाय चालान गार्ड बुलाकर बन्द करवा दिया और 15 दिन के कारावास की सजा दे दी ? यदि हां, तो इस कर्मचारी का दोष क्या था ?

(2) क्या यह भी सही है कि अपील के लिए श्री देवीसिंह को नियमानुसार प्रतिलिपि भी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि कोई भी कर्मचारी आकस्मिक कार्य के लिये आकस्मिक अवकाश लेने का अधिकारी है। परन्तु श्री देवीसिंह का मामला आकस्मिक अवकाश लेने का नहीं था बल्कि न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालने व न्यायालय की अवमानना का था। उसने फौजदारी प्रकरण सं 548/81 "तेजमल बनाम भंवरलाल" की सुनवाई के

(विधि मन्त्री)

समय न्यायालय की कार्यवाही में अपशब्द बोलकर व्यवधान डाला तथा न्यायालय की मानहानि की, जिस पर प्रकरण सं. 8/84 में धारा 345 द. प्र.सं. के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज होकर विधिवत दण्डित किया गया। इसकी अपील अभी पेंडिंग है व मामला सब-जुडिस है।

(2) जी नहीं। श्री देवीसिंह ने अपील के लिये प्रतिलिपि प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-2-84 को प्रस्तुत किया तथा उसे दिनांक 9-2-84 को नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपियां दे दी गई जिसके आधार पर उसने अपील प्रस्तुत की।

### विगत तीन वर्षों में प्रदेश में एन. जेड़, डब्ल्यू. जेड़ और एन. पी. परमिट

211. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं

**श्री देवेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में कितने एन. जेड़, डब्ल्यू. जेड़ और एन. पी. परमिट जारी किये गये ? उनमें से कितने-कितने परमिट किन-किन ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को दिये गये ?

(2) क्या इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और भूतपूर्व सैनिकों का कोटा रिजर्व है ? यदि हां, तो रिजर्व कोटा में किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों को कितने कितने परमिट दिये गये ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में एन. जेड. (उत्तर क्षेत्र) के 247 डब्ल्यू. जेड़. (पश्चिमी क्षेत्र) के 250 तथा 608 परमिट एन. पी. (राष्ट्रीय) के जारी किये गये हैं। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को 6 एन. पी., 4 डब्ल्यू. जेड़ तथा 2 एन. जेड़. के परमिट जारी किये गये हैं उनके नामों की सूची परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त परमिटों के लिये केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिये कोटा रिजर्व हैं। भू.पू. सैनिकों के लिये कोई आरक्षण नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्रों के लिये इन्हें अन्य व्यक्तियों की तुलना में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 32 राष्ट्रीय, 34 पश्चिमी क्षेत्र व तथा 15 उत्तरी क्षेत्र के परमिट दिये गये हैं। अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को 7 राष्ट्रीय, 13 पश्चिमी क्षेत्र तथा 13 उत्तर क्षेत्र के परमिट जारी किये गये हैं। भू. पू. सैनिकों को 42 राष्ट्रीय, 2 पश्चिमी क्षेत्र तथा एक उत्तर क्षेत्र का परमिट स्वीकृत किया गया है।

(राज्य मन्त्री, यातायात)

जिन ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को राष्ट्रीय, पश्चिम क्षेत्र व उत्तर क्षेत्रीय परमिट स्वीकृत किये गये हैं उनके नामों की सूची

**राष्ट्रीय :**

1. मैसर्स अमर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
2. मैसर्स तोशनीवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
3. मैसर्स जगत ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
4. मैसर्स दिनेश ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उदयपुर।
5. मैसर्स जिन्दल एण्ड जिन्दल, उदयपुर।
6. मैसर्स चौधरी रोडवेज, बीकानेर।

**पश्चिमी क्षेत्र :**

1. मैसर्स कमल आटो इण्डस्ट्री, जयपुर।
2. मैसर्स लक्ष्मी रोडवेज, जयपुर।
3. मैसर्स एम. के. ट्रेडर्स, उदयपुर।
4. मैसर्स कपूर फ्रेड कैरियर्स, जयपुर।

**उत्तर क्षेत्र :**

1. मैसर्स अम्बर अमर ट्रांसपोर्ट, जयपुर।
2. मैसर्स लक्ष्मी रोडवेज, जयपुर।

---

**डग पंचायत समिति के गांवों को चीनी तथा केरोसिन की व्यवस्था**

212. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग): क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति, ग्राम पंचायत किटिया तथा रनायरा की ग्रामीण जनता को पिछले चार माह से चीनी तथा केरोसीन उपलब्ध नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इन अनिवार्य वस्तुओं के नियमित वितरण की कब तक व्यवस्था कर देगी ?

(2) क्या यह सही है कि पूरे जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शक्कर और

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

मिट्टी के तेल को डीलर्स ब्लैक में ऊंचे भाव पर बेच देते हैं. जिस कारण जनता को समय पर वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं? क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत किटिया एवं रनायरा की ग्रामीण जनता को पिछले चार माह से चीनी तथा करोसिन तेल का नियमित रूप से वितरण कराया जा रहा है।

(2) जी नहीं। जिला झालावाड़ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शक्कर और करोसिन डीलर्स द्वारा ब्लैक में ऊंचे भावों पर बेचने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वहां की जनता को शक्कर एवं करोसिन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नियमित रूप से वितरित कराया जा रहा है। अतएव इन वस्तुओं को डीलर्स द्वारा ब्लैक में ऊंचे भावों पर बेचने की कोई संभावना नहीं है फिर भी यदि कहीं से इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच करा ली जावेगी।

**चित्तौड़गढ़ एवं कुम्भलढ़ दुर्ग का संधारण**

213. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या पुरातत्व राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के चित्तौड़गढ़ और कुम्भलगढ़ दुर्ग पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे हैं?

(2) क्या उक्त दोनों ही दुर्ग केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत हैं और इनका रख-रखाव बिल्कुल असंतोषजनक है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इनको राज्य के आधिपत्य में लेने की कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्या अब करेगी?

उत्तर

(1) केवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र रहा है।

(2) दोनों ही दुर्ग राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी एनशियन्ट मोन्यूमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलोजिकल साइट्स एण्ड एन्टीक्यूटीज एक्ट-1958 (The Ancient Monuments & Archaeological Sites and Antiquities Act, 1958) के अन्तर्गत संरक्षित स्मारक घोषित किये हुए हैं। पिछले 6 माह में इनके रख-रखाव के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इनको राज्य के आधिपत्य में लेने की कोई कार्यवाही न तो की जा रही है, न ही करने का कोई विचार है।

**राजस्थान नहर परियोजना में सीमेंट की हेराफेरी**

214. **श्री नाथू सिंह** (बांदीकुई):—क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री नाथूसिंह)

(1) क्या अभी हाल ही में राजस्थान नहर परियोजना में सीमेंट की हेराफेरी का मामला पकड़ में आया है ?

(2) यदि हां, तो किस प्रकृति का कब व कितनी सीमेन्ट का ?

(3) इस सम्बन्ध में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों और अब इस संबंध में अग्रेतर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान नहर परियोजना विभाग के जामसर स्टोर का सीमेण्ट बीकानेर शहर में ट्रक से उतारते हुए पकड़ा गया।

(2) दिनांक 16-2-84 को रात्रि के समय पुलिस विभाग के द्वारा 200 बोरी सीमेंट पकड़ा गया।

(3) प्रारम्भिक जांच के अनुसार इस सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश कुमार जैन, सहायक अभियंता, श्री महेश कुमार कुलश्रेष्ठ व श्री आजाद प्रकाश माथुर, उप अभियंता दोषी पाये गये हैं। उपरोक्त तीनों को राज्य सेवा से निलम्बित किया गया है एवं आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

### जिप्सम की लीज देना

215. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार जिप्सम की लीज किसी भी प्राइवेट पार्टीज या सहकारी समिति को नहीं दी जा सकती ?

(2) यदि हां, तो बाड़मेर जिले में कुड़ला ग्राम के पास की जिप्सम की लीज कुड़ला ग्राम सहकारी समिति को किस आधार पर दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल कुछ पुरानी लीज चल रही है।

(2) कुड़ला ग्राम के पास सहकारी समिति को लीज नहीं दी गई है।

### राज्य की हरिजन बस्तियों को बिजली देने का लक्ष्य

216. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1980 से राज्य की कितनी हरिजन बस्तियों के लिये बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? कृपया वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त लक्ष्य के अनुसार कितनी हरिजन बस्तियों में अब तक बिजली पहुंचाई गई ? कृपया सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(3) हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य और उसकी पूर्ति का अनुपात कितने प्रतिशत रहा ?

(153)

उत्तर

(1) वर्ष 1980–81 से राज्य में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य व उपलब्धि निम्न प्रकार रही :—

(2)

| वर्ष | निर्धारित लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1980—81 | 500 | 798 |
| 1981—82 | 900 | 976 |
| 1982—83 | 900 | 1081 |
| 1983—84 | 900 | 726 (फरवरी, 84 तक) |

(3) हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य और उसकी पूर्ति का अनुपात निम्न रहा है:—

| वर्ष | उपलब्धि का प्रतिशत |
|---|---|
| 1980—81 | 159.6 |
| 1981—82 | 108.44 |
| 1982—83 | 120.11 |
| 1983—84 | 80.67 (फरवरी, 84 तक) |

**श्री गंगानगर में नये बस स्टेण्ड का निर्माण**

217. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार को श्रीगंगानगर में वर्तमान तंग एवं असुविधाजनक बस स्टेण्ड के स्थान पर आधुनिक एवं सभी सुविधाओं से पूर्ण एक नये बस स्टेण्ड के निर्माण के सम्बन्ध में विभिन्न जन प्रतिनिधियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार अथवा परिवहन निगम अन्य जिलों की भांति श्रीगंगानगर में भी एक आधुनिक एवं पूर्ण विकसित नया बस स्टेण्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार अथवा परिवहन निगम ने नये बस स्टेण्ड के निर्माण के लिये श्रीगंगानगर में भूमि प्राप्त की है ?

(श्री राधेश्याम)

यदि नहीं, तो क्या भूमि प्राप्त करने का सरकार विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार अथवा राज्य परिवहन निगम स्थानीय नगर सुधार न्यास को नगर सुधार न्यास द्वारा बस स्टेण्ड बनाये जाने की स्थिति में आर्थिक सहयोग देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम को ऐसे प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए।

(2) जी नहीं। निगम द्वारा वर्तमान में श्रीगंगानगर में एक आधुनिक एवं पूर्ण विकसित नया बस स्टेण्ड बनाने की योजना नहीं है।

(3) जी नहीं। निगम द्वारा नये बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु श्रीगंगानगर में कोई भूमि प्राप्त नहीं की है। वर्तमान में भूमि प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है।

(4) जी नहीं।

**आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल दुकानें**

218. **श्री महाराम चोधरी** (नागौर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या रेगिस्तान एवं पहाड़ी इलाकों में दूर-दूर स्थानों पर बसे लोगों को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य वस्तुओं की मोबाइल उचित दर की दुकानें खोली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उचित दर की दुकानों पर क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी एवं पहाड़ी इलाकों में दूर-दूर स्थानों पर बसे लोगों को आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य वस्तुओं की सतावन मोबाइल उचित मूल्य की दुकानें खोली हुई हैं। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन उचित मूल्यों की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित मूल्य पर वितरण हेतु चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य तेल, केरोसिन व कपड़ा उपलब्ध कराया जाता है।

(155)

(राज्य मन्त्री, खाद्य एवं आपूर्ति)

## सूची

| क्र.सं | नाम जिला | मोबाइल दुकानों की सं. |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | – |
| 2. | अलवर | – |
| 3. | बाड़मेर | 3 |
| 4. | बूंदी | – |
| 5. | बांसवाड़ा | 1 |
| 6. | भरतपुर | 3 |
| 7. | भीलवाड़ा | 4 |
| 8. | बीकानेर | 3 |
| 9. | चूरू | 4 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | – |
| 11. | डूंगरपुर | 2 |
| 12. | गंगापुर | 6 |
| 13. | जयपुर | – |
| 14 | जोधपुर | 2 |
| 15 | जैसलमेर | 1 |
| 16 | जालोर | 5 |
| 17 | झुंझुनू | 2 |
| 18 | झालावाड़ | 2 |
| 19 | कोटा | 4 |
| 20 | नागौर | 3 |
| 21 | पाली | 2 |
| 22 | सीकर | 4 |
| 23 | सवाईमाधोपुर | 4 |
| 24 | सिरोही | – |
| 25 | टोंक | 2 |
| 26 | उदयपुर | – |
| 27 | धौलपुर | – |
| | योग | 57 |

**राजस्थान नहर की पानी उपलब्ध क्षमता**

219. **श्री ज्ञानसिंह चौधरी** (भादरा) : क्या राजस्थान नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर की पानी की उपलब्ध क्षमता कितनी है ?

(2) राजस्थान नहर को इस समय कितना पानी उपलब्ध हो रहा है ?

(3) क्या उपलब्ध पानी क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) हरिके हैडवर्क्स पर राजस्थान नहर की क्षमता 18500 क्यूसेक्स है। अब तक तैयार वितरक प्रणाली की कुल क्षमता लगभग 10,000 क्यूसेक्स है।

(2) राजस्थान नहर को वर्तमान में 8,700 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध हो रहा है।

(3) उपलब्ध पानी क्षमता का उपयोग निर्धारित कैपेसिटी फैक्टर के अनुसार बिरधवाल हैड तक निकलने वाली नहरों पर शत-प्रतिशत किया जा रहा है। बिरधवाल हैड के नीचे तथा लूनकरणसर बीकानेर लिफ्ट प्रणाली और द्वितीय चरण पर अभी सिचाई सघनता नहीं बढ़ी इसलिये उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

**पीपलियां कलां की विद्युत इकाई में कर्मचारी बीमा योजना लागू करना**

220. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर) एवं **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के पीपलियां कलां की विद्युत इकाइयों में करीबन 500 मजदूर कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन मजदूरों को कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त इकाइयों पर राज्य कर्मचारी बीमा योजना लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजदूरों के स्वास्थ्य लाभ हेतु कर्मचारी बीमा योजना लागू करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) पाली जिले के पीपलियां कलां में विद्युत इकाइयों के नाम से कोई उद्योग नहीं है, अलबत्ता वहां 4 उद्योग इकाइयां हैं जिनमें कुल 368 मजदूर कार्यरत हैं।

(2) पीपलियां कलां में 6 रोगी शैया-युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है। जहां श्रमिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

(3) श्रमिकों की संख्या निर्धारित मापदण्ड से काफी कम होने से फिलहाल बीमा योजना लागू करना संभव नहीं है।

**वर्ष 1983 में बिजली का उत्पादन**

221. श्री जगसिंह (बयाना) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1983, तक किस-किस क्षेत्र से कितनी-कितनी बिजली का उत्पादन हुआ ?

(2) औद्योगिक क्षेत्रों को कितनी बिजली दी गई ? कृषि क्षेत्र में कितनी बिजली दी गई ? उत्पादित विद्युत का शेष भाग कहां उपयोग हुआ ?

(3) उपरोक्त विभिन्न क्षेत्रों से कितनी-कितनी आय हुई और उसका ब्रेक अप क्या है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर 1983, तक विद्युत की उपलब्धि विभिन्न स्रोतों से निम्न प्रकार रही :—

| क्र.सं. | स्रोत | उपलब्धि (लाख यूनिटों) में |
|---|---|---|
| 1. | भाखरा व्यास परियोजना | 23,630·49 |
| 2. | केन्द्रीय परियोजनाओं से सहायता | 2,346·21 |
| 3. | राजस्थान अणु विद्युतघर | 9,343·76 |
| 4. | चम्बल परियोजना (राणा प्रताप व जवाहर सागर) | 5,756·63 |
| 5. | मध्य प्रदेश (सतपुड़ा ताप व गांधी सागर विद्युत गृह) | 3,603·99 |
| 6. | उत्तर प्रदेश (सिंगरोली) | 3,666·23 |
| 7. | कोटा ताप विद्युत गृह | |
| | (अ) प्रथम इकाई | 2,085·02 |
| | (ब) द्वितीय ईकाई | 852·08 |
| 8. | स्थानीय ताप गृह | 116·95 |
| | कुल | 51,400·96 |

(2) विभिन्न क्षेत्रों में दी गई बिजली का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

| | (लाख यूनिटों में) |
|---|---|
| (1) औद्योगिक | 16,414·33 |
| (2) कृषि (मीटरड) | 6,206·82 |
| (3) घरेलू | 3,177·00 |
| | 25,798·15 |

उपलब्ध विद्युत का शेष भाग अन्य क्षेत्रों जैसे व्यवसायिक (अघरेलू), कृषि (फ्लैट रेट), सार्वजनिक प्रकाश, नल योजनाओं, पंचायत समिति एवं नगरपालिका हेतु मिश्रित भार आदि क्षेत्रों को दी गई। कुछ विद्युत लाइन लासेज में क्षय हुई।

(ऊर्जा मन्त्री)

3. उपरोक्त क्षत्रों से आय का विवरण इस प्रकार है :—

| | (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| (1) घरेलू | 1,534·87 |
| (2) औद्योगिक | 9,884·94 |
| (3) कृषि | 2,262·54 |
| कुल | 13,679·35 |

**राज्य परिवहन निगम के डिपोज**

222. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य परिवहन निगम के राज्य में कहाँ-कहाँ डिपोज व वर्कशाप हैं व उनमें कब-कब से कितनी गाड़ियां मरम्मत के लिये पड़ी हुई हैं ?

**उत्तर**

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत आगार कार्यालय व कार्यशालाएँ एवं उनमें किस-किस दिनांक से मरम्मताधीन पड़ी हुई वाहनों की संख्या दर्शाते हुए मानचित्र सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**मानचित्र**

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के राज्य में स्थापित विभिन्न आगार कार्यालय, कार्यशालाओं की सूची एवं विभिन्न कार्यशालाओं में मरम्मताधीन पड़ी वाहनों का विवरण

| क्र.सं. 1 | आगार 2 | कार्यशाला 3 | वाहनों की संख्या 4 | दिनांक 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | द्रुतगामी आगार जयपुर | द्रुतगामी आ. कार्यशाला जयपुर | 4 | 5-12-83 | 1 |
| | | | | 25-1-84 | 1 |
| | | | | 30-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |
| 2. | जयपुर आगार | जयपुर अ. का. | 6 | 21-9-83 | 1 |
| | | | | 20-11-83 | 1 |
| | | | | 20-1-84 | 1 |
| | | | | 21-1-84 | 2 |
| | | | | 27-1-84 | 1 |
| 3. | नगर वाहन सेवा | न.वा.से.आ.का. | 3 | 29-1--84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |
| | | | | 26-1-84 | 1 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | उपनगरीय | नहीं | इस आगार में सभी वाहनें अनुबंधित हैं जिनकी देखरेख स्वयं निजी मोटर मालिक करते हैं। | | |
| 5. | हिण्डौन | हिण्डौन का. | 2 | 29-1-84 | 1 |
| | | | | 30-1-84 | 1 |
| 6. | अजमेर | आ. का. | 6 | 1-2-84 | 5 |
| | | | | 19-1-84 | 1 |
| 7. | भीलवाड़ा | भीलवाडा आ.का. | 1 | 27-1-84 | 1 |
| 8. | ब्यावर | ब्यावर आ.का. | – | — | |
| 9. | नागौर | नागौर आ.का. | – | — | |
| 10. | जोधपुर | जोधपुर आ.का. | – | — | |
| 11. | जालौर | जालौर आ.का. | – | — | |
| 12. | फलोदी | फलोदी आ.का. | – | — | |
| 13. | आबूरोड | आबूरोड आ.का. | – | 28-1-84 | 1 |
| 14. | बाड़मेर | बाड़मेर आ.का. | – | — | |
| 15. | सिरोही | सिरोही आ.का. | 1 | 16-1-84 | 1 |
| 16. | अलवर | अलवर आ.का. | 7 | 24-1-84 | 1 |
| | | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | | 30-1-84 | 2 |
| | | | | 1-2-84 | 3 |
| | | अलवर आ.का.ब. | 5 | 16-12-83 | 1 |
| | | | | 30-1-84 | 4 |
| 17. | धौलपुर | धौलपुर आ.का. | 1 | 12-10-83 | 1 |
| 18. | भरतपुर | भरतपुर आ.का. | 3 | 11-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 2 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | कोटपूतली | कोटपूतली आ.का. | 7 | 15-8-83 | 1 |
| | | | | 20-1-84 | 1 |
| | | | | 25-1-84 | 1 |
| | | | | 26-1-84 | 2 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 20. | सीकर | सीकर आ.का. | 2 | 23-12-23 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 21. | झुंझुनू | झुंझुनू आ.का. | 3 | 21-1-84 | 1 |
| | | | | 25-1-84 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 22. | खेतड़ी | खेतड़ी आ. का. | 3 | 20-1-84 | 1 |
| | | | | 26-1-84 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 23. | उदयपुर | उदयपुर आ.का. | — | — | |
| 24. | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ आ.का. | — | — | |
| 25. | बांसवाड़ा | बांसवाड़ा आ.का. | — | — | |
| 26. | डूंगरपुर | डूंगरपुर आ.क. | 1 | — | |
| 27. | कोटा | कोटा आ.का. | 2 | 29-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |
| 28. | टोंक | टोंक आ.का. | 1 | 26-1-84 | 1 |
| 29. | बून्दी | बून्दी आ.का. | 3 | 22-1-84 | 1 |
| | | | | 30-1-84 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 30. | झालावाड़ | झालावाड़ आ.का. | 2 | 31-12-83 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 31. | बीकानेर | बीकानेर आ.का. | 4 | 25-1-84 | 1 |

(यतायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 2 |
| 32. | गंगानगर | गंगानगर आ.का. | 3 | 19-1-84 | 2 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| 33. | सरदारशहर | सरदारशहर आ.का. | – | — | |
| 34. | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ आ.का. | 4 | 28-1-84 | 1 |
| | | | | 29-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |
| | | | | 1-2-84 | 1 |
| | | केन्द्रीय कार्यशाला | 36 | 4-5-83 | 1 |
| | | | | 13-10-83 | 1 |
| | | | | 21-10-83 | 1 |
| | | | | 9-10-83 | 1 |
| | | | | 11-11-83 | 1 |
| | | | | 22-11-83 | 2 |
| | | | | 28-11-83 | 1 |
| | | | | 29-11-83 | 1 |
| | | | | 3-12-83 | 1 |
| | | | | 7-12-83 | 2 |
| | | | | 8-12-83 | 2 |
| | | | | 12-12-83 | 1 |
| | | | | 14-12-83 | 1 |
| | | | | 24-12-83 | 1 |
| | | | | 26-12-83 | 1 |
| | | | | 3-1-84 | 1 |
| | | | | 4-1-84 | 1 |
| | | | | 6-1-84 | 2 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7-1-84 | 1 |
| | | | | 12-1-84 | 2 |
| | | | | 13-1-84 | 3 |
| | | | | 16-1-84 | 1 |
| | | | | 18-1-84 | 1 |
| | | | | 24-1-84 | 2 |
| | | | | 28-1-84 | 3 |
| | | | | 30-1-84 | 2 |
| | | केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर | 57 | 28-8-82 | 2 |
| | | | | 10-12-82 | 1 |
| | | | | 12-2-83 | 1 |
| | | | | 5-4-83 | 1 |
| | | | | 17-5-83 | 1 |
| | | | | 22-5-83 | 1 |
| | | | | 20-8-83 | 1 |
| | | | | 22-8-83 | 1 |
| | | | | 6-10-83 | 1 |
| | | | | 20-10-83 | 1 |
| | | | | 2-11-83 | 1 |
| | | | | 7-11-83 | 1 |
| | | | | 8-11-83 | 1 |
| | | | | 9-11-83 | 1 |
| | | | | 10-11-83 | 1 |
| | | | | 12-11-83 | 1 |
| | | | | 15-11-83 | 1 |
| | | | | 17-11-83 | 1 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 21-11-83 | 1 |
| | | | | 25-11-83 | 1 |
| | | | | 29-11-83 | 1 |
| | | | | 1-12-83 | 1 |
| | | | | 5-12-83 | 2 |
| | | | | 10-12-83 | 1 |
| | | | | 13-12-83 | 1 |
| | | | | 20-12-83 | 1 |
| | | | | 21-12-83 | 3 |
| | | | | 22-12-83 | 1 |
| | | | | 24-12-83 | 1 |
| | | | | 27-12-83 | 2 |
| | | | | 28-12-83 | 1 |
| | | | | 30-12-83 | 2 |
| | | | | 31-12-83 | 1 |
| | | | | 2-1-84 | 1 |
| | | | | 5-1-84 | 1 |
| | | | | 12-1-84 | 3 |
| | | | | 13-1-84 | 2 |
| | | | | 14-1-84 | 1 |
| | | | | 17-1-84 | 2 |
| | | | | 18-1-84 | 2 |
| | | | | 19-1-84 | 2 |
| | | | | 23-1-84 | 1 |
| | | | | 24-1-84 | 1 |
| | | | | 25-1-84 | 1 |
| | | | | 31-1-84 | 1 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | संभागीय कार्यशालायें | | |
| 1. | अजमेर | 16 | 30-12-83 | 1 |
| | | | 6-1-84 | 1 |
| | | | 17-1-84 | 2 |
| | | | 18-1-84 | 1 |
| | | | 19-1-84 | 3 |
| | | | 21-1-84 | 1 |
| | | | 24-1-84 | 1 |
| | | | 25-1-84 | 2 |
| | | | 27-1-84 | 2 |
| | | | 30-1-84 | 1 |
| | | | 1-1-84 | 1 |
| 2. | जोधपुर | 11 | 24-1-84 | 1 |
| | | | 25-1-84 | 2 |
| | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | 28-1-84 | 1 |
| | | | 30-1-84 | 2 |
| | | | 31-1-84 | 3 |
| | | | 1-2-84 | 1 |
| 3. | सीकर | 8 | 22-12-83 | 1 |
| | | | 11-1-84 | 1 |
| | | | 16-1-84 | 1 |
| | | | 19-1-84 | 1 |
| | | | 20-1-84 | 1 |
| | | | 21-1-84 | 1 |
| | | | 10-1-84 | 1 |
| | | | 28-1-84 | 1 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | उदयपुर | 8 | 5-1-84 | 1 |
| | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | 28-1-84 | 1 |
| | | | 30-1-84 | 4 |
| | | | 1-2-84 | 1 |
| 5. | कोटा | 22 | 13-12-83 | 1 |
| | | | 16-12-83 | 1 |
| | | | 22-12-83 | 1 |
| | | | 31-12-83 | 2 |
| | | | 3-1-84 | 1 |
| | | | 12-1-84 | 1 |
| | | | 20-1-84 | 3 |
| | | | 21-1-84 | 2 |
| | | | 23-1-84 | 2 |
| | | | 25-1-84 | 1 |
| | | | 26-1-84 | 1 |
| | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | 30-1-84 | 2 |
| | | | 31-1-84 | 1 |
| | | | 16-1-84 | 2 |
| 6. | बीकानेर | 21 | 14-12-83 | 1 |
| | | | 15-12-83 | 1 |
| | | | 24-12-83 | 1 |
| | | | 1-1-84 | 1 |
| | | | 4-1-84 | 2 |
| | | | 13-1-84 | 2 |
| | | | 14-1-84 | 2 |

(यातायात मन्त्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 15-1-84 | 1 |
| | | | 17-1-84 | 1 |
| | | | 21-1-84 | 2 |
| | | | 26-1-84 | 1 |
| | | | 27-1-84 | 1 |
| | | | 28-1-84 | 1 |
| | | | 29-1-84 | 1 |
| | | | 1-2-84 | 3 |

**विगत 5 वर्षों में राज्य को कोयले का आवंटन**

223. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) व **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत 5 वर्षों में विभिन्न किस्म के कोयले का आवंटन भारत सरकार द्वारा प्रदेश को वर्षवार कितना किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवंटित कोटे में से वर्षवार विगत 5 वर्ष में कितना कोयला उठाया गया है ?

(3) क्या तुलनात्मक ढंग से देखने पर इस आवंटन प्राप्ति से राज्य सरकार संतुष्ट है ?

(4) क्या आवंटन की कम प्राप्ति से प्रदेश में उपभोक्ता को कोयला संकट उठाना पड़ा है तथा भावों में अत्यन्त वृद्धि हो गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) आम उपभोक्ता के हित में सरकार की भावी तैयारी क्या है ?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार को कोयले का आवंटन भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि रेल्वे बोर्ड द्वारा प्रदेश में कोयला लाने के लिये वैगनों की सीमा निर्धारित की हुई है। विगत 5 वर्षों की वैगनों की निर्धारित सीमा का मानचित्र परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में आवंटित कोटे के विरुद्ध उठाये गये कोयले के वैगन्स का मानचित्र परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति)

(3) निदेशक, रेलवे मूवमेन्ट द्वारा पर्याप्त मात्रा में निर्धारित वैगन उपलब्ध न कराने के कारण सरकार प्राप्ति से सन्तुष्ट नहीं है।

(4) जी नहीं, कोयले के भावों में अन्य वस्तुओं की तरह अवश्य मामूली वृद्धि हुई है। कोयले के भाव कोल इण्डिया लि. निर्धारित करता है। अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) लाईसेंस धारकों से नियमानुसार आवेदन प्राप्त करें प्रोग्राम अधिक से अधिक स्पोन्सर किये जाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

## परिशिष्ट "क"

| वर्ष | सोफ्ट कोक | बी.एच. हार्ड कोक |
|---|---|---|
| 1979 | 3300 वैगन | 1200 वैगन |
| 1980 | 3300 वैगन | 1200 वैगन |
| 1981 | 3300 वैगन | 1200 वैगन |
| 1982 | 3300 वैगन | 1200 वैगन |
| 1983 | 3300 वैगन | 1200 वैगन |

## परिशिष्ट "ख"

(मात्रा वैगनों में)

| वर्ष | सोफ्ट कोक | | बी.एच. हार्ड कोक | | अन्य कोयला एस.एल.वी. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | उठाव | आवंटन | उठाव | आवंटन | उठाव |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1979 | 3300 | 669½ | 1200 | 34 | — | — |
| 1980 | 3300 | 553½ | 1200 | 19 | — | — |
| 1981 | 3300 | 562½ | 1200 | 40½ | — | — |
| 1982 | 3300 | 614½ | 1200 | 186 | सोफ्ट एवं हार्ड कोक की एवज में 122½ | |
| 1983 | 677½ | 75 | 680 | 75 | 902½ | 732½ |
| योग | 13877½ | 2475 | 5480 | 324½ | 902½ | 1958 |

168



**जिला पाली के जवाई बांध के कमाण्ड को उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त करना**

224. **श्री गोकुलचन्द शर्मा** (सुमेरपुर) व **श्री भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जवाई बांध जिला पाली के कमाण्ड को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जवाई बांध कमाण्ड में 200 बीघा भूमि भी सिवाय चक (सरकारी भूमि) नहीं है, जिसे किसी को आवंटन की जा सकती है तथा इस बांध द्वारा योजनानुसार 42,500 एकड़ भूमि प्रति वर्ष सिंचित नहीं होती है ? यदि हां, तो इस बांध के कमाण्ड को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित करने का क्या औचित्य है ?

(3) क्या यह सही है कि जवाई बांध से प्रति वर्ष औसतन केवल 19,861 एकड़ भूमि ही सिंचित होती है तथा राजस्थान प्रान्त में कई एक अन्य बांधों से इससे कहीं अधिक भूमि सिंचित होने पर भी केवल जवाई बांध को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया हुआ है ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार जवाई बांध को भी उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

(1) जी हां। क्योंकि बांध एवं नहर से सिंचित होने वाले क्षेत्र को उपनिवेशन क्षेत्र घोषित किया जाता है।

(2) जी हां। 200 बीघा भूमि भी आवंटन हेतु सिवाय चक उपलब्ध नहीं है। इस बांध द्वारा योजना अनुसार 43,500 एकड़ भूमि प्रति वर्ष सिंचित किया जाना था। वर्ष 1983–84 में जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में 56,000 एकड़ भूमि सिंचित हुई है। इस प्रकार उपनिवेशन भूमि घोषित किये जाने का पूर्ण औचित्य है।

(3) जी नहीं। जवाई बांध से प्रति वर्ष औसतन 27663 एकड़ भूमि सिंचित हुई है।

**जिला भीलवाड़ा में पट्टी फर्शी का अवैध खनन**

225. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा से प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक मात्रा में "पट्टी फर्शी" अन्य प्रदेशों में भेजी जाती है ?

(2) क्या ऐसी शिकायतें हैं कि भीलवाड़ा से पट्टी फर्शी अन्य प्रान्तों में अवैध रूप से खनन कर चोरी छिपे भेजी जाती है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम पर क्या कार्यवाही की गई ?

**उत्तर**

(1) मोटे अनुमान के अनुसार यह सही

(खनिज मन्त्री)

नहीं है कि जिला भीलवाड़ा से अन्य जिलों के मुकाबले अधिक मात्रा में पट्टी फर्शी अन्य प्रदेशों को भेजी जाती है।

(2) जी, नहीं।

**जिला जालौर की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना**

226. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर जिले में कुल कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में कुओं पर विद्युतीकरण हेतु कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(2) विद्युत बोर्ड द्वारा फेज प्रोग्राम में हर वर्ष कुओं पर कनेक्शन देने के लक्ष्य निर्धारित करने का ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अनुसार क्या आधार है ? क्या कनेक्शनों का लक्ष्य निर्धारित करते समय आर. ई. सी. में पैंडिग प्रार्थना-पत्रों को आधार माना जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**उत्तर**

(1) जालौर जिले में विभिन्न श्रेणी की 13 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 9 योजनाओं का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में 4 योजनाओं पर कार्य चालू है, जिनमें कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन प्रार्थना पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. ग्रा. वि. योजना, पं स. जालौर | ओ. ए. | 310 |
| 2. ग्रा. वि. योजना, पं. स. आहोर | एसपीए–2 | 105 |
| 3- ग्रा. वि. योजना, पं. स. रानीवाड़ा | ओ. बी. | — |
| 4. ग्रा. वि. योजना, पं. स. सांचौर | एस. यू. | 1158 |
| | | 1573 |

(2) योजनामद में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अनुसार राज्य में ग्रामों व कुओं के कुल लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये वार्षिक कार्यक्रमों में योजनावार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। सीमित वित्तीय साधनों के कारण केवल पैंडिग प्रार्थना पत्रों के आधार पर कृषि कनेक्शनों के लक्ष्य निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

## हनुमानगढ़ तहसील के भूमिहीनों को भू-आवंटन

**227. श्री आत्माराम चौधरी** (हनुमानगढ़) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगानगर, चूरू, बीकानेर जिलों में जिलेवार कितने भूमिहीन हैं ? कृपया तहसीलवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन भूमिहीनों में से हनुमानगढ़ तहसील के भूमिहीनों को जमीनें आवंटित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कहां पर और कब तक ?

### उत्तर

गंगानगर में 49761, चूरू में 443: व बीकानेर में 2454 भूमिहीन हैं। राजस्व तहसीलवार सूचना संलग्न है।

जी हां। हनुमानगढ़ उपनिवेशन तहसील के भूमिहीन व्यक्ति भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवंटन से शेष हैं। इन पात्र भूमिहीनों को भूमि का आवंटन द्वितीय चरण में इनकी प्राथमिकता आने पर भूमि उपलब्ध होने की दशा में किया जाना सम्भव होगा। निश्चित समय बतलाना सम्भव नहीं है।

गंगानगर, चूरू व बीकानेर जिले के भूमिहीनों का विवरण

| क्रमांक | नाम जिला | नाम राजस्व तहसील | भूमिहीनों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गंगानगर | गंगानगर | 16645 |
| | | करनपुर | 3169 |
| | | पदमपुर | 198 |
| | | रायसिंहनगर | 2685 |
| | | अनूपगढ़ | 1872 |
| | | हनुमानगढ़ | 869 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | सूरतगढ़ | 5639 |
| | | संगरिया | 2278 |
| | | सादुलशहर | 2038 |
| | | बीटी | 3997 |
| | | नोहर | 1070 |
| | | भादरा | 9301 |
| | | योग– | 49761 |
| 2. | चूरू | चूरू | 860 |
| | | सरदारशहर | 576 |
| | | रतनगढ़ | 1277 |
| | | सुजानगढ़ | 468 |
| | | श्रीडूंगरगढ़ | 463 |
| | | राजगढ़ | 663 |
| | | तारानगर | 128 |
| | | योग– | 4435 |
| 3. | बीकानेर | बीकानेर | 533 |
| | | लूणकरणसर | 763 |
| | | नोखा | 823 |
| | | कोलायत | 335 |
| | | योग– | 2454 |

**कस्बा उच्चैन में उप तहसील की स्थापना**

228. **श्री रामप्रसाद** (रूपवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कस्बा उच्चैन, तहसील रूपवास मुख्यालय से काफी दूर है जिससे जनता को आने जाने में काफी परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर कस्ब उच्चैन में सब तहसील स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**उत्तर**

तहसील रूपवास मुख्यालय से कस्बा उच्चैन लगभग 24 कि.मी. दूरी पर स्थित है। गहनोलीमोड़ होते हुये सड़क मार्ग के द्वारा कस्बा उच्चैन तहसील मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। कस्बा उच्चैन में उप-तहसील स्थापित करने का कोई मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

———

173

## परिशिष्ट 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 258 की सूची

| क्र.सं. | राज्य में बन्द कारखाने | बन्द होने की दिनांक | बन्द होने का कारण | बन्द से बेकार हुए मजदूरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मैसर्स कट्टा केमीकलल्स इण्डस्ट्रीज, अलवर | 30–4–83 | लगातार नुकसान होना तथा आर्थिक स्थिति बिगड़ना | अ. प्र. |
| 2. | मैसर्स नेशनल टायर प्रोडक्ट प्रा. लि., अलवर | 7–7–83 | बिजली कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के कारण | अ. प्र. |
| 3. | मैसर्स जैनसन स्टील लि., अलवर | 23–11–83 | उत्पादन गिरना, बिजली की कटौती एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण | अ. प्र. |
| 4. | मैसर्स भारत उद्योग, भरतपुर | 16–4–83 | श्रमिकों द्वारा उत्पादन कम देने एवं कारखाने में अशांति का वातावरण फैलाने के कारण | 6 |
| 5. | मैसर्स गुडविल एण्ड रबर इण्डस्ट्रीज, भरतपुर | 8–12–83 | श्रमिकों द्वारा हड़ताल के कारण | 10 |
| 6. | मैसर्स बंसल प्लास्टिक एवं ट्रेडिंग क., गंगापुर सिटी | 12–12–84 | आर्थिक एवं अन्य कारण | 40 |
| 7. | मैसर्स जयगणेश इण्डस्ट्रीज एण्ड आयल मिल, भरतपुर | 27–12–83 | संस्थान में हानि होने के कारण | 21 |
| 8. | मैसर्स राजस्थान प्रेस उद्योग सांगानेर, जयपुर | 6–3–83 | अप्राप्त | 32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | मैसर्स जय श्री टैक्सटाइल ट्रेडर्स, अजमेर | 24–10–83 | आर्थिक संकट के कारण | 16 |
| 10. | मैसर्स सत्यनारायण टैक्सटाइल ट्रेडिंग कं., अजमेर | 24–10–83 | ,, ,, | 16 |
| 11. | मैसर्स कृष्णा मिल्स लि., ब्यावर | 15–10–83 | ,, ,, | 1600 |
| 12. | इण्डो प्लान्ट, कोटा | 4–4–83 | माल विक्रय न होने के कारण | 5 |
| 13. | मेक प्लान्ट, कोटा | 20–4–83 | ,, ,, | 5 |
| 14. | वीरेन्द्र प्लान्स्टोपेक, कोटा | 8–6–83 | बिजली कटौती, आर्डर न मिलना व आर्थिक कारण | 5 |

## परिशिष्ट 4

**अतारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची**

**वर्ष 83–84 में हुए आवंटन**

| क्र.सं. | नाम आवंटी मय वल्दियत | जाति | पता | ख.नं. | रकबा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | बीघा | बिस्वा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | छोटूलाल/मांगीलाल मीना | मीना | ढंढोरा | 46 | 9 | 15 |
| 2. | शंकर/पाचू बैरवा | बैरवा | ढंढोरा | 244 | 9 | 10 |
| 3. | रामकरण/कालू | मीना | ढंढोरा | 286/2 | 3 | 5 |
| 4. | मोडू/रूपा | बैरवा | ढंढोरा | 264 | 4 | 10 |
| 5. | किशोर/ग्यारसीराम | बैरवा | ढंढोरा | 314 | 2 | 4 |
| 6. | चंदा/पांचू | बैरवा | ढंढोरा | 244 | 9 | 10 |
| 7. | बजरंगलाल/चंदा | बैरवा | ढंढोरा | 241 | 5 | |
| 8. | प्रताप आत्मज शंकर बैरवा | बैरवा | ढंढोरा | 241 | 4 | 17 |
| 9. | सीताराम/ग्यारसीराम | बैरवा | प्रयाना | 1215 | 10 | 8 |
| 10. | भंवरलाल/ग्यारसीराम | बैरवा | प्रयाना | 1113 | 9 | 12 |

(175)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | पन्ना/मुकन्दा बैरवा | बैरवा | भयाना | 1357 | 5 | 8 |
| | | | | 1354 | 1 | 10 |
| | | | | 1351 | 5 | 18 |
| 12. | पांचू/रामाबैरवा | बैरवा | गीठोद | 79 | 10 | 1 |
| 13. | कान्हा/भ्यारसीराम | — | गंडाबदा | 127 | | 4 |
| 14. | ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा | आबादी बिस्तार हेतु | ,, | 433 | 1 | 3 |
| 15. | बाबूलाल/लोडक्या बैरवा | बैरवा | जोरावरपुरा | 103 | 7 | |
| 16. | गोपाल/पांचू बैरवा | बैरवा | ,, | 294 | 4 | 10 |
| 17. | देवीशंकर/भवरलाल | बैरवा | ,, | 104 | 5 | 5 |
| 18. | मन्नालाल/कन्हीराम | बैरवा | ,, | 104 | 5 | |
| 19. | कान्हा/जय किशन | नायक | ,, | 103 | 5 | |
| 20. | ग्राम पंचायत जोरावरपुरा | — | ,, | 177 | 16 | 11 |
| 21. | सीताराम/देवीलाल | नायक | ,, | 105 | 5 | |
| 22. | गोपाल/पांचू बैरवा | बैरवा | ,, | 105 | 5 | |
| 23. | गोपाल/देवा राव | राव | ,, | 103 | 7 | |
| 24. | हजारीलाल/शिवकरण मीना | मीना | खेड़ली | 102 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | मांगीलाल/शंकरलाल | मीना | जोरावरपुरा | 102 | 10 | |
| 26. | धन्ना/प्रात्मज श्रीराम बैरवा | बैरवा | ,, | 11 | 6 | |
| 27. | मैरू प्रात्मज चंदा बैरवा | बैरवा | ,, | 225 | 10 | |
| 28. | रामनिवास/गनेश कुम्हार | कुम्हार | ,, | 105 | 7 | 2 |
| 29. | सूरजमल/प्रहलाद | नायक | ,, | 103 | 7 | 13 |
| 30. | दल्ला/ग्यारसीराम | भोई | बड़ोदिया | 118 | 2 | 18 |
| 31. | रामदास/कालू हरिजन | हरिजन | गोठड़ाकलां | 215 | 4 | 8 |
| 32. | सोन्या/देव्या | बैरवा | बगावदा | 112 | 10 | 10 |
| 33. | गंगाराम/बजरंगा | गूजर | बगावदा | 1 | 10 | |
| 34. | वीरेन्द्रसिंह/पृथ्वीसिंह | राजपूत | बगावदा | 19 | 6 | 18 |
| 35. | माधो/मेरू ब्रा. | ब्राह्मण | ,, | 112 | 8 | |
| 36. | राधेश्याम/नाराण | गूजर | ,, | 112 | 10 | |
| 37. | लक्ष्मणसिंह/जवानसिंह | राजपूत | ,, | 112 | 8 | |
| 38. | महेन्द्रसिंह/शम्भूसिंह | राजपूत | ,, | 112 | 10 | |
| 39. | नाथू/देवीराम | बैरवा | ,, | 112 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | कालू/भैरू | मीना | बगावदा | 112 | 10 | |
| 41. | कालू/हरदेव | बैरवा | ,, | 136 | 10 | |
| 42. | मदन/ओंकार | हरिजन | ,, | 136 | 10 | |
| 43. | बाबू/रामनाथ | गूजर | ,, | 136 | 10 | |
| 44. | सुल्तान/रामनाथ | हरिजन | ,, | 136 | 10 | |
| 45. | रामनाथ/सांवत्या | हरिजन | ,, | 136 | 10 | |
| 46. | मांगीलाल/देवीराम | हरिजन | ,, | 136 | 10 | |
| 47. | लट्टूर/रामनाथ | हरिजन | ,, | 136 | 10 | |
| 48. | बजरंगा/प्रहलाद | बैरवा | ,, | 17 | 10 | |
| 49. | दामोदर/राधाकिशन | बैरागी | ,, | 17 | 5 | |
| | | | | 18 | 10 | |
| 50. | मुरलीधर/राधाकिशन | बैरागी | ,, | 19 | 10 | 10 |
| 51. | बृजराज सिंह/कल्याणसिंह | राजपूत | ,, | 1 | 8 | |
| 52. | रघुराजसिंह/कल्याणसिंह | राजपूत | ,, | 1 | 8 | |
| 53. | रामगोपाल/भूरा | बैरवा | ,, | 1/209 | 10 | |
| 54. | कालू/मंगला गूजर नयाजक | गूजर | शिवदानपुरा | 22 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | माधो/श्रीराम गूजर | गूजर | शिवदानपुरा | 26 | 7 | |
| 56. | रामकुआर/लछमन | गूजर | ,, | 26 | 6 | |
| 57. | भूरा/मंगला | गूजर | ,, | 26 | 10 | |
| 58. | रुघा/सरिया | गूजर | ,, | 26 | 10 | |
| 59. | घनश्याम/कान्हा | गूजर | ,, | 48 | 6 | |
| 60. | माधो/सेरिया नयागोट | गूजर | ,, | 9 | 2 | 10 |
| 61. | राधाकिशन/लालजी | गूजर | ,, | 48 | 5 | |
| 62. | परसराम/गोपीलाल | गूजर | ,, | 48 | 5 | |
| 63. | रामपाल/मंगला | गूजर | शिवदानपुरा | 48 | 5 | |
| 64. | देवीराम/बजरंगा | मीना | गुड़ला | 129<br>209 | 1 | 17 |
| 65. | हंसराज/गोपाल | मीना | गुड़ला | 84 | 5 | |
| 66. | छोटा/गजानन्द | मीना | गुड़ला | 84 | 5 | |
| 67. | तुलसीराम/कल्याण | मीना | गुड़ला | 10 | 7 | 17 |
| 68. | मोती/मंगला गूजर | गूजर | नयागांव | 48 | 48 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. | चौथमल/बजरंगलाल | ढोली | ढंढोरा | 319 | 3 | 1 |
| 70. | भैरू/गीधां | बैरवा | ,, | 370 | 1 | 13 |
| 71. | महाराम/मथुरा | ,, | ,, | 345 | 2 | 9 |
| | | | | 305/2 | 2 | 5 |
| | | | | 350/1 | 2 | 5 |
| 72. | गजानन्द/देवीराम | बैरवा | मीठोद | 79 | 5 | |
| 73. | सुल्तान/बूची लाल | हरिजन | मीठोद | 262 | 1 | 6 |
| | | | | 263 | | 6 |
| | | | | 264 | 1 | 16 |
| 74. | मन्ना/मथुरा बैरवा | बैरवा | मीठोद | 79 | 5 | |
| 75. | जगन्नाथ/गोरू | भील | दुर्जनपुरा | 33 | 3 | |
| 76. | छीतर भैरू | बैरवा | ,, | 33 | 3 | |
| 77. | प्रभु/जगन्नाथ | बैरवा | ,, | 33 | 3 | |
| 78. | भैरूलाल/जगन्नाथ | भील | करजोदा | 33 | 3 | |
| 79. | नन्दा/भोलू | लुहार | दुर्जनपुरा | 33 | 2 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | ग्राम पंचायत दुर्जनपुरा | — | दुर्जनपुरा | 433 | | 8 |
| 81. | गुलाब/जालमा | हरिजन | करवाड़ | 836 | 6 | 10 |
| 82. | सुवालाल/बालू | हरिजन | करवाड़ | 836 | 7 | |
| 83. | कस्तूरा/नेनगा | हरिजन | करवाड़ | 836 | 6 | 10 |
| 84. | रुग्घा/बोंटा | हरिजन | करवाड़ | 834 | 7 | |
| 85. | पून्या/जालमा | हरिजन | करवाड़ | 834 | 7 | |
| 86. | रामकरण/गुलाबा | हरिजन | ,, | 834 | 7 | |
| 87. | तोफान/मुरज्या | ,, | ,, | 834 | 7 | |
| 88. | सियाराम/गुलाबा | ,, | ,, | 835 | 4 | 15 |
| 89. | तेज्या/हीरा | बैरवा | ,, | 739 | 4 | 17 |
| 90. | पी. के. शर्मा | ब्राह्मण | ,, | 010 | 2 | 15 |
| 91. | कल्याण/माधो | बैरवा | फूसोद | 150 | 4 | 10 |
| 92. | राधा बल्लभ/गणेशराम | बैरवा | डूंगरली | 329 | 5 | 19 |
| 93. | काल्या/गेन्दया | बैरवा | फूसोद | 197/1 | 2 | |
| 94. | मेरू/नारायण | भील | डूंगरली | 329 मि. | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95. | लड्डू/रामधन | कीर | डूंगरली | 329 | 3 | |
| 96. | चतरा/शंकर बैरवा | बैरवा | फूसोद | 150 | 5 | |
| 97. | मथुरा/घांसी | कीर | डूंगरली | 329 मि. | 3 | |
| 98. | रामप्रसाद/रघुनाथ | बैरवा | फूसोद | 84 | 7 | |
| 99. | मोहन/सुन्दरदास | बैरागी | फूसोद | 84 | 7 | |
| 100. | रामप्रसाद/गोरू | कीर | डूंगरली | 329 | 5 | |
| 101. | भंवरलाल/मथुरा | भील | फूसोद | 150 | 5 | |
| 102. | सीताराम/गोपाल | काछी | फूसोद | 150 | 5 | |
| 103. | बद्रीलाल/रामा | बैरवा | फूसोद | 150 | 5 | |
| 104. | प्रभूलाल/नेनगा | बैरवा | ख्यावदा | 147 | 8 | |
| 105. | बिरमा/भ्रमरलाल | चमार | ख्यावदा | 147 | 8 | |
| 106. | पन्नालाल/मांगीलाल | बैरवा | ख्यावदा | 147 | 8 | |
| 107. | रामकल्याण/विरधा राव | राव | कजलिया | 186 | 5 | 10 |
| 108. | केसरीलाल/रामचन्द्र | बैरवा | कजलिया | 183 | 5 | |
| 109. | पन्ना/गोविन्दा | बैरवा | कजलिया | 186<br>183 | 3<br>2 | 5<br>18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110. | राधेश्याम/कजोड़सिंह | राजपूत | पीपल्दा | 147 | 4 | |
| 111. | छोटूलाल/मथुरालाल | हरिजन | जोरावरपुरा | 102 | 1 | 15 |
| 112. | रामचरण/रामनारायण | गूजर | सोनागपुरा | 221 | 5 | 5 |
| 113. | रामकिशन/भोला | माली | सानागपुरा | 227 | 7 | 5 |
| 114. | गनेश/देवीराम | बैरवा | खेड़ली | 302/370 | 6 | |
| | | | बेरीजाल | | | |
| 115. | वन्नू/कान्हा | हरिजन | बेरीजाल | 302/370 | 6 | |
| 116. | रामनारायण/श्रीराम | बैरवा | सोभागपुरा | 218 | 3 | 4 |
| | | | | 350 | | |
| 117. | लक्ष्मीनारायण आत्मज मथुरा | राव | सभागपुरा | 326 | 9 | 10 |
| 118. | रामनारायण/मांगीलाल नायक | नायक | सोभागपुरा | 227 | 8 | |
| 119. | ग्यारसा/देवा बैरवा | बैरवा | सोभागपुरा | 326 | 10 | |
| 120. | भंवरलाल/देवा | बैरवा | सोभागपुरा | 326 | 8 | |
| 121. | कल्याण/नन्दा | बैरवा | हथोली | 220 | 2 | 12 |
| | | | | 155 | 2 | 15 |
| | | | | 189 | | 9 |

183

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122. | बिहारी लाल/भंवरलाल | नाई | नोनेरा | 494 | 2 | 19 |
| 123. | केसरा/नाथू बैरवा | बैरवा | नोनेरा | 283 | 4 | |
| 124. | हीरा लाल/छोटू | कोली | नोनेरा | 427 | 4 | 5 |
| 125. | प्रहलाद/माधो गूजर | गूजर | नोनेरा | 496 | 3 | 10 |
| 126. | मदन लाल/गोबरी लाल | — | ,, | 309 | 4 | |
| 127. | सीताराम/गोबरी लाल | कोली | ,, | 309 | 4 | |
| 128. | केसरी लाल/देवलाल | गूजर | नोनेरा | 309 | 3 | |
| 129. | चतुर्भुज/गोरी शंकर | नाई | ,, | 309 | 3 | |
| 130. | सुखदेव/भ्रमरलाल | कोली | ,, | 310 | 5 | |
| 131. | छीतरलाल/नारायण | खाती | ,, | 599 | | 4 |
| | | | | 506 | | 7 |
| | | | | 501 | 2 | 12 |
| 132. | जगन्नाथ/भोलू | कुम्हार | ,, | 684 | 4 | |
| 133. | सीताबाई/पत्नी हीरा | बैरवा | ,, | 824 | 3 | |
| 134. | भंवर लाल/परसराम | बैरवा | ,, | 654 | | 6 |
| | | | | 655 | 3 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135. | पाच्या/मांगीलाल | हरिजन | नोनेरा | 329 | 3 | 10 |
| | | | | 902 | | |
| 136. | गंगाविशन/माधो | ैरवा | ,, | 686 | 3 | 3 |
| | | | | 680 | 6 | 10 |
| 137. | राम कल्याण/माधो | ैरवा | ,, | 310 | 6 | |
| 138. | पूरग/नाथू | कोली | ,, | | | |
| 139. | गोयरा/दूल्या | हरिजन | ,, | 329/902 | 3 | |
| 140. | छोटू/रामदेव | हरिजन | ,, | 329/902 | 3 | |
| 141. | खेड़या/प्रभु | हरिजन | ,, | 240 | | 13 |
| 142. | रतन लाल/भैरू लाल | मीना | खरेदा | 154 | | 10 |
| | | | | 124/1 | | 10 |
| | | | | 42 | 1 | 10 |
| | | | | 233 | | 18 |
| 143. | बद्री/घासी | कीर | श्रामल्दा | 3 मि. | 5 | |
| | | | | 23 | 1 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144. | लड्डू/बजरंगा | कीर | ग्रामल्दा | 3 मि. | 5 | |
| 145. | लक्ष्मीनारायण/कन्हैया लाल | मेहर | ग्रयानी | 46 | 2 | 2 |
| 146. | कुकुट बिहारी/माधो | खटीक | ग्रयान | 339 | | 8 |
| | | | | 222 | | 11 |
| | | | | 671 | 3 | 10 |
| 147. | घन्ना/घासी | गुसांई | ग्रयानी | 668 | | 6 |
| | | | | 637 | | 2 |
| 148. | रामनाथ/देव्या | हरिजन | ग्रयाना | 1313 | 4 | |
| 149. | ग्रमर लाल/देवलाल | गौरवा | ग्रयाना | 754 | | 9 |
| 150. | बशीर/करीम बक्श | मुस. | ग्रयाना | 700 | | 14 |
| | | | | 705 | 1 | 1 |
| 151. | राम रतन/बजरंग लाल | राव | छत्रपुरा | 206 | 2 | 7 |
| 152. | मूली लाल/रामदेव | गौरवा | ग्रयाना | 833 | 3 | 10 |
| | | | | 801 | 2 | 1 |
| | | | | 376 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | भरोसा/वंशी | हरिजन | प्रयाना | 1313 | 4 | 17 |
| 154. | गोरधनलाल/उद्दा राम | ऐरवा | प्रयाना | 940 | 4 | |
| | | | | 1192 | 4 | |
| | | | | 1193 | 5 | 17 |
| 155. | प्रहलाद/माधो | हरिजन | प्रयाना | 1196 | 1 | 10 |
| | | | | 1088 | 2 | |
| | | | | 1313 | 4 | |
| 156. | मथुरा/कालू | कीर | कीरपुरा | 68 | 10 | |
| 157. | किशना/श्रीराम | ऐरवा | ,, | 147 | 5 | 10 |
| 158. | रामपाल/म्यारस्या | कीर | ,, | 95 | 3 | |
| 159. | पराग/भैरू लाल | कोली | बम्बूलिया | 68 | 10 | |
| | | | | 64 | 4 | |
| 160. | नटी पत्नी कल्याण | गूजर | कीरपुरा | 64 | 3 | |
| 161. | शान्ति पत्नी बजरंग लाल | बैरवा | ,, | 68 | 10 | |
| 162. | जगदीश/भ्रमरा | गूजर | ,, | 68 | 3 | 10 |

(188)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163. | हरदेव/बिरधा | कीर | कीरपुरा | 12 | 5 | |
| 164. | नारायण/देवा | कीर | ,, | 132/98 | 4 | 14 |
| 165. | रघुवीरसिंह/अमर सिंह | राजपूत | ,, | 147/100 | 6 | |
| 166. | बृजमोहन/मदन | कीर | ,, | 103 | 3 | 10 |
| 167. | चतरा/ग्यारस्या | कीर | ,, | 136/103 | 4 | 5 |
| 168. | भूली बेवा/रामचन्द्र | कीर | ,, | 138/103 | 1 | 12 |
| 169. | किशन/अमरा | गूजर | कीरपुरा | 12 | 10 | |
| 170. | चतरा/धन्ना | कीर | ,, | 103 | 3 | |
| 171. | धन्ना/शंकर | कीर | ,, | 46 | 8 | 1 |
| 172. | मोहन लाल/मांगीलाल | भाट | ,, | 12 | 10 | |
| 173. | बद्री/सीताराम | कीर | रघुनाथपुरा | 99 | 3 | 14 |
| 174. | चोथमल/नूनू | कीर | ,, | 84 | 3 | 15 |
| 175. | रामगोपाल/धन्ना | कीर | ,, | 80 | 5 | |
| 176. | श्री किशन/धन्ना | कीर | ,, | 80 | 5 | |
| 177. | राधेश्याम/कंवर लाल | ढेरवा | रघुनाथपुरा | 115 | 6 | 5 |
| | | | | कुल रकबा | 1054 | 3 |

| क्र.सं. | नाम आवंटी मय वल्दियत | जाति | पता | ख.नं. | रकबा बीघा | रकबा बिस्वा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आनन्दीलाल/कवरिया | बैरवा | गन्डावद | 136,36 | 15 बि,, | 8–2 |
| 2. | लक्ष्मीनारायण/रामनाथ | छीपा | खेडलीदेव | 279/54 | 4 | 16 |
| 3. | देवा/पन्ना | गूजर | करजोदा | 350/129 | 5 | 10 |
| 4. | प्रहलाद/जगन्नाथ | भील | खेडलीदेव | 280/97 | 1 | 8 |
| 5. | सीताराम/कान्हा | बैरवा | करजोदा | 122 | 9 | 9 |
| 6. | मांगीलाल/शंकर मीना | मीना | खेडलीदेव | 216 | 2 | |
| 7. | प्रताप/नन्दा | भील | करजोदा | 177 | 5 | |
| 8. | भोलू/माधो | मीना | बम्बूलिया | 20 | 5 | 6 |
| 9. | पृथ्वीराज/जगन्नाथ | मीना | ,, | मि. 17 | 2 | |
| 10. | मोहनलाल/ग्यारसीराम | बैरवा | ,, | 21 | 4 | |
| 11. | सीताराम/नेनू | बैरवा | ,, | 23 | 1 | 10 |
| 12. | मांगीलाल/मंरूलाल | नायक | खेड़ा | 316 | 6 | |
| 13. | देवकरण/रामप्रताप | जागा | ,, | 316 | 6 | |
| 14. | रामकुमार/हजारीलाल | जागा | ,, | 316 | 6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | छीतर/मोती | कीर | खेड़ा | 233 | 6 | |
| 16. | धन्नालाल/हीरालाल | धाकड़ | लक्ष्मीपुरा | 60 | 7 | 2 |
| 17. | मोतीलाल/नारायण | भैरवा | ,, | 260 | 6 | 4 |
| 18. | गोबरीलाल/तुलसीराम | बोला | ,, | 261 | 4 | 2 |
| 19. | भैरू/भूरा | कुम्हार | ढढोरा | 250 | 2 | 4 |
| 20. | सीताराम/माधो | माली | ,, | 339 | 4 | 16 |
| 21. | केदार/राजदेव | कीर | ,, | 123,9/183 | 1-18 | |
| | | | | | 2—6 | |
| 22. | नारायण/ओंकार | भैरवा | धरन्या | 9 | 5 | 9 |
| 23. | रामकरण/मथुरा | भैरवा | ,, | 6/148 | 3 | 3 |
| 24. | गोपाल/मांगीलाल | गूजर | बालूया | 366 | 5 | |
| 25. | किशन/भूरा | गूजर | ,, | 372 | 5 | |
| 26. | रामकुवांर/जगन्नाथ | भैरवा | ,, | 371 | 5 | |
| 27. | सीताराम/गोरीशंकर | नाई | ,, | 371 | 5 | |
| 28. | रामदास/चतरया | हरिजन | ,, | 372 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | रामप्रसाद/प्रभुलाल | हरिजन | बालूया | 372 | 5 | |
| 30. | सूरज्या/प्रभुलाल | हरिजन | ,, | 372 | 5 | |
| 31. | चतेरा/भूरो | हरिजन | ,, | 372 | 5 | |
| 32. | गरापत/लक्ष्मीचन्द | काछी | ,, | 366 | 5 | 10 |
| 33. | गोपाल/मन्ना | कोरवा | ,, | 366 | 5 | 10 |
| 34. | मैरू/नाथो | ,, | ,, | 366 | 5 | 10 |
| 35. | कल्याण/नारायण | गूजर | ,, | 371 | 5 | |
| 36. | नारायण/गोपाल | राका | ,, | 379 | 10 | |
| 37. | देवीराम/माधो | कोरवा | ,, | 371 | 5 | |
| 38. | गंगाराम/ओंकार | कोरवा | ,, | 371 | 5 | |
| 39. | रामचन्द्र/कान्हा | गूजर | ,, | 371 | 5 | |
| 40. | ईश्वरसिंह/अचपाल सिंह | राजपूत | ,, | 366 | 5 | |
| 41. | द्वारकालाल त्यागी/माधोलाल | त्यागी | ,, | 379 | 15 | |
| 42. | अचपलसिंह/किशनसिंह | राजपूत | ,, | 379 | 10 | |
| 43. | केशरीलाल/अमरलाल | काछी | ,, | 371 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | रामनाथ/मंगला | गैरवा | बालूया | 371 | 5 | |
| 45. | रामनाथ/रुघनाथ | खाती | ,, | 371 | 5 | |
| 46. | सोहनलाल/गोपाल | राव | ,, | 371 | 5 | |
| 47. | रामनाथ/गंगाराम | गूजर | ,, | 373 | 5 | |
| 48. | बन्शीलाल/गंगाराम | माली | ,, | 371 | 5 | |
| 49. | रामप्रसाद/माधो गूजर | गूजर | ,, | 366 | 5 | |
| 50. | देवीराम/बजरंग लाल | गैरवा | छापोल | 56 | 7 | 10 |
| 51. | भागीरथ/भूरिया | गैरवा | ,, | 51/432 | 5 | 10 |
| 52. | छीता/गोविन्दा | ,, | ,, | 51/432 | 6 | |
| 53. | बद्रीलाल/कल्लू | ,, | ,, | 51/432 | 5 | |
| 54. | रामचन्द्र/सुक्खा | ,, | ,, | 51/432 | 5 | |
| 55. | श्यामा/रामनाथ | रैगर | ,, | 56 | 11 | |
| 56. | रुघनाथ/बजरंगा | गैरवा | ,, | 56 | 11 | 10 |
| 57. | धन्ना/शंकर | ,, | ,, | 56 | 7 | |
| 58. | रामचन्द्र/भूरा | ,, | धलवा | 298 | 7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. | माधो/भैरू | गैरवा | धलवा | 298 | 7 | |
| 60. | छोटा/कंवरलाल | गूजर | ,, | 298 | 6 | |
| 61. | रामनिवास/जग्गालाल | गैरवा | ,, | 62 | 4 | |
| 62. | ओमप्रकाश/पीरूलाल | ,, | ,, | 188 | 10 | |
| 63. | शंकर/गोपाल | ,, | ,, | 109 | 6 | |
| 64. | मंगला/गेन्दया | ,, | ,, | 109 | 6 | |
| 65. | रामनाथ/किशना | ,, | ,, | 188 | 10 | |
| 66. | राधाकिशन/गोपाल | गूजर | ,, | 62 | 6 | |
| 67. | प्रभुलाल/किशनलाल | ,, | ,, | 62 | 10 | |
| 68. | जुगराज/भूरा | गैरवा | ,, | 62 | 10 | |
| 69. | रामफूल/मांगीलाल | ,, | ,, | 47 | 10 | |
| 70. | धन्नालाल/कंवरलाल | गूजर | ,, | 109 | 5 | |
| | | | | 62 | 5 | |
| 71. | बीरबल/भूरा | गैरवा | ,, | 47 | 10 | |
| 72. | राधाकिशन/बजरंगलाल | गूजर | ,, | 62 | 5 | |
| | | | | 233 | 5 | |

193

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | लड्डू/बल्देव | बैरवा | घलवा | 109 | 3 | |
| 74. | जयराम/बद्री | ,, | ,, | 280 | 6 | |
| 75. | काना/देविया | ,, | ,, | 280 | 10 | |
| 76. | रामदयाल/कानू | हरिजन | मीमोला | मि. 44 | 4 | 18 |
| 77. | सुरेन्द्रसिंह/मोडसिंह | राजपूत | शेरगढ़ | 84 | 9 | 16 |
| 78. | रेबिड़िया/गरीबा | हरिजन | नीमोला | 81 | | 10 |
| | | | | 81 | 3 | |
| | | | | 87 | 2 | 5 |
| | | | | 59 | 10 | |
| 79. | प्रहलाद/भ्रमरा | हरिजन | नीमोला | | | |
| 80. | रामरतन/श्रीराम | गूजर | ,, | 115 | 5 | 10 |
| 81. | सीताराम/जगन्नाथ | बैरवा | नीमोला | 110 | 2 | 2 |
| 82. | बद्रीलाल/भ्रमरा | हरिजन | ,, | 53 | 11 | 6 |
| | | | | 115 | 1 | 9 |
| 83. | मोड़ू/देवीराम | कीर | गोठडाकलां | 188 | 1 | 10 |
| | | | | 157 | 1 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | बजरंगा/देवीराम | कीर | गोठड़ा कला | 190 | 2 | 9 |
| | | | | 201/5 | 3 | 13 |
| 85. | रामपाल/मावो | मीना | ,, | 216 | 1 | 12 |
| | | | | 200 | | 17 |
| | | | | 198/1 | | 9 |
| | | | | 192/2 | 1 | 12 |
| | | | | 196 | 5 | 10 |
| 86. | किशनगोपाल/बजरंग | नायक | ,, | 201/4 | 3 | 3 |
| | | | | 216/1 | 1 | 4 |
| | | | | 201/1 | 2 | 5 |
| 87. | सीताराम/नारायण | कीर | नीमोला | 178 | 10 | |
| 88. | सीताराम/भंवरलाल | नाई | नीमोला | 112/862 | 9 | 10 |
| 89. | मुरारीलाल/मूलचन्द | कुम्हार | ,, | 178 | 10 | |
| 90. | मथुरालाल/गोपाल | नाई | ,, | 484 | 2 | 10 |
| 91. | बाबू/कालू | हरिजन | ,, | 331 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92. | बाबूलाल/मंगला | बैरवा | नीलोला | 331 | 5 | |
| 93. | गणपत/चतरा | ,, | ,, | 331 | 5 | 10 |
| 94. | रामकल्याण/जग्गा | गूजर | ,, | 331 | 5 | |
| 95. | मोहनलाल/कालू | बैरवा | ,, | 331 | 10 | |
| 96. | रामप्रसाद/भैरुलाल | माली | ,, | 311 | 5 | |
| 97. | बंशी/भंवरलाल | मीना | ,, | मि. 331 | 10 | |
| 98. | हुसेन/अलवन्दा | मुसलमान | ,, | 333 | 4 | 12 |
| 99. | मंगला/नारायण | बैरवा | ,, | 746 | 7 | 14 |
| 100. | रामेश्वर/लक्ष्मीनारायण | ब्राह्मण | ,, | 178 | 6 | |
| 101. | राधेश्याम/रामनाथ | नाई | वैलपुर | 18/16 | 4 | 5 |
| 102. | शम्भू/हजारा | हरिजन | ,, | 6, 41, | 4 बी. | 4 बी. |
| | | | | 176 | 3 | 12 |
| 103 | रमेश/हजारा | हरिजन | ,, | 158/1 | 9 | 5 |
| 104. | नर्मदाशंकर/मोड़ूलाल | नायक | ,, | 148/10 | 4 | |
| 105. | केसरा/माधो | बैरवा | ,, | 136 | 4 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106. | भंवरलाल/कालू | धोबी | वैलपुर | 30 | 7 | 13 |
| | | | ,, | 199 | 2 | 5 |
| 107. | घनश्याम/भूरा | बैरवा | फेलोद | 135/598 | 6 | |
| 108. | माधो/नारायण | काछी | ,, | 135/598 | 2 | |
| 109. | घासी/गंगाराम | मीना | मरभाना | 9/184 | 3 | 5 |
| 110. | शंकर/गोपाल | बैरवा | डूगरली | 209/38 | 5 | |
| 111. | मोड़ू/घासी | ,, | ,, | 309/38 | 5 | |
| 112. | कालू/मनीराम | बोला | ,, | 317/68 | 5 | |
| 113. | मोड़ू/मगंलजी | ,, | करवाड़ | 390 | 2 | |
| | | | ,, | 412 | 2 | 12 |
| 114. | नाथू/माधो | माली | ,, | 60 | | 16 |
| | | | | 132 | 1 | |
| | | | | 145 | 2 | 5 |
| | | | | 510 | 1 | 10 |
| | | | | 926/227 | | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115. | कंगलया/रेविडिया | हरिजन | करवाड़ | 537 | 6 | |
| 116. | छीतरलाल/मांगीलाल | कुम्हार | ,, | 415 | 4 | |
| 117. | किशनलाल/श्रीलाल | माली | ,, | 469/670 | 2 | 5 |
| 118. | गोवरीलाल/रामचन्द्र | कोली | ,, | 770 | 2 | 5 |
| | | | | 775 | 2 | 10 |
| | | | | 1024/775 | 4 | |
| 119. | विरधा/ओंकार | ,, | ,, | 752 | 5 | 12 |
| 120. | रामपाल/कान्हा | गूजर | ,, | 416 | 10 | |
| 121. | बजरंगा/गणपत | हरिजन | ,, | 537 | 6 | |
| 122. | महावीर/कल्याण | तेली | ,, | 415 | 10 | |
| 123. | बाबू/कासम खां | फकीर | ,, | 416 | 8 | |
| 124. | पाचू/छीतया | हरिजन | ,, | 537 | 6 | |
| 125. | मु. छोटी पत्नी गुरजिया | ,, | ,, | 537 | 7 | |
| 126. | धन्ना/चतरा | बैरवा | खेडली वोरदा | 83/383 | 4 | |
| 127. | धन्ना/किशना | गूजर | ,, | 151 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128. | मांग्या/सांवला | गूजर | खेडली वोरदा | 142 | 1 | 9 |
| | | | | 205 | 1 | |
| | | | | 216 | 1 | 1 |
| | | | | 218/387 | | 12 |
| 129. | मैरु/सीताराम | बैरवा | ,, | 94 | 3 | |
| 130. | धनपाल/ग्यारस्या | गूजर | ,, | 142 | 1 | 9 |
| 131. | रतना/चतरा | ,, | पीपल्दा खुर्द | 274 | 8 | 7 |
| 132. | मांगीलाल/लक्ष्मण | बैरवा | ,, | 605 | 9 | 11 |
| 133. | मंगला/रघुनाथ | बैरवा | ,, | 274 | 7 | |
| | | | | 461 | 3 | |
| 134. | रामकरण/मंगला | ,, | ,, | 503 | 5 | |
| 135. | कल्याण/भंवरलाल | ,, | ,, | 328 | 6 | |
| 136. | मैरुलाल/भूरा | गूजर | ,, | 266 | 4 | 17 |
| 137. | चतुर्भुज/लोडू | कुम्हार | ,, | 165 | 7 | 14 |
| 138. | घासी/लोडू | ,, | ,, | 14/733 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139. | मांगीलाल/मंगलाल | बैरवा | पीपल्दा खुर्द | 328 | 6 | |
| 140. | रामप्रसाद/कल्याण | माली | ल्यावदा | 390 | 1 | |
| 141. | लडू/नारायण | बैरवा | ,, | 593 | 3 | |
| 142. | कल्याण/नेनगा | ,, | ,, | 85 | 3 | |
| 143. | माधो/गोपीराम | ,, | ,, | 311/722 | 3 | |
| | | | | 586 | 6 | |
| 144. | बिहारीलाल/जगन्नाथ | माली | ,, | 85 | 1 | |
| 145. | गोपाल/लुडिया | बैरवा | ,, | 366 | 3 | |
| 146. | नाथू/गोमदा | ,, | कल्याण | 33 | 7 | 6 |
| 147. | बद्रीलाल/मोडू | ,, | ,, | 35 | 5 | |
| 148. | धन्ना/गोपी | मीना | कल्याण | 150 | 3 | 9 |
| | | | | 190/336 | 1 | 5 |
| | | | | 160 | 1 | 10 |
| 149 | ओंकार/रतना | चमार | किशनपुरा | 49 | 2 | 5 |
| 150. | नारायण/पन्नालाल | भील | किशनपुरा | 55 | 4 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151. | अब्दुल वहीद/अमीरखां | मुसलमान | किशनपुरा | 75 | 2 | 13 |
| 152. | शंकर/भूरा | भील | खेड़ली | 56 | 2 | 8 |
| 153. | कल्याण/भेरू | मीना. | खेरदा | 184/1 | 2 | |
| 154. | पन्ना/दूधा | बैरवा | कोटवदा | 21 | 1 | 5 |
| 155. | हरिशंकर/सुन्दरलाल | माली | खेड़ली पीपल्दा | 20 | 6 | |
| 156. | काशीराम/नाथू | भोग्या | ,, | 78 | 11 | |
| 157. | बाबूलाल/बिरधा | बोरठ | ,, | 85 | 3 | |
| | | | | 88 | 1 | 10 |
| | | | | 136 | 7 | |
| 158. | चतरा/बाला | भील | पीपल्दा खुर्द | 78 | 3 | |
| 159. | श्रीमती गंगाबाई/मांगीलाल | कलाल | ,, | 313 | | 2 |
| 160. | चतरा/विरधीलाल | बैरवा | खेड़ली केरीमति | 191 | 10 | |
| 161. | नेनगा/हीरा | बैरबा | ,, | 223 | 4 | |
| 162. | गोरधन/सुखदेव | माली | ,, | 231 | 2 | |
| 163. | हरदेवा/ग्यारसीराम | बैरवा | ,, | 109 | 3 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164. | गंगाराम/मन्ना | खाती | खेड़ली केरोमती | 230 | 2 | 7 |
| | | | | 231 | 1 | 17 |
| 165. | गोपाल/भैरूंलाल | भील | देवपुरा | 28 | 3 | 3 |
| | | | | 182 | 1 | ४ |
| | | | | 322/9 | 2 | 6 |
| 166. | बिरधीलाल/रामचन्द्र | माली | पाडली | 70 | 5 | |
| | | | | 174 | 2 | 14 |
| | | | | 170 | 1 | 15 |
| | | | | 263 | | 17 |
| 167. | प्रभू/भोलू | गूजर | शोभागपुरा | 144 | 3 | 1 |
| 168. | नेनगा छोटया/विशना | कुम्हार | सीनोता | 143 | 1 | |
| 169. | शम्भू/कल्याण | खाती | ,, | 79 | 1 | 10 |
| 170. | रामचन्द्र रामनाथ/भ्रमरा | कीर | रामगंज | 46 | 4 | 4 |
| 171. | श्योपाल/गोपाल | कीर | ,, | 46 | 6 | |
| 172. | प्रभू/हीरा | कीर | ,, | 10 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173. | बन्नी/रामपाल | कीर | रामगंज | 107 | 10 | |
| 174. | रामनिवास/हीरा | कीर | ,, | 46 | 6 | |
| 175. | मोती/हीरा | कीर | ,, | 107 | 5 | |
| 176. | धन्ना/बजरंगा | कीर | ,, | 46 | 10 | |
| 177. | हीरा/छीतर्या | मीना | काकावता | 107 | 7 | |
| 178. | मोत्या रामा/गोमदा | खटीक | ककरावदा | 131 | 4 | 4 |
| 179. | कान्हा/माधो | चमार | ककरावदा | 295 | 1 | 5 |
| 180. | नन्दकिशोर/केदार | बैरागी | नीमसरा | 230 | 1 | |
| | | | | 299 | 2 | 18 |
| | | | | 421 | 3 | 18 |
| | | | | | 7 | 1 |
| 181. | धन्नालाल/मथुरालाल | मीना | नीमसरा | 279 | 2 | |
| | | | | 282 | 1 | 2 |
| | | | | 289 | 1 | 15 |
| 182. | छोटू/रामलाल | मेहर | बोरदा | 322 | 2 | 8 |
| | | | | 319 | | 13 |

(२०३)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 183. | घनश्याम/भैरू'लाल | बैरवा | बोरदा | 129 | | 18 |
| | | | | 120 | 2 | 10 |
| 184. | हजारीलाल/भैंरूलाल | बैरवा | बोरदा | 332 | 1 | 4 |
| | | | | 204 | | 14 |
| 185. | रामनाथ/बाला | माली | ,, | 44 | 1 | 16 |
| | | | | 52 | 1 | 17 |
| 186. | लड्डू/गनपत | ब्राह्मण | शेरगढ | 107 | 4 | |
| 187. | सीताराम/गोपाल | बैरवा | ,, | 50 | 2 | |
| 188. | रामकिशन/गोपाल | मीना | ,, | 50 | 2 | |
| 189. | रामपाल/कंवरिया | मीना | ,, | 50 | 2 | |
| 190. | बन्शी/रतनलाल | बोला | हथोली | 54 | 2 | |
| | | | | 120 | 1 | 11 |
| 191. | छोटूलाल/कान्हा | कन्डारा | ,, | 272 | 3 | 4 |
| 192. | रतना/नाथू | बैरवा | राजपुरा | 313<br>314<br>315 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193. | जगन्नाथ/जीवनलाल | मीना | राजपुरा | 272 | 9 | 3 |
| 194. | विरधा/मोती | डोरवा | ,, | 302/387 | 3 | 17 |
| 195. | विशनलाल/तेज्या | डोरवा | ,, | 257 | 9 | 19 |
| 196. | सूरजमल/शंकर | डोरवा | ,, | 272 | 10 | |
| 197, | प्रभू/गोपाल | नायब | ,, | 215 | 5 | 6 |
| 198. | भैरू लाल/जगन्नाथ | डोरवा | ,, | 169 | 12 | |
| 199. | माधो/जगन्नाथ | मीना | ,, | 87/385 | 13 | 2 |
| 200. | भैरू सिंह/कल्याणसिंह | राजपूत | बम्बलिया खुर्द | 52/415 | 5 | 19 |
| 201. | धूलीलाल/गोरधन | डोरवा | ,, | 52/415 | 10 | |
| 202. | लदूर/रामचन्द्र | मीना | ,, | 81/410 | 3 | 7 |
| 203. | प्रहलाद/भंवरलाल | नाई | ,, | 113 | 1 | 18 |
| | | | | 413/113 | 1 | 4 |
| | | | | 32 | 10 | |
| 204. | कल्याण/काना | डोरवा | श्योपुरा | 212, 253, 255, 256, 288 | | |
| 205 | लदूर/सुक्खा | डोरवा | राजोरा | 444, 256, की 1–2, 3 बी. 1–7, 14 बि. 16 बि. 17 बि. | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206. | रामनाल/जगन्नाथ | मीना | मटोली | 128 | 1 बीघा | |
| 207. | मांगीलाल/पन्नालाल | मीना | माटोली | 32 | | 10 |
| 208. | चतरा | मीना | ,, | 26 | | 10 |
| 209. | प्रताप/किशना | मीना | ,, | 128. | 5 विस्वा | 5 |
| 210. | रामचन्द्र/काशीराम | मीना | ,, | 142.. | | 10 |
| 211. | बजरंगा/भैरू | मीना | ,, | 32 | | 5 |
| 212. | परस्या | नायक | ,, | 97/275 | 2 | |
| 213. | नारायणदास | बैरागी | ,, | 142 | | 5 |
| 214. | चतरा | मीना | ,, | 142 | | 5 |
| 215. | आनन्दीलाल/माधोलाल | नायक | अयाना | 224 | 2 | 18 |
| | | | | 225 | 1 | 9 |
| 216. | चतरा/बैजनाथ | जाट | छत्रपुरा | 121 | | 5 |
| 217. | ब्रजमोहन/मूलचन्द | महाजन | ,, | 236 | 1 | 11 |
| 218. | नन्दकिशोर/अमरा | मीना | ,, | 228 | 3 | 4 |
| 219. | मथुरा/गोपाल | धाकड़ | अयाना | 625 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220. | माधो/भूरा | माली | प्रयाना | 1462 | 1 | 5 |
| 221. | गोपाल/धन्ना | मीना | ,, | 886 | | 8 |
| 222. | प्रभू/कुन्चया | मीना | ,, | 351 | 14 विस्वा | |
| 223. | मांगीलाल/यासीन | मुसलमान | ,, | 806 | 3 | 15 |
| 224. | धन्ना/शंकर | बैरवा | ,, | 892 | 4 | 19 |
| 225. | हीरालाल/जगन्नाथ | जाट | ,, | 644 | 1 | 6 |
| 226. | सुखदेव/भैरू | कुम्हार | ,, | 1213 | 2 | 15 |
| 227. | रामनारायण/गोपाल | धाकड़ | ,, | 303 | | 7 |
| 228. | मथुरालाल/बद्रीलाल | बैरवा | ,, | 598/1 | 4 बी. | 3–6 |
| | | | | 6 | 2 | 15 |
| 229. | रूस्तम/मदारी | मुसलमान | ,, | 222 | 7 | 9 |
| 230. | गंगाराम/नारायण | बैरवा | दूधली | 22 | | 5 |
| 231. | चतरा/जगन्नाथ | भील | ,, | 162 | 2 | 8 |
| 232. | भैरया/कान्हा | कोली | ,, | 225 | 4 | |
| 233. | गनपत/हीरा | बैरवा | ,, | 22 | | 5 |

207

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234. | महाराम/चन्दा | बैरवा | दूधली | 22 | | 5 |
| 235. | गगांराम/अमरा | कोली | रघुनाथपुरा | 37 | 1 | |
| 236. | पीरिया/रोडू | भील | ,, | 37 | 1 | |
| 237. | बद्रीलाल/लक्षीराम | गूजर | दूधली | 136 | 9 | |
| 238. | जगन्नाथ/रोडू | भील | ,, | 110 | 1 | 10 |
| 239. | मन्ना/मथुरा | भील | ,, | 261 | 3 | 19 |
| 240. | कालू/गिरधारी | भील | ,, | 22 | | 7 |
| 241. | रामचन्द्र/ओंकार | बैरवा | ,, | 5 | 5 | 2 |
| 242. | रामनिवास/चन्दा | बैरवा | ,, | 70 | 7 | 1 |
| 243. | राधेश्याम/भोपण्डा | भील | ,, | 246 | 2 | 10 |
| | | | | 110 | 4 | |
| 244. | चतरी पत्नी/रामा भील | भील | प्रेमपुरा | 201 | 3 | 18 |
| 245. | वल्लभ/भंवरलाल | नायक | कांकरा | 133 | 5 | 4 |
| 246. | मन्ना/जगन्नाथ | मीना | दूधली | 110 | 6 | |
| 247. | भीमडा/नारान | मीना | ,, | 229 | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 248. | चतरा/जगन्नाथ | मीना | दूधली | 110 | 10 | |
| 249. | लटूरलाल/मथुरालाल | मीना | ,, | 266 | 6 | 10 |
| 250. | पीरूलाल/विरधीलाल | कुम्हार | ,, | 224/2 3 | 8 | |
| 251. | प्रभुलाल/ओंकार | बैरवा | ,, | 110 | 4 | 18 |
| 252. | भंवरलाल/भीमण्डा | मीना | ,, | 273 | 2 | 10 |
| 253. | श्रवणलाल/बिहारीलाल | बैरवा | रघुनाथपुरा | 8 | 6 | |
| 254. | पन्नालाल/सुखदेव | कुम्हार | ,, | 8 | 5 | |
| 255. | बद्रीलाल/माधोलाल | नाई | दूधली | 224/203 | 8 | |
| 256. | किशनलाल/रामा | बैरवा | ,, | 22 | | 10 |
| 257. | छीतरलाल/ओंकार | बैरवा | ,, | 256 | 6 | 10 |
| 258. | कालू/पन्ना | बैरवा | ,, | 22 | | 5 |
| 259. | रतना/धन्ना | जाट | ,, | 261 | 1 | 10 |
| | | | कुल रकवा | 1341 बीघा 6 बिस्वा | | |

ह० जिलाधीश,
कोटा

२०९

## परिशिष्ट 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 264 का विवरण

**जिला बांसवाड़ा की तहसीलवार सूची**

| तहसील | संख्या अतिक्रमी | रकबा (एकड़ में) |
|---|---|---|
| बसिवाड़ा | 1135 | 1550 |
| गढ़ी | 971 | 933 |
| घांटोल | 982 | 842 |
| बागीदोरा | 1301 | 1409 |
| कुशलगढ़ | 2639 | 3574 |
| योग | 7028 | 8308 |

# परिशिष्ट 6

अतारांकित प्रश्न संख्या 268 की सूची

सत्र 1983–84 में विभिन्न आदेशों द्वारा खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की सूची

| क्र.सं. | गांव का नाम | पं. स. | आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | आमली | माण्डलगढ़ | 2909 दि. 10/11/83 |
| 2. | अमरपुरा | ,, | ,, |
| 3. | जैतपुरा | ,, | ,, |
| 4. | चान्दजीकी खेड़ा (कन्या) | ,, | ,, |
| 5. | रामयली | ,, | ,, |
| 6. | रेण | कोटड़ी | ,, |
| 7. | देवखेड़ा | ,, | ,, |
| 8. | भाकलिया | ,, | ,, |
| 9. | विलियास | ,, | ,, |
| 10. | हुस्तड़ा | ,, | ,, |
| 11. | सोपुरिया | ,, | ,, |
| 12. | बेरा (मादू) | माण्डल | ,, |
| 13. | गरवाय | ,, | ,, |
| 14. | रूपपुरा | ,, | ,, |
| 15. | करठा | ,, | ,, |
| 16. | बोकली (कन्या) | ,, | ,, |
| 17. | गोकलपुरा | ,, | ,, |
| 18. | भवानीपुरा | हुरड़ा | ,, |

| क्र.सं. गांव का नाम | पं. स. | आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|
| 19. माताजी का खेड़ा | बनेड़ा | 2909 दिनांक 10-11-83 |
| 20. सूरेता | बनेड़ा | ,, |
| 21. नुशा | ,, | ,, |
| 22. माडूका खेड़ा | रायपुर | ,, |
| 23. टोकरा | ,, | ,, |
| 24. थोरिया खेड़ा | ,, | ,, |
| 25. केमुलिया | ,, | ,, |
| 26. रूपाखेड़ा | ,, | ,, |
| 27. बड़ाखेड़ा | आसीन्द | ,, |
| 28 रामपरिया | ,, | ,, |
| 29. मोहरा | ,, | ,, |
| 30. बड़ला | ,, | ,, |
| 31. गणेशपुरा | ,, | ,, |
| 32. नाथड़ियास | सुवाणा | 10-11-83 |
| 33. हासियास | ,, | ,, |
| 34. जहाजपुर | ,, | ,, |
| 35. जीकला | जहाजपुर | ,, |
| 36. छोजोला का खेड़ा | ,, | ,, |
| 37. दलपुरा | ,, | ,, |
| 38. रघुनाथपुरा | शाहपुरा | ,, |
| 39. सेवना | ,, | ,, |
| 40. सरदारपुरा (अरनिया घोड़ा) | ,, | ,, |
| 41. आटोली | ,, | ,, |
| 42. सरदारपुरा (अरवड़) | ,, | ,, |
| 43. कजिजरी | ,, | ,, |

| क्र.सं. गांव का नाम | पं. स. | आदेश क्रमांक/दिनांक |
|---|---|---|
| 44. सेवना सुरजपुरा गोपालपुरा | शाहपुरा | 10-11-83 |
| 45. खातीखेड़ा | सहाड़ा | ,, |
| 46. बाकराई | ,, | ,, |
| 47. गाडरा खेड़ा | ,, | ,, |
| 48. कोटड़ा (कन्या) | हुरड़ा | 4023–3 दि. 9–12–83 |
| 49. लाम्बा (कन्या) | ,, | ,, |
| 50. भगवानपुरा | ,, | ,, |
| 51. रुगनाथपुरा | बनेड़ा | ,, |
| 52. बासा का खेड़ा | ,, | ,, |
| 53. सुवाणा (कन्या) | सुवाणा | ,, |
| 54. गोविन्दसिंहजी का खेड़ा | ,, | ,, |
| 55. दलेलसिंहजी का खेड़ा | ,, | ,, |
| 56. तेला खेड़ा | ,, | ,, |
| 57. माताजी का खेड़ा | कोटड़ी | ,, |
| 58. मोतापुरा | शाहपुरा | ,, |
| 59. पुरोहितों का खेड़ा | माण्डल | ,, |
| 60. रावों का खेड़ा | ,, | ,, |
| 61. कल्याणपुरा | माण्डलगढ़ | ,, |
| 62. त्रिवेणी चौराहा | ,, | ,, |

| क.सं. गांव का नाम | पं. स. | आदेश, दि. |
|---|---|---|
| 63. किशनपुरा (रातरड़ी) | आसीन्द | 4192–205 दि. 4/1/84 |
| 64. खारगा | ,, | ,, |
| 65. मालका खेखा | ,, | ,, |
| 66. डोटा | ,, | ,, |
| 67. घामनिया | बनेड़ा | ,, |
| 68. सातोला | कोटड़ी | ,, |
| 69. बोरखेड़ा | ,, | ,, |
| 70 टोंडा | ,, | ,, |
| 71. संग्रामपुरा | ,, | ,, |
| 72. खेरूड़ा | ,, | ,, |
| 73. अमरपुरा | ,, | ,, |
| 74. कालू खेड़ा | माण्डल | ,, |
| 75. सोडास | ,, | ,, |
| 76. लिरडिया | ,, | ,, |
| 77. तगिरया | ,, | ,, |
| 78. दौलतपुरा | ,, | ,, |
| 79. पचातरों का खेड़ा | रायपुर | ,, |
| 80. सांखलिया | शाहपुरा | ,, |
| 81. जोडोली | माण्डलगढ़ | ,, |
| 82. कोतवाल का खेड़ा | ,, | ,, |
| 83. केरखेड़ा | ,, | ,, |
| 84. चैनपुरा | ,, | ,, |
| 85. सरदारजी का खेड़ा | ,, | ,, |
| 86. मुकन्दगढ़ | ,, | ,, |
| 87. मण्डपिया | सुवाणा | ,, |
| 88. गोघनपुरा | ,, | ,, |

| क्र.सं. गांव का नाम | पं. स. | आदेश/दि. |
|---|---|---|
| 89. मूलपुरा | सुवाणा | 4192–205 दि. 4-1-84 |
| **नहरी क्षेत्र में खोले गये प्रावि** | | |
| 90. वार्ड. नं. 13 (मांडल) | | पं.13 (6) शिक्षा दि. 22/12/83 |
| 91. वार्ड. नं. 3 | (जहाजपुर) | ,, |
| 92. वार्ड नं. 31 जवाहरनगर | (भीलवाड़ा) | ,, |
| 93. शास्त्रीनगर | भीलवाड़ा | ,, |
| 94. वार्ड नं. 8 तहला | (जहाजपुर) | दि. 11/ |

**सत्र 1983–84 में स्वीकृत किये गये उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची**
**जिला भीलवाड़ा**

| क्रमांक | विद्यालय का नाम | पंचायत समिति/तहसील | स्वीकृति दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | जालमपुरा | हुरड़ा | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दि. 24–10–83 |
| 2. | सालरिया कला | बनेड़ा | |
| 3. | गुड्ढा रोजड़ी | जहाजपुर | ,, |
| 4. | ऊंचा | जहाजपुर | ,, |
| 5. | कांवलास | आसीन्द | ,, |
| 6. | बाजून्दा | आसीन्द | ,, |
| 7. | आमली (कन्या) | लहाड़ा | ,, |
| 8. | सालेलियावास | सदाड़ा | ,, |
| 9. | देवरियां | शाहपुरा | ,, |
| 10. | नंदराम (कन्या) | कोटड़ी | ,, |

| क्रमांक विद्यालय का नाम | पंचायत समिति/तहसील | स्वीकृति दिनांक |
|---|---|---|
| 11. गाजूणा (शिवपुर) | मांडल | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दि. 24–10–83 |
| 12. कारोई (कन्या) | सुवाणा | ,, |
| 13. झांझोला | माण्डलगढ़ | ,, |
| 14. बरुंदनी (कन्या) | माण्डलगढ़ | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दि. 24–10–73 |
| 15. सांगवा | भीलवाड़ा | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दि. 11–11–83 |
| 16. गुरला (कन्या) | भीलवाड़ा | ,, |
| 17. आमली ह्राकला पंचायत बासेड़ा | शाहपुरा | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दिनांक 18–11–83 |
| 18. थल | माण्डलगढ़ | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दिनांक 22–11–83 |
| 19. थड़ोदा | माण्डलगढ़ | ,, |
| 20. जितियामाको | कोटड़ी | ,, |
| 21. डाबला (कन्या) | बनेड़ा | ,, |
| 22. सनोदिया | हुरड़ा | ,, |
| 23. मालोला (कन्या) | सुवाणा | ,, |
| 24. रींछड़ा | सुवाणा | ,, |
| 25. जावल | कोटड़ी | ,, |
| 26. नारायण खेड़ा | रायपुर | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दिनांक 28–11–83 |
| 27. खाजूरी (कन्या) | जहाजपुर | ,, |
| 28. रतनपुरा (कन्या) | आसीन्द | |
| 29. हमीरगढ़ (संस्कृत) | | प. 13 (7) शिक्षा–1/83 दिनांक 4–1–84 |
| 30. सरसिया चारनान | जहाजपुर | 6–2–84 |
| 31. बरणा | बनेड़ा | 6–2–84 |

## परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

**विद्यालय भवनों को आवंटित राशि का विवरण**

| वर्ष<br>1 | विद्यालय का नाम<br>2 | आवंटित राशि<br>3 |
|---|---|---|
| 1980–81 | शून्य | — |
| 1981–82 | 1. राउप्रावि कोटड़ी | 1500 |
| | 2. राउप्रावि चकूण्ठा | 2000 |
| | 3. राउप्रावि जाजली | 500 |
| | 4. राउप्रावि नागदी | 2000 |
| | 5. राउप्रावि निनौर | 1500 |
| | 6. राउप्रावि बडीसाखथली | 680 |
| | 7. राउप्रावि साखथलोथाना | 2000 |
| | 8. राउप्रावि सालभगढ़ | 1500 |
| | 9. राउप्रावि अमलावद | 1500 |
| | 10. राउप्रावि अवलेश्वर | 1500 |
| | 11. राउप्रावि कूणी | 1500 |
| | 12. राउप्रावि खैरोट | 1500 |
| | 13. राउप्रावि गादोला | 1500 |
| | 14. राउप्रावि गंधेर | 1000 |
| | 15. राउप्रावि देवगढ़ | 1000 |
| | 16. राउप्रावि झासड़ी | 1500 |
| | 17. राउप्रावि पानभोड़ी | [illegible] |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 18. राउप्रावि पिल्लु | 1500 |
| | 19. राउप्रावि बरड़िया | 1500 |
| | 20. राउप्रावि बसाड़ | 1000 |
| | 21. राउप्रावि बरमुंडल | 1500 |
| | 22. राउप्रावि सुहागपुरा | 1000 |
| | 23. राउप्रावि बारावरदा | 2000 |
| | 24. राउप्रावि राठांजना | 1500 |
| | 25. राउप्रावि डाबड़ा | 1500 |
| | 26. राउप्रावि बा:अरनोद | 1320 |
| 1982–83 | 1. राउमावि अरनोद | 4000 |
| | 2. रामावि धमोतर | 2000 |
| 1983–84 | 1. राउमावि प्रतापगढ़ | 5000 |
| | 2. राउमावि अरनोद | 5000 |

## परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 270 की सूची

**वर्गवार छात्र संख्या**

| कक्षा एवं वर्ग | संकाय | छात्र संख्या | |
|---|---|---|---|
| 11ए | कृषि | 44 | |
| बी | ,, | 44 | |
| जी | ,, | 44 | |
| सी | कला | 48 | |
| डी | कला | 47 | |
| ई | ,, | 46 | |
| एफ | ,, | 32 | |
| एच | वाणिज्य | 50 | |
| आई | ,, | 52 | |
| जे | ,, | 49 | |
| के | ,, | 50 | |
| एल | ,, | 31 | |
| एम | विज्ञान (गणित | 67 | |
| एन | ,, (जीव वि.) | 25 | |
| 10अ | कृषि | 50 | |
| बी | ,, | 50 | |
| सी | ,, | 63 | |
| बी | ,, | 56 | |
| ई | कला | 37 | (हिन्दी, इतिहास, भूगोल, नाग. शा. उर्दू) |
| एफ | ,, | 28 | (हिन्दी. नाग. शा., चित्र, संस्कृत) |
| एच | वाणिज्य | 57 | |
| आई | ,, | 55 | |
| जे | ,, | 54 | |

| कक्षा एवं वर्ग | संकाय | छात्र संख्या |
|---|---|---|
| के | वाणिज्य | 48 |
| एम | विज्ञान (गणित) | 54 |
| एन | ,, (जीव वि.) | 51 |
| ओ. | ,, (गणित) | 43 |
| 9 ए | कृषि | 51 |
| बी | ,, | 52 |
| सी | ,, | 33 |
| डी | ,, | 37 |
| ई | कला | 36 |
| एफ | ,, | 26 |
| एच | वाणिज्य | 56 |
| आई | ,, | 57 |
| जे | ,, | 55 |
| के | ,, | 60 |
| एल | विज्ञान (गणित) | 61 |
| एम | ,, (जीव वि.) | 62 |
| कुल वर्ग 39 | | |

जिला शिक्षा अधिकारी,
करौली

(72)

## परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 291 की सूची

**पंचायत समिति नागौर में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की सूची**

| क्र. संख्या | विद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कज करनू |
| 2. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, निम्बोला मुण्डेल |
| 3. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, देऊ |
| 4. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सथेरण |
| 5. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऊंटवालिया |
| 6. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भदवासी |
| 7. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भगवानदास |
| 8. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, श्रीबालाजी |
| 9. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गठिलासर |
| 10. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सींगड नं. 2 |
| 11. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढोंगसर नं 2 |
| 12. | राजकीय प्राथमिक बिद्यालय, तातवास |

**पंचायत समिति मूण्डवा में बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत चयनित विद्यालयों की सूची**

| क्र.सं. | विद्यालय का नाम |
|---|---|
| 1. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिरलोका |
| 2. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुड़छी |
| 3. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय. पांचोड़ी |
| 4. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाडपुरा |

| क्र.सं. | विद्यालयों का नाम |
|---|---|
| 5. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बैरायलकलां |
| 6. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भाबण्डा |
| 7. | राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नारबाकलां |
| 8. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कालड़ी |
| 9. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गागलाय |
| 10. | राजकीय प्राथमिक विद्याजय, रायधनू |
| 11. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टांगला नं. 1 |
| 12. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पांचलासिद्धा |
| 13. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खींवसर |
| 14. | राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नागड़ी |

# परिशिष्ट 10

## अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की सूची

| क्र. सं. | संस्था का नाम | विवरण | अनुदान वर्ष एवं प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| **कालेज शिक्षा** | | | |
| 1. | भूपाल नोबल्स कालेज, उदयपुर | 1960 | 90 प्र. श. (टी. डी. सी. कला एवं विज्ञान)<br>50 प्र. श. (टी. डी. सी. वाणिज्य) |
| 2. | विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट उदयपुर | 1956 | 90 प्र. श. |
| 3. | उदयपुर स्कूल आफ सोशियल वर्क, उदयपुर | 1963 | 90 प्र. श. |
| 4. | एस. एम. बी. श्रमजीवी कालेज, उदयपुर | 1956 | 90 प्र. श. |
| 5. | जवाहर विद्यापीठ, कानोड़ | 1976<br>1982 | 50 प्र. श.<br>70 प्र. श. |
| **संस्कृत शिक्षा** | | | |
| 1. | माधव संस्कृत विद्यालय, उदयपुर | 1975 | 70 प्र. श. |
| 2. | सुरभारती संस्कृत विद्यालय, उदयपुर | 1975 | 50 प्र. श. |

नोट—प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की सूची संलग्न है।

(३२४)



## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, उदयपुर

### उदयपुर जिले में अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची मय बढ़ोतरी प्रतिशत एवं वर्तमान प्राप्ति प्रतिशत

| क्र. सं. | संस्था का नाम | विवरण | अनुदान वर्ष एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर | 1942 | 90 | प्रतिशत |
| 2. | विद्याभवन उ. मा. वि., उदयपुर | 1940 | 85 | ,, |
| | | 1955 | 90 | ,, |
| 3. | नवभारत उ. मा. वि., उदयपुर | 1970 | 50 | ,, |
| | | 1976 | 60 | ,, |
| 4. | नवभारत मा. वि., उदयपुर | 1947 | 50 | ,, |
| | | 1976 | 80 | ,, |
| 5. | राजस्थान विद्यापीठ उ. मा. वि. डबोक | 1956 | 90 | ,, |
| 6. | पोस्टबेसिक स्कूल झाड़ौल | 1957 | 90 | ,, |
| | | 77–80 | 80 | ,, |
| 7. | उ. मा. वि. कानौड़ (जवाहर विद्यापीठ) | 1948 | 50 | ,, |
| | | 1964 | 75 | ,, |
| | | 76–77 | 90 | ,, |
| 8. | भोपाल नोबल्स उ. मा. वि., उदयपुर | 1979 | 50 | ,, |
| 9. | भोपाल नोबल्स मा. वि. उदयपुर | 56–57 | 75 | ,, |
| | | 64–65 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 90 | ,, |
| 10. | बी. एस. शिक्षाभवन मा. वि., उदयपुर | 56–57 | 75 | ,, |
| | | 63–64 | 70 | ,, |
| 11. | जवाहर जैन शिक्षण संस्थान मा. वि., उदयपुर | 70–71 | 50 | ,, |
| | | 76–77 | 60 | ,, |
| 12. | चैयबेया मा. वि., उदयपुर | 59–60 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 80 | ,, |
| 13. | श्रमजीवी मा. वि., उदयपुर | 64–65 | 60 | ,, |
| 14. | विद्या निकेतन मा. वि., उदयपुर | 69–70 | 50 | ,, |
| | | 76–77 | 60 | ,, |

| क्र. सं. | संस्था का नाम | विवरण | अनुदान वर्ष एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| 15. | विद्याभवन कला संस्थान, उदयपुर | 1944–45 | 90 | ,, |
| 16. | मीरा कला मन्दिर, उदयपुर | 59–60 | 50 | ,, |
| | | 64–65 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 80 | ,, |
| 17. | राजस्थान विद्यापीठ कम्युनिटी सेन्टर, उदयपुर | 53–54 | 90 | ,, |
| 18. | लोक शिक्षण विभाग, उदयपुर | 53–54 | 90 | ,, |
| 19. | कुम्भा कला केन्द्र, उदयपुर | 47–48 | 90 | ,, |
| | | 77–78 | 80 | ,, |
| 20. | जनपद, राज. विद्यापीठ, उदयपुर | 57–58 | 90 | ,, |
| 21. | राज. विद्यापीठ, जनता कालेज, डबोक | 53–54 | 90 | ,, |
| | | 78–79 | 80 | ,, |
| 22. | साहित्य संस्थान, राज. विद्यापीठ, उदयपुर | 40–41 | 90 | ,, |
| 23. | विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर | 41-42 | 60 | ,, |
| 24. | जवाहर विद्यापीठ, केन्द्रीय कार्यालय, कानोड़ | 67–68 | 90 | ,, |
| 25. | राज. विद्यापीठ पीठ अधिकरण, उदयपुर | 56–57 | 90 | ,, |
| 26. | भारतीय लोक कला मण्डल, उदयपुर | 53–54 | 50 | ,, |
| | | 56–57 | 60 | ,, |
| | | 64–65 | 70 | ,, |
| | | 67–68 | 90 | ,, |
| 27. | प्रज्ञा चक्षु शिक्षण संस्थान, उदयपुर | 71–72 | 50 | ,, |
| | | 73–74 | 70 | ,, |
| | | 81–82 | 90 | ,, |
| 28. | शिशु निकेतन कस्तूरबा मातृ मन्दिर, उदयपुर | 67–68 | 50 | ,, |
| | | 76–77 | 60 | ,, |
| 29. | जवाहर जैन शिक्षण संस्था, उ. मा. वि., उदयपुर | 46–47 | 50 | ,, |
| | | 60–61 | 75 | ,, |
| | | 64–65 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 80 | ,, |

| क. सं. | संस्था का नाम | विवरण | अनुदान वर्ष एवं प्रतिशत | |
|---|---|---|---|---|
| 30. | श्रमजीवी उ. प्रा वि , उदयपुर | 37–38 | 60 | ,, |
| | | 73–74 | 80 | ,, |
| 31. | विद्या भवन रामगिरी उ. प्रा. वि. उदयपुर | 40–41 | 90 | ,, |
| 32. | गोस्वामी रामपुरी बाल निकेतन, उदयपुर | 70–71 | 50 | ,, |
| 33. | विद्या विहार, उ. प्रा. वि. उदयपुर | 79–80 | 50 | ,, |
| 34. | अंजुमन उ. प्रा. वि., उदयपुर | 54-55 | 60 | ,, |
| | | 59–60 | 65 | ,, |
| | | 62–63 | 70 | ,, |
| | | 65-66 | 60 | ,, |
| 35. | विद्या निकेतन उ. प्रा. वि. भोपालपुरा | 79–80 | 50 | ,, |
| 36. | सरस्वती शिशु निकेतन, उ. प्रा. वि., उदयपुर | 70–71 | 50 | ,, |
| | | 76–77 | 60 | ,, |
| 37. | हरिहर आश्रम भदराणा | 56-57 | 80 | ,, |
| 38. | विद्या तिकेतन उ. प्रा, वि., बदनौर की हवेली | 57–58 | 60 | ,, |
| | | 59–60 | 60 | ,, |
| 39, | सरस्वती निकेतन उ. प्रा वि. आयड़, उदयपुर | 79–80 | 50 | ,, |
| 40. | संगीत नाट्य निकेतन, उदयपुर | 58–59 | 50 | ,, |
| | | 67–68 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 80 | ,, |
| 41. | तैयबया प्रा. वि. उदयपुर | 59–60 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 80 | ,, |
| 42. | भोपाल नोबल्स प्रा. वि. उदयपुर | 62–63 | 75 | ,, |
| | | 63-64 | 70 | ,, |
| 43. | बाल शिक्षा सदन प्रा. वि., उदयपुर | 70–71 | 50 | ,, |
| 44. | आदर्श बाल मन्दिर नरसिंगपुरा का नोहरा | 64–65 | 60 | ,, |
| 45. | जवाहर बाल मन्दिर कानोड़ | 59–60 | 50 | ,, |
| | | 63–64 | 70 | ,, |
| | | 76–77 | 90 | ,, |

| क्र. सं. | संस्था का नाम | विवरण | अनुदान वर्ष एवं प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 46. | जवाहर विद्यापीठ प्रा वि. कानोड़ | — | 75 प्रतिशत |
| | | 76 77 | 90 ,, |
| 47. | सरस्वती शिशु निकेतन प्रा. वि. प्रायड़ | 1968–70 | 50 ,, |
| 48. | रौशनलाल शर्मा पब्लिक प्रा. वि उदयपुर | 76–77 | 50 ,, |
| 49. | रेल्वे प्रा. वि., उदयपुर | 62–63 | 50 ,, |
| 50. | ज्ञानमन्दिर प्रा वि. भोइवाड़ा | 70–71 | 50 ,, |
| 51. | विद्या निकेतन प्रा. वि. भोपालपुरा | 70–71 | 50 ,, |
| | | 76–77 | 60 ,, |
| 52. | मिशन स्कूल प्रा. वि. खैरवाड़ा | 53–54 | 80 ,, |
| | | 75–76 | 50 ,, |
| | | 78–79 | 70 ,, |
| 53. | प्रा वि गांधी सेवा सदन, राजसमन्द | 57–58 | 50 ,, |
| | | 61–62 | 60 ,, |
| | | 63–64 | 70 ,, |
| 54. | उ. प्रा. वि., गांधी सेवा सदन, राजसमन्द | 79–80 | 50 ,, |
| 55. | प्रा वि. विद्या निकेतन, देवगढ़ | 71–72 | 60 ,, |

ह०

(ललित मोहन तिवाड़ी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(छात्र संस्थायें), उदयपुर

———

## परिशिष्ट II

### अतारांकित प्रश्न 278 की सूची

(25000/-रुपये से अधिक बकाया वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं की सूची दिसंबर, 83 तक)

| क्रम सं. | उपभोक्ता का नाम | बकाया राशि | बकाया की अवधि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | भीलवाड़ा वृत्त | | | |
| 1. | दीपक आयल मिल भीलवाड़ा | 28816/30 | मार्च 79 | हाई कोर्ट स्टे |
| 2. | मेवाड़ टैक्सटाइल मिल | 436723/41 | दिसंबर 82 | कोर्ट केस |
| 3. | राजस्थान स्पीनिंग एंड वीविंग मिल्स | 698989/32 | सितंबर 83 | हाई कोर्ट स्टे एवं मंडल द्वारा किश्तों के आदेश. |
| 4. | मोडर्न वूलन मिल | 59903/93 | नवम्बर 82 व फरवरी 83 | हाई कोर्ट स्टे. |
| 5. | सुनील टेक्सटाइल मिल | 29819/40 | नवम्बर 82 | ,, |
| 6. | राज० खांडसारी मिल | 253776/62 | सितंबर 78 | केस ई. डी. आर. में दे रखा है |
| 7. | माडर्न थ्रेड रायला | 594696/25 | सितंबर 83 | कोर्ट स्टे. |
| 8. | कमला शुगर फेक्ट्री हमीरगढ़ | 36446/16 | 3 वर्ष से | केस ई. डी. आर में दे रखा है |
| 9. | राज० स्पीनिंग मिल्स खादी ग्राम गुलाबपुरा | 310260/99 | अगस्त 83 | कोर्ट स्टे |
| 10. | सुपर सीको टेक्स गुलाबपुरा | 49370/- | अगस्त 83 | कोर्ट स्टे |
| 11. | राज. कोआपरेटिव स्पीनिंग मिल गुलाबपुरा | 236787/75 | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | श्रीराम शुगर मिल्स जहाजपुर | 114435/96 | 1981 से | ई. डी. आर. में केस दे रखा है। |
| 13. | बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तोड़गढ़ | 568054/22 | ,, | कोर्ट केस |
| 14 | मेहता वेजीटेबल प्रोडक्ट्स चित्तौड़गढ़ | 150912/41 | ,, | मंडल के आदेशानुसार किश्तें स्वीकृत की गई |
| 15. | जे. के सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा | 2003425/57 | जून 83 | कोर्ट स्टे |
| 16. | महालक्ष्मी ओपनपेन शुगर फेक्ट्री–चिकारडा | 29568/88 | नवंबर 82 से | सप्लाई काट कर मीटर हटा दिया |
| 17. | सहायक अभियन्ता एच. क्यू. एस. डी. सिंचाई विभाग वाटर वर्क्स, रावतभाटा | 229893/ | दिसंबर 83 से | विद्युत विच्छेद आदेश जारी कर दिये गये |
| | **जयपुर जिला वृत्त** | | | |
| 18. | मै. राज० रोप वर्क्स, नरायना | 59281/24 | 10–12 वर्ष से | न्यायालय का स्थगन आदेश |
| 19 | मैसर्स जे एम डी.एस. प्रा. लि दौसा | 203433/66 | 5 वर्ष से | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 20. | मैसर्स जैन आयल मिल्स बस्सी | 52695/14 | ,, | कोर्ट केस |
| 21. | मैसर्स सुरेन्द्रसिंह आइस फेक्ट्री, हीरापुरा | 42955/60 | मार्च 82 | कनेक्शन काट दिया गया |
| 22. | मै. साबू इन्डस्ट्रीज ठीकरिया | 28583/40 | अप्रेल 83 | न्यायालय में मामला विचाराधीन है |
| 23. | राज एमरी इन्ड. हीरापुरा | 34765/75 | अप्रेल 82 | विद्युत संबंध विच्छेद एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन है। |
| 24. | अनिल स्टील, कनकपुरा | 244476/48 | मार्च 83 | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 25. | मे. शंकर स्टोन क्रेशर ग्राम टोडी | 40926/40 | 10.10.82 | विद्युत संबंध विच्छेद एवं मामला मंडल में विचाराधीन है |
| 26. | मे. अरुण आयल इन्ड. निवाई | 30501/55 | जून 83 | मामला न्यायालय में विचाराधीन है |
| 27. | मे. रमेश आयल मिल निवाई | 43362/03 | मई 79 | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 28. | मे. नेशनल इन्जीनियरिंग इन्ड. निवाई | 631898/21 | फरवरी 83 | कोर्ट स्टे. |
| 29. | मे. बनास ओपन पान शुगर फेक्ट्री बनस्थली | 57822/34 | जनवरी 81 | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 30. | मे. सेफ्टी क्रय विक्रय सहकारी आयल मिल चाकसू | 28292/92 | दिसंबर 83 | ,, |
| | **झुन्झुनू वृत्त** | | | |
| 31. | विजय दाल मिल्स बिसाऊ | 39912/74 | नवंबर 82 | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 32. | सहा० अभियंता पी. एच. ई डी. झुंझुनु | 38217/05 | जून 83 | — |
| 33. | रामेश्वरलाल गुआर ग्राम फेक्ट्री बिसाऊ | 41835/45 | नवम्बर 82 | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 34. | राम अवतार गोल्यान क्रेशर मशीन झुन्झुनू | 57409/90 | नवम्बर 83 | — |
| 35. | सहायक अभियंता पीएचईडी लूनू | 29785/– | जून 83 | — |
| 36. | राज० गुआर गम फै. पिलानी | 25962/20 | दिसंबर 83 | विद्युत संबंध विच्छेद |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 37. | वाटरवर्क्स मनोटा (सहा० अभियंता पीएचईडी खेतड़ी) | 175928/00 | मई 83 | — |
| 38. | सहायक अभि० पी.एच.ई डी. खेतड़ी | 61476/43 | जून 83 | — |
| 39. | वाटरवर्क्स मनोता मार्फ सहायक अभि० पी.एच.ई.डी. खेतड़ी | 83903/03 | मई 83 | — |
| 40. | राज मिनरल सप्लाई कम्पनी सिघाना जोधपुर (निर्माण वृत्त) | 36906/06 | नवम्बर 82 | — |
| 41. | मै० कमला टैक्सटाइल पाली | 57074/40 | सितम्बर 82 | न्यायालय में विचाराधीन |
| 42. | सहायक अभियन्ता वाटर वर्क्स सोनपुरा | 44760/90 | | पुरानी राशि वसूली के प्रयास जारी |
| 43. | मै सर्वोदय आइस फैक्ट्री भीनमाल | 28831/24 | " | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 44. | सहायक अभियंता पी०एच०ई०डी० माखपुरा | 155775/14 | " | वसूली के प्रयास जारी |
| 45. | गनपति ग्लूकोज बिस्कुट फैक्ट्री सेधड़ा | 139393/20 | अप्रेल 83 | कोर्ट स्टे |
| 46. | मै० कण्डी स्टील प्रा० लि० फालना | 32673/38 | 1982 | कोर्ट केस |
| 47. | इन्डीयन डेयरी एन्टर-प्राइजेज रानीवाड़ा | 141525/80 | — | विद्युत सम्बन्ध विच्छेद |
| 48. | मै० स्टोव प्रोडक्ट्स लि० बसंतगढ़ | 2098568/68 | — | कोर्ट स्टे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **बीकानेर वृत्त** | | | |
| 49. | सहायक अभियंता पी० एच० ई० डी० सादुलपुर | 29088/25 | जनवरी 83 से पहले | — |
| 50. | सहायक अभि० नोहर | 2553./88 | ,, | — |
| 51. | मै० अखन्दय तेल साबुन उद्योग रतन नगर | 79956/46 | अप्रेल 83 | कोर्ट स्टे |
| 52. | मै० राधामाधाव गम फं | 275083/26 | — | ,, |
| 53. | मै. अग्रवाल गम फं. | 326436/90 | — | ,, |
| 54. | मै. महालक्ष्मीदालमिल तारानगर | 31618/90 | — | ,, |
| 55. | नटराज गम पाउडर सादुलपुर | 68377/76 | — | ,, |
| 56. | हनुमानगम फं. | 247297/77 | — | ,, |
| 57. | भगवानदास भादरा | 59218/91 | 77/78 | ,, |
| 58. | श्रीग्राइस फं.नोहर | 33936/94 | 75—76 | ,, |
| 59. | सहा. अभि. पी. एच. ई. डी. भादरा | 106833/42 | 74—75 | ,, |
| 60. | सहा. अभि. पी.एच.ई.डी. नोहर | 62528/33 | 75—76 | ,, |
| 61. | मै. नेशनल रिफाइण्ड दाल मील | 164833/15 | दिसम्बर 82 | ,, |
| 62. | श्री नवलाराम दूलीचन्द | 168746/81 | ,, | — |
| 63. | नारायणा उद्योग | 223779/25 | ,, | ,, |
| 64. | नवदीप उद्योग | 384119/48 | ,, | — |
| 65. | न्यू लक्ष्मी उद्योग | 192994/67 | ,, | — |
| 66. | न्यू कृष्णा गम उद्योग | 172837/97 | ,, | — |
| 67. | नवभारत दालमिल | 147244/84 | दिसम्बर 82 | |
| 68. | सहा. अभि. वाटर वर्क्स अनूपगढ़ | 341110/87 | — | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 69. | गजसिंहपुर काटन फै. | 308456/00 | — | |
| 70. | गंगानगर आयल मिल गजसिंहपुर | 428284/74 | — | |
| 71. | घनश्याम काटन जीनिंग सादुलशहर | 68463/94 | — | |
| 72. | मोहता कार्मशियल कंपनी सादुलशहर | 215527/38 | — | |
| 73. | मै. राज. काटन मिल रायसिंहनगर | 290698/56 | — | |
| 74. | रतनलाल कल्याणी रायसिंहनगर | 44433/06 | — | |
| 75. | रायसिंहनगर कोआपरेटिव सोसायटी | 84174/92 | — | |
| 76. | अनूपगढ़ काटन फै. | 297543/65 | — | |
| 77. | मै. अशोक इन्ड.घड़साना | 104244/97 | — | |
| 78. | मै. डी. के.गम इन्ड. विजयनगर | 164852/52 | — | |
| 79. | गंगानगर फर्टीलाइजर | 97161/09 | — | |
| 80. | गंगानगर इन्डस्ट्रीज | 257139/37 | — | |
| 81. | ,, ,, | 45952/79 | — | |
| 82. | गुप्ता रोलर एण्ड फ्लोर मिल श्रीगंगानगर | 815062/40 | 5 वर्ष से | |
| 83. | हनुमानदास सूरजनकुमार श्रीगंगानगर | 48311/21 | ,, | |
| 84. | हीरानंद पुत्र उत्तमचंद श्रीगंगानगर | 225906/74 | ,, | |
| 85. | जोरमल पेडीवाल श्रीगंगानगर | 87380/67 | ,, | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 86. | राज. कन्टोनमेंट श्रीगंगानगर | 226540/05 | 5 वर्ष से | |
| 87. | शक्ति जीनगि मिल श्रीगंगानगर | 303201/49 | " | |
| 88. | कृष्णा काटन एंड जीनिंग श्रीगंगानगर | 174182/00 | " | |
| 89. | पंजाब आयल मिल | 316020/83 | " | |
| 90. | राजस्थान इन्ड. श्रीगंगानगर | 152635/21 | " | |
| 91. | मै. अग्रवाल आयल मिल | 134154/54 | 82–83, 83–84 | कोर्ट केस |
| 92. | चौधरी काटन एंड जीनिंग | 425792/49 | " | " |
| 93. | राज. राइस एंड आयल मिल | 143377/42 | " | " |
| 94. | उत्तरा देवी सेठिया | 268325/75 | " | " |
| 95. | सोमानी काटन पीलीबंगा | 110212/29 | " | " |
| 96. | राज. राइस मिल हनुमानगढ़ | 56687/24 | " | " |
| 97. | वर्धमान इन्ड. हनुमानगढ | 138712/84 | " | " |
| 98. | मै. चमन काटन एंड जीनिंग | 26402/85 | 82–83, 83–84 | कोर्ट केस |
| 99. | सत्यनारायण हिसारिया | 117 [illegible]7/15 | " | " |
| 100. | राज. आयल मिल हनुमान गढ | 26318/44 | " | " |
| 101. | बिहानी सिन्थेटिक्स | 55351/72 | " | " |
| 102. | गंगानगर मिल्स | 255937/94 | " | " |
| 103. | प्रेम काटन एंड जीनिंग गालूवाला | 64387/80 | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 104. | नंदराम दौलतराम | 34992/07 | 82–83, 83–84 | कोर्ट केस |
| 105. | चानन ब्रादर्स हनुमानगढ | 225165/57 | " | " |
| 106. | बिरला मिल संगरिया | 314366/45 | " | " |
| 107. | संतोष इन्डस्ट्रीज | 118778/78 | " | " |
| 108. | चौधरी काटन फै. रावतसर | 60060/76 | " | " |
| 109. | कुलभूषण श्राइस फं. हनुमानगढ़ | 33904/76 | " | " |
| | महेश श्रायल मिल | 47946/44 | 2 साल से | " |
| 111. | शक्ति रोलर एंड फ्लोर मिल | 70925/47 | " | " |
| 112. | बीकानेर सिरेमिक्स | 36216/35 | ' | " |
| 113. | गणपति वूलन मिल | 52951/97 | " | " |
| 114. | श्रग्रवाल वूलन मिल | 35582/91 | " | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 115. | गुप्ता नेल इन्ड. | 28444/83 | " | " |
| 116. | महावीर वूल कार्डिग एंड स्पीनिंग | 62258/92 | " | " |
| 117. | पैरामाउण्ट श्राइस फै. | 29152/97 | " | किश्त कर दी गई |
| 118. | मीनरल ग्राइंडिंग कारपोरेशन | 25434/00 | " | मीटर हटा लिया |
| 119. | श्रीराम वूलन मिल | 59930/60 | " | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 120. | गोयल गम उद्योग | 699672/35 | " | विवाद ग्रस्त |
| 121. | प्रमोद गम उद्योग | 338447/21 | " | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 122. | जुगल गम उद्योग | 31.95/42 | " | " |
| 123. | इलेक्ट्रिक फोरमेन नार्दन रेल्वे | 1160741/58 | " | विवाद ग्रस्त |
| 124. | श्रीमती छोटा पत्नि श्री श्रलाद्दीन | 35008/58 | " | ' |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 125. | जनरल मैनेजर स्टेट वूलनमिल | 120291/92 | 2 साल से | विवादग्रस्त |
| 126. | दुर्गा राम गवार फै. नोखा | 134698/59 | " | विद्युत संबंध विच्छेद |
| 127. | चाँडक राम एंड केमिकल नोखा | 33527/78 | " | " |
| 128. | चित्रा ग्राइस एंड कोल्ड स्टोरेज गंगाशहर | 44312/40 | " | " |
| 129 | " | 33922/37 | " | " |
| ग्रजमेर वृत्त | | | | |
| 130. | डिवीजनल इन्जी. पश्चिम रेल्वे | 290317/39 | सितम्बर 71 | |
| 131. | डि. इले. प. रेल्वे | 510492/47 | ग्रगस्त 76 | |
| 132. | " | 138423/57 | " | |
| 133. | मै. बंशीलाल ग्रायल एंड रोलिंग मिल | 621346/54 | सितम्बर 74 | कोर्ट स्टे |
| 134. | श्री पति ग्राइलसनएंड रोलिंग मिल | 147661/32 | — | " |
| 135. | मशीन टुल्स कं. | 292212/48 | — | " |
| 136. | राजहंस वायर इन्ड. | 142367/52 | मार्च 74 | कोर्ट केस |
| 137. | मै. के. डी. फार्मा | 42393/87 | — | मीटर हटा दिया |
| 138. | ग्रार. एल. गर्ग | 74700/21 | फरवरी 82 | " |
| 139. | मै. प्राग ग्राइस फै. | 48100/35 | ग्रगस्त 83 | कोर्ट केस |
| 140. | मै. स्ट्रक्चरल इन्जी. | 25202/13 | दिसम्बर 68 | " |
| 141. | ग्रादित्य मिल्स | 636573/20 | — | — |
| 142. | मै. साहू मिनरल | 293690/64 | सितम्बर 83 | कोर्ट केस |
| 143. | ग्रग्रवाल स्पीनिंग मि. | 149914/52 | | कोर्ट केस |
| 144. | महाराजा सोमयाग मि. | 37908/23 | सितम्बर 77 | — |
| 145. | मै. ग्राषुतोष स्पीनिंग मि. | 33679/36 | सितम्बर 80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 146. | मैं. महालक्ष्मी मिल | 28778/13 | 1974 | |
| 147. | कृष्णा मिल्स ब्यावर | 1547649/84 | दिसम्बर 82 | कनेक्शन काट दिया गया |
| 148. | वेस्ट पेटेंट प्रेस | 43309/40 | मई 78 | |
| 149. | मैं. कमला इन्ड. | 38497/17 | जनवरी 83 | |
| 150. | सोडियम सल्फेट फै. डीडवाना | 393014/08 | लंबी अवधि से | |
| 151. | वाटरवर्क्स मेडता शहर | 1090566/51 | " | |
| 152. | वाटरवर्क्स लाडनू | 42014/20 | " | |
| 153. | " | 26675/77 | " | |
| 154. | " | 26214/81 | " | |
| 155. | " डीडवाना | 27422/95 | " | |
| 156. | " लाडनू | 30391/51 | " | |
| 157. | सुरेशनाथ मोदी | 40164/05 | मार्च 72 | कोर्ट केस |
| 158. | कृष्णा मार्बल्स | 30627/08 | सितम्बर 80 | " |
| 159. | कैलाशपति मार्बल्स | 25756/77 | " | " |
| 160. | महावीर ग्राइस फै. | 28666/55 | मई 83 | " |
| 161. | नेशनल ग्राइस फै. | 30393/92 | अगस्त 83 | — |
| 162. | हमीद एंड ब्रदर्स | 29893/51 | मार्च 81 | — |
| 163. | छोटू जी गुलाब जी | 49940/70 | जुलाई 80 | |
| 164. | विजय मार्बल्स | 34010/10 | मई 82 | |
| 165. | चौहान ब्रदर्स | 26873/20 | " | |
| 166. | अब्दुलहकीम हुसैन वख्या | 43198/86 | जून 80 | |
| 167. | मारवाड़ माइंस | 71567/26 | मार्च 83 | |
| 168. | गंगामोहन मार्बल एंड स्टोन | 42732/16 | 1978 | |
| 169. | कृष्णा मिनरल नांवा | 54445/31 | — | |

238



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 170. | एसोसीयेट सेमरी इन्ड. कुचामनरोड़ | 48301/60 | — | — |
| 171. | राजगम एंड प्लास्टिक इन्ड | 70583/89 | — | — |
| 172. | मै. मंजू श्री मिनरल मकराना | 25174/27 | जनवरी 84 | |
| | **कोटा वृत्त** | | | |
| 173. | रेल्वे एच टी. | 468379/75 | मई 67 | विवाद ग्रस्त |
| 174. | एल टी. 7 | 2527786/26 | — | ” |
| 175. | सहा. अभि.पीएचईडी | 1522056/34 | मई 67 | |
| 176. | मै. एस. एफ. सी. | 64454741/26 | मई 74 से 3/80 | कोर्ट केस |
| 177. | जे. के. सिंथेटिक्स | 10703748/15 | एवं मई 82 | |
| 178. | श्रीराम रेयान्स | 417862/48 | ” | ” |
| 179. | ओ. पी. सी. आलनिया | 8938677/55 | 11/69 | ” |
| 180. | मै. मल्टी मेटल्स लि. | 161600/13 | मई 74 से 3/80 | ” |
| 181. | फारेन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट | 16518/96 | ” | ” |
| 182. | जीवन फर्टीलाइजर्स | 26235/22 | अगस्त 83 | |
| 183. | सुदर्शन टेक्सटाइल्स | 405210/52 | 5/74 से 3/80 | |
| 184. | कोटा कोल्ड स्टोरेज | 59636/86 | ” | ” |
| 185. | महालक्ष्मी एसोसियेट | 132576/94 | ” | ” |
| 186. | प्रीमियर पेपर बोर्ड | 447418/27 | ” | ” |
| 187. | कोटा स्टील री रोलिंग | 688055/96 | ” से 11/82 | ” |
| 188. | वी. पी. टेक्नीकल आयल मिल | 50698/91 | ” 3/80 | ” |
| 189. | इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. | 61288/76 | ” | ” |
| 190. | प्रभात स्टील | 407675/38 | नवम्बर 77 | ” |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 191. | कोटा स्टील मिनी डि वी. | 6654096/92 | अक्टूबर 82 | |
| 192. | एस. वी. सी. आई. कोटा I-I | 124232478/31 | मई 74 से 3/80 | |
| 193. | राजन्स II | 57738/44 | मई 76 | ,, |
| 194. | एस. वी. सी आई II | 3243427/30 | अप्रेल 83 | |
| 195. | वादला फ्लोर मिल | 285009/80 | मई 74 से 3/80 | ,, |
| 196. | सहा. अभि. पीएचईडी झालावाड़ | 75638/33 | मई 74 से 3/80 | ,, |
| 197. | ,, | 77137/07 | | |
| 198. | मै. क्लोरोकेम इन्ड. | 60746/90 | | |
| 199. | नन्दराम दौलतराम | 28700/43 | | |
| 200. | पालीवाल स्टील इन्ड. | 26606/46 | | |
| 201. | एस. डब्ल्यू. एम आइल | 50141/47 | | |
| 202. | सन शाइन ग्लास इंड. | 57903/92 | | |
| 203. | डवलन आपन पान शुगर फैक्ट्री | 28642/40 | | |
| 204. | विजय इन्डस्ट्रीज | 26972/44 | | |
| 205. | राज केवल इन्डस्ट्रीज | 34168/79 | | |
| 206. | सहा अभि. कोटा बैराज | 49000/00 | | |
| 207. | गैरीसन इन्जीनियर | 84605/80 | | |
| 208. | जयपुर उद्योग लि. | 4200230/69 | | |
| 209. | डिबी. इले. इन्जी. वे. रेल्वे | 57164/69 | | |
| 210. | वेस्टर्न रेल्वे गंगापुर सिटी | 867887/74 | | |
| 211. | सह. अभि. वाटर वर्क्स झालरापाटन | 179737/37 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 212. | राज. टैक्सटाइल्स मिल | 365383/96 | | |
| 213. | म्यूनिसिपल बोर्ड मुनेल | 17426/70 | | |
| | **सीकर वृत्त** | | | |
| 214. | इन्डी. गम इन्ड. सीकर | 32066/18 | | |
| 215. | शिव उद्योग सीकर | 40359/84 | | |
| 216. | गहलोत इन्ड. सीकर | 32971/82 | | |
| 217. | चौहान केमीकल्स सीकर | 27631/10 | | |
| 218. | शेखावाटी/गम इन्ड. | 28690/77 | | |
| 219. | बीकानेर ग्राइस फैक्ट्री श्रीमाधोपुर | 41519/96 | | |
| 220. | कृष्णा ईन्सुलेटर नीम का थाना | 32504/85 | | |
| 221. | जयपुर पालीस्पीन रींगस | 266226/19 | | |
| 222. | रामविलास बहादुरमल पलसाना | 27877/41 | | |
| | **अलवर वृत्त** | | | |
| 223. | बजरंगलाल श्रीनिवास | 41942/34 | | |
| 224. | रामनारायण एण्ड ब्रदर्स | 27488/00 | | |
| 225. | मुरलीधर हरप्रसाद | 41535/68 | | |
| 226. | लक्ष्मी स्टील | 180867/13 | | |
| 227. | कृष्णा एण्ड कम्पनी | 161658/69 | | |
| 228. | सुनील सिनचर्म लि. | 81519/73 | | |
| 229. | जेनसन स्टील | 60588/70 | | |
| 230. | पालीवाल मिनी सेल | 1743139/29 | | |
| 231. | राठी अलाइज एण्ड स्टील | 546392/69 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 232. | मार्डन सिन्थेटिक्स लि. | 351648/25 | | |
| 233. | अलवर रोलिंग मिल | 30565/42 | | |
| 234. | भारत अलाइस | 72137/17 | | |
| 235. | हिन्दूस्तान सिरेमिकल | 26063/62 | | |
| 236. | सराफ पेपर मिल | 970883/70 | | |
| 237. | अमोलक इन्जी | 179690/13 | | |
| 238. | स्वदेशी माल्ट | 325851/08 | | |
| 239. | कनोडिया स्ट्रा बोर्ड | 77889/85 | | |
| 240. | क्राउन सिरोमिक्स | 69799/05 | | |
| 241. | भारत इस्पात उद्योग | 204596/30 | | |
| 242. | आयशर गुडअर्थ | 64766/19 | | |
| 243. | पी. के. फडस | 43316/67 | | |
| 244. | राठी अलाइज एण्ड स्टील | 2108863/82 | | |
| 245. | देव इण्डी. लिमि. | 97272/42 | | |
| 246. | मोदी एलकेलीज एण्ड | 1119068/56 | | |
| 247. | गोल्ड फुडस | 39034/61 | | |
| 248. | जय भारत आयल मिल्स | 163477/66 | | |
| 249. | सिमको भरतपुर | 774100/84 | | |
| 250. | श्री बी. आर. आयलमिल | 190756/67 | | |
| 251. | हरी इन्डस्ट्रीज | 146349/16 | | |
| 252. | जय गणेश उद्योग | 61489/32 | | |
| 253. | मैसर्स जी. ई. डब्ल्यू | 56812/29 | | |
| 254. | ,, भरतपुर स्टील रोलिंग | 121870/67 | | |
| 255. | ,, डालमिया डेयरी | 201806/58 | | |
| 256. | ,, सुप्रीम स्ट्रा प्रोडक्स | 63714/13 | | |

242



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 257. | मै. सादरी स्टील प्राइवेट लिमिटेड | 1153780/84 | | |
| 258. | ,, जी. ई. डब्ल्यू (33 के वी) | 84591/83 | | |
| 259. | ,, गुरुनानक स्टीलरोलिंग | 171886/32 | | |
| 260. | ,, श्रीराम उद्योग | 41023/98 | | |
| 261. | ,, पराग उद्योग/तेलमिल | 45951/76 | | |
| 262 | ,, पराग इण्डस्ट्रीज | 35328/30 | | |
| 263. | ,, खडेलवाल ग्राइस फैक्ट्री | 93461/14 | | |
| 264. | ,, रमेशचन्द्र अग्रवाल | 26002/81 | | |
| 265. | ,, श्रीमती शैलकुमारी | 189794/50 | | |
| 266. | ,, सहारन पत्न | 360950/15 | | |
| 267. | ,, ग्रोरियेन्ट एवरशी | 111714/41 | | |
| 268. | ,, अनसत प्लास्टिक्स | 361804/69 | | |
| 269. | जगई पेपर मिल | 112502/67 | | |
| 270. | ,, वजीर स्टील | 213939/77 | | |
| 271. | ,, आर्यवृत्त प्लाईवूड | 56491/26 | | |
| 272. | ,, बन्शीलाल पेपरमिल्स | 330819/52 | | |
| 273. | ,, महावीर एलमुनियम | 359179/80 | | |
| 374. | ,, एडवांस लुबरीकेटिंग | 35848/ 3 | | |
| 275. | ,, सहा.अभि, वाटर वर्क्स कारोट | 32636/89 | | |
| 276. | ,, स्वान पेपर मिल्स | 137000/00 | | |
| 277. | ,, हिन्दुस्तान कापर प्रोजेक्ट | 786502/21 | | |
| 278. | ,, हनुमान मिनरल गाइंडिंग मिल्स | 144054/60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 9. | मै. सहायक अभियंता चौधरी पाडा | 34269/26 | | |
| 280. | ,, महावीर फ्लोर मिल्स | 38365/51 | | |
| | जयपुर वृत्त | | | |
| 281. | ,, राज. कोपरेटिव डेयरी | 91,023.81 | | |
| 282. | ,, श्री महाराज कुमार अरवीन्दसिंहजी | 39,353.73 | | |
| 283. | ,, उदयपुर कोटन मिल | 1,80,129.83 | | |
| 284. | ,, मेटल उद्योग | 7,89,057.92 | | |
| 285. | ,, ओरियन्टल टाल्क | 4,70,824 03 | | |
| 286. | ,, देवीदास | 1,42,112.41 | | |
| 287, | ,, आर. एम.डी.एस. | 1,12,724.42 | | |
| 288. | ,, साथिया मेटल्स | 4,01,335.68 | | |
| 289. | ,, स्टेन्डर्ड क्रोमोटेक्स | 2,32,569.48 | | |
| 290. | ,, शक्ति आयरन | 98,898.14 | | |
| 291. | ,, श्रीजी इन्डस्ट्रीज | 39,703.90 | | |
| 292. | ,, मोहनलाल | 35,822.50 | | |
| 293. | ,, लक्ष्मी इन्जिनियरींग | 38,742.80 | | |
| 294. | ,, राज. आइस फेक्ट्री | 58,420.27 | | |
| 295. | ,, प्रकाश मिनरल्स | 38,989.80 | | |
| 296. | मारुती स्टोन इण्डस्ट्रीज | 31,290.50 | | |
| 297. | ,, इण्डिया इन्टरनेशल | 30,813.08 | | |
| 298. | ,, राज. सिन्थेटिक्स मिल्स | 4,60,218.05 | | |
| 299. | ,, एच.जेड.ली. दरीबा माइन्स | 1,65,526 28 | | |
| 3C0. | ,, चारभुजा शुगर वर्क्स | 93,955.69 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 301. | मै. सिद्ध सिन्थैटिक्स थाना माफी | 3,09,225.81 | | |
| 302. | ,, बांसवाड़ा सिन्थैटिक्स लि. | 6,90,745.15 | | |
| 303. | ,, अनील जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्रि, बाँसवाड़ा | 26,620.95 | | |
| 304. | ,, पंकज आईल मिल्स | 51,952.24 | | |
| 305. | ,, क्रीशन खांडसारी मिल | 41,435.39 | | |
| 306. | ,, किशन कानडरिया एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री बाढोतिया | 1,11,768.99 | | |
| 307. | ,, मधुबन केमिकल डबोक | 3,76,947.98 | | |
| 308 | ,, एच.जेड.ली.माटून रोक माईन्स माटून | 15,03,327.36 | | |
| 309. | ,, एच. जेड. जिंग स्मेल्टर | 58,88,506.38 | | |
| 310. | ,, उदयपुर सीमेंट वर्क्स नाहर मगरा | 43,02,291.92 | | |
| 311. | ,, उदयपुर सीमेंट वर्क्स दरोली | 87,092.99 | | |
| 312. | ,, राज. मल्टीफर्टिलाइजर प्रा. लि. | 1,14,169.43 | | |
| 313. | ,, उदयपुर केमिकल एण्ड फर्टिलाईजर लि. | 1,37,800.77 | | |
| 314. | ,, परफैक्ट ग्रेड ग्रम्बेरी | 91,319.00 | | |
| 315. | ,, श्रुति सिन्थेटिक्स लोयरा | 3,25,693.62 | | |
| 316. | ,, ऐडवान्स पेपर मिल गुन्जोल | 3,75,106.48 | | |
| 317. | ,, रीशव चतुर कोटन फै. | 57,533.60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 318. | मै० जे. के. इण्डस्ट्रीज कांकरोली | 30,54,377.02 | | |
| 319. | ,, चारभुजा शुगर वर्क्स रूपखेड़ा | 2,37,791.57 | | |
| | **जोधपुर : परि० एवं संघ० वृत** | | | |
| 320. | मै० जोधपुर ग्रायरन एण्ड स्टील | 507735.54 | पिछले तीन वर्ष से | न्यायालय में विचाराधीन |
| 321. | ,, राजेन्द्र स्टील्स | 406750.70 | ,, | ,, |
| 322. | ,, राठी केमिकल्स | 1401032.56 | ,, | ,, |
| 323, | ,, एल्कोबेक्स मेटल | 45,596.47 | ,, | ,, |
| 324. | ,, एवेक्स ट्यूबस | 181482.57 | ,, | ,, |
| 325. | ,, चोपड़ा मेटल्स | 29827.59 | ,, | ,, |
| 326 | ,, वीकी सीन्थेटिक्स | 176624.81 | ,, | ,, |
| 327. | ,, जोधपुर वायरर्स | 260083.83 | ,, | ,, |
| 328. | ,, राज० स्टेट ग्रेनाईट | 14444625 | ,, | ,, |
| 329 | ,, एलीकोबेक्स मेटल | 57620.38 | ,, | ,, |
| 330. | ,, जोधपुर गम एण्ड केमिकल | 441982.74 | ,, | ,, |
| 331. | ,, जोधपुर वुलन मिल्स | 515474.49 | ,, | ,, |
| 332 | ,, राठी गम इण्डस्ट्रीज | 61›393 99 | ,, | ,, |
| 333. | ,, युनिवर्सल इन्जिनियरिंग | 140523.54 | ,, | ,, |
| 334. | ,, केमिकल एण्ड मिनरल | 139336. 0 | ,, | ,, |
| 335. | ,, अम्बिका इलेक्ट्रो | 434 .6.22 | ,, | ,, |
| 336. | ,, सालवेग इण्डस्ट्रीज | 66078.28 | ,, | ,, |
| 337. | ,, सचेती सिन्थेटिक्स | 50086.56 | ,, | ,, |
| 338. | ,, साबू मिनरल | 30804.11 | ,, | ,, |
| 339. | ,, कामा स्टील्स | 64810.63 | ,, | ,, |
| 340. | ,, कमला इण्डस्ट्रीज | 76781.44 | ,, | ,, |
| 341. | ,, जोधपुर वुलन मिल्स | 131783.19 | ,, | ,, |
| 342. | ,, कुचामन स्टील | 111610. 8 | ,, | ,, |
| 343. | ,, स्टेण्डर्ड वुलन | 28875.28 | ,, | ,, |
| 344. | ,, अपेक्स स्टील | 165998 44 | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 345. | ,, सुनीता माईन केमी० | 178490.15 | पिछले तीन वर्ष से | न्यायालय में विचाराधीन |
| 346. | ,, कमलेश इण्डस्ट्रीज | 71568.92 | ,, | ,, |
| 347. | ,, पोली प्रोलीयन | 96720.21 | ,, | ,, |
| 348. | ,, सोनल मेटल | 124933.55 | ,, | ,, |
| 349. | ,, इण्डियन गम | 116118.51 | ,, | ,, |
| 350. | ,, ग्रानन्द गम | 113400.91 | ,, | ,, |
| 351. | ,, स्टेण्डर्ड मेटल्स | 88492.28 | ,, | ,, |
| 352. | ,, ग्रादर्श मेटल्स | 37680.89 | ,, | ,, |
| 353. | ,, लक्ष्मी उद्योग | 33528.56 | ,, | ,, |
| 354. | ,, शिवासरा स्टील | 10800[illegible].60 | ,, | ,, |
| 355. | ,, राज. कमल गम एण्ड केमिकल | 81335.36 | ,, | ,, |
| 356. | ,, चौपड़ा केमिकल | 38530.83 | ,, | ,, |
| 357. | ,, ऐक्यूरेट मेटल | 50351.85 | सन् 1977 | फेक्ट्री बन्द हो चुकी है। |
| 358. | ,, दिगविजय यार्न मिल्स | 341198.00 | | |
| 359. | ,, महाराजा उम्मेद मिल्स | 156957.56 | मार्च 83 से दि० 83 | कोर्ट के ग्रादेशानुसार सम्बन्ध विच्छेद की कार्यवाही की जावेगी |
| 360. | ,, बजरंग ग्राइस फेक्ट्री | 61463.80 | जुलाई 83 | |
| 361. | मेसर्स मारवाड ग्राइस फेक्ट्री | 43660.37 | ,, | नवम्बर 83 से सम्बन्ध विच्छेद |
| 362. | मेसर्स ब्रिजकोल्डस्टोरेज | 36869.05 | नवम्बर 82 | कोर्ट केस |
| 363. | ,, विष्णु ग्रायल मिल | 47756.15 | ,, | |
| 364. | ,, पटवा इन्डस्ट्रीज | 83741.08 | ग्रगस्त 83 | कोर्ट केस |
| 365. | ,, एफ. ग्रार. मेटल इंडस्ट्रीज | 57012.90 | ,, | विद्युत सबंध विच्छेद मई 83 |
| 366. | ,, ग्रार ग्राई इन्जीनियरिंग | 41444.86 | ,, | विवादास्पद रकम कोर्ट केस |
| 367. | ,, नीलकंठ सोडा कंपनी | 243348.51 | ,, | ,, ,, |
| 368. | ,, जोधपुर केमिकल | 26436.80 | नवंबर 82 | विद्युत संवध विच्छेद है |
| 369. | ,, डाइ केम | 94436.70 | जुलाई 83 | कोर्ट केस |
| 370. | ,, मंघाराम प्रीतमदास | 30726.09 | नवंबर 82 | विद्युत संबंध विच्छेद नवं. 8 से पूर्व |
| 371. | ,, बद्रीनारायण | 49353.73 | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 372. ,, | चौपासनी ग्राइस फेक्ट्री | 72127.58 | अप्रेल 83 | विवादस्पद रकम कोर्ट केस |
| 373. ,, | पाइप इंडिया | 30434.20 | जुलाई 83 | (सतर्कता विभाग) |
| 374. ,, | लाइफ टाइम | 201822.10 | जून 82 | कोर्ट केस |
| 375. ,, | रोजी ड्रिंक | 30598.26 | ,, मई 83 से विद्युतसंबंध विच्छेद | |
| 376. ,, | अम्बिका ग्वार गम | 44121.14 | अप्रेल 83 सितम्बर 83 से विद्युत संबंध विच्छेद | |
| 377. ,, | वीनस रबड़ कं० | 25268.34 | ,, | कोर्ट केस सरचार्ज लोड |
| 378. ,, | बन्सी गम | 37821.38 | नवंबर 82 मई 83 विद्युत सम्बन्ध विच्छेद | |
| 379. ,, | सचेती स्टील | 97255.24 | अप्रेल 83 | विवादास्पद सतर्कता विभाग |
| 380. ,, | बी. एम. ग्वार गम | 37124.45 | ,, | नवंबर से पूर्व विद्युत सम्बन्ध विच्छेद |
| 381. ,, | वनवट एग्रो | 32402.43 | ,, | उपभोक्ता ने संबंधविच्छेद पर फरवरी 84 में पैसे जमाकर |
| 382. ,, | क्वालिटी केमिकल | 26093.50 | ,, | विवादास्पद रकम (सतर्कता विभाग) |
| 383. ,, | शारदा ऑयल मिल | 59061.00 | ,, | जून 83 से विद्युत सम्बन्ध विच्छेद |
| 384. ,, | अरावली ग्राइस फेक्ट्री | 27921.05 | मार्च 83 विवादास्पद रकम (सतर्कता विभाग) | |
| 385. ,, | मोनाच केमिकल | 38505.25 | 1980 से मिनीमम गारंटी का विवाद | |
| 38 . ,, | सोडियम प्लास्टिक | 4[illegible]113.80 | अप्रेल 83 | विवादग्रस्त |
| 387. ,, | राजस्थान पेकिंग कं० | 34415.78 | ,, | कोर्ट केस |
| 388. ,, | नटराज इन्डस्ट्रीज | 55717.40 | नवंबर 82 | कोर्ट केस |
| 389. ,, | महावीर गम इन्डस्ट्रीज | 2[illegible]209.91 | अप्रेल 83 | विद्युत विच्छेद |
| 390. ,, | वाल्कन प्राइवेट लि. | 53134.67 | ,, | |
| 391. ,, | संतोष टेक्सटाइल्स | 49535.40 | मई 83 से दिसम्वर 83 | न्यायालय में विचाराधीन |
| 392. ,, | मिश्रीमल सुखजी लोहार | 27269.43 | मई 83 | |

**जयपुर नगर वृत के अन्तर्गत 25000/-रुपये से अधिक बकाया राशि के उद्योगों की सूची**

| क. सं. | उद्योग का नाम | बकाया राशि | अवधि | बकाया का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० एस. के. प्लास्टिकस जयपुर | रु. 26912.91 | | |
| 2. | ,, खेतान ग्राइस फेक्ट्रीज जयपुर | रु. 1,25,542.45 | 1971 से | कोर्ट केस |
| 3. | आर. एस. मेटल जयपुर | रु. 11,25,924.96 | | कोर्ट केस |
| 4. | आर. एस. मेटल जयपुर | रु. 8,35,510.97 | | हाई कोर्ट में विचाराधीन |
| 5. | मान इण्डस्ट्रीज जयपुर | रु. 20,71,899.06 | | ,, ,, |
| 6. | मान इण्डस्ट्रीज जयपुर | रु. 6 ,68,545.58 | | ,, ,, |
| 7. | जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल जयपुर | रु. 36,35,742,99 | | |
| 8. | पोदार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स | रु. 33,31,525.40 | 1974 से | अन्डर स्टे. |
| 9. | कन्वट्री मेटल्स जयपुर | रु 9,25,716.57 | | कोर्ट केस |
| 10. | जयपुर रोलिंग फ्लोर मिल्स | रु. 2,04,753.64 | | |
| 11. | हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कारपो० | रु. 56,391.77 | | |
| 12. | कमानी इंजीनियरिंग कारपो० | रु. 31,76,395.9 | 1977 से | हाईकोर्ट में केस |
| 13. | कमानी इंजीनियरिंग कारपो० | रु. 1,34,239.64 | 1976 से | ,, ,, |
| 14. | नेशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज | रु. 28,10,153,53 | | ,, ,, |
| 15. | प्रीमीयर वेजीटेबिल | रु. 13,45,147,57 | | कोर्ट केस |
| 16. | अशोका फाउन्ड्री एण्ड मेटल | रु. 8,70,600.30 | | हाई कोर्ट में केस |
| 17. | रामनगर केन एण्ड शुगर मिल | रु. 3,01,779.05 | | कोर्ट स्टे |
| 18 | हेम राज उद्योग | रु. 1,27,784.10 | 1974 | कोर्ट केस |
| 19 | ईश्वर लाल चुन्नी लाल | रु. 2,85,038,79 | | डी. सी. |
| 20. | जयपुर आयल प्रोडेक्ट | रु. 45,680.97 | | |
| 21. | सत्र मंगल रोलर मिल | रु. 2,04,740.04 | | डी. सी. |
| 22. | श्री कृष्ण री रोलिंग | रु. 1,67,439.80 | | कोर्ट केस |
| 23. | लक्ष्मी इंडस्ट्रीज | रु. 2,20,625.59 | | ,, ,, |
| 24. | प्रीमियर मेटल यूनिट | रु. 1,47,250.86 | | डी. सी. |
| 25. | ए. वी. मिका ग्रिन्डले | रु. 85,729.49 | | कोर्ट केस डी. सी. |
| 26. | शारदा इन्डस्ट्रीज | रु. 38,720.15 | | कोर्ट केस |
| 27. | जय ग्लास | रु. 27,852.00 | | ,, ,, |

| क्र. सं. | उद्योग का नाम | बकाया राशि | अवधि | बकाया का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 28. | राजस्थान इन्डस्ट्रीज | रु. 31,023.04 | | |
| 29. | फोनेक्स सोडा इन्डस्ट्रीज | रु. 30,212.00 | | |
| 30. | आर: के: सेठियां | रु. 1,23,609.86 | | कोर्ट केस |
| 31. | ई. टी. डी. सी. (आर एम आई डीसी) | रु. 38694.91 | | |
| 32. | चन्द्र देव अग्रवाल | रु. 39,804.76 | | चार्जिंग केस डी. सी. |
| 33. | लक्ष्मण प्राईवेट लि० | रु. 39,124.24- | | |
| 34. | पारस आइस फेक्ट्री | रु. 43,010.60 | | नोन पेमेंट डी. सी. |
| 35. | वेंकेटेश्वर सिन्थेटिक्स | रु. 28,014.41 | | डी. सी. |
| 36. | मैं० निशा इंडस्ट्रीज | रु. 27,782.48 | | |
| 37. | सारन टेक्नों कास्ट | रु. 27,713.89 | | |
| 38. | राजस्थान ट्रांसफार्मर एवं स्विच गियर | रु. 54,053.78 | | |
| 39. | भगवती उद्योग | रु. 55,410.50 | | |
| 40. | गुप्ता केमीकल्स | रु. 37,867.90 | | |
| 41. | अरूण इंडस्ट्रीज | रु. 28,795.37 | | |
| 42. | जयपुर रोलिंग मिल | रु. 2,57,750.18 | | कोर्ट केस |
| 43. | अग्रवाल आइस फेक्ट्री | रु. 75,622.58 | | ,, ,, |
| 44 | अग्रवाल आईस फेक्ट्री | रु. 87,289.78 | | कोर्ट केस |
| 45 | अशोका कोल इंडस्ट्रीज | रु. 48,889.35 | | ,, ,, |
| 46. | बल्लभ रोलिंग मिल | रु. 1,00050.28 | 1974 से | |
| 47. | जयपुर मेटल | रु. 2 06,590.69 | | किश्तों में वसूली |
| 48. | जयपुर मेटल | रु. 14,35,844.24 | | |
| 49. | आसाम रोलिंग मिल्स | रु. 4,32,572.71 | | डी. सी. |
| 50. | हिन्दुस्तान सेफ्टी ग्लासवर्क | रु. 1,47,650.97 | | ,, ,, |
| 51. | हरि आयल मिल | रु. 29,600.45 | | कोर्ट केस |
| 52. | सुन्दर प्लास्टिक | रु. 28,826.39 | | ,, ,, |
| 53. | एस. पी. गुप्ता | रु. 30,118.28 | | |
| 54. | न्यू इन्डिया इलेक्ट्रीकल | रु. 60,606.64 | | डी. सी. |
| 55. | नारायण कोल्ड स्टोरेज | रु. 2,77,825.21 | | कोर्ट केस |
| 56. | मुरली रोलिंग मिल्स | रु. 266,251 24 | | ,, ,, |

| क्र. सं. | उद्योग का नाम | बकाया राशि | अवधि | बकाया का कारण |
|---|---|---|---|---|
| 57. | स्वास्तीक प्लास्टीक | रु. 1,04,682.78 | | कोर्ट केस |
| 58. | आर. जी. इस्पात | रु. 4,1?,934.94 | | कोर्ट केस |
| 59. | भगवती रोलिंग मिल्स | रु. 2,40,865.17 | | ,, ,, |
| 60. | मार्डन बेकरीज | रु. 28,679.88 | | |
| 61. | मार्डन मिल्स | रु. 1,21,144.87 | | डी. सी. |
| 62. | जयपुर वायर | रु. 38,949.11 | | |
| 63. | हरी रोलिंग मिल्स | रु. 88,753.87 | | डी. सी. |
| 64. | आर. एस. इन्डस्ट्रीज | रु. 1,73,171.81 | | कोर्ट केस |
| 65. | जयपुर स्टील एण्ड पाइप | रु. 103,296.19 | | ,, ,, |
| 66. | जयपुर एलाइज | रु. 1,11,795.01 | | ,, ,, |
| 67. | अमृत बिस्कुट | रु. 76,811,32 | | ,, ,, |
| 68. | प्रताप राजस्थान कापर | रु. 5,66,710.79 | | ,, ,, |
| 69. | राजस्थान सियेटिक्स | रु. 27,579.56 | | ,, ,, |
| 70. | शंकर स्टोन | रु. 37,861.60 | | ,, ,, |

**नोटः**—कुछ वृत्तों से सूचना उपलब्ध न होने के कारण कुछ उपभोक्ताओं के समक्ष अवधि एवं कारण नहीं दर्शाये गये हैं।

# परिशिष्ट 12

## अतारांकित प्रश्न संख्या 281 की तालिका

अक्टूबर, 83 से 20 फरवरी, 1984 तक केशवरायपाटन से शुगर मिल गेट तथा केशवरायपाटन व शुगर मिल गेट से बून्दी के यात्रियों की संख्या तथा निगम को हुई आय की तालिका

| दिनांक | केशवरायपाटन से शुगर मिल गेट फाटक के यात्रियों की सं. | केशवरायपाटन से बून्दी तक के यात्रियों की सं. | प्राप्त आय | शुगर मिल गेट फाटक से बून्दी के यात्रियों की संख्या | प्राप्त आय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.10.83 | निल | 35 | 175·00 | 68 | 340·00 |
| 2.10.83 | ,, | 62 | 310·00 | 69 | 345·00 |
| 3.10.83 | ,, | 60 | 300·00 | 168 | 840·00 |
| 4.10.83 | ,, | 78 | 390·00 | 141 | 705·00 |
| 5.10.83 | ,, | 37 | 185·00 | 185·00 | 625·00 |
| 6.10.83 | ,, | 55 | 275·00 | 143 | 715·00 |
| 7.10.83 | ,, | 47 | 235·00 | 64 | 333·00 |
| 8.10.83 | ,, | 40 | 200·00 | 80 | 400·00 |
| 9.10.83 | ,, | 57 | 285·00 | 65 | 325·00 |
| 10.10.83 | ,, | 62 | 310·00 | 148 | 740·00 |
| 11.10.83 | ,, | 11 | 55·00 | 188 | 940·00 |
| 12.10.83 | ,, | 37 | 185·00 | 129 | 645·00 |
| 13.10.83 | ,, | 76 | 380·00 | 149 | 745·00 |
| 14.10.83 | ,, | 48 | 210·00 | 102 | 510·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.83 | निल | 45 | 225·00 | 33 | 165·00 |
| 16.10.83 | ,, | 37 | 185·00 | 41 | 205·00 |
| 17.10.83 | ,, | 50 | 250·00 | 48 | 240·00 |
| 18.10.83 | ,, | 44 | 220·00 | 24 | 120·00 |
| 19.10.83 | ,, | 37 | 185·00 | 175 | 875·00 |
| 20.10.83 | ,, | 47 | 235·00 | 51 | 255.00 |
| 21.10.83 | ,, | 46 | 230·00 | 90 | 450·00 |
| 22.10.83 | ,, | 68 | 340·00 | 77 | 385·00 |
| 23.10.83 | ,, | 24 | 120·00 | 50 | 250·00 |
| 24.10.83 | ,, | 55 | 275·00 | 131 | 655·00 |
| 25.10.83 | ,, | 66 | 330·00 | 111 | 555·00 |
| 26.10.83 | ,, | 21 | 105·00 | 127 | 635·00 |
| 27.10.83 | ,, | 41 | 205·00 | 138 | 690·00 |
| 28.10.83 | ,, | 63 | 315·00 | 91 | 455.00 |
| 29.10.83 | ,, | 58 | 290·00 | 91 | 455·00 |
| 30.10.83 | ,, | 39 | 195·00 | 44 | 220·00 |
| 31.10.83 | ,, | 56 | 280·00 | 116 | 580·00 |
| 1.11.83 | ,, | 65 | 325·00 | 68 | 340·00 |
| 2.11.83 | ,, | 46 | 230·00 | 69 | 345.00 |
| 3.11.83 | ,, | 42 | 210·00 | 168 | 840·00 |
| 4.11.83 | ,, | 13 | 65·00 | 141 | 705·00 |
| 5.11.83 | ,, | 10 | 50·00 | 103 | 515·00 |
| 6.11.83 | ,, | 47 | 235·00 | 134 | 670·00 |
| 7.11.83 | ,, | 111 | 555·00 | 64 | 320 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.11.83 | निल | 70 | 350·00 | 130 | 650·00 |
| 9.11.83 | ,, | 51 | 255·00 | 136 | 680·00 |
| 10.11.83 | ,, | 60 | 300·00 | 118 | 590·00 |
| 11.11.83 | ,, | 54 | 270·00 | 105 | 525·00 |
| 12.11.83 | ,, | 34 | 170·00 | 61 | 305·00 |
| 13.11.83 | ,, | 23 | 115·00 | 77 | 385·00 |
| 14.11.83 | ,, | 87 | 435·00 | 133 | 665·00 |
| 15.11.83 | ,, | 53 | 265·00 | 138 | 690·00 |
| 16.11.83 | ,, | 55 | 275·00 | 109 | 545·00 |
| 17.11.83 | ,, | 60 | 300·00 | 107 | 535·00 |
| 18.11.83 | ,, | 45 | 225·00 | 106 | 530-00 |
| 19.11.83 | ,, | 17 | 85·00 | 176 | 880·00 |
| 20.11.83 | ,, | 106 | 530·00 | 24 | 120·00 |
| 21.11.83 | ,, | 277 | 1385·00 | 75 | 375·00 |
| 22.11.83 | ,, | 166 | 830·00 | 90 | 445·00 |
| 23.11.83 | ,, | 90 | 450.00 | 20 | 100·00 |
| 24.11.83 | ,, | 111 | 555.00 | 136 | 680·00 |
| 25.11.83 | ,, | 84 | 420·00 | 139 | 695·00 |
| 26·11.83 | ,, | 76 | 380·00 | 155 | 775·00 |
| 27.11.83 | ,, | 16 | 80·00 | 65 | 325·00 |
| 28 11.83 | ,, | 84 | 420·00 | 174 | 840.00 |
| 29.11.83 | ,, | 88 | 440·00 | 176 | 880·00 |
| 30.11.83 | ,, | 57 | 285·00 | 109 | 545·00 |
| 1.12.83 | ,, | 42 | 210·00 | 129 | 645·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12.83 | निल | 30 | 150·00 | 114 | 570·00 |
| 3.12.83 | ,, | 41 | 205·00 | 133 | 665·00 |
| 4.12.83 | ,, | 75 | 375·00 | 116 | 580·00 |
| 5.12.83 | ,, | 31 | 155·00 | 165 | 825·00 |
| 6.12.83 | ,, | 39 | 195·00 | 176 | 880·00 |
| 7.12.83 | ,, | 22 | 110·00 | 211 | 1055·00 |
| 8.12.83 | ,, | 37 | 185·00 | 127 | 635·00 |
| 9.12.93 | ,, | 43 | 215·00 | 124 | 620·00 |
| 10.12.83 | ,, | 33 | 165·00 | 133 | 665·00 |
| 11.12.83 | ,, | 62 | 310·00 | 50 | 250·00 |
| 12.12.83 | ,, | 67 | 335·00 | 172 | 860·00 |
| 13.12.83 | ,, | 55 | 275·00 | 141 | 705·00 |
| 14.12.83 | ,, | 40 | 200·00 | 116 | 580·00 |
| 15.12.83 | ,, | 32 | 160·00 | 102 | 510.00 |
| 16.12.83 | निल | 39 | 195.00 | 107 | 535.00 |
| 17.12.83 | ,, | 44 | 220.00 | 121 | 605.00 |
| 18.12.83 | ,, | 31 | 155.00 | 63 | 271.00 |
| 19.12.83 | ,, | 47 | 235.00 | 40 | 200.00 |
| 20.12.83 | ,, | 42 | 210.00 | 152 | 760.00 |
| 21.12.83 | ,, | 35 | 175.00 | 149 | 745.00 |
| 22.12.83 | ,, | 39 | 195.00 | 148 | 740.00 |
| 23.12.83 | ,, | 117 | 585.00 | 154 | 770.00 |
| 24.12.83 | ,, | 34 | 170.00 | 101 | 505.00 |
| 25.12.83 | ,, | 38 | 190.00 | 75 | 375·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.83 | निल | 27 | 135.00 | 211 | 1055.00 |
| 27.12.83 | ,, | 62 | 310.00 | 157 | 785.00 |
| 28.12.83 | ,, | 48 | 240.00 | 123 | 615.00 |
| 29.12.83 | ,, | 60 | 300.00 | 111 | 555.00 |
| 30.12.83 | ,, | 31 | 155.00 | 62 | 310.00 |
| 31.12.83 | ,, | 39 | 195.00 | 78 | 390.00 |
| 1.1.84 | ,, | 23 | 115.00 | 89 | 445.00 |
| 2.1.84 | ,, | 48 | 240.00 | 99 | 495.00 |
| 3.1.84 | ,, | 52 | 260.00 | 149 | 745.00 |
| 4.1.84 | ,, | 55 | 275.00 | 149 | 745.00 |
| 5.1.84 | ,, | 35 | 175.00 | 135 | 675.00 |
| 6.1.84 | ,, | 61 | 305.00 | 127 | 635.00 |
| 7.1.84 | ,, | 80 | 400.00 | 123 | 615.00 |
| 8.1.84 | ,, | 36 | 180.00 | 32 | 160.00 |
| 9.1.84 | ,, | 53 | 265.00 | 33 | 160.00 |
| 10.1.84 | ,, | 49 | 245.00 | 118 | 590.00 |
| 11.1.84 | ,, | 38 | 190.00 | 26 | 130.00 |
| 12.1.84 | ,, | 54 | 270.00 | 123 | 665.00 |
| 13.1.84 | ,, | 74 | 370.00 | 165 | 725.00 |
| 14.1.84 | ,, | 61 | 305.00 | 57 | 285.00 |
| 15.1.84 | ,, | 57 | 285.00 | 50 | 250.00 |
| 16.1.84 | ,, | 78 | 390.00 | 141 | 705.00 |
| 17.1.84 | ,, | 60 | 300.00 | 203 | 1015.00 |
| 18.1.84 | ,, | 55 | 275.00 | 160 | 800.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.1.84 | निल | 50 | 250.00 | 114 | 570.00 |
| 20.1.84 | ,, | 56 | 280.00 | 86 | 430.00 |
| 21.1.84 | ,, | 76 | 380.00 | 70 | 350.00 |
| 22.1.84 | ,, | 67 | 335.00 | 65 | 325.00 |
| 23.1.84 | ,, | 87 | 435.00 | 85 | 425.00 |
| 24.1.84 | ,, | 35 | 175.00 | 18 | 90.00 |
| 25.1.84 | ,, | 36 | 180.00 | 138 | 690.00 |
| 26.1.84 | ,, | 30 | 150.00 | 57 | 285.00 |
| 27.1.84 | ,, | 99 | 495.00 | 161 | 805.00 |
| 28.1.84 | ,, | 73 | 365.00 | 104 | 520.00 |
| 29.1.84 | ,, | 57 | 285.00 | 24 | 120.00 |
| 30.1.84 | ,, | 57 | 285.00 | 150 | 150.00 |
| 31.1.84 | ,, | 73 | 365.00 | 141 | 705.00 |
| 1.2.84 | ,, | 39 | 195.00 | 105 | 525.00 |
| 2.2.84 | ,, | 52 | 260.00 | 145 | 725.00 |
| 3.2.84 | ,, | 59 | 295.00 | 165 | 825.00 |
| 4.2.84 | ,, | 70 | 350.00 | 123 | 615.00 |
| 5.2.84 | ,, | 48 | 240.00 | 52 | 260.00 |
| 6.2.84 | ,, | 54 | 270.00 | 143 | 715.00 |
| 7.2.84 | ,, | 49 | 245.00 | 168 | 840.00 |
| 8.2.84 | ,, | 42 | 210.00 | 182 | 910.00 |
| 9.2.84 | ,, | 87 | 435.00 | 171 | 855.00 |
| 10.2.84 | ,, | 75 | 375.00 | 126 | 630.00 |
| 11.2.84 | ,, | 64 | 320.00 | 95 | 475.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.84 | निल | 38 | 190.00 | 50 | 250.00 |
| 13.2.84 | „ | 66 | 330.00 | 142 | 710.00 |
| 14.2.84 | „ | 44 | 220.00 | 130 | 650.00 |
| 15.2.84 | „ | 33 | 165.00 | 154 | 770.00 |
| 16.2.84 | „ | 56 | 280.00 | 145 | 725.00 |
| 17.2.84 | „ | 65 | 325.00 | 150 | 750.00 |
| 18.2.84 | „ | 48 | 240.00 | 115 | 575.00 |
| 19.2.84 | „ | 60 | 300.00 | 80 | 400.00 |
| 20.2.84 | „ | 70 | 350.00 | 104 | 520.00 |

# परिशिष्ट 13

## अतारांकित प्रश्न संख्या 288 की सूची

### खोज कार्य का विवरण

### सूची–क

पुरातात्विक उत्खनन :—

1980–81

| क्र. सं. | स्थान | जिला | सांस्कृतिक महत्व |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3 | 4 |
| 1. | सुनारी | झुन्झुनू | इस स्थल से 1100 ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ई. तक निरन्तर तीन विभिन्न कालक्रमों के सांस्कृतिक अवशेषों का बोध हुआ है। प्रारंभिक संस्कृति 1100 ईसा पूर्व से 600 ई, पू. का समय महाभारत-कालीन संस्कृति के केन्द्र के रूप में जाना गया है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री व अवशेष राष्ट्रीय महत्व के हैं जिनके संबंध में रिपोर्ट तथा शोध लेख प्रकाशित किये गये। |
| 1981–82 से 1983–84 | | | |
| 2. | गणेश्वर | सीकर | गणेश्वर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का ताम्र-युगीन सभ्यता का प्राचीन केन्द्र है जिसकी खोज 1970 में की गई तथा वर्ष 1979 में यहां के टीले की खुदाई भी प्रारम्भ की गई। यहां से खोजी गयी ताम्रकालीन सभ्यता 3000 ई. पू. से 2000 ई. पू. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | वर्ष पुरानी है। इस टीले के उत्खनन से लगभग 4 हजार ताम्रकालीन उपकरण प्राप्त हुए। |
| | | | हमारे देश की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की उत्पत्ति, विकास एवं विस्तार के संबंध में गणेश्वर की खुदाई से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए। |
| | | | ताम्रयुगीन मानव के आवासन तथा बांध निर्माण सम्बन्धी साक्ष्यों की जानकारी सर्वप्रथम यहां से मिली है। गणेश्वर उत्खनन् के परिणामस्वरूप प्राप्त जानकारी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित भी की गयी। |
| वर्ष 1983–84 | | | |
| 3. | सांभर | जयपुर | उत्खनन के परिणामस्वरूप प्रतिहार-कालीन 8-9 वीं शताब्दी ई. की प्रतिमाएँ तथा मन्दिर की नींव की खोज हुई। |

**सूची–ख**

1980–81

प्राचीन टीलों की खोज

कालक्रम

शिलाश्रम : 1 लाख ईसवी सन् पूर्व<br>
प्रागैतिहासिक : 7000 से 5000 ईसवी सन् पूर्व<br>
ताम्र युगीन : 3000 से 2000 ईसवी सन् पूर्व.

| प्राचीन टीलों की खोज | कालक्रम |
|---|---|
| | ताम्र पाषाणकालीन (मेवाड़ कोटा क्षेत्र) : 2000 से 1500 ईसवी सन् पूर्व |
| | ऐतिहासिक : 600 ई. पू. से 1000 ईसवी |

| क्र. सं. | स्थान | जिला | सांस्कृतिक महत्व |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | खुदाना | झुन्झुनू | ऐतिहाषिक |
| 2. | छावश्री | ,, | ताम्रयुगीन |
| 3. | सेफरा गुवार | ,, | ताम्रयुगीन |
| 4. | चींचरोली | ,, | ताम्रयुगीन |
| 5. | पदेवा | ,, | ऐतिहासिक |
| 6. | जोधपुर | ,, | ताम्रयुगीन |
| 7. | नवरंगपुरा | ,, | ऐतिहासिक |
| 8. | मरोठ | ,, | ऐतिहासिक |
| 9. | मालूवाला | ,, | ऐतिहासिक |
| 10, | गुढ़ा | ,, | ऐतिहासिक |
| 11. | बादलगढ़ | ,, | ऐतिहासिक |
| 12. | कांजर | ,, | ताम्रयुगीन |
| 13. | गिलूण्डा की बुर | ,, | ताम्रयुगीन, शिलाश्रय |
| 14. | ओजियाणा | भीलवाडा | ताम्रपाषाण कालीन |
| 15. | बानसेन | चित्तौड़ | ताम्र पाषाण कालीन |
| 16. | चम्पाखेड़ी | चित्तौड़ | ताम्र पाषाण कालीन |
| 1981--82 | | | |
| 17. | दादियापाज्याली | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 18. | माल्याली | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 19. | जम्बालपुर | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 20. | बुचारा | जयपुर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 21. | बाग की ढाणी | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 22. | बाछड़ी | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 23. | खो मूंदड़ी | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 24. | अजमेरी | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 25 | रायपुर जागीर | सीकर | ताम्रयुगीन |
| 26. | पीथलपुरो | सीकर | ताम्रयुगीन |
| 27. | बुचारा | जयपुर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 28. | मानस | कोटा | ताम्र पाषाण कालीन |
| 29. | बूढ़ादीत | कोटा | ऐतिहासिक |
| 30. | आलनिया | कोटा | प्रागैतिहासिक |
| 1982-- | | | |
| 31. | गणेश्वर | सीकर | प्रागैतिहासिक, शिलाश्रय |
| 32. | झींटला | सीकर | ताम्रयुगीन, प्रागैतिहासिक |
| 33. | तूम्बावास | सीकर | ताम्रयुगीन |
| 34. | कालाखेड़ा | सीकर | प्रागैतिहासिक, ताम्रयुगीन |
| 35. | नायावाली | सीकर | प्रागैतिहासिक, शिलाश्रय |
| 36. | स्वामियों की ढाणी | सीकर | ताम्रयुगीन, प्रागैतिहासिक |
| 37. | मलाह | भरतपुर | ताम्रयुगीन |
| 1983--84 | | | |
| 38. | नरेड़ा | जयपुर | ऐतिहासिक |
| 39. | ढ़ाढणियां | जोधपुर | ताम्रयुगीन |
| 40. | भोजका | जैसलमेर | प्रागैतिहासिक |
| 41. | मूमल की मेड़ी | जैसलमेर | ऐतिहासिक |

262



## सूची--ग

प्राचीन मुद्राओं की खोज :—

1980--81

| क्र. सं. | स्थान | जिला | सांस्कृतिक महत्व |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | जमवारामगढ़ | जयपुर | 297 सिक्के ताम्बे के कुषाणकालीन एवं दो सीलें |
| 2. | ग्वालिनी (जमवारामगढ़) | जयपुर | 112 सिक्के ताम्बे के आदि वराह प्रकार के |
| 3. | गनेड़ी | सीकर | 126 सिक्के बिलन (चांदी व ताम्बा मिश्रित) (60 आदि वराह तथा 66 घुड़-सवार नन्दि प्रकार) |
| 4. | लवाण | जयपुर | 1 चांदी का सिक्का शाहजहां |
| 5. | उदयपुर | उदयपुर | मेवाड़ के महत्वपूर्ण 4700 प्राचीन सिक्कों को क्रय के माध्यम से उदयपुर संग्रहालय में अवाप्त किया गया । |

1981–82

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1, | सीगवाड़ा | जयपुर | 32 चांदी के सिक्के उत्तरकालीन मुगल शासक औरंगजेब, मुहम्मदशाह, शाहआलम के |
| 2. | नाहरी का नाका | जयपुर | 13 चांदी के सिक्के ब्रिटिश कालीन |

1982–83

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कांकरवा | चित्तौड़गढ़ | 213 सिक्के इंडो-सैनियन प्रकार के उदयपुर संग्रहालय हेतु अवाप्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | महलपुर | कोटा | 2 सिक्के कोटा संग्रहालय हेतु अवाप्त |
| 3. | रामगढ़ | कोटा | 6 सिक्के कोटा संग्रहालय हेतु अवाप्त |
| 1983–84 | | | |
| 1. | जीवद | भरतपुर | 95 सिक्के भरतपुर संग्रहालय हेतु अवाप्त |
| 2. | नेवाड़ | भरतपुर | 271 सिक्के भरतपुर संग्रहालय हेतु अवाप्त |

## सूची–घ

प्राचीन स्मारक (मन्दिर/दरगाह)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1980–81 | | | |
| 1. | सलहदीपुरा | सीकर | मध्यकालीन देवी मन्दिर (1000 वर्ष प्राचीन) |
| 1982–83 | | | |
| 2. | रातादेई | झालावाड़ | 9–10 वीं शताब्दी के तीन प्राचीन शिव मन्दिर समूह जिनकी भित्ति पर प्राचीन प्रतिमाएँ अलंकृत हैं। झालरापाटन के चन्द्रभागा मन्दिरों से साम्य। |
| 3. | रातादेई | झालावाड़ | रातादेई के पास अरक्षित 9–10 वीं शताब्दी का तोरण राजकीय संग्रहालय झालावाड़ के संग्रह में सुरक्षित किया गया। |
| 4. | गागरोन | झालावाड | मीठेशाह की दरगाह। हिन्दू मुस्लिम समन्वय की महत्वपूर्ण कलाकृति-हिजरी सं. 887 के शिलालेख में बीकानेर के कल्याण मल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | | राठोड़ पुत्र सुल्तान राय के दीवान उल्लीखां के पुत्र द्वारा सुन्दर दरवाजा निर्मित कराने का उल्लेख। |
| 5. | रंग पाटन | झालावाड़ | मध्यकालीन मन्दिर (खण्डितावस्था) यहां से महत्वपूर्ण प्रतिमाऍं झालावाड़ संग्रहालय में स्थानान्तरित की गई हैं। |
| 6. | खानपुर | झालावाड़ | जैन मन्दिरों को महत्वपूर्ण कलात्मक प्रतिमाएं (शक सं. 1611 अंकित) |
| 7. | गरनावाद | झालावाड़ | 15 वीं शताब्दी का प्राचीन वैष्णव मन्दिर। |
| 1983–84 | | | |
| 8. | पालड़ी हिण्डोली | जोधपुर | सूर्य मन्दिर प्रतिहार कालीन 10 वीं शताब्दी। |
| 9. | केलवाड़ा | कोटा | 15 वीं-16 वीं शताब्दी का शिव मन्दिर। |
| 10. | कैथून | कोटा | कब्रिस्तान में स्थित प्रचीन 11–12 वीं शताब्दी के मन्दिर के खण्डित भाग। |

**सूची–ङ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | परशुरामपुरा | झुन्झुनू | गोपीनाथ मन्दिर व सार्दुल की छतरी में 18 वीं शताब्दी उत्तरार्ध के चित्र। |
| 2. | उदयपुरवाटी | झुन्झुनू | छतरियों में राजस्थानी चित्र 18 वीं शताब्दी उत्तरार्ध। |
| 1981–82 | | | |
| 3. | भावपुरा | जयपुर | छतरी में भित्ति चित्र (जहाँगीर कालीन) |
| 4. | सामोद | जयपुर | शीशमहल (किले में) 18 वीं शताब्दी उत्तरार्ध (वि. सं. 1747 के)। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | भरतपुर | भरतपुर | बारादरी व जवाहर बुर्ज में 18 वीं शताब्दी उत्तरार्ध के भित्ति चित्र । |
| 6. | झालावाड़ (गढ़) | झालावाड़ | शीशमहल व भित्ति चित्र 19 वीं शताब्दी ई. के । |
| 7. | महणसर | झुन्झुनूं | सेठों की हवेली व मन्दिरों में 19 वीं शताब्दी के चित्र (तोलाराम व पोद्दार हवेली) । |
| 8. | गांगियास | झुन्झुनूं | 18–19 वीं शताब्दी के चित्र मन्दिर में । |
| 9. | बिसाउ | चुरू | सेठों की हवेलियों में 18–19 शती के चित्र । |
| 10. | देलवाड़ा | सिरोही | जैन मन्दिर वि. सं. 1821 के चित्र कलाकारों के नाम हैं । |
| 11. | सारणेश्वर | सिरोही | वि. सं. 1800 के चित्र छतरियों में । |
| 12. | मेड़तारोड | नागोर | जैन मन्दिर में 1904 वि. सं. के भित्ति चित्र (6 फुट + 5 फुट) |
| 13. | मेड़तासिटी | नागोर | जैन भण्डार में रखे<br>(क) 600 हस्तलिखित ग्रन्थ में वि. सं. 1620 से 1890 तक ।<br>(ख) काष्ठ पर जैन चित्र 19 वीं शताब्दी ई०<br>(ग) कपड़े पर चित्र 19 वीं शताब्दी ई० |

सूची–च

प्रतिमाएं

1982–83

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | भवाद | जोधपुर | वि. सं. 1726 का सती लेख विशेष सती ऊंट पर बैठी हुई है (36″ × 19″) । |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | कुन्डल (मेडता) | नागौर | प्राचीन बावड़ी में गरोश प्रतिमाएं, द्वारपाल, विष्णु प्रतिमा 15 वीं शताब्दी ई. | |
| 3. | मालकोट | नागौर | गरोश प्रतिमा 15 वीं शताब्दी ई० विष्णु प्रतिमा 16 वीं शताब्दी ई० महिषासुर मर्दिनी 15 वीं शताब्दी ई० | |

## सूची–छ

अभिलेखों की खोज

1980–81

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | खण्डेला | सीकर | कागलिगा बालाजी से कुटिल लिपि में एक हजार वर्ष पुराना शिलालेख । |
| 2. | फागलवा | सीकर | मध्यकालीन अभिलेख युक्त स्मारक स्तम्भ जिन पर देव मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । |
| 3. | पिपराली | सीकर | उक्त अनुसार । |
| 4. | टाटनवा | सीकर | ,, |
| 5. | भुवाला | सीकर | ,, |
| 6. | पालड़ी | सीकर | ,, |
| 7. | कटराथल | सीकर | ,, |
| 8. | श्यामजी खाटू | सीकर | इस सुप्रसिद्ध मन्दिर के प्रांगण में वि. सं. 1777 (ई. सन् 1720) का लेख जिसमें मन्दिर से सम्बद्ध महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । इस शिलालेख में स्थानीय शासक विजयराज का उल्लेख है । |
| 9. | चिड़ावा | झुन्झुनू | सती स्मारक लेख वि. सं. 1240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1981–82 | | | |
| 1. | बघाल | जयपुर | आठवीं नवीं शताब्दी के दो ताम्र पत्र जिन पर प्रतिहार शासक नाग भट्ट द्वितीय तथा भोज देव के लेख उत्कीर्ण। जयपुर क्षेत्र से सर्व प्रथम प्रतिहार–कालीन अभिलेखों की खोज। ये ताम्र पत्र हवामहल संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। |
| 1983–84 | | | |
| 1. | मेड़तासिटी | नागौर | मीरा क्लब के पास प्रतिहार कालीन गोबर्धन स्तम्भ स्थानीय जैन मन्दिर की प्रतिमाओं पर वि. सं. 1399 से 1822 तक के लेख, मलकोट में वि. सं. 1545 का लेख आदि। |
| 2. | डॉगोंलाई | नागौर | छतरी में वि. सं. 1811 तथा 1880 का लेख।<br>शहर के बाहर कृषि मण्डी के पास लगभग 2 दर्जन सती स्मारक अभिलेख जो वि. सं. 1707 से 1900 की अवधि के है। |

——––